


**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

संसद के राज्य सभा पटल पर प्रस्तुत
दिनांक 04 APR 2018

संसद के लोक सभा पटल पर प्रस्तुत
दिनांक 03 APR 2018

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2018 की सं. 4**



विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		<i>ix</i>
विहंगावलोकन		<i>xi-xxviii</i>
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	4
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.3	4
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.4	5
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.5	6
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	7
लंबित एटीएन की स्थिति	1.7	8
लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.8	9
अध्याय II : परिणाम बजट का विश्लेषण		
पेय जल तथा स्वच्छता/शहरी विकास मंत्रालय		
परिणाम बजट के उद्देश्य	2.1	13
लेखापरीक्षा उद्देश्य, नमूना और कार्यक्षेत्र	2.2	13
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.3	14
निष्कर्ष	2.4	20
अध्याय III : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		
राष्ट्रीय फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान		
सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य की उपलब्धि न होना	3.1	22

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण		
एपीईडीए द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं करने के कारण हानि	4.1	26
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद		
अविवेकी निधि प्रबंधन	4.2	31
अध्याय V : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
पंजाब क्षेत्र में बोरियों का प्रबंधन	5.1	36
असम तथा एनईएफ (शिलांग) क्षेत्रों में सड़क परिवहन संविदाओं का प्रबंधन	5.2	43
मंडी श्रम प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान	5.3	52
गारंटी शुल्क प्रभारों का अनियमित भुगतान	5.4	53
कैथल सिलों में खाली भंडारण क्षमता के गैर-इष्टतम उपयोग के कारण अग्रनयन प्रभारों पर परिहार्य व्यय	5.5	55
संरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभारों का अनियमित भुगतान	5.6	57
अध्याय VI : संस्कृति मंत्रालय		
संगीत नाटक अकादमी		
सांस्कृतिक विरासतों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु योजनाएं	6.1	60
राष्ट्रीय संग्रहालय		
निम्नस्तरीय नकदी प्रबंधन एवं सरकारी खाते के बाहर निधियों का अनियमित रूप में पड़े रहना	6.2	70
एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता		
कर्मचारी भविष्य निधि को अतिरिक्त अंशदान	6.3	73
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल		
विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान	6.4	75

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय VII : विदेश मंत्रालय		
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय	7.1	77
मिशन/पोस्टों में प्रदान की गई कांसुलर सेवाओं में राजस्व की हानि	7.2	86
सम्पत्ति प्रबंधन में लागत में वृद्धि तथा परिहार्य व्यय	7.3	97
सेवा प्रदाता द्वारा अधिक कूरियर शुल्क प्रभारित करना	7.4	109
मिशन/पोस्टों में नियमित प्रकृति के कार्य हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय	7.5	110
अध्याय VIII : वित्त मंत्रालय		
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन (पीएफएमएस)	8.1	114
अध्याय IX : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई		
संविदाओं को सौंपने में अनियमितताएं	9.1	133
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद		
अनुप्रयुक्त प्रापण योजना के परिणामस्वरूप उपकरण व्यर्थ पड़े रहे	9.2	136
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़		
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में उपकरण का प्रापण तथा अनुरक्षण	9.3	139
जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी		
फर्म द्वारा लाभ उठाई गई सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफलता	9.4	150
सफदरजंग अस्पताल		
गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान किया गया	9.5	153

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय X : गृह मंत्रालय		
दिल्ली पुलिस		
सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू करने में विलम्ब	10.1	155
अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे	10.2	157
सर्वरों और सॉफ्टवेयर का बेकार पड़े रहना और किराए वाले सर्वरों पर परिहार्य व्यय	10.3	160
अध्याय XI : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भुवनेश्वर केन्द्रीय प्रभाग सं.-II, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भुवनेश्वर		
सेवा कर की वापसी पर दावा नहीं करने से परिहार्य व्यय	11.1	163
अध्याय XII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा		
यूपीएससीआईडीसीएल के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य	12.1	165
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर		
निर्माण गतिविधियों में विलम्ब तथा अधिक लागत होना	12.2	172
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता हेतु महिलाओं के होस्टल के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन	12.3	183
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता		
जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान	12.4	192
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक		
निधियों का उपयोग न होना तथा अनियमित भुगतान	12.5	195

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि		
स्कूल छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय	12.6	202
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली		
निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की संबद्धता	12.7	204
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई		
विशेष भत्ते/मानदेय का अनियमित भुगतान	12.8	212
सेवा कर का अनियमित भुगतान	12.9	215
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर		
एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति	12.10	216
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई		
सेवा कर की वसूली न होने के कारण परिहार्य व्यय	12.11	218
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली		
अभिप्रेत उद्देश्य के लिए विद्यालय भवन का उपयोग न किया जाना	12.12	219
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर		
अकार्यात्मक उपकरण	12.13	221
विश्व-भारती, शांतिनिकेतन		
मानदेय का अनियमित भुगतान	12.14	223
तेजपुर विश्वविद्यालय, असम		
शिक्षकों को अनुचित लाभ	12.15	225
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद		
पुस्तकों तथा जर्नल के प्रापण में अनियमित व्यय	12.16	227

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
एबीवी- भारतीय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना संस्थान (एबीवी-आईआईटीएम), ग्वालियर, भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन, तथा विनिर्माण सूचना संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर तथा राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल		
सेवा कर का अनियमित भुगतान	12.17	229
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद		
पट्टा किराए की वसूली न होना	12.18	231
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान	12.19	233
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा		
ब्याज की हानि	12.20	235
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (ईग्नू)		
करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण में विलंब	12.21	237
अध्याय XIII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर		
विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान	13.1	240
प्रसार भारती, वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुम्बई		
निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन न करना	13.2	241
अध्याय XIV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन		
प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली	14.1	243
अध्याय XV : नीति आयोग		
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान		
पदों की संस्वीकृति के बिना स्टाफ की भर्ती	15.1	246

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XVI : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो		
मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	16.1	248
अध्याय XVII : विद्युत मंत्रालय		
भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड		
प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित भुगतान	17.1	250
अध्याय XVIII : ग्रामीण विकास मंत्रालय		
आंतरिक नियंत्रण विफलता के कारण दोहरा भुगतान	18.1	252
अध्याय XIX : पोत परिवहन मंत्रालय		
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास		
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को राजस्व हानि	19.1	254
मुम्बई पत्तन न्यास		
राजस्व की हानि और लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ	19.2	260
नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार तथा सेवा प्रभारों के संशोधन में विफलता के कारण राजस्व की हानि	19.3	264
वी.ओ. चिदाम्बरानार पत्तन न्यास		
लो पावर फैक्टर के लिए क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान	19.4	267
अध्याय XX : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता		
विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान	20.1	270
अध्याय XXI : पर्यटन मंत्रालय		
डा. अम्बेडकर होटल प्रबंधन, केटरिंग एवं पोषण संस्थान		
विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान	21.1	272
अनुबंध	275-284	
परिशिष्ट	285-331	



प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारतीय खाद्य निगम जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में है, से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जोकि 2016-17 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे, तथा वह हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे। 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के अंतर्गत संघ सरकार के 46 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 74 सिविल अनुदानों के अंतर्गत तथा राजस्व, रेलवे, रक्षा, विज्ञान एवं पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा डाक के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/निगमों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

इन 46 सिविल मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय 2015-16 में ₹ 53,34,037 करोड़ से 2016-17 में ₹ 73,62,394 करोड़ तक 38 प्रतिशत तक बढ़ा। शामिल व्यय की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह अनिवार्य है कि प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं स्थापित हो जो लेखापरीक्षा द्वारा उजागर बजट प्रबंधन तथा व्यय में कमियों का लगातार तथा प्रमाणपूर्वक संज्ञान लेगी जिससे कि किए जा रहे व्यय की दक्षता तथा प्रत्याशित परिणाम में सुधार होगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कोडल प्रावधानों तथा लागू नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न होने के कारण गैर-कर राजस्व की हानि अथवा बकायों की गैर-वसूली के साथ-साथ परिहार्य अथवा अतिरिक्त भुगतान, परियोजना प्रबंधन में कमियों, खराब आंतरिक नियंत्रणों, वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं के निर्गम में अनियमितताओं तथा खराब वित्तीय प्रबंधन के उदाहरणों को उजागर कर रहे हैं। लेखापरीक्षा ने मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार की अनियमितताओं का पाया जाना जारी रखा जो आंतरिक नियंत्रणों तथा बजट प्रबंधन की वर्तमान प्रणालियों को आगे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता के साथ-साथ पुनरावृत्ति से बचने हेतु लेखापरीक्षा निष्कर्षों की शीघ्र तथा प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का सूचक था।

इस प्रतिवेदन में 19 मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/निगम को शामिल करके ₹ 1,179.16 करोड़ वाली ऐसी

अनियमितताओं के 78 निर्देशी मामले¹ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ मुख्य मामलों का निम्नानुसार श्रेणी-वार सार प्रस्तुत किया गया है:

परिणाम बजट का विश्लेषण

परिणाम बजट का मूल उद्देश्य न केवल भौतिक परिणामों के अनुसार बल्कि उन परिणामों के भी जो राज्य मध्यस्थता तथा वित्तीय परिव्ययों के मौलिक प्रयोजन उद्देश्य हैं, के अनुसार वित्तीय परिव्ययों तथा निष्पादन के बीच संबंध स्थापित करना है। लेखापरीक्षा ने दो मंत्रालयों अर्थात् पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के परिणाम बजटों का यह निर्धारण करने हेतु विश्लेषण किया कि, क्या परिणाम बजट को तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का अनुपालन किया गया था जिससे वह अपने प्रत्याशित उद्देश्यों को पूरा कर सके। विश्लेषण ने वित्तीय परिव्ययों तथा भौतिक परिणामों के बीच बिना किसी सह-संबंध के परिणाम बजटों को तैयार करने से संबंधित दिशानिर्देशों से वास्तविक विचलन को उजागर किया। परिणाम बजटों तथा मंत्रालयों की वैब-आधारित ऑनलाईन प्रणालियों के बीच कार्यक्रम लक्ष्यों तथा आंकड़ों को दर्शाने में विसंगतियां थीं तथा वैब-आधारित ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग ने डाटा अविश्वसनीयता का सामना किया। ऐसे विचलनों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रत्येक संघटक के प्रति भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाये न जाने के कारण परिणाम बजट किये जा रहे वित्तीय परिव्ययों से अपेक्षित परिणामों को मापने के एक उपकरण के रूप में अपना अभिप्रेत उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

¹ 78 मामलों में 'मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/वसूलियों' के अंतर्गत पैरा 1.8 के अधीन सम्मिलित तीन पैराग्राफ तथा 62 व्यक्तिगत पैराग्राफ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 18 मामलों को पांच पैराग्राफ (पैराग्राफ सं. 7.2, 7.3, 12.4, 12.10 तथा 12.17) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है क्योंकि वह सामान्य कमियों के अधीन आते हैं।

I. गैर-कर राजस्वों की हानि

विदेश मंत्रालय

वीजा तथा कौंसुलर शुल्क के उदग्रहण/संशोधन से संबंधित विदेश मंत्रालय के अनुदेशों की आस्ट्रेलिया, बेहरीन, बर्न, चीन तथा दुबई में मिशनों/पोस्टों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम ₹74.83 करोड़ के राजस्व के कम संग्रहण में हुआ।

इसके अतिरिक्त, शिकागो में पोस्ट अपने लेखाओं का कान्सुलर शुल्कों तथा समुदाय कल्याण निधि के प्रेषणों से संबंधित अपने बैंक खातों के साथ मिलान करने में विफल रहा जिसका परिणाम यूएसडी 91,189 के दो वर्षों से अधिक के लिए बिना पता चले रहने में हुआ। यद्यपि पोस्ट ने सेवा प्रदाता से कम प्रेषण की वसूली की फिर भी विलम्बित प्रेषण पर ₹ 1.71 करोड़ के अनिवार्य दण्ड की अभी वसूली की जानी है।

(पैराग्राफ सं. 7.2)

II. बकायों की गैर-वसूली

लेखापरीक्षा ने तीन मंत्रालयों के अंतर्गत विभागों/स्वायत्त निकायों से संबंधित ₹ 89.56 करोड़ के कुल बकायों की गैर-वसूली के छः मामले पाए। इनमें से, ₹ 88.73 करोड़ वाले पांच मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के 23 पट्टाधारियों, जो चूक कर रहे थे, के संबंध में किराए के संग्रहण या परिसरों की बेदखली के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख के पट्टा किराए की वसूली न होने के साथ-साथ संस्थान से संबंधित शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.18)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई की अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सहित प्रसारित करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा अग्रिम भुगतान के संबंध में अनुदेशों का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ सं. 13.2)

पोत परिवहन मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई द्वारा जेएनपीटी के वित्तीय लाभ को सुरक्षित किए बिना निम्नतर राजस्व अंश पर मौजूदा बर्थ का संचालन करने वाली उसी कम्पनी को निकटवर्ती बर्थ देने के कारण नई बर्थ से वर्तमान बर्थ में यातायात का विपथन हुआ तथा पत्तन को राजस्व की परिणामी हानि हुई। 2015-17 से राजस्व की हानि कुल ₹ 54.72 करोड़ की थी।

(पैराग्राफ सं. 19.1)

मुम्बई पत्तन न्यास को अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 17.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई क्योंकि पत्तन लाइसेंसधारियों से सहमत दर पर बर्थशुल्क वसूल करने में विफल रहा। पत्तन ने प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना दरों के 130 प्रतिशत मान पर दरों में संशोधन को भी अनुमत किया जोकि अनियमित था।

(पैराग्राफ सं. 19.2)

मुम्बई पत्तन न्यास 1990-92 से नैमित्तिक व्यवसाय प्रभारों तथा सेवा प्रभारों का संशोधन करने में विफल रहा जो पत्तन को राजस्व की हानि का कारण बना। पत्तन द्वारा मई 2002 में प्रस्तावित संशोधित प्रभारों पर विचार करते हुए अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान हानि ₹ 15.10 करोड़ (लगभग) राशि की थी। यह हानि पत्तन द्वारा इन प्रभारों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तक जारी रहेगी।

(पैराग्राफ सं. 19.3)

III. वित्तीय प्रबंधन में कमियां

त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ नियमावली के गैर-अनुपालन का परिणाम तीन मंत्रालयों से संबंधित चार मामलों में ₹ 19.85 करोड़ की हानि में हुआ। इनमें से, ₹ 19.33 करोड़ के तीन मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सहायता अनुदान जारी करते समय विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए एमओयू में ब्याज तथा जुर्माना का उदग्रहण करने के लिए प्रावधान को शामिल न करने और एजेंसियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता के लिए बैंक गारंटियों का आग्रह नहीं करने के साथ **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

भारतीय, निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता द्वारा निधियों को सावधि जमा में निवेश करने की बजाय बचत बैंक खाते में रखने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.2)

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली सरकारी प्राप्तियों के रख रखाव से संबंधित केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का अनुपालन करने में विफल रहा था। इसने प्राप्तियों के लिए रोकड़ बही का उपयोग नहीं किया था और न ही इसने बैंक खातों के साथ कोई समाधान किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 2.26 करोड़ के लंबे समय तक अनियमित रूप से सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था।

(पैराग्राफ सं. 6.2)

IV. योजना दिशानिर्देशों/अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों का अनुपालन न किया जाना

लेखापरीक्षा ने 10 मामले पाए जहाँ लागू दिशानिर्देशों अथवा नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था जिसका परिणाम पांच मंत्रालयों से संबंधित ₹ 66.47 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ। इनमें से, ₹ 65.86 करोड़ के आठ मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी 'भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा (आईसीएच योजना)' हेतु एक योजना कार्यान्वित कर रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान संस्वीकृत 324 परियोजनाओं में से केवल 35 ही पूरी की गयी थीं जबकि 96 अनुदानग्राहियों ने मार्च 2017 तक प्रथम रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी। अकादमी ने संस्कृति मंत्रालय को आईसीएच योजना के अंतर्गत ₹ 4.25 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 5.77 करोड़ का व्यय सूचित किया था। सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता की अन्य योजना के अंतर्गत अनुदानों को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में संस्वीकृत किया गया था और अधिकांश परियोजना प्रस्तावों को राज्य अकादमियों/सरकारों के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा रहा था तथा अनुमोदन उचित प्रलेखनों के बिना ही अनुमोदन प्रदान किये जा रहे थे।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान योजना, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 160 कर्मचारियों के संबंध में ₹ 1.19 करोड़ के अतिरिक्त भविष्य निधि का अंशदान जमा कराया था।

(पैराग्राफ सं. 6.3)

विदेश मंत्रालय

एक सेवा प्रदाता ने यूएसए में मिशन एवं पोस्ट के साथ करार के उल्लंघन में आवेदको से वीजा तथा अन्य कांसुलर सेवाओं हेतु ₹ 14.39 करोड़ की सीमा तक का अधिक कूरियर शुल्क प्रभारित किया।

(पैराग्राफ सं. 7.4)

वैनकोवर, ह्युस्टन तथा सन फ्रांसिस्को स्थित पोस्ट ने नियमों तथा मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में ₹ 2.68 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय करके आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की।

(पैराग्राफ सं. 7.5)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मानव संसाधन सेवा के प्रापण हेतु गठित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के निविदा मूल्यांकन समिति ने सरकार की प्रापण नीति के उल्लंघन में दो बोलीकर्ताओं को अनियमित रूप से अयोग्य ठहराया जिससे प्रापण प्रक्रिया व्यर्थ तथा नीति के उद्देश्य विफल हुए। अन्य मामले में, बोली दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मापदण्ड से परिवर्तन द्वितीय श्रेणी के अभिकरण को कार्य सौंपे जाने का कारण बना जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 9.1)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में एक प्रापण नियमपुस्तक के रूप में एक स्थापित प्रक्रिया की कमी थी जो आवश्यकता के साकल्यवादी तथा प्रणालीगत निर्धारण के आधार पर उपकरण के प्रभावी प्रापण प्रबंधन तथा सामयिक अधिग्रहण को सुनिश्चित कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर, प्रापण किये जाने, वित्तवर्ष के अंत में भारी व्यय तथा प्रापण मामलों को आगे बढ़ाने में विलम्ब हुआ। उपकरण की आपूर्ति अथवा संस्थापना में विलम्ब हेतु कुल ₹ 72.77 लाख के दण्ड के उदग्रहण में विलम्ब तथा उपकरण की खराबी के समय के गलत परिकलन तथा संविदात्मक नियमों के अनुसार उपकरण की खराबी के अधिक समय हेतु लगभग ₹ 1.46 करोड़ के दण्ड की गैर-वसूली के साथ जहाँ आपूर्तिकर्ता ने अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा नहीं किया था वहां संस्थान अपने पास उपलब्ध संविदात्मक उपायों को लागू करने में भी विफल रहा। इसने दण्ड प्रावधानों के निवारक प्रभाव के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा के उचित निष्पादन को लागू करने हेतु संस्थान की समर्थता, दोनों को दुर्बल किया।

(पैराग्राफ सं. 9.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्फीत अनुमानों पर ₹ 56.11 लाख के अनुदान की अधिक स्वीकृति थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ के अनुदान के भुगतान वाली 31 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधियों के पश्चात भी अपूर्ण रही जबकि ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार किए गए दो होस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ सं. 12.3)

विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ के अनुदान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के पास अप्रयुक्त पड़े थे जिससे वह उद्देश्य जिसके लिए ये संस्वीकृत हुए थे, पूर्ण नहीं हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.5)

V. उपकरण/बिल्डिंग/अवसरचना का व्यर्थ होना

अनुपयुक्त योजना तथा गतिविधियों के अनिवार्य समक्रमण की कमी का परिणाम निष्फल व्यय तथा चार मंत्रालयों से संबंधित छः मामलों में ₹ 18.87 करोड़ के मूल्य की परिसम्पत्तियों के व्यर्थ होने/उप-इष्टतम उपयोग में हुआ जैसा नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

कृषि मंत्रालय

राष्ट्रीय मत्स्य पालन पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा साशिमि ग्रेड टुना के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक सुविधा केन्द्र की

स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलम्ब के कारण ₹ 70.83 लाख का प्रत्याशित राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 1.78 करोड़ की लागत से स्थापित एक सुविधा केन्द्र छह वर्षों से बेकार पड़ा रहा और परिकल्पित विदेशी विनिमय वृद्धि के रूप में लाभ और रोजगार अप्राप्य रहे।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, की एक इकाई द्वारा उपकरण के प्रापण में अनुपयुक्त योजना के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार निष्पादन करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ के उपकरण व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹ 2.13 करोड़ के उपकरण को पांच वर्षों से अधिक के लिए इष्टतम उपयोग में नहीं लाया गया।

(पैराग्राफ सं. 9.2)

गृह मंत्रालय

पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद सहित सर्वर और सॉफ्टवेयर की खरीद समक्रमण करने के लिए दिल्ली पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप सर्वर और सॉफ्टवेयर की स्थापना साढ़े तीन साल तक व्यर्थ रही तथा ₹ 1.11 करोड़ किराए के सर्वरों पर परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 10.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि, के लिए छात्रावास भवन, रसोई एवं भोजन के स्थान को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन या व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि मई 2012 में निर्मित होने के बाद से ही भवन अप्रयुक्त पड़ा रहा।

(पैराग्राफ सं. 12.6)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली ने मंत्रालय से अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन का निर्माण किया था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 12.12)

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने के प्रभावी अनुवर्तन की कमी और खराब अनुबंध प्रथा के कारणवश ₹ 2.22 करोड़ के मूल्य के उपकरण अकार्यात्मक रहे।

(पैराग्राफ सं. 12.13)

VI. परियोजना प्रबंधन में कमियां

खराब परियोजना प्रबंधन जैसा स्थलों की पहचान तथा आबंटन में विलम्बों में दर्शाया गया है, प्राथमिकता की कमी तथा निर्माण कार्यों की प्रगति में विलम्ब 10 मामलों में परिहार्य व्यय अथवा कुल ₹ 224.46 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। तीन मंत्रालयों से संबंधित वित्तीय विवक्षा वाले 10 मामलों में से नौ का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

विदेश मंत्रालय

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (साऊ) की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के आठ सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापना की गई थी। साऊ ने अगस्त 2010 में कार्य करना प्रारम्भ किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसर का निर्माण, जिसे 2014 तक समाप्त किए जाने की योजना की गई थी, भारग्रस्त भूमि के आवंटन, मुक्दमेबाजी तथा सांविधिक अनापत्तियों में विलम्ब के कारण पर्याप्त रूप से विलम्बित था। एमईए को किराए के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹ 1.97 करोड़ की छूट को छोड़ना था। परियोजना में विलम्ब ने ₹ 2.66 करोड़ की आवर्ती मासिक किराया देयता को भी बढ़ाया है।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

डब्लिन, पोर्ट मोर्सबी तथा वारसाँ स्थित मिशनों में नवीनीकरण तथा निर्माण कार्यों की प्रगति के मामले में अकुशल संपत्ति प्रबंधन के अनुचित विलम्ब तथा सिडनी में पोस्ट द्वारा प्राधिकरण के बिना तथा मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में पट्टानामा करने का परिणाम कुल ₹ 12.61 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ-साथ लम्बी अवधियों तक ₹ 45.16 करोड़ की सम्पत्ति के व्यर्थ होने में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.3)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के लिए फरवरी 2013 में सीसीटीवी निगरानी परियोजना में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए तकनीकी आवश्यकता का मूल्यांकन और निर्धारण करने में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की विफलता रही क्योंकि ₹ 42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अक्टूबर 2017 तक परियोजना अपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस इन इलाकों के लिए सीसीटीवी कैमरों को किराए पर लेने में ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय कर रही है।

(पैराग्राफ सं. 10.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा निर्माण गतिविधियों तथा निधियों की उपलब्धता को प्राथमिकता सुनिश्चित किए बिना उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण तथा अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड को ₹ 138.41 करोड़ मूल्य के 49 निर्माण कार्यों को सौंपने के परिणामस्वरूप छः अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹ 22.65 करोड़ की निधियों का व्यय करने में हुआ जो मार्च 2017 तक व्यर्थ पड़े रहे थे।

(पैराग्राफ सं. 12.1)

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर द्वारा यूजीसी दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्माण

कार्यों के निष्पादन में अनुपालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.32 करोड़ की लागत के अधिक होने के साथ-साथ समापन में विलम्ब हुआ। पुस्तकालय भवन आंशिक रूप से रिक्त तथा ₹ 15.40 करोड़ के व्यय करने तथा चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात भी अपूर्ण रही है। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण स्थल चयन तथा अधिक निर्माण के साथ-साथ मानदण्डों से विचलन का परिणाम ₹ 19.82 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.2)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ₹ 5.29 करोड़ पर नवम्बर 2007 में हुडा से करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए 7,235.4 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया था। आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने से दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। तथापि, इग्नू विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा भवन का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.41 लाख की परिहार्य लागत के साथ परियोजना के अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ सं. 12.21)

VII. आंतरिक नियंत्रण में कमियां

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी बकायों की कम वसूली, परिहार्य भुगतान तथा दोहरे भुगतान के साथ साथ चार मंत्रालयों से संबंधित पांच मामलों में कुल ₹ 13.60 करोड़ के प्रापण पर सदिग्ध व्यय का कारण बना। इनमें से ₹ 7.67 करोड़ के दो मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ने अपने स्वयं की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से 1,830 पुस्तकों/जर्नलों की खरीद के प्रति ₹ 1.50 करोड़ का व्यय किया। इन 1,830 पुस्तकों/जर्नलों में से ₹ 81.45 लाख कीमत की 801 पुस्तकों तथा 180

जर्नलों से संबंधित न तो कोई पावती और न ही पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका में कोई प्रविष्टि है जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

(पैराग्राफ सं. 12.16)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दर के संदर्भ में प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गए बकाया की पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

VIII. वेतन तथा स्टाफ पात्रताओं में अनियमितताएं

कार्मिकों के वेतन तथा पात्रताओं के भुगतान से संबंधित नियमावली तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन न करने का परिणाम पांच मंत्रालयों में 13 मामलों में कुल ₹ 26.23 करोड़ के अनियमित भुगतान/प्रतिपूर्ति में हुआ। इनमें से ₹ 24.53 करोड़ के 11 मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

गृह मंत्रालय

दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्फीत एयर किरायों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दावों को प्रस्तुत किया। यह दावे बिना संवीक्षा के पारित किए गए जिसके परिणामस्वरूप 435 कर्मचारियों को ₹ 2.56 करोड़ की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

(पैराग्राफ सं. 10.2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने वर्तमान आदेशों के उल्लंघन में

जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज की उच्चतर दर अदा की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.4)

सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा विशेष भत्ते/मानदेय का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.8)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर ने 2011-16 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उनके कर्मचारियों द्वारा अप्राधिकृत एजेंटों से खरीदी गई हवाई टिकटों के प्रति ₹ 1.28 करोड़ के हवाई किराए की अनियमित प्रतिपूर्ति की।

(पैराग्राफ सं. 12.10)

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप विश्वभारती, शांतिनिकेतन द्वारा मानदेयों के भुगतान से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 12.14)

नीति आयोग

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के संस्वीकृत पद को संशोधित किया था जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 15.1)

विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के वेतनमान को अपनाने के बाद प्रतिपूर्ति भत्ते का लगातार भुगतान करने के परिणामस्वरूप 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 17.1)

IX. स्वायत्त निकायों/विभागों/निगमों द्वारा परिहार्य भुगतान

सेवा कर के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में उचित सचेतना की कमी अथवा विद्युत की वास्तविक आवश्यकता की सामयिक समीक्षा की कमी का परिणाम सात मंत्रालयों से संबंधित 12 मामलों में ₹ 11 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम में मुख्यतः खाद्यान्नों तथा बोरियों के प्रापण तथा उनके संचलन तथा संवितरण से संबंधित वर्तमान अनुदेशों के गैर-अनुपालन के कारण कुल ₹ 632.58 करोड़ का परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय था। इनमें से, ₹ 543.62 करोड़ वाले 14 मामलों का नीचे सार प्रस्तुत किया गया है:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ₹ 223.58 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा जो राज्य सरकारी अभिकरणों (एसजीए) को बोरियों के प्रापण हेतु प्रदान की गई अग्रिमों पर ब्याज के कारण के साथ-साथ निर्धारित से अधिक दरो पर बोरियों की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण निगम को देय थे। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंटेनर निगम से, खराब, कम तथा वर्षा प्रभावित बोरियों के लंबित दावों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में विफलता के कारण ₹ 2.86 करोड़ की गैर-वसूली थी।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

एफसीआई ने स्टॉक के संचलन की अनुचित योजना के कारण ₹ 117.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। एक स्टेशन पर आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा संविदा सौंपने से पहले दूरी माप का अनुपालन न करने के

परिणामस्वरूप ₹ 12.96 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशित ट्रकों के प्रति कम आपूर्ति हेतु ठेकेदारों पर ₹ 89 लाख के परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

एफसीआई ने गेहूँ के प्रापण पर मंडी श्रम प्रभारों (एमएलसी) के रूप में अस्वीकार्य तत्वों की प्रतिपूर्ति पर वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अभिकरणों को ₹ 14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

एफसीआई ने पजाब सरकार द्वारा प्रदान की गई बैंक प्रत्याभूतियों की जांच किए बिना एसजीए को ₹ 145.74 करोड़ का प्रत्याभूति शुल्क अदा किया।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

एफसीआई कैथल सिलो में खाली भण्डारण स्थान का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफल रहा जिसका परिणाम एसजीए को कुल ₹ 6.49 करोड़ के अग्रनयन प्रभारों के परिहार्य भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

एफसीआई द्वारा संरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभारों से संबंधित मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ओडीशा क्षेत्र के अंतर्गत एसजीए को 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.32 करोड़ का अनियमित भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ सं. 5.6)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी फर्म द्वारा आयातित उपकरण पर लाभ उठाई गई सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 9.4)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भुवनेश्वर निर्धारित तिथि के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई उचित सचेतना बरतने में विफल रहा और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण गतिविधियों पर ₹ 2.56 करोड़ की राशि के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया गया था जिसपर सेवाकर के भुगतान की छूट थी।

(पैराग्राफ सं. 12.9)

सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की विफलता के कारणवश अपने संसाधनों से सेवा कर के बकाया और ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

(पैराग्राफ सं. 12.11)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली की सही प्रकार से विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विफलता तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 16.1)

संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल सुपर पावर ट्रांसमिशन ऑल
इंडिया रेडियो, बेंगलोर तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकता द्वारा
संविदा मांग का गलत निर्धारण तथा संविदा मांग को कम करने हेतु विलम्बित
कार्रवाई के परिणामस्वरूप संबंधित विद्युत शक्ति तथा संवितरण कम्पनियों को
अदा किए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 2.61 करोड़ का परिहार्य व्यय
हुआ।

(पैराग्राफ सं. 6.4, 13.1 & 20.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों तथा परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए, कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा अन्य लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन तथा उनके द्वारा बेहतर शासन के लिए दिए गए योगदान का मार्गदर्शन करेंगे।

2016-17 में, मार्च 2017 तक 95¹ सिविल अनुदानों तथा 2015-16 में 102 सिविल अनुदानों को सम्मिलित करने वाले सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों के सकल प्रावधान एवं व्यय **तालिका सं. 1** में दर्शाया गया है:

¹ इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), वैज्ञानिक विभाग (9) तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल हैं।

तालिका सं. 1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संवितरण की प्रकृति	2015-16			2016-17		
	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	5,70,014	5,46,699	(-) 23,315	6,14,699	6,05,198	(-) 9,501
राजस्व (दत्तमत)	10,55,700	9,92,772	(-) 62,928	12,60,178	11,36,498	(-) 1,23,680
पूंजीगत (प्रभारित)	42,46,002	37,50,287	(-) 4,95,715	55,10,602	56,97,040	(+) 1,86,438
पूंजीगत (दत्तमत)	2,56,908	2,39,715	(-) 17,193	2,61,720	2,07,390	(-) 54,330
कुल	61,28,624	55,29,473	(-) 5,99,151*	76,47,199	76,46,126	(-) 1,073

* 2015-16, में, ₹ 5,99,151 करोड़ निवल बचत थीं। 2016-17 में, ₹ 1,073 करोड़ की निवल बचत ₹ 1,90,227 की सकल बचत एवं ₹ 1,89,154 करोड़ के आधिक्य के कारण थी।

यह प्रतिवेदन 2016-17 तक लेनदेनों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप उद्भूत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों एवं 74 सिविल अनुदानों को आवृत्त करने वाले उनके स्वायत्त निकायों/निगमों (रक्षा, रेलवे, वैज्ञानिक व पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, डाक, विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र तथा राजस्व विभाग को छोड़कर) से संबंधित अभ्युक्तियां शामिल करता है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये सकल व्यय नीचे तालिका सं. 2 में दर्शाये गये हैं:

तालिका सं. 2: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कृषि	26572.32	22778.34	48997.61
2.	आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी	685.19	1112.14	1292.60
3.	रसायन एवं ऊर्वरक	75411.37	77966.79	70604.54
4.	नागरिक उड़डयन	6626.28	4168.10	3405.79
5.	कोयला	1572.50	1669.72	1338.04
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	7438.02	7400.47	6507.48
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	129663.57	162384.89	147333.84
8.	कॉर्पोरेट मामले	226.23	404.48	397.28
9.	संस्कृति	2069.19	2011.83	2302.55
10.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास	1761.01	2036.68	2543.61
11.	पेय जल एवं स्वच्छता	12201.46	13481.18	26475.66
12.	विदेश मामले	12148.82	14472.95	12772.62

13.	वित्त	4340806.54	4487273.80	6412578.52
14.	खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग	596.74	504.44	716.97
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33046.65	35390.48	40407.08
16.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	1621.43	944.46	8367.50
17.	गृह मामले (विधायिका रहित यूटी को छोड़कर)	61573.53	70006.68	81310.12
18.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	2735.40	1766.16	5220.99
19.	मानव संसाधन विकास	91249.07	86657.36	91673.04
20.	सूचना एवं प्रसारण	3158.53	14681.30	3978.30
21.	श्रम एवं रोजगार	4320.66	4832.02	5313.31
22.	विधि एवं न्याय	1932.84	3127.96	3851.01
23.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2767.82	2834.41	3650.07
24.	खनन	868.16	993.80	1075.97
25.	अल्पसंख्यक मामलें	3090.51	3654.85	3049.15
26.	विदेशी भारतीय मामले	64.09	68.34	--
27.	पंचायती राज	3390.56	208.67	673.98
28.	संसदीय मामले	13.79	15.09	17.09
29.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	1041.80	1127.29	1279.12
30.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	60310.18	31286.74	30231.29
31.	योजना	1808.33	1781.03	225.69
32.	विद्युत	13817.43	9216.23	11768.35
33.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उप-राष्ट्रपति का सचिवालय एवं निर्वाचन आयोग	1057.98	1189.81	1368.20
34.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	54493.73	84986.39	94752.09
35.	ग्रामीण विकास	111136.62	121366.19	157952.27
36.	पोत परिवहन	1340.21	1689.47	1734.92
37.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	--	1007.47	1553.09
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5802.88	6309.64	7305.78
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	4068.78	4178.40	4270.84
40.	इस्पात	71.31	31.90	437.80
41.	कपड़ा	3987.87	4145.98	6227.51
42.	पर्यटन	987.03	903.94	1638.60
43.	जनजातीय मामले	3852.68	4495.18	4822.29
44.	शहरी विकास	13409.64	18752.54	32297.61
45.	महिला एवं बाल विकास	18541.14	17260.28	17097.61
46.	युवा मामले एवं खेल	1144.14	1460.90	1576.20
	कुल	5124484.00	5334036.79	7362393.97

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। सीएजी, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम² की धारा 13³ तथा 17⁴ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की जाती है।

1.3 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 30 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2016 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹ 35,289 करोड़ की राशि के कुल 13,028 उपयोग प्रमाण-पत्र थे जो वित्त वर्ष के 12 माह पश्चात जिसके लिए अनुदान जारी किए गए थे लंबित थे जैसा ब्यौरा **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2017 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका सं. 3** में दर्शाया गया है:

² नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन पत्र तथा अन्य सहायक लेखे की लेखापरीक्षा

⁴ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

तालिका सं. 3: 31 मार्च 2017 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2016 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	ग्रामीण विकास	138	9354.22
2.	शहरी विकास	422	6676.55
3.	विद्युत	25	5009.79
4.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	590	4125.08
5.	कृषि (कृषि सहकारिता + पशुपालन एवं डेयरी)	1095	3416.68
6.	कपड़ा	5117	3037.03
7.	कौशल विकास और उद्यमिता (एनएसडीए+एनएसडीएफ)	3	975.52
8.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	266	745.80
9.	संस्कृति	3570	446.42
10.	भारी उद्योग	23	302.35
	कुल	11249	34089.43


1.4 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों⁵ द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2015-16 के लिए, 389 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा की जानी थी। इनमें से, 153 सीएबी के लेखे, देय तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि चार्ट सं. 1 में दर्शाया गया है:

⁵ पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण और वन, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के मंत्रालयों को छोड़कर।

चार्ट सं. 1: लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब



सीएबी जिनके लेखे दिसम्बर 2016 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

1.5 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, (प्रथम प्रतिवेदन 1975-76) में, साथ ही साथ जीएफआर 2017 का नियम 237 भी निर्धारित करता है कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

30 नवम्बर 2017 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति नीचे तालिका सं. 4 में दी गई है:

तालिका सं. 4: संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति की स्थिति

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2013-14	01	शून्य
2014-15	01	04
2015-16	39	62

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-III** तथा **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2016-17 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं। वर्ष 2016-17 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:


- (ए) 81 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VI**);
- (बी) 66 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VII**);
- (सी) 66 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VIII**);
- (डी) 35 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (**परिशिष्ट-IX**);
- (ई) 105 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं की थी (**परिशिष्ट-X**);
- (एफ) सात स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-हास नहीं दिया गया था (**परिशिष्ट-XI**); तथा
- (जी) 25 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (**परिशिष्ट-XII**)। संशोधन का प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं में ₹ 7.46 करोड़ की निवल कमी तथा अधिशेष में ₹ 149.92 करोड़ की निवल कमी थी।

1.7 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक मॉनीटरिंग सैल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2016 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से नवम्बर 2017 तक स्थिति प्रकट हुई, जिसे नीचे चार्ट सं. 2 में दिया गया है।

चार्ट सं. 2: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति



109 पैराग्राफ में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 31 पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 78 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे **परिशिष्ट-XIII** में दर्शाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम पर पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में, 21 पैराग्राफों जिन पर एटीएन भेजा जाना अनिवार्य था, में से आठ पैराग्राफों के संबंध में एटीएन बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए थे जबकि शेष 13 विभिन्न स्तरों पर लंबित थे।

1.8 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताहों के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनमें निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दें।

₹ 102.58 करोड़ के अधिक-भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से ₹ 87.34 करोड़ की राशि दो मंत्रालयों/विभागों द्वारा वसूल की गई है, जैसा कि नीचे तालिका सं. 5ए तथा 5बी में वर्णित है:

तालिका सं. 5ए: स्वायत्त निकायों के मामले में अधिक-भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	मानव संसाधन विकास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली	0.83	0.73	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने परिसर में सिंडीकेट बैंक की तीन शाखाओं के लिए स्थल आवंटित किया। सीबीएसई ने हालांकि, सम्पदा निदेशालय द्वारा बैंक से निर्धारित लाइसेंस शुल्क नहीं प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 83.41 लाख की लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं हुई।

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
2.	ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	श्रम	ब्याज की कम प्राप्ति तथा पेनल क्षति	3.21	3.05	<p>ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, ने ईपीएफ अंशदान तथा बीएसएनएल कोलकाता द्वारा अन्य प्रशा. प्रभारों के जमा में विलंब के कारण वसूल किए जाने वाले ब्याज एवं पेनल क्षतियों को प्रभारित करने हेतु अवधि की गलत गणना की (15 फरवरी, 2011 से 18 दिसंबर, 2014 तक की बजाय 15 दिसंबर, 2000 से 18 दिसंबर, 2014 तक)।</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, आरओ, ईपीएफओ, कोलकाता ने ब्याज एवं पेनल क्षतियों के रूप में ₹ 3.05 करोड़ (₹ 0.17 करोड़ पेनल क्षति के रूप में तथा ₹ 2.88 करोड़ ब्याज के रूप में) की वसूली के लिए आदेश जारी किया (सितम्बर 2017) जिसे सितम्बर 2017 में वसूल कर लिया गया था। यद्यपि ₹ 0.16 करोड़ अभी भी वसूल किया जाने योग्य है क्योंकि आरओ ईपीएफओ, कोलकाता ने बीएसएनएल से कुल वसूल की गई ब्याज एवं पेनल क्षतियों से ₹ 9.91 करोड़ की बजाय गलती से ₹ 10.07 करोड़ काट लिए थे।</p>
			कुल	4.04	3.78	

तालिका सं. 5बी: भारतीय खाद्य निगम के मामले में अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	अधिक-भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	अस्वीकार्य भुगतान	7.49	7.49	धान की खरीद में पुरानी बोरियों का उपयोग करने के कारण बोरी मूल्यहास के प्रति राज्य सरकार एजेंसियों को अधिक भुगतान
				6.21	6.21	अभिरक्षा तथा रखरखाव प्रभारों का अधिक भुगतान
				6.73	6.73	फसल वर्षों 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लेवी चावल की कम सुपुर्दगी के कारण वसूल न किया जाना
				0.93	0.93	सर्दूलगढ़ केन्द्र पर गेहूँ की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी न लेना
				15.84	15.84	आरएमएस 2007-08 तथा 2008-09 के अंतिम दरों के निर्धारण पर भंडारण प्रभारों के कारण अधिक भुगतान
				13.18	0.23	खाद्यान्नों के परिवहन पर सेवा कर के अवयवों का परिहार्य भुगतान
				1.23	1.23	विभागीय श्रम को प्रोत्साहन के भुगतान में पायी गयी कमियाँ
				8.17	4.87	धान खरीद के परिणामी चावल की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण अर्थदण्ड का न लगाया जाना
				5.59	8.22	रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2007-08 के

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	अधिक-भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
						अंतिम दर में संशोधन होने के कारण वसूली न होना
				33.17	31.81	खरीफ विपणन मौसम 2010-15 के लिए कस्टम मिल्ड चावल की खरीद पर बोरी थैलों के लिए अधिक प्रतिपूर्ति
			कुल	98.54	83.56	

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों/निगमों से संबंधित ₹ 1,179.16 करोड़ के शामिल मूल्य के 62 पैराग्राफ (78 मामले⁶) शामिल हैं। 24 पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

⁶ 78 मामलों में तीन पैराग्राफों, जो पैरा 1.8 मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/वसूलियों के अंतर्गत संयोजित किए गए हैं तथा 62 व्यक्तिगत पैराग्राफों को शामिल किया गया है। 18 मामले पांच पैराग्राफों में (पैराग्राफ सं. 7.2, 7.3, 12.4, 12.10 तथा 12.17) में संयोजित किया गया है, क्योंकि वे सामान्य चूक के तहत गिर गए हैं।

अध्याय II : परिणाम बजट का विश्लेषण

2.1 परिणाम बजट के उद्देश्य

परिणाम बजट के उद्देश्य आगामी वर्ष के लिए भौतिक नियमों में अपर्याप्त लक्ष्य व्यवस्था और वित्तीय बजट एवं निष्पादन बजट के बीच स्पष्ट समक्ष संबंध की कमी जैसे निष्पादन बजट दस्तावेजों में आई कुछ कमियों को संबोधित करना था और मध्यवर्ती भौतिक “आउटपुट” जोकि आसानी से पता लगाने योग्य है बल्कि परिणाम जोकि राज्य हस्तक्षेप तथा वित्तीय परिव्यय के अंतिम उद्देश्य हैं, का पता लगाने की बढ़ती हुई चिंता को संबोधित करना है।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, नमूना और कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन के लिए एक प्रयोग किया कि क्या परिणाम बजट को तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेश और निर्देशों का अनुसरण किया गया था ताकि उसके अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

दो मंत्रालयों अर्थात् पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों को लेखापरीक्षा में जांच के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएंडएस) के अंतर्गत दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात् (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के अंतर्गत सात बड़े शहरों के आसपास (i) विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएवाई) और (ii) ‘सेटेलाइट शहरों में शहरी अवसंरचना विकास योजना के’ भौतिक लक्ष्यों के वित्तीय परिव्यय और प्राप्ति का विश्लेषण किया गया था।

2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3.1 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

2.3.1.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

(i) परिणाम बजट में लिंग बजट की अनुपस्थिति

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के परिणाम बजट के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देश प्रमुख हितधारक समूह के रूप में महिलाओं के महत्व को ध्यान में लेता है और ग्राम पंचायत (जीपी)/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) में प्रतिनिधित्व के माध्यम से योजना बनाने, कार्यान्वयन और जल आपूर्ति कार्यक्रमों के परिचालन और अनुरक्षण में महिला समूह/स्वयं-सहायता समूह को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं।

तथापि, परिणाम बजट ने एनआरडीडब्ल्यूपी के संदर्भ में महिला विशिष्ट वित्तीय परिव्यय एवं भौतिक आउटपुट को 'लागू नहीं' के रूप में सूचित किया था। जब कि गांव में पेयजल भरने का काम मुख्यतः महिलाएं करती हैं, इसमें कार्यक्रम में योजना बनाने, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और जल आपूर्ति कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने की सीमा को सूचित नहीं किया था।

एसबीएम (जी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत, वह सभी महिला की अध्यक्षता वाले परिवार प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य है जिनमें एक परिवार के लिए शौचालय का निर्माण हुआ है और बेहतर स्वच्छ परिस्थितियां सुनिश्चित करने और महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान है। महिलाओं को, स्वच्छता मुद्दों की योजना, कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन के पश्चात् के प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर भी शामिल किया जाना था। तथापि, परिणाम बजट में न तो लिंग आधारित गतिविधियों के लिए चिन्हित प्रावधानों और न ही कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महिलाओं को शामिल करने की सीमा के बारे में सूचित किया गया है।

(ii) 'सामान्य बचतों', 'कम/न किया गया उपयोग' और 'अभ्यर्पण' से संबंधित सूचना को न दर्शाया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, परिणाम बजट में भी (क) सामान्य बचतें-संसाधनों के आर्थिक उपयोग के परिणामस्वरूप बचतें; (ख) कम/न किया गया उपयोग-

कार्यान्वयन न किए जाने के कारण बचतें/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन में विलंब; और (ग) अभ्यर्पण-अप्रयुक्त/अप्रचलित परियोजनाएं/कार्यक्रम या एक परियोजना/कार्यक्रम के समापन के कारण बचतें और निधियों की आवश्यकता नहीं है। कथित अवधि के दौरान मंत्रालय के विनियोग लेखाओं में बचतें और अभ्यर्पण दर्शाए जाने के बावजूद वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट में यह सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

2.3.1.2 परिणाम की तुलना में वित्तीय और भौतिक परिव्यय

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

कार्यक्रम की उपलब्धियों (अनुबंध-I) की तुलना में वित्तीय के साथ भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला कि केवल केन्द्रीय अंश (एमओडीडब्ल्यू एवं एस से संबंधित परिव्यय) से संबंधित वित्तीय परिव्ययों के प्रति लक्ष्य एवं उपलब्धियां दिखाई गई थीं। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए बताए गए लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे, परन्तु आगामी वर्षों 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 84 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की कमी थी।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)

कार्यक्रम (अनुबंध-II) की उपलब्धियों की तुलना में भौतिक के साथ वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय परिव्ययों के साथ भौतिक लक्ष्यों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। संशोधित अनुमान स्तर पर ऊपर की ओर के संशोधन के बावजूद 2015-16 में लक्ष्यों को उन्हीं स्तरों पर रखा गया था। केन्द्रीय अंश के संबंध में वित्तीय एमओडीडब्ल्यू एवं एस से संबंधित परिव्ययों के प्रति लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाया गया था।

2.3.1.3 डाटा की विश्वसनीयता

वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणालियां कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के साधन हैं। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) एक व्यापक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जोकि केन्द्र और राज्य को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने में सक्षम बनाती है। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया:

(i) एनआरडीडब्ल्यूपी

2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजट में दर्शाए गए लक्ष्य वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली (आईएमआईएस) के संबंधित आकड़ों के साथ मेल नहीं खाते जैसाकि नीचे तालिका सं. 1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1: लक्ष्यों के दर्शाने में विसंगति-एनआरडीडब्ल्यूपी

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार लक्ष्य (बस्तियों की संख्या)				आईएमआईएस के अनुसार लक्ष्य (बस्तियों की संख्या)			
	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल
2013-14	21771	122259	0	144030	25345	116493	0	141838
2014-15	20000	75000	0	95000	23427	118671	0	142098
2015-16	56941	0	0	56941	9111	47080	0	56191
2016-17	8000	54000	0	62000	12812	44023	26978	83813

इसी प्रकार, 2014-15 में शामिल बस्तियों की संख्या के अनुसार उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरण में विसंगति थी जैसा नीचे तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: उपलब्धियां दर्शाए जाने में विसंगति-एनआरडीडब्ल्यूपी

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार उपलब्धि (बस्तियों की संख्या)				आईएमआईएस के अनुसार उपलब्धि (बस्तियों की संख्या)			
	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल	गुणवत्ता प्रभावित	आंशिक रूप से आवृत्त	पूर्ण रूप से आवृत्त	कुल
2014-15	15588	120529	0	136117	15579	61419	59108	136106

(ii) एसबीएम (जी)

2016-17 के परिणाम बजट में 2014-15 में 58.55 लाख पर आईएचएचएल¹ की उपलब्धि को दर्शाया था जबकि एमआईएस ने कथित वर्ष के दौरान 58.86 लाख पर आईएचएचएल की उपलब्धि को दर्शाया था जोकि डाटा में विसंगति दर्शाता है।

2.3.2 शहरी विकास मंत्रालय

2.3.2.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

(i) निर्धारित प्रारूप के अनुसार, परिणाम बजट प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग से एक दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए। प्रासंगिक अध्यायों को सारांशीकृत करने के अलावा, एक कार्यकारी सारांश, में मॉनीटरिंग तंत्र के विवरणों को प्रमुखता से उजागर और वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को नियमित रूप से मॉनीटर करने और आम जनता को इसकी सूचना देकर मंत्रालय/विभाग द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों के लिए कार्यकारी सारांश में मॉनीटरिंग और सार्वजनिक सूचना तंत्र का उल्लेख नहीं किया गया था और इसमें छः अध्यायों के केवल संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं।

(ii) परिणाम बजट दिशानिर्देशों के अनुसार, सारणीबद्ध प्रारूप तैयार करना होगा जिसमें केन्द्र सरकार के अलावा इकाइयों के लिए बनाए गए पूरक अतिरिक्त बजटीय (सीईबी) संसाधन के साथ वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय परिव्ययों, प्रक्षेपित भौतिक परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीकृत परिणाम (मध्यम/आंशिक तथा अंतिम) शामिल हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईडीएसएसटी (योजनागत खंड) के संबंध में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में कथित अवधि के दौरान सीईबी संसाधनों के अंतर्गत कोई राशि नहीं दर्शायी गई थी। इसके अतिरिक्त, कॉलम मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक परिणामों के अंतर्गत केवल योजना उद्देश्य एवं अमात्रात्मक/अथाह चीजों का उल्लेख किया गया था।

¹ आईएचएचएल - एक परिवार के लिए शौचालय

(iii) एचआरआईडीएवाई योजना के अंतर्गत विशेष परिणाम जिन्हें 2015-16 और 2016-17 के दौरान योजना से प्रत्याशित किया गया था उनकी बजाय प्रक्षेपित परिणाम कॉलम में योजना के केवल सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था।

(iv) 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यूआईडीएसएसटी 'सिक्किम समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना' के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई थी जैसाकि दिशानिर्देशों में अपेक्षित था।

(v) 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट के लिए दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि मौजूदा मुख्य परियोजनाओं की अलग-अलग सूची के साथ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई²) के लिए अलग तालिका होनी चाहिए। सीपीएसई से संबंधित परिणाम बजट को तैयार किया जाना था चाहे कोई बजटीय समर्थन न हो। वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए एनबीसीसी (भारत) के संबंध में कोई तालिका शामिल नहीं की गई थी।

(vi) 2015-16 और 2016-17 के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि परिणाम बजट में सामान्य बचतें, कम/उपयोग न किए जाना और अभ्यर्पण भी दर्शाए जाने चाहिए। यह नोट किया गया था कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजट में बचत, अभ्यर्पण आदि अलग से दर्शाए नहीं गए थे।

(vii) परिणाम बजट का अध्याय-IV पिछले दो वर्षों का निष्पादन दर्शाता है। तदनुसार, उदाहरणस्वरूप, 2014-15 के परिणाम बजट में व्यक्तिगत कार्यक्रम/योजना को उनके भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों आदि देते हुए भिन्नता, कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों के लिए कारणों सहित योजनावार भौतिक निष्पादन, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 2012-13 और 2013-14 के पूर्व निष्पादन समीक्षा दर्शायी जानी चाहिए।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों की संवीक्षा के दौरान यह पता चला कि पिछले वर्षों में पूर्व रूप से निर्धारित लक्ष्यों के प्रति योजना-वार

² एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड, एमओयूडी के अंतर्गत एक लोक क्षेत्र उपक्रम अनुसूची ए है तथा एनएबीआरएटीएनए की स्थिति सहित आईएसओ-9001कम्पनी है।

उपलब्धियों (परिणाम) को दर्शाने में असंगति थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

➤ 2013-14 का परिणाम बजट ₹ 150 करोड़ के परिव्यय के प्रति सड़कों, पुलों, नालियों में विकास, बाजार परिसरों, फ्लाईओवर आदि के निर्माण जैसे अमात्रात्मक लक्ष्य दर्शाते हैं परंतु आगामी वर्ष अर्थात् 2014-15 के परिणाम बजट में उपलब्धियां या परिणाम शामिल नहीं थे। उसी प्रकार, योजना के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 150 करोड़ के परिव्यय के प्रति कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे और 2015-16 के परिणाम बजट में कोई परिणाम उपलब्धियां नहीं दर्शायी गई थीं।

➤ 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 278 करोड़ के परिव्यय के साथ जुलाई 2009 से यूआईडीएसएसटी योजना परिचालन में थी। परंतु संबंधित वर्षों के परिणाम बजट में पिछले वर्षों के लक्ष्य तथा परिणाम के प्रति मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक परिणाम दर्शाये नहीं गये थे। मात्रात्मक या मापने योग्य लक्ष्यों के स्थान पर योजना के लिए 2014-15 और 2015-16 के परिणाम बजट में उपलब्धियों के अंतर्गत एमओयूडी में प्रस्तावों के प्रसंस्करण के विवरणों तथा उपयोग प्रमाण पत्रों को शामिल किया गया था।

➤ वर्ष 2015-16 के लिए एचआरआईडीएवाई के संबंध में सभी 12 चयनित शहरों के लिए लक्ष्यों को ₹ 200 करोड़ के योजनागत परिव्यय के साथ परिणाम बजट में स्थापित किया गया था। हालांकि, 2016-17 के परिणाम बजट में इन लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियां और 2015-16 के परिव्यय नहीं दर्शाए गए थे।

(viii) 2014-15 के परिणाम बजट में, बजट अनुमान 2013-14, संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 दर्शाए गए थे परंतु इन बजटीकृत परिव्ययों के प्रति व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को दर्शाया नहीं गया था। 2015-16 और 2016-17 के लिए परिणाम बजटों से संबंधित व्यय में प्रवृत्तियां भी नहीं दर्शायी गयी थीं।

2.3.2.2 भौतिक लक्ष्यों को सूचित करने में विसंगतियां

सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना और एचआरआईडीएवाय, यूआईडीएसएसटी के संबंध में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में कोई मात्रात्मक भौतिक उपलब्धियां नहीं दर्शायी गयी थी।

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

यूआईडीएसएसटी योजना के संबंध में, 2016-17 के परिणाम बजट में, 2014-15 में पिलखुवा (उत्तर प्रदेश) में एक जल आपूर्ति परियोजना पूरी हो गई थी और संपूर्ण बजट आवंटन का उपयोग हो गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईडीएसएसटी के अंतर्गत एमओयूडी द्वारा कुल 17 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं और परिणाम बजट के अनुसार 2014-15 के दौरान केवल एक परियोजना पूरी हुई थी। शेष अपूर्ण परियोजना की स्थिति का स्पष्टीकरण परिणाम बजट में नहीं दिया गया था।

एचआरआईडीएवाई के संदर्भ में, 2015-16 के दौरान प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की कोई सूचना वर्ष 2016-17 के लिए परिणाम बजट में शामिल नहीं की गई थी।

2.3.2.2 मॉनीटरिंग तंत्र से संबंधित मामले

दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजटों में एचआरआईडीएवाई या यूआईडीएसएसटी के मॉनीटरिंग तंत्र से संबंधित कोई विवरण नहीं दिए गए थे।

2.3.2.4 भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि न करने पर मंत्रालयों/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन

चूंकि 'सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभ हेतु 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान योजना और यूआईडीएसएसटी से संबंधित 2013-14 से 2016-17 के लिए एमओयूडी द्वारा मात्रात्मक प्रदेय/भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, एमओयूडी ने वह कार्रवाई/प्रयास नहीं दर्शाए थे जोकि उसने वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए परिणाम बजट दस्तावेजों के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दर्शाए थे।

2.4 निष्कर्ष

परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और निष्पादन बजट के बीच सह संबंध स्थापित करने और न केवल मध्यम भौतिक परिणाम बल्कि परिणाम का पता लगाने के लिए था। हालांकि, परिणाम बजट की तैयारी पर दिशानिर्देशों से विचलन हुए थे जोकि उसके मौलिक उद्देश्य को कमजोर करता है। वित्तीय परिव्यय और भौतिक परिणाम के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं था लक्ष्यों की तुलना में एक ही तरीके के बजटीय आवंटन के बीच उपलब्धियां अधिक थीं; परिणाम बजट और वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के बीच कार्यक्रमों के लक्ष्य आंकड़ों को दर्शाने में विसंगति थी और डाटा अविश्वसनीयता से वेब-आधारित

ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग की हानि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रत्येक घटक के प्रति भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को न दर्शाए जाने के कारण मंत्रालय के निष्पादन माप उपकरण के रूप में परिणाम बजट के उद्देश्य को विफल करता है। यह भी कहा जा सकता है कि 2017-18 से व्यक्तिगत मंत्रालय-वार परिणाम बजट समाप्त हो चुका है और उसे वित्त मंत्रालय के परिणाम बजट में शामिल किया जा रहा है।

अध्याय III : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान

3.1 सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य की उपलब्धि न होना

साशिमी ग्रेड टुना के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए एक सुविधा केन्द्र की स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलम्ब के कारण ₹ 70.83 लाख का प्रत्याशित राजस्व छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 1.78 करोड़ की लागत से स्थापित एक सुविधा केन्द्र छह वर्षों से बेकार पड़ा रहा और परिकल्पित विदेशी मुद्रा के रूप में लाभ और रोजगार अप्राप्य रहे।

कृषि मंत्रालय (मंत्रालय)के अंतर्गत राष्ट्रीय फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी) ने ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर साशिमी ग्रेड टुना¹ के निर्यात प्रसंस्करण के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र जुलाई 2008 में एनआईएफपीएचएटीटी विशाखापत्तनम (संस्थान) में स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव रखा। सुविधा केन्द्र संस्थान के मौजूदा प्रसंस्करण संयंत्र को संशोधित करके बनाई जानी थी। सितम्बर 2008 में, मंत्रालय ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इस परियोजना को निधि देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को समझौते से अवगत कराया। एनएफडीबी ने इसी महीने में परियोजना के लिए ₹ 1.85 करोड़ जारी किए। यह परियोजना सहायता के संस्वीकृति की तिथि से नौ महीने के भीतर अर्थात् जून 2009 तक पूरी की जानी थी।

इस परियोजना का उद्देश्य फ्रोजन से साशिमी ग्रेड टुना तक ध्यान केन्द्रित करके उद्योग के लिए प्रोत्साहन देना था जिससे देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा² का उत्पादन किया जा सके। निजी उद्योग/निर्यातकों को पट्टे के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वित्तीय दृष्टि से, इस सुविधा से, प्लांट,

¹ उच्चतम वसा वाले पदार्थ के साथ प्रीमियम गुणवत्ता टुना मछली के स्लाइस से बने पारंपरिक जापानी पकवान।

² परियोजना प्रस्ताव में बताया कि टुना के इस ग्रेड में यूएसडी 15 प्रति कि.ग्रा. का लाभ मिल सकता है। सुविधा की योजनाबद्ध क्षमता टुना का 10 एमटी प्रति दिन थी।

भवन मशीनरी और उपकरण³ पर मूल्याहस शुल्क निर्धारित करने के बाद ₹ 24 लाख के वार्षिक पट्टा शुल्क मानते हुए ₹ 8.68 लाख के वार्षिक लाभ प्राप्त होने की संभावना थी।

सुविधा केन्द्र का निर्माण विशाखापट्टनम शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था और ₹ 1.78 करोड़ की लागत से अगस्त 2011 में पूरा हुआ। इसके बाद, अगस्त 2012 में यह सुविधा फर्म एक्स को ₹ 63,369 प्रति माह के वार्षिक पट्टे पर किराए पर दी गई थी। हालांकि इस फर्म ने संयंत्र पर कभी कब्जा नहीं किया और छह महीने (जनवरी 2013) के बाद पट्टा किराया का भुगतान बंद कर दिया। जनवरी 2014 में फर्म को सूचित किया गया था कि समझौते को तीन महीने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा और बकाया ₹ 6.97 लाख देने के लिए कहा गया था। तथापि फर्म ने अभी तक बकाया राशि देनी थी (नवम्बर 2017)।

संस्थान ने सुविधा केन्द्र के लिए जनवरी 2014 में निविदाएं पुनः आमंत्रित कीं और तीन बोलियां प्राप्त हुईं जिन्हें मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया था। बाद में (जून 2014 और अगस्त 2014) सुविधा को लीज करने के लिए कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद, मंत्रालय ने सुविधा केन्द्र के लिए बोली प्रक्रिया को मॉनीटर करने के लिए जुलाई 2015 में एक विशेषज्ञ मॉनीटरिंग समिति का गठन किया। इस समिति ने कम से कम लीज किराये के संबंध में सुझाव के लिए सीपीडब्ल्यूडी से संपर्क करने का निर्णय लिया (अगस्त 2015)। सीपीडब्ल्यूडी ने सुविधा केन्द्र के लिए न्यूनतम पट्टा मूल्य ₹ 1,35,000 प्रति माह, जिसका मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2015 में अनुमोदन किया गया था, करने की सिफारिश की (अगस्त 2015)। इसके बाद, जुलाई 2016 में एक फर्म वाई को ₹ 1,58,500 प्रति माह पट्टा किराए पर दिया गया था।

फर्म वाई ने प्रतिभूति जमा और अगस्त 2016 तक ₹ 5,74,738 राशि का पट्टा किराया जमा किया। हालांकि, इसने न तो उत्पादन गतिविधियों को शुरू किया गया और सितम्बर 2016 के बाद से पट्टा किराए का भुगतान किया क्योंकि

³ मशीनरी और उपकरणों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की अनुमानित मूल्याहस अर्थात् ₹ 8.8 लाख और संयंत्र और भवन के लिए 7.5 प्रतिशत अर्थात् ₹ 6.52 लाख कुल ₹ 15.32 लाख।

लंबित सुधार निर्माण कार्य⁴ का उल्लेख करते हुए काम शुरू करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था। अक्टूबर 2016 में फर्म ने इंगित किया कि सुधार कार्य मार्च 2017 में पूरा किया गया था। चूंकि एक फर्म ने अभी भी संयंत्र को नहीं लिया और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पट्टा किराया का भुगतान नहीं किया, संस्थान ने अक्टूबर 2017 में पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया और सुरक्षा जमा भी जब्त कर ली। उसने फर्म को ₹ 21.85 लाख की राशि बकाया पट्टा किराया देने के लिए कहा। इस फर्म ने अभी भी अपनी बकाया राशि (दिसम्बर 2017) का भुगतान करना है।

संस्थान के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सभी चरणों में सुविधा केन्द्र की स्थापना और पट्टे पर देने में विलंब हुआ है। जून 2009 तक पूरा होने की संभावना की गई सुविधा केन्द्र का निर्माण पूरा कर दिया गया था और अगस्त, 2011 में, अर्थात् दो वर्षों से अधिक के विलंब के बाद संस्थान को सौंप दिया गया था। यह सुविधा केन्द्र अगस्त 2012 में अर्थात् इस सुविधा केन्द्र को संस्थान को सौंप देने के एक साल बाद और पट्टे पर देने की मंत्रालय की मंजूरी मिलने के छह महीने बाद पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद, जनवरी 2014 में सुविधा केन्द्र के लिए पट्टे की समाप्ति के बाद, संस्थान ने दूसरे फर्म के साथ एक नये पट्टा समझौता करने के लिए ढाई वर्ष से अधिक का समय लिया। विलम्ब के कारण ₹ 42.01 लाख⁵ के रूप में अनुमानित पट्टा किराया के माध्यम से राजस्व संस्थान द्वारा छोड़ना पड़ा। इसके अलावा, ₹ 28.82 लाख⁶ की राशि के किराए दो फर्मों से बकाया थी, जिनको सुविधाएं पट्टे पर दी गई थीं।

⁴ जल शुद्धिकरण और क्लोरीनरीकरण प्रणाली का काम नहीं करना: प्रवेश क्षेत्र में क्षतिग्रस्त छत के प्रतिस्थापन; प्रसंस्करण हॉल में दो विभाजन का निर्माण।

⁵ (ए) देरी की अवधि के लिए जुलाई 2010-जुलाई 2012 (अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक वर्ष को अनुमति देने के बाद): 25 माह @ 63,369 प्रतिमाह की दर पर (प्रथम पट्टे का किराया)= ₹ 15.84 लाख (बी) जनवरी 2014-अगस्त 2015 तक 20 माह @ 63,369 प्रतिमाह की दर पर = ₹ 12.67 लाख (सी) सितम्बर 2015-जून 2016 तक की अवधि के लिए 10 माह @ ₹ 1,35,000 प्रति माह की दर पर (सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम पट्टा मूल्य)=₹ 13.5 लाख।

⁶ पहला पट्टा ₹ 6.67 लाख (फरवरी 2013 से दिसंबर 2013) और दूसरा पट्टा ₹ 21.85 लाख (1 सितम्बर 2016 से 20 अक्टूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सुविधा केन्द्र पट्टे पर देने के लिए बोली प्राप्त करने के कई प्रयास सफल नहीं हुए थे। हालांकि इस सुविधा केन्द्र को दो बार पट्टे पर दिया गया था, लेकिन पट्टेदारों ने इस सुविधा केन्द्र पर कब्जा नहीं किया और उसका संचालन नहीं किया और पट्टों को पूर्व-परिपक्वता रूप से समाप्त कर दिया गया था इससे परियोजना के अंतर्निहित धारणाओं के बारे में संस्थान की कड़ी स्वीकृति शर्तों और परियोजना की समग्र व्यवहार्यता को पूरा करने की क्षमता पर प्रश्न चिह्न लगाता है। सितम्बर 2008 में मंत्रालय ने परियोजना के सफल होने के लिए कई बाधाओं⁷ को स्वयं ही दूर कर दिया था।

संस्थान ने बताया (अगस्त 2016) कि हालांकि संयंत्र से कोई निर्यात गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था, तथापि अप्रत्यक्ष लाभ साशिमि टुना प्रसंस्करण और अन्य पहलुओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सुविधा का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। यह भी बताया कि परियोजना को इसके व्यवसायिक पहलुओं को कम महत्व देते हुए विकास परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए।

तथ्य यह रहा कि सुविधा केन्द्र को जोकि अगस्त 2011 में ₹ 1.78 करोड़ की लागत पर स्थापित किया गया था, उसे छह वर्षों से अधिक समय तक अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सुविधा केन्द्र को स्थापित करने का उद्देश्य जैसे कि उद्योगों को गति, विदेशी मुद्रा आय वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा, कोई भी प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त सुविधा केन्द्र की स्थापना और संचालन के विभिन्न चरणों में विलंब से पट्टे किरायों के रूप में ₹ 70.83 लाख के राजस्व हानि हुई थी।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (जुलाई 2017) और उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁷ पत्तन पर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और योजनाबद्ध 10 एमटी क्षमता का संमर्थन करने के लिए प्रति दिन 15 एमटी मछली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष मछली पकड़ने के जहाजों; विजाग हवाई अड्डे की सेवा एयर कार्गो आंदोलन की क्षमता को आवश्यक स्थलों के लिए संचालन का समर्थन करना आवश्यक है।

अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4.1 एपीईडीए द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं करने के कारण हानि

विभिन्न एजेंसियों के साथ मेमोरैंडम ऑफ अंडरटेकिंग में ब्याज तथा जुर्माना को लागू करने के लिए प्रावधान को शामिल नहीं करना, एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक गारंटियों का आग्रह नहीं करना तथा सहायता-अनुदान की राशि की उपयोगिता का एपीईडीए द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप एपीईडीए को ₹ 3.31 करोड़ की हानि हुई।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985, के अंतर्गत गठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) कृषि और खाद्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास के लिए जिम्मेदार है। तीन परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत एवं उपयोग की गयी वित्तीय सहायता का विवरण नीचे तालिका सं. 1 में दिया गया है:

तालिका सं. 1: जारी की गई वित्तीय सहायता एवं उपयोग की गई निधियां

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	एमओयू की तिथि/परियोजना की समाप्ति की लक्षित तिथि	परियोजना एवं इसकी कुल लागत	एपीईडीए द्वारा संस्वीकृत सहायता-अनुदान की राशि	एपीईडीए द्वारा जारी की गई राशि/शुगतान की तिथि	परियोजना से निकलने/त्यागने की तिथि	एजेंसी द्वारा वापस की गई राशि/ सहायता-अनुदान वापसी की तिथि
1.	कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लिमि. (केएपीपीईसी)	15-03-2011/ 14-03-2012	कर्नाटक में बेलगाम में फल और सब्जियों के लिए एक एकीकृत शीत श्रृंखला स्थापित करने के लिए ₹ 11.72 करोड़	₹ 5.50 करोड़	₹ 2.20 करोड़/ 15-03-2011	31-03-2016	₹ 2.87 करोड़/ 22-08-2016
2.	पश्चिम बंग कृषि विपणन निगम लिमि. (पीबीएएमसी)	26-03-2012/ 25-09-2013	हुगली, पश्चिम बंगाल में आलू के गुच्छे के लिए प्रसंस्करण	₹ 8.00 करोड़	₹ 3.20 करोड़/ मार्च 2012	14-07-2016	₹ 3.97 करोड़/ 02-11-2016

			ईकाई स्थापित करने के लिए ₹ 25.47 करोड़				
3.	तमिलनाडु बागवानी विकास एजेंसी (टीएएनएचओडीए)	20-08-2014/ 19-02-2016	तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में व्यक्तिगत त्वरित फ़ोजन (आईक्यूएफ) संयंत्र स्थापित करने के लिए - ₹ 9.62 करोड़	₹ 7.42 करोड़	₹ 3.71 करोड़/ 24-09-2014	24-02-2016	₹ 3.73 करोड़/ 17-03-2016

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (i) एपीईडीए को सहायता अनुदान जारी करते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय यथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेश की नियम और शर्तों में बताया गया कि यदि एपीईडीए सहायता अनुदान की स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 209 के अनुसार अनुदान की पूरी या आंशिक राशि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। यद्यपि एपीईडीए ने केवल टीएएनएचओडीए के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में इसी तरह की धारा को शामिल किया था, और यह केएपीपीईसी और पीबीएएमसी के साथ किए गए एमओयू में नहीं था।
- (ii) उपर्युक्त एजेंसियों के साथ एपीईडीए द्वारा हस्ताक्षरित तीन एमओयू में जुर्माने के प्रभार से संबंधित प्रावधानों में एकरूपता की कमी थी। जबकि पीबीएएमसी के साथ एमओयू में परियोजना को पूरा करने में विलंब के प्रत्येक माह के लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत से अधिकतम पांच प्रतिशत के सीमा तक प्रावधान किया गया था, टीएएनएचओडीए के साथ एमओयू में एपीईडीए द्वारा अधिकतम जुर्माने को संस्वीकृत राशि के पाँच प्रतिशत तक सीमित किया गया था। केएपीपीईसी के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में, जुर्माने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।

एपीईडीए को मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के संबंध में शर्त शामिल करने में विफलता तथा मूल राशि की कम राशि (केएपीपीईसी और टीएएनएचओडीए के मामले में) की वापसी की स्वीकृति के अतिरिक्त परियोजना लागत/संस्वीकृत लागत के पांच प्रतिशत की अधिकतम दर पर जुर्माना लगाने के, परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा नीचे तालिका सं. 2 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 2: कम वसूली

(₹ करोड़ में)

एजेंसी	वापसी योग्य राशि यदि एमओयू में ब्याज एवं जुर्माना लागू करने का उपबंध शामिल किया गया था				एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से वापस की गयी राशि				कम वसूल की गयी राशि	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5-9) = 10
	मूल	ब्याज	जुर्माना	कुल	मूल	ब्याज	जुर्माना	कुल		
केएपीपीईसी ¹	2.20	1.20	0.28	3.68	1.94	0.93	शून्य	2.87		0.81
पीबीएएमसी ²	3.20	1.47	1.27	5.94	3.20	शून्य	0.77	3.97		1.97
टीएएनएचओडीए ³	3.71	0.55	शून्य	4.26	3.52	0.21	शून्य	3.73		0.53
कुल	9.11	3.22	1.55	13.88	8.66	1.14	0.77	10.57		3.31

(iii) यद्यपि एपीईडीए से प्राप्त अनुदान की राशि के लिए सुरक्षा के रूप में केपीपीईसी और टीएएनएचओडीए द्वारा दी गई बैंक गारंटियों (बीजी) की वैधता क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2016 एवं 30 जनवरी 2016 को समाप्त हो चुकी थी, बैंक गारंटियों की वैधता का वापसी की तिथि तक नवीकरण नहीं किया गया था। पीबीएएमसी के मामले में, यद्यपि बीजी, पीबीएएमसी द्वारा सहायता अनुदान (02 नवम्बर 2016) की वापसी की

¹ **केएपीपीईसी** - 15 मार्च 2011 से 22 अगस्त 2016 (अर्थात कुल 1987 दिन) तक की अवधि के लिए ₹ 2.20 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 2.20 करोड़ का 10 प्रतिशत) * 1987/365 दिन = ₹ 1.20 करोड़। **जुर्माना** - संस्वीकृत लागत का 5 प्रतिशत = ₹ 5.50 करोड़ का 5 प्रतिशत = ₹ 0.28 करोड़

² **पीबीएएमसी** - 31 मार्च 2012 से 02 नवम्बर 2016 (अर्थात कुल 1676 दिन) की अवधि के लिए ₹ 3.20 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 3.20 करोड़ का 10 प्रतिशत)*1676/365 दिन = ₹ 1.47 करोड़। **जुर्माना** - परियोजना लागत का 5 प्रतिशत = ₹ 25.47 करोड़ का 5 प्रतिशत = ₹ 1.27 करोड़

³ **टीएएनएचओडीए** - 24 सितम्बर 2014 से 17 मार्च 2016 (अर्थात कुल 541 दिन) की अवधि के लिए ₹ 3.71 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 3.71 करोड़ का 10 प्रतिशत) * 541/365 दिन = ₹ 0.55 करोड़। **जुर्माना** - कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि परियोजना को फरवरी 2016 में वापस ले लिया गया था, अर्थात पूरा होने की तारीख के अंदर।

तिथि पर वैध थे, बैंक गारंटी पर इसका प्रभार जारी कर एपीईडीए के पास जुर्माने की कम वसूली के लिए दावे पर जोर देने के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ी।

- (iv) पीबीएएमसी की परियोजना 26 मार्च 2012 को एमओयू पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। तदनुसार, परियोजना पूरी होने की निर्धारित तिथि 25 सितंबर 2013 थी। यद्यपि इस परियोजना ने पूरा होने की नियत तिथि से ढाई से अधिक वर्षों के लिए किसी भी प्रगति को प्राप्त नहीं किया है तथा पीबीएएमसी ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जैसे ₹ 25.47 करोड़ से ₹ 40.39 करोड़ तक की परियोजना लागत का संशोधन, आरआईडीएफ-एक्सएक्स⁴ योजना के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) से अतिरिक्त निधियों को बढ़ाना और एपीईडीए और आरआईडीएफ फंड का उपयोग व्यवहार्यता अंतर निधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के मोड में बदलाव किया गया है। दोषपूर्ण मॉनीटरिंग प्रणाली के कारण एपीईडीए को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एपीईडीए ने अपनी संस्वीकृति वापस लेने तथा पीबीएएमसी को दिए गए अनुदान सहायता को वसूलने के लिए नवंबर 2015 तक कोई कार्रवाई नहीं की जब उसने पीबीएएमसी के साथ राशि की वापसी का तथा बाद में अप्रैल 2016 में, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई/अगस्त 2017) कि:

- (i) अप्रयुक्त अनुदानों की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज केवल एपीईडीए द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के लिए लागू था, न कि पीबीएएमसी की तरह व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए एपीईडीए द्वारा किए गए अनुप्रवाह वितरण के लिए।
- (ii) भविष्य में हस्ताक्षरित सभी एमओयू में जुर्माना और ब्याज धारा शामिल किए जाएंगे। प्रबंधन ने पीबीएएमसी के साथ एमओयू में धारा 7 के अनुसार पांच प्रतिशत की दर से जुर्माना की गणना में त्रुटि स्वीकार की।

⁴ ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि - एक्सएक्स।

- (iii) केएपीपीईसी के मामले में बैंक गारंटियों का भविष्य में अग्रिम रूप से पुनर्वैधीकरण किया जाएगा। टीएनएचओडीए के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि एपीईडीए को परियोजना के बीजी का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो आगे जारी नहीं था।
- (iv) दिसंबर 2012 में निगरानी समिति का गठन किया गया है। एपीईडीए ने स्वीकार किया कि उन्हें पीबीएएमसी से दिनांक 23 जून 2014 को पत्र के माध्यम से केवल परियोजना के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बारे में सूचित किया गया था।
- (v) टीएनएचओडीए द्वारा मूल के रूप में ₹ 3.52 करोड़ की वापसी को उचित ठहराया गया क्योंकि ₹ 3.52 करोड़ टीएनएचओडीए को दिए गए निवल अनुदान थे और अनुदान के 10 प्रतिशत से कम दर पर ब्याज का भुगतान टीएनएचओडीए के साथ किया जा रहा था।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे:

- (i) तथ्य यह कि एपीईडीए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी था और तथ्य यह कि टीएनएचओडीए के साथ एमओयू 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के लिए प्रदान किया गया था, जिसने कम से कम 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से समान रूप से ब्याज प्रभारित करने की आवश्यकता का संकेत दिया।
- (ii) बैंक गारंटी से संबंधित प्रबंधन का उत्तर विरोधाभासी है। केएपीपीईसी के मामले में, यद्यपि प्रबंधन ने बीजी को भविष्य में अग्रिम रूप से संशोधित करने का आश्वासन दिया था; टीएनएचओडीए के मामले में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि बीजी का पुनः सत्यापन अग्रिम में आवश्यक नहीं था क्योंकि परियोजना आगे जारी नहीं थी। बीजी के रूप में सुरक्षा की अनुपस्थिति में, संस्वीकृति के नियमों और प्रतिबंधों की शर्तों की गैर-अनुपालना के लिए वापसी लागू करने पर जोखिम हो सकता है।
- (iii) यद्यपि प्रबंधन ने पीबीएएमसी से ₹ 3.20 करोड़ (अनुदान के पांच प्रतिशत के समतुल्य प्रसंस्करण शुल्क सहित) कि सहायता अनुदान की

पूरी राशि की वापसी स्वीकार की, टीएनएचओडीए के मामले में, यह प्रसंस्करण शुल्क को छोड़कर, ₹ 3.52 करोड़ की निवल राशि के वापसी को उचित ठहराता है। इसके अतिरिक्त, टीएनएचओडीए के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में पूरे अनुदान के साथ उसपर 10 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की वापसी भी निर्धारित थी।

इस प्रकार, एपीईडीए विभिन्न एजेंसियों के साथ किये गये एमओयू में ब्याज और जुर्माना के संबंध में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल नहीं करने के कारण अपने वित्तीय हितों को सुनिश्चित करने में विफल रहा, एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता के प्रति बैंक गारंटी पर जोर न देने और एपीईडीए द्वारा सहायता-अनुदान की राशि के उपयोग की अपर्याप्त मॉनीटरिंग, का परिणाम ₹ 3.31 करोड़ की हानि में हुआ।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2017); उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद

4.2 अविवेकी निधि प्रबंधन

सावधि जमा में निवेश करने के बजाय बचत बैंक खाते में बड़ा निष्क्रिय निधि को रखने से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के केंद्रीय निधि के अविवेकी प्रबंधन के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार ने निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत की थी ताकि गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यापार के अच्छे विकास को उपलब्ध कराया जा सके। ईआईसी को उसके कार्यों में चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, मुंबई और कोलकाता स्थित पांच निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ईआईसी, केंद्र सरकार को निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के क्रियान्वयन के उपायों के बारे में सलाह देती है।

सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर, ईआईए द्वारा निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण किया जाता है।

ईआईसी ने वर्ष 1973 में एक केंद्रीय निधि बनायी। ईआईसी के पांच ईआईए द्वारा अर्जित सभी राजस्व इस केंद्रीय निधि में जमा किए जाते हैं। ईआईए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मासिक आधार पर धन की मांग बढ़ाती है, जो केंद्रीय निधि से मिले हैं। यद्यपि ईआईसी केन्द्रीय निधि का नियंत्रक प्राधिकरण है, ईआईए, कोलकाता सभी ईआईए की ओर से केन्द्रीय रूप से इस निधि के लेखाओं को अनुरक्षित करता है।


सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 229 के रूप में संशोधन), के नियम 208⁵ में कहा गया है कि सभी स्वायत्त संगठनों को "आंतरिक संसाधनों की प्राप्ति को अधिकतम करने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। इस प्रकार, केंद्रीय निधि का संतुलन विवेकपूर्ण तरीके से रिटर्न के सर्वोत्तम संभव प्राप्ति के लिए निवेश किया जाना चाहिए।

ईआईए, कोलकाता में ईआईसी के केंद्रीय निधि की लेखापरीक्षा परीक्षण ने निम्नलिखित उजागर किया:

- बड़ी निधि बिना किसी भी प्रयास के उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बचत बैंक खाते में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी। बहिर्प्रवाहों पर निधियों के अंतर्प्रवाह के निरंतर अधिशेष के कारण वर्षों में निधियां जमा हुई हैं। वर्ष 2016-17 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय निधि में पड़ी निधियों के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह की वर्षवार स्थिति नीचे **ग्राफ सं. 1** में दर्शाई गई है:

⁵ स्वायत्त संगठनों की स्थापना हेतु सामान्य सिद्धांत।

ग्राफ सं. 1: 2012-13 से 2016-17 के दौरान केन्द्रीय निधि में रखी निधियों का प्रवाह



सितंबर 2017 को समाप्त हुए पिछले चार वर्षों से ईआईसी के केंद्रीय निधि में वर्ष-वार संचित अधिशेष निधि के ब्यौरे नीचे तालिका सं. 3 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3: संचित अधिशेष निधि

वर्ष	संचित अधिशेष (₹ करोड़ में)
सितंबर 2014	259.33
सितंबर 2015	307.43
सितंबर 2016	240.82
सितंबर 2017	249.47

सितंबर 2017 तक की जा रही संचित राशि ₹ 249.47 करोड़ के साथ, केंद्रीय निधि में निरंतर अधिशेष है।

- पिछले तीन वर्षों (1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2017 तक) के बैंक विवरणी से पता चला है कि उपरोक्त बचत बैंक खाते में न्यूनतम और अधिकतम शेष राशि क्रमशः ₹ 238.87 करोड़ और ₹ 323.44 करोड़ के बीच थी, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति वर्ष 3.5 से 4.0 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी थी। यदि इस तरह की निधियों को सावधि जमा में निवेश किया जाता, तो वे अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए 8.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष और अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 5.50/4.25 प्रतिशत की ब्याज दर अर्जित कर लेते।

बचत खाते में इतनी बड़ी राशि का अनुरक्षण अविवेकपूर्ण निधि प्रबंधन था जो ईआईसी को उच्च रिटर्न से वंचित करता था। इस प्रकार, ईआईसी की अपनी अधिशेष निधियों की विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करने की विफलता के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 13.76 करोड़⁶ के ब्याज का नुकसान हुआ, उपरोक्त अवधि के दौरान केंद्रीय निधि में न्यूनतम शेष राशि परिकल्पित की गई।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि:

- चूंकि केंद्रीय निधि की स्थापना परिषद के अनुमोदन से की गई थी और न कि संविधान या अधिसूचना के माध्यम से, इसमें कानूनी इकाई होने की क्षमता नहीं है। इसलिए, ऐसी गैर इकाई के प्रति निवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- ईआईसी ने पर्याप्त विवेक दिखाया और बचत बैंक के अंतर्गत खाते को अनुरक्षित रखा जो चार प्रतिशत की वापसी की दर प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा की गणना दर पर आधारित होती है जो टीडीआर 8.25 प्रतिशत की दर से प्राप्त होती थी लेकिन कर के बाद वास्तविक प्राप्ति 4.125 प्रतिशत के आसपास होगा, जो ईआईसी के पहले से ही अर्जित किए ब्याज से थोड़ी ही अधिक है।
- इस मामले की समीक्षा परिषद द्वारा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अब से ईआईसी और ईआईए के सभी खातों को एमओडी⁷ आधार पर संचालित किया जाएगा।

⁶ @8.25 प्रतिशत, ₹ 13.76 करोड़ का ब्याज, ₹ 238.87 करोड़ पर (अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान अनुरक्षित न्यूनतम शेष) (अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक वर्ष की अवधि से दो वर्ष से कम अवधि तक के लिए लागू दर) तथा @5.50/4.25 प्रतिशत (2016-17 की अवधि के लिए) में से कम ब्याज ₹ 27.69 करोड़ अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान वास्तव में बचत खाते पर (@3.5/4 प्रतिशत) अर्जित किया गया।

⁷ बहु विकल्प जमा योजनाएं बचत या चालू खाते से जुड़ी हुई सावधि जमा हैं, जो कि किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार बंद की जा सकती हैं और साथ ही शेष राशि पर सावधि जमाओं की ब्याज दर अर्जित करती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआईसी ने सुधारात्मक कदम उठाने का फैसला किया है। यद्यपि, प्रबंधन के तर्क निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं हैं:

- केंद्रीय निधि का परिचालन परिषद द्वारा अपनी परिचालन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005/2017 के अनुसार, परिषद को अधिकतम आंतरिक आय प्राप्त करने के लिए सावधि जमा में अधिशेष धन का निवेश करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, ईआईए, कोलकाता भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता की सावधि जमा में भविष्य निधि और पेंशन निधि के शेषों का निवेश कर रहा है और केन्द्रीय निधि के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया की जानी चाहिए थी।
- सावधि जमा हमेशा बचत खाते की तुलना में उच्च ब्याज दर अर्जित करता है। यहां तक कि यदि ब्याज आय पर आयकर का भुगतान किया जाना है, तो सावधि जमा की कर के बाद वास्तविक प्राप्ति हमेशा बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक होगा, चूंकि बचत खाते और सावधि जमा दोनों से अर्जित ब्याज आयकर पर उसी दर पर आधारित होगा।

इस प्रकार, ईआईसी को अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान, सावधि जमाओं में समान रूप से निवेश करने के बजाय बचत बैंक खाते में बड़ी शेष रखने के कारण ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि का नुकसान उठाना पड़ा।

अध्याय V : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का प्राथमिक नीति उद्देश्य खाद्य अनाज के सामयिक तथा प्रभावी प्रापण तथा संवितरण के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें विभिन्न खाद्य अनाजों का प्रापण, खाद्य भण्डार का निर्माण तथा अनुरक्षण, संवितरण अभिकरणों को संचलन तथा सुपुर्दगी और खाद्य अनाजों के उत्पादन, भण्डार तथा मूल्य स्तरों की मॉनीटरिंग शामिल है। खाद्य अनाजों का प्रापण तथा संवितरण प्राथमिक रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से किया जाता है जो खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निगम है। निगम के प्रचालनों की अनुपालन लेखापरीक्षा ने मुख्यतः वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन न करना तथा बोरियों के प्रापण तथा खाद्य अनाजों के संचलन में अयोग्य प्रचालन के कारण कुल ₹ 534.04 करोड़ के परिहार्य अथवा अतिरिक्त व्यय को उजागर किया जैसी नीचे चर्चा की गई है।

5.1 पंजाब क्षेत्र में बोरियों का प्रबंधन

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ₹ 223.58 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा जो राज्य सरकारी अभिकरणों (एसजीए) को बोरियों के प्रापण हेतु प्रदान की गई अग्रिमों पर ब्याज के कारण के साथ-साथ निर्धारित से अधिक दरो पर बोरियों की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण निगम को देय थे। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंटेनर निगम से खराब कम तथा वर्षा प्रभावित बोरियों के लंबित दावों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में विफलता के कारण ₹ 2.86 करोड़ की गैर-वसूली थी।

5.1.1 प्रस्तावना

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राज्य सरकारी अभिकरणों (एसजीए) के साथ भारत सरकार द्वारा रबी तथा खरीफ विपणन मौसम¹ के दौरान केन्द्रीय पूल हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं तथा धान खरीदता है। पंजाब सरकार (जीओपी) पंजाब में एफसीआई तथा एसजीए हेतु खाद्य अनाज के प्रापण के लक्ष्य तय करती है। बोरे (जूट तथा एचडीपीई² थैले) का खाद्य अनाज की पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रापण लक्ष्य के आधार पर, एफसीआई उपलब्ध बोरो की गठरियो³ की प्रमात्रा को ध्यान में रखने के पश्चात बोरो की गठरियों की अपनी आवश्यकता का निर्धारण करता है तथा महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डिजीएसएवंडी), कोलकाता को बोरो की खरीद हेतु मांग प्रस्तुत करता है। 2012-13 से 2016-17 के दौरान, एफसीआई के पंजाब क्षेत्र ने ₹ 1,147.53 करोड़ की लागत पर 25.87 करोड़ बोरो की खरीद की थी।

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष तक पांच वर्षों की अवधि को शामिल करके एक लेखापरीक्षा एफसीआई के चार चयनित जिलों अर्थात् अमृतसर, संगरूर, जालंधर तथा मोगा, जो पंजाब में कुल प्रापण का 31 प्रतिशत उठाते हैं, में यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या बोरो की मांग तथा खरीद एफसीआई की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार थीं, क्या बोरो की प्राप्ति तथा उपयोग एक प्रभावी, दक्ष तथा मितव्ययी प्रकार से किया गया था तथा क्या कम, खराब तथा वर्षा प्रभावित बोरियों हेतु भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कोनकोर) के साथ दावों का निपटान शीघ्र ही संसाधित किया गया था।

5.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.2.1 आरएमएस 2015-16 में राज्य सरकार को बोरो की गठरियों की खरीद हेतु अग्रिम पर ब्याज की गैर-वसूली

राज्य सरकार के पास निधियों की कमी के कारण एफसीआई ने एसजीए के लिए आरएमएस 2015-16 हेतु बोरो की गठरियों की खरीद के लिए डीजीएसएवंडी के

¹ रबी विपणन मौसम (आरएमएस) प्रत्येक वर्ष अप्रैल से तथा खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से प्रारम्भ होता है। पंजाब में आरएमएस तथा केएमएस के दौरान क्रमशः गेहूं तथा चावल प्रमुख फसल है।

² हाई डेन्सिटी पॉलीथिन

³ एक बोरो की गठरी में 500 बोरो होते हैं।

पास 1.5 लाख बोरों की गठरियों (जनवरी 2015) की मांग प्रस्तुत करने हेतु जीओआई के अनुरोध पर ₹ 350.18 करोड़ का प्रबंध किया।

चूंकि एफसीआई अपनी कार्य पूंजी आवश्यकताओं को बैंको से नकद क्रेडिट प्राप्त करके पूरा करता है तथा उधार पर ब्याज अदा करता है इसलिए इसे एसजीए को कर्ज पर दी गई निधियों को ब्याज के साथ वसूलना है। यह पाया गया था कि कुल ₹ 350.18 करोड़ की बोरों की गठरियों की लागत को एसजीए से ब्याज का उदग्रहण किए बिना अप्रैल 2015 से अगस्त 2015 के दौरान वसूली की गई थी। एसजीए की ओर से डीजीएसएवंडी को दी गई अग्रिम ब्याज की गैर-वसूली का परिणाम ₹ 10.96 करोड़ की हानि में हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2018) कि एफसीआई को एसजीए की ओर से डीजीएसएवंडी को दिए गए अग्रिम पर ब्याज की अपेक्षित वसूली करने हेतु तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

5.1.2.2 मोगा सिलो से थोक रूप में गेहूं के गैर-प्रापण के कारण बोरियों की खरीद पर परिहार्य व्यय

28 जून 2005 को एफसीआई तथा निजी फर्म के बीच निष्पादित करार के अनुसार, 80 प्रतिशत स्टॉक की थोक में तथा 20 प्रतिशत को मोगा सिलो⁴ में बोरी बंद स्थिति में सुपुर्दगी की जानी थी। एफसीआई मुख्यालय ने भी अपने क्षेत्रिय कार्यालयों को थोक में अधिकतम स्टॉक की सुपुर्दगी करने का निर्देश दिया था (मार्च 2012), बदले में क्षेत्रिय कार्यालय, पंजाब ने अपने जिला कार्यालय मोगा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2013) कि मोगा सिलो से कोई गेहूं बोरी बंद रूप में नहीं लिया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि एफसीआई ने निर्धारित 80 प्रतिशत के प्रति 2012-13 से 2016-17 के दौरान 16 से 74 प्रतिशत की सीमा तक थोक रूप से गेहूं को स्वीकार किया। यह बोरियों की खरीद के कारण कुल ₹ 3.72 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना। इसके अतिरिक्त, एफसीआई को 20 प्रतिशत से अधिक बोरों में सिलो पर सुपुर्द प्रमात्रा हेतु ₹ 14.76 लाख के बोरों को खाली करने की लागत वहन करनी थी जिससे, यदि एफसीआई ने थोक रूप में स्टॉक की सुपुर्दगी की होती तो बचा जा सकता था इस प्रकार, करार के अनुसार थोक रूप में स्टॉक को सुपुर्द करने में एफसीआई की विफलता का परिणाम कुल ₹ 3.87 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

⁴ सिलो खाद्य अनाज सहित थोक सामग्रियों को भण्डारण करने की एक संरचना है।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि एफसीआई ने थोक परिवहन हेतु सभी प्रयास किए थे लेकिन वह 80 प्रतिशत की विशिष्ट शर्त को पूरा नहीं कर सका था क्योंकि किसान उत्पादन को थोक रूप में करीब की मण्डियों में लाए तथा स्टॉक को मण्डियों से खरीद के पश्चात परिवहन हेतु बोरियों में डालना था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एफसीआई थोक रूप में गेहूँ स्टॉक की वृद्धि के बावजूद भी थोक रूप में 80 प्रतिशत गेहूँ स्टॉक को सुपूर्द करने के अपेक्षित लक्ष्य का प्राप्त नहीं कर सका था।

5.1.2.3 बोरियों की लागत की गैर-वसूली तथा एसजीए को उधार दी गई बोरियों पर ब्याज की कम वसूली

बोरियों की कमी की स्थिति में, एसजीए उधार आधार पर एफसीआई से बोरियां प्राप्त कर सकते हैं। उधार दी गई बोरियों को उसी/अगले मौसम में एफसीआई को लौटाया जाना है। क्षेत्रिय कार्यालय पंजाब ने निर्देश दिया (जून 2011) कि यदि एसजीए द्वारा उधार ली गई बोरियों को समय पर वापस नहीं लौटाया जाता है तो बोरियों की लागत की प्रचलित ब्याज दर के साथ वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः जिलों⁵ में न तो आरएमएस 2014-15 से केएमएस 2016-17 के दौरान एसजीए को प्रदान की गई ₹ 52.50 करोड़ की उधार बोरियों की लागत और न ही ₹ 4.92 करोड़ के ब्याज की वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त, संगरूर तथा अमृतसर जिलों में जबकि ₹ 70.92 करोड़ की उधार दी गई बोरियों की लागत को वसूला गया था फिर भी ₹ 7.03 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि सभी जिलों को उचित जांच के पश्चात ब्याज सहित बोरों के लागत को वसूलने का अनुदेश दिया था।

5.1.2.4 मूल्यहास अथवा उपयोग प्रभारों को ध्यान में रखे बिना उपयोग की गई बोरियों के भुगतान के कारण अधिक व्यय

जीओआई ने धान तथा गेहूँ के प्रापण हेतु पिछले फसल वर्ष के कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) की सुपूर्दगी के पश्चात बची एक बार उपयोग की गई बोरियों का उपयोग करने के अनुदेश जारी किए। यह अनुदेश अन्य बातों के साथ-साथ

⁵ भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला तथा मोगा

अनुबंध करते हैं कि अविलम्ब केवल गत वर्ष के धान के बोरो का उपयोग किया जाए तथा उपयोग किए गए बोरे अच्छी गुणवत्ता के हों तथा निर्धारित मानको के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त, जीओआई ने धान निकाले गए जूट के बैग, जिनका चावल तथा गेहूँ के प्रापण हेतु केवल एक बार उपयोग किया गया है, के उपयोग हेतु मई 2013 में दिशा निर्देश जारी किए गए। तथापि, धान निकाले गए एक बार उपयोग की गई बोरियों में गेहूँ के प्रापण हेतु जीओआई का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था। जीओआई ने आगे स्पष्ट किया (सितंबर 2013) कि राज्य सरकारें धान निकाले बोरो, जिनका जीओआई को सूचना के तहत केवल एक बार उपयोग किया जाता था, का उपयोग अनुमत कर सकती है तथा जीओआई की कोई विशेष अनुमति अपेक्षित नहीं है।

पंजाब क्षेत्र के जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

ए) केएमएस 2012-13 के दौरान, जीओआई ने धान के प्रापण तथा हरियाणा में सीएमआर की सुपुर्दगी हेतु पुरानी बोरियों के उपयोग को अनुमत करते हुए ₹ 3.35 प्रति बोरी दर पर पुरानी उपयोग की गई बोरियों के उपयोग/मूल्यहास प्रभार निर्धारित किया। इन आदेशों को वर्ष केएमएस 2014-15 तथा 2016-17 में दोहराया गया था। तथापि, एक बार उपयोग की गई बोरी हेतु उपयोग/मूल्यहास प्रभारों पर ऐसे कोई अनुदेश पंजाब क्षेत्र के लिए जारी नहीं किए गए थे। केएमएस 2012-13 से 2016-17 के दौरान, पंजाब में एसजीए ने धान के प्रापण में 1,417.06 लाख एक बार उपयोग की गई बोरियों का उपयोग किया। तथापि बोरी मूल्यहास को ₹ 3.35 प्रति बोरी की दर पर उपयोग प्रभारों के बजाए नई बोरी में धान के प्रापण हेतु निर्धारित दर (₹ 14.94 प्रति बोरी से ₹ 21.31 प्रति बोरी के बीच) के आधार पर अदा किया था (हरियाणा क्षेत्र)। यदि जीओआई ने उसी प्रकार से जैसा हरियाणा क्षेत्र में किया गया था, पंजाब क्षेत्र में बोरियों हेतु उपयोग प्रभारों के अनुदेश जारी किए होते तो एफसीआई चार चयनित जिलों⁶ में बोरी मूल्यहास के कारण ₹ 186.15 करोड़ के व्यय से बच सकता था।

(बी) आरएमएस 2012-13, 2013-14 तथा 2016-17 के दौरान जीओआई ने एसजीए को गेहूँ के प्रापण में एक बार उपयोग की गई बोरियों के उपयोग को

⁶ अमृतसर, संगरूर, जालंधर तथा मोगा

अनुमत किया था। एसजीए⁷ ने 40.32 लाख बोरियों का उपयोग किया जिस पर बोरी की लागत को ₹ 34.88 प्रति बोरी (आरएमएस 2012-13), ₹ 38.36 प्रति बोरी (आरएमएस 2013-14) तथा 50.58 प्रति बोरी (आरएमएस 2016-17) दर पर नई बोरी हेतु अदा किया गया था। चूंकि एसजीए एक बार उपयोग की गई बोरियों का उपयोग करती हैं इसलिए ऐसी एक बार उपयोग की गई बोरियों की प्रतिपूर्ति पिछले फसल मौसम में उनके उपयोग हेतु बोरी मूल्यहास का समायोजन करने के पश्चात की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ तक बोरी लागत का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि उपयोग प्रभारो की नीति को केएमएस 2017-18 से सभी राज्यों को लागू कर दिया गया है।

5.1.2.5 पिछले फसल वर्ष की नई बोरियों में धान तथा गेहूं की खरीद के कारण बोरी पर अधिक भुगतान

2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान, जीओआई ने गेहूं तथा धान के प्रापण हेतु पिछले फसल वर्ष के अप्रयुक्त नई बोरियों के उपयोग के राज्य सरकार के अनुरोध को अनुमत किया। जीओआई ने प्रत्येक विपणन मौसम के दौरान एसजीए को देय बोरी लागत की दर को निर्धारित किया। पंजाब के चयनित जिलों⁸ में अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- ए) आरएमएस 2013-14 से 2016-17 के दौरान, पिछले फसल वर्ष के 109.85 लाख नई बोरियों का एसजीए द्वारा गेहूं के प्रापण में उपयोग किया गया था यह पाया गया था कि वर्तमान फसल वर्ष में बोरियों की लागत पिछले फसल वर्ष के दौरान बोरियों की लागत से अधिक थी। तथापि, एफसीआई द्वारा बोरियों की लागत वर्तमान फसल वर्ष हेतु निर्धारित बोरियों की दर के आधार पर अदा की गई थी जिसके अधिक होने से उसका परिणाम इस अवधि में एसजीए को ₹ 3.15 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।
- बी) केएमएस 2013-14 से 2016-17 के दौरान एसजीए ने धान के प्रापण तथा चावल की सुपुर्दगी में पिछले फसल वर्ष 53.03 लाख नई बोरियों का

⁷ अमृतसर तथा जालंधर जिलो में एसजीए

⁸ अमृतसर, जालंधर, संगरूर तथा मोगा

उपयोग किया। यह पाया गया था कि वर्तमान फसल वर्ष में बोरियों की लागत पिछले फसल वर्ष के दौरान बोरियों की लागत से अधिक थी। तथापि, एफसीआई द्वारा बोरियों की लागत वर्तमान फसल वर्ष हेतु निर्धारित बोरियों की दर के आधार पर अदा की गई थी जिसके अधिक होने से उसका परिणाम इस अवधि में एसजीए को ₹ 1.51 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2017) कि सभी फील्ड कार्यालयों को पिछले फसल वर्ष के बची हुई नई बोरियों के उपयोग के कारण किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने का निर्देश दिया गया था।

5.1.2.6 कोनकोर के पास कम/खराब/जल प्रभावित बोरियों हेतु दावों की लंबितता

एफसीआई डीजीएसएवंडी के माध्यम से बोरियां खरीदता है तथा इनका भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कोनकोर) द्वारा जूट मिल मालिक के परिसर से एफसीआई द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार गन्तव्य स्टेशन तक ले जाया जाता है। डीजीएसएवंडी द्वारा जारी (अप्रैल 2014) जूट बोरी के परेषिती हेतु दिशानिर्देशों का पैरा 8 ट्रांसिट तथा वाहन से परेषिती द्वारा ली जाने वाली सुपुर्दगी के दौरान कम/खराब/फूंद ग्रस्त/वर्षा प्रभावित बोरियों की गठरियों के मामले में परेषिती द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कोनकोर द्वारा दावों के निपटान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निपटान पर समय सीमा से बचने के लिए दावों को दर्ज करने की तिथि से छः महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) कोनकोर से बोरियों की गठरियों की अप्राप्ति

₹ 1.29 करोड़ की कीमत की बोरियों की गठरियों वाले केएमएस 2011-12 से केएमएस 2015-16 तक की अवधि से संबंधित तेरह कन्टेनरों को एफसीआई के परेषिती डिपो पर कभी प्राप्त नहीं किया गया था। तथापि, एफसीआई एक वर्ष से छः वर्षों तक बीत जाने के पश्चात भी कोनकोर के पास कोई दावा दर्ज करने में विफल रहा तथा दावे, यदि प्रस्तुत किए गए, अब समय बाधित होंगे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ की हानि हुई।

(ii) कोनकोर द्वारा "समय बाधित" के रूप में दावों की अस्वीकृति

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2011-12 तथा 2015-16 की अवधि से संबंधित ₹ 1.56 करोड़ की कीमत की 651 बोरियों की गठरियों के कम/खराब/जल प्रभावित प्राप्ति के 182 दावा मामलों को कोनकोर द्वारा इस आधार पर 'समय बाधित' के रूप में अस्वीकृत किया गया था कि मूल दावा दर्ज दस्तावेज कोनकोर के पास उपलब्ध नहीं थे। इन दावों को एफसीआई द्वारा छः महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर दर्ज किया गया था परंतु कोनकोर द्वारा इन दावों की पावती की तिथियां एफसीआई के पास उपलब्ध नहीं थी। कोनकोर द्वारा इन दावों के अस्वीकरण के कारण एफसीआई ने ₹ 1.56 करोड़ की हानि वहन की।

5.1.3 निष्कर्ष

एफसीआई को एसजीए को प्रदान की गई निधियों/बोरियों पर ब्याज वसूलने में विफलता, बोरियों की लागत की प्रतिपूर्ति/उच्च दर पर मूल्यहास तथा खाद्यान्नों की थोक रूप के स्थान पर बोरी बंद रूप से भण्डारण सुविधा केन्द्र को आपूर्ति के कारण ₹ 223.58 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, एफसीआई खराब, कम तथा वर्षा प्रभावित बोरियों के लंबित दावों को आगे बढ़ाने तथा कोनकोर के पास अप्राप्त बोरियों का दावा दर्ज करने में भी विफल रहा।

5.2 असम तथा एनईएफ⁹ (शिलांग) क्षेत्रों में सड़क परिवहन संविदाओं का प्रबंधन

एफसीआई ने स्टॉक के संचालन की अनुचित योजना के कारण ₹ 117.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। एक स्टेशन पर आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा संविदा सौंपने से पहले दूरी माप का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.96 करोड़ के परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशित ट्रकों के प्रति कम आपूर्ति हेतु ठेकेदारों पर ₹ 89 लाख के परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

⁹ एनईएफ क्षेत्र मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों वाले उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र को सूचित करता है।

5.2.1 प्रस्तावना

एससीआई के उत्तरपूर्वी (एनई) क्षेत्र के अंतर्गत सात राज्य¹⁰ अभाव वाले राज्य हैं अर्थात् स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। चूंकि उत्तर पूर्व में रेल संयोजकता सीमित है इसलिए अधिकांश अंतरा/अंतः परिवहन सड़क द्वारा है। इसलिए, प्रापण/आधिक्य क्षेत्रों से इन राज्यों को रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन के पश्चात रेल साइडिंग से मुख्य खाद्य भण्डारण डिपो (एफएसडी) तथा मुख्य एफएसडी अथवा संभरक एफएसडी से अन्य लघु तथा मध्यम आकार के एफडीएस तक भण्डारण तथा वितरण हेतु खाद्यान्नों का बाद का संचलन सड़क परिवहन के माध्यम से किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, असम, एनईएफ (मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा को शामिल करके), नागालैण्ड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा बड़ी संख्या में सड़क परिवहन संविदाओं (आरटीसी) को अंतिम रूप दिया जाता है।

मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को शामिल करके असम तथा एनईएफ (शिलांग) जो संयुक्त रूप से पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 78 प्रतिशत सड़क भाड़ा व्यय करते हैं में मार्च 2017 को समाप्त हो रही तीन वर्षों की अवधि हेतु लेखापरीक्षा खाद्यान्नों के संचलन हेतु सड़क परिवहन संविदाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा में स्पष्टता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता को निर्धारित करने हेतु की गई थी।

5.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.2.2.1. स्टाक के संचालन हेतु अनुचित योजना के कारण परिहार्य व्यय

क्षेत्रीय कार्यालय, असम, तथा एनईएफ क्षेत्र द्वारा स्वीकृत अंतरा-क्षेत्र तथा अन्तः क्षेत्र संचालन योजनाओं के अनुसार, खाद्यान्नों का संचलन न्यूनतम लागत आधार पर किया जाना था। संचलन योजनाओं ने भी अनुबंध किया कि प्राथमिकता रेल के अंतिम स्टेशन (आरएच) से सीधे माल के संचलन को प्रदान की जानी चाहिए थी। आरएच से अन्य डिपो से होकर की बजाए सीधे फील्ड डिपो तक परिवहन, यदि संभव है, मितव्ययी है क्योंकि मध्यस्थ डिपो पर माल चढ़ाने/उतारने से बचा गया है।

¹⁰ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा

लेखापरीक्षा ने पांच मामलों में उपलब्ध मार्गों हेतु परिवहन की तुलनात्मक लागत के विश्लेषण का अभाव पाया जिसका परिणाम ₹ 117.10 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ जैसा नीचे तालिका सं.1 में ब्यौरा दिया गया है::

तालिका सं. 1

क्र.सं.	भरे जाने वाले डिपो का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	टंगला	एफसीआई ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015 के दौरान अंतिम स्टेशन/खाद्य भण्डारण डिपो (एफएसडी) नया गुवाहाटी परिसर से अंतिम स्टेशन चंगसारी के बजाए टंगला में डिपो तक 1,97,740 मेट्रिक टन (एमटी) खाद्यान्न को पहुँचाया जिसका परिणाम ₹ 42.24 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ है।
2.	लालबजार, बदरपुर-घाट तथा रामनगर	एफसीआई ने अंतिम स्टेशन/तथा खाद्य भण्डारण डिपो (एफएसडी) नया गुवाहाटी परिसर से 2,71,326 एमटी खाद्यान्नों को अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान अंतिम स्टेशन चंगसारी तथा अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 के दौरान अंतिम स्टेशन सलछापर के बजाए लालबजार/बदरपुरघाट रामनगर में डिपो तक पहुँचाया जिसका परिणाम ₹ 57.29 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।
3.	शिवसागर डिपो	एफसीआई ने रैक रसीद के दिन अंतिम स्टेशन जोरहाट शहर से शिवसागर डिपो तक खाद्यान्नों को नहीं भेजा था। खाद्यान्नों को पहले अंतिम स्टेशन जोरहाट शहर से किन्नमारा डिपो पहुँचाया गया था तथा उसके पश्चात इसे अन्य ठेकेदार द्वारा शिवसागर डिपो पहुँचाया गया था इसलिए इसमें अतिरिक्त संचालन तथा पूरी की जाने वाले दूरी शामिल थी। 2014-15 से 2016-17 के दौरान 81,048 एमटी खाद्यान्न की प्रमात्रा को किन्नमारा डिपो में संभाला गया था जिसे बाद में शिवसागर में पहुँचाया गया था। इसका परिणाम संचालन तथा परिवहन पर ₹ 5.20 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।
4.	मिजोरम तथा त्रिपुरा में डिपो	खाद्यान्न के स्टॉक को ईएक्स-सल्लुपाड़ा के बजाए आरटीसी ईएक्स-बिहारा द्वारा कम लागत पर मिजोरम (कोलासिब के सिवाए) तथा त्रिपुरा (चुराईबाड़ी के सिवाए) के विभिन्न डिपो को पहुँचाया जा सकता था। तथापि, स्टॉक को यह तथ्य कि अंतिम स्टेशन बिहारा से परिवहन लागत अंतिम स्टेशन

	<p>सल्चपाड़ा के परिवहन लागत से कम थी, को जानने के पश्चात भी अंतिम स्टेशन सल्चपाड़ा से मिजोरम तथा त्रिपुरा के विभिन्न डिपो को भेजा गया था। इसका परिणाम ₹ 4.25 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।</p>
<p>5. हेबरगांव, इटछली, सेंचोवा तथा हजाई में डिपो से भरे गए सभी डिपो</p>	<p>उस मामले में जहां स्टॉक को अंतिम स्टेशन के करीब के डिपो में अस्थायी रूप से रखा जाता है तथा उसके पश्चात उन डिपो में पहुंचाया जाता है जो रेल से जुड़े नहीं हैं तो अंतिम स्टेशन से डिपो (अस्थायी भण्डारण हेतु उपयोग किए गए) तक पुनः संचालन लागत तथा परिवहन लागत का व्यय किया जाता है। इसलिए, खाद्यान्न के ऐसे अस्थायी भण्डारण से बचा जाना चाहिए। अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान, क्षेत्र कार्यालय नगांव ने असम तथा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन विभिन्न डिपो को 1,61,080 एमटी खाद्यान्न को अंतिम स्टेशन हेबरगांव/हजाई, जहां स्टॉक को रेल के माध्यम से पहले प्राप्त किया गया था, के स्थान पर अपने चार डिपो नामतः हेबरगांव, इटछली, सेंचोवा तथा हजाई से पहुंचाया। इसका परिणाम परिवहन पर ₹ 2.25 करोड़ के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त डिपो पर स्टॉक के पुनः संचालन पर ₹ 5.86 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।</p>

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2017) कि एफएसडी नया गुवाहटी परिसर (एनजीसी) से दक्षिणी असम/बराक घाटी तक सड़क संचालन का रेल के लम्डिंग-बदरपुर हिल वर्ग पर विघटन के कारण सहारा लिया गया था। असम सरकार ने बराक घाटी को निरंतर आपूर्ति हेतु आकस्मिक योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया था तथा इसलिए सड़क परिवहन संविदाओं ईएक्स-एनजीसी को आपातकालिन आधार पर संचालित किया गया था तथा वर्ष के बड़े भाग में असम में भारी वर्षा हुई जिसने अवसरचना को हानि पहुंचाई। उसने यह भी बताया कि दोनों चगंसारी तथा एनजीसी में संविदाएं प्रदान करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जो आवश्यकता पर निर्भर है तथा इन संविदाओं का वास्तविक प्रचालन केवल न्यूनतम लागत आधार पर किया जाएगा।

5.2.2.2 उच्च दर पर आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का परिवहन

मणिपुर में एफएसडी संगईप्रयु को आमतौर पर नागालैण्ड में दीमापुर द्वारा भरा जाता है। मणिपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) स्टॉक के तुरंत संवर्धन तथा वैकल्पिक मार्ग की खोज करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

एफसीआई ने असम में एक्स-फुर्काटिंग/गोलाघाट तथा पागीरोड से एफएसडी संगार्इप्रयु तक तीन तदर्थ आरटीसी प्रदान किए। विभिन्न मार्गों हेतु दरों का ब्यौरा नीचे तालिका सं. 2 के अनुसार थे:

तालिका सं. 2

मार्ग का नाम तथा सड़क परिवहन संविदा वैधता	परिवहन लागत (₹ प्रति एमटी)
दिमापुर- संगार्इप्रयु (24 अक्टूबर 2014 to 23 अक्टूबर 2016)	4576
जागीरोड - संगार्इप्रयु (22 जुलाई 2014 से 19 अप्रैल 2015)	5999
फरकेटिंग/गोलाघाट - संगार्इप्रयु (16 जुलाई 2014 से 29 सितम्बर 2014)	6864
फरकेटिंग/गोलाघाट - संगार्इप्रयु (26 सितम्बर 2014 से 25 जून 2015)	6513

दिमापुर से प्रति एमटी की निम्नतम दर होने को ध्यान में रखते हुए जागीरोड तथा फरकेटिंग/गोलाघाट से संगार्इप्रयु में खाद्यान्नों की ढुलाई को कम करना विवेकपूर्ण था। अगस्त 2014 से अप्रैल 2015 (नौ महीने) के दौरान संगार्इप्रयु में पीडीएस की सामान्य आवश्यकता अनुमानतः प्रति माह 11,000 एमटी थी तथा इस प्रकार, इस अवधि के दौरान एफएसडी संगार्इप्रयु में 99,000 एमटी खाद्यान्नों की ढुलाई करना अपेक्षित था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एफएसडी संगार्इप्रयु में 1,39,187 एमटी खाद्यान्न की ढुलाई की गई थी जिसमें से इस अवधि के दौरान 55,013 एमटी खाद्यान्न आरएच जागीरोड तथा 6,982 एमटी फुर्काटिंग/गोलाघाट से ढोया गया था।

चूँकि दिमापुर तथा जागीरोड से संगार्इप्रयु में ढुलाई की निम्नतर लागत थी, इसलिए एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय ने एफसीआई असम क्षेत्र को परामर्श दिया (सितम्बर 2014) कि फुर्काटिंग/गोलाघाट से संगार्इप्रयु तक के मार्ग को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में तथा केवल आपातकाल में ही उपयोग किया जाना था। क्षेत्रीय कार्यालय (एनई) ने आवाजाही का मार्ग तैयार करते समय अपने ही अनुदेशों को अनदेखा किया क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय ने आपातकाल हेतु किसी कारणों का उल्लेख किए बिना फुर्काटिंग/गोलाघाट तथा जागीरोड मार्ग से संगार्इप्रयु तक खाद्यान्नों का ढुलाई करना जारी रखा।

दिमापुर से किए गए वास्तविक माहवार परेषित माल को लेखे में लेते हुए जागी रोड तथा फरकेटिंग से स्टॉक के आपूर्ण की आवश्यकता को परिकल्पित किया गया था तथा यह पाया गया कि जागीरोड तथा फरकेटिंग/गोलाघाट से 37,034 एमटी खाद्यान भेजा गया था जो संगईप्रयु में औसतन मासिक आवश्यकता से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत के प्रति ₹ 5.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि मेगा ब्लॉक के दौरान आरएच दिमापुर एफएसडी संगईप्रयु में पर्याप्त स्टॉक भेजने में समर्थ नहीं था। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अव्यवस्था से बचने के लिए मणिपुर में स्टॉक की ढुलाई हेतु मल्टी मॉडल मार्गों का आपातिक रूप में सहारा लिया गया था।

उत्तर इस तथ्य को देखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि दिमापुर-मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा फरकेटिंग/गोलाघाट से संगईप्रयु में स्टॉक की आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रबंधन के लिए निकटवर्ती डिपो अर्थात् दिमापुर से खाद्यानों की ढुलाई करने का निर्णय विवेकपूर्ण होगा क्योंकि यह अधिक किफायती था। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2014 से मार्च 2015 के दौरान दिमापुर में स्टॉक-स्थिति की समीक्षा यह दर्शाती है कि मासिक उपलब्धता संगईप्रयु की औसत मासिक आवश्यकता से अधिक थी। यद्यपि प्रबंधन ने निर्णय किया कि फरकेटिक/गोलाघाट से संगईप्रयु तक आवाजाही केवल आपातिक मामले में ही की जा सकती है, तथापि, किसी अभिभावी कारणों के बिना नियमित रूप से स्टॉक जाता था।

5.2.2.3 परिसमाप्त क्षतियों का अनुदग्रहण

सड़क परिवहन संविदा की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार एफसीआई द्वारा मंगाए गए प्रतिदिन ट्रकों की संख्या उपलब्ध कराने में विफल रहने की दशा में ₹ 300 और अधिकतम ₹ 1,000 प्रति ट्रक प्रतिदिन की दर पर एफसीआई को परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान करने के अधीन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कई अवसरों पर ठेकेदार क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी जोरहाट, सिल्चर, आइजोल तथा अगरतला में एफसीआई को मांगे गए ट्रकों की संख्या आपूर्त करने में विफल रहा था। तथापि, आरटीसी की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 89 लाख राशि की परिसमाप्त क्षतियां नहीं लगाई गई थीं।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि ठेकेदार के प्रति ट्रकों की कम आपूर्ति के लिए विलम्ब शुल्क तय किया गया तथा वसूली भी की गई थी। आगे कोई परिसमाप्त क्षतियां नहीं लगाई गई थी क्योंकि इसके साथ विलम्ब शुल्क लगाया गया था और परिसमाप्त क्षतियां अर्थदण्ड लगाने से दुगुनी हो जाएंगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुज्ञेय अवधि के पश्चात जहाँ ठेकेदार अपनी कार्रवाई के कारण रेक्स के अवरोधन के मामले में उत्तरदायी है, रेक्स के अवरोधन हेतु रेलवे द्वारा विलम्ब शुल्क लगाया गया था जबकि ट्रकों की कम आपूर्ति के कारण निगम द्वारा उठाई गई हानियों के लिए परिसमाप्त क्षति उद्ग्रहीत की जाती है। इस प्रकार, ये स्वतंत्र जुर्माने हैं तथा पृथक रूप से उद्ग्रह्य हैं।

5.2.2.4 ट्रकों की आवाजाही को मॉनीटर करने में कमी

अभिलेखों की संवीक्षा से तीन लापता ट्रकों के मामलों का पता चला जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्न तालिका सं. 3 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3

क्र.सं.	संविदाकृत मार्ग	लापता हुए ट्रकों की संख्या
1.	एक्स रेलवे साइडिंग हैबरगांव/एफएसआई एफएसडी नागांव कॉम्प्लैस (असम) से एफएसडी तवांग (एपी)	10 ट्रक (905.68 क्विंटल चावल ले जाने वाले)
2.	एक्स रेलवे साइडिंग हैबरगांव/एफएसआई एफएसडी नागांव काम्प्लैक्स (असम) से एफसीआई एफएसडी सिप्पा (एपी)	31 ट्रक (2824.81 क्विंटल चावल ले जाने)
3.	रेलवे साइडिंग/एफएसडी सिन्नामरा से एफएसडी तियानसंग (नागालैण्ड)	70 ट्रक (6170.01 क्विंटल चावल ले जाने के लिए)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एफएसडी तवांग के आरटीसी मामले में, ठेकेदार मार्ग में ही स्टॉक के वाहनान्तरण में शामिल पाया गया था तथा खाद्यानों की दुलाई हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रक भी उपलब्ध नहीं कराए। असम क्षेत्र ने ठेकेदार को एक चेतावनी जारी की (20 नवम्बर 2013) तथा नवम्बर 2013 में पहले ठेकेदार के जोखिम और लागत पर एक अस्थायी आधार पर दूसरे ठेकेदार की नियुक्ति भी की। तथापि, चेतावनी जारी करने तथा दूसरे ठेकेदार की

नियुक्ति करने के बावजूद दिसम्बर 2013 में पहले ठेकेदार को, स्टॉक उठाने को जारी रखने की अनुमति दी (40ट्रक) जिसमें से 10 ट्रक लापता हो गए थे।

- (ii) आरओ असम में, यद्यपि सितम्बर 2014 में नागांव जिले में ट्रकों के लापता होने की रिपोर्ट आई थी, तथापि ठेकेदार को अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 के दौरान एफएसडी सिन्नामरा से एफएसडी टियूनसैंग में खाद्यान ढुलाई करने की अनुमति दी गई थी।
- (iii) दो ठेकेदारों के संबंध में बैंक गारंटी नकली होना पायी गई थी क्योंकि एफएसआई द्वारा आवश्यक जांच नहीं किए गए थे।
- (iv) एफएसडी सिन्नामरा से एफएसडी टियूनसैंग मार्ग के संबंध में डिपो कर्मचारी परेषण स्थल पर यह पता लगाने में विफल रहे कि उन ट्रकों, जिनमें तीन दिन पहले सामान लादकर परेषित किए गए थे, ने ही समाप्ति स्थल पर खाद्यानों को उतारे बिना पुनः लादने के लिए रिपोर्ट किया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि असम क्षेत्र के संबंध में शोधक कार्रवाई कर ली गई है। दैनिक प्रेषण अभिलेख का नियमित (डीडीआर) समाधान किया गया है तथा किसी बिल को पास करने से पूर्व डीडीआर की स्थिति की पुष्टि की जाती है। बैंक गारंटियों को दो-टीयर पुष्टिकरण प्रक्रिया द्वारा पुष्टि की जा रही है। लापता हुए ट्रकों के संबंध में ठेकेदारों के प्रति धन मुकदमें फाइल किए गए हैं तथा ये सुनवाई के अंतिम चरणों में थे। इसके अतिरिक्त प्रमुख अर्थदण्ड कार्यवाहियों के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के पश्चात उपचारी कार्रवाई की सूचना देते समय निगम के लिए अपनी आंतरिक सतर्कता तथा मॉनीटरिंग तंत्राविधि को स्पष्ट रूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी जिससे इस तरह के मामलों का पता लगाकर शीघ्र निवारण कार्रवाई की जा सके।

5.2.2.5 मॉडल टेंडर फार्म की दूरी मापण खंड का पालन न करने के कारण अधिक भुगतान

आरटीसी हेतु मॉडल टेंडर फार्म (एमटीएफ) के खंड XVIII (ए) (V) के अनुसार टेंडर में बताई गई दूरी की गणना पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता या एफसीआई के

महाप्रबंधक या उसकी ओर से किसी कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियतन के अनुसार तथा निकटतम किलोमीटर तक पूर्णांक करके की जाएगी। चूंकि प्रभार कवर की जाने वाली दूरी से संबद्ध होते हैं, इसलिए किसी सड़क संविदा को अंतिम रूप देने से पहले दूरी के नए माप किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आरओ गुवाहाटी में आरटीसी को अंतिम रूप देने से पहले नियमित आधार पर दूरी का सत्यापन नहीं किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप लघुतम मार्ग उपलब्ध होने बावजूद उच्चतम दूरियों पर ठेके सौंपे गए जिसके कारण सात ठेकेदारों को ₹ 7.34 करोड़ की राशि के परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान किया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि क्षेत्रीय कार्यालय ने संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को लघुतम मोटर योग्य मार्गों का सत्यापन करने तथा दूरी में अंतर का पता लगाने के बाद लघु मार्गों में चलाने के लिए दी गई अधिक राशि की वसूली का पता लगाने के लिए एक जिला समिति का गठन करने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित परिवहन ठेकेदार से ₹ 25 लाख पहले ही वसूल कर लिए गए हैं।

5.2.3 निष्कर्ष

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में खाद्यानों को ले जाने के लिए सड़क परिवहन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एफसीआई ने स्टॉक की आवाजाही हेतु अनुचित योजना बनाने के कारण ₹ 117.10 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। स्टॉक उस स्थान से लाया गया जबकि निम्नतर संचालन तथा परिवहन लागतों के लिए विकल्प उपलब्ध थे। ठेका सौंपने से पूर्व दूरी मापण का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.96 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, मांगे गए ट्रकों के प्रति की गई कम आपूर्ति के लिए ठेकेदारों पर ₹ 89 लाख की परिसमाप्त क्षतियां उद्ग्रहीत नहीं की गई थी तथा स्टॉक की आवाजाही के संबंध में अपेक्षित जांच नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप लापता ट्रकों के मामले पाए गए।

5.3 मंडी श्रम प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान

गेहूँ के प्रापण पर मंडी श्रम प्रभारों के रूप में अस्वीकार्य तत्वों की प्रतिपूर्ति के कारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान एफसीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अभिकरणों को ₹ 14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जारी राज्य सरकार/अभिकरणों (एसजीए) द्वारा आकस्मिक दावों (सितम्बर 2010) के प्रस्तुतीकरण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार, मंडी श्रम प्रभार वह प्रभार होते हैं जिन्हें अनाज की सफाई, वजन करने के लिए बोरियों को भरना, सिलाई, लेबल लगाने मंडी/बाजार में ढेर लगाने और लदान जैसी विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन के लिए श्रमिकों को कार्यरत करने के लिए किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंडी श्रम प्रभारों में स्थानीय स्टैक से ट्रकों में बोरों के लदान प्रभारों के लिए ₹ एक प्रति क्विंटल में मंडी श्रम प्रभार शामिल हैं। रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2010-11 से 2016-17 के लिए अनंतिम लागत शीट की संवीक्षा से पता चला कि मंडी में दुलाई की गतिविधि को परिवहन और हैंडलिंग प्रभारों के अंतर्गत शामिल किया गया था जिसके कारण इस तत्व पर दौगुना भुगतान हुआ था। आरएमएस 2010-11 से 2016-17 के दौरान, एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश (यूपी) ने गेहूँ के 1,409.86 लाख क्विंटल का प्रापण किया था जिसपर यूपी एसजीए को ₹ 14.10 करोड़¹¹ के मंडी श्रम प्रभारों के घटक की अधिक प्रतिपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एफसीआई को व्यय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उसी गतिविधि को शामिल किए जाने के बारे में जानकारी थी तथा आरएमएस 2010-11 से 2012-13 के लिए 2015 और 2016 में वसूली की शुरुआत की थी, वह आगामी वर्ष अर्थात् आरएमएस 2016-17 में मंडी श्रम प्रभारों का अस्वीकार्य घटक का भुगतान करते रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2018) कि एफसीआई ने आरएमएस 2010-11 से 2012-13 से संबंधित ₹ 9.65 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की वसूली की है और शेष अवधि के लिए वसूली शीघ्रताशीघ्र कर ली जाएगी। मंत्रालय ने आगे

¹¹ ₹ एक प्रति क्विंटल की दर पर 1409.86 लाख क्विंटल

बताया कि एफसीआई मुख्यालय ने एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश को भी भविष्य में प्रापण में मंडी में ढुलाई गतिविधि के लिए मंडी श्रम प्रभागों के अंतर्गत एक प्रति क्विंटल को जारी न करने के निर्देश दिए थे।

5.4 गारंटी शुल्क प्रभागों का अनियमित भुगतान

पंजाब सरकार द्वारा बैंक गारंटी का सत्यापन न किए जाने के कारण राज्य सरकार अभिकरणों को ₹ 145.74 करोड़ की राशि के गारंटी शुल्क का अनियमित भुगतान हुआ था।

भारत सरकार (भा.स.) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा पंजाब सरकार (जीओपी) और उसके अभिकरणों¹² (एसजीए) को गेहूँ और कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के भुगतान योग्य प्रापण आकस्मिक व्यय के अनंतिम दरों¹³ को निर्धारित करते समय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की थी। यह केवल तभी भुगतान योग्य है जब क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एसजीए द्वारा जीओपी को भुगतान किया गया हो और केन्द्रीय पुल के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली (पीएसएस) के अंतर्गत एफसीआई द्वारा प्रापण करके संवितरित गेहूँ/चावल की अनुमानित मात्रा पर निकाले गए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अधिकतम 1/8 प्रतिशत के अनुसार भुगतान योग्य था।

एफसीआई पंजाब का क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक वर्ष रबी विपणन मौसम (आरएमएस)/खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) के लिए जीओआई द्वारा निर्धारित अनंतिम दरों के अनुसार एसजीए को गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति करता था। 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान एसजीए को ₹ 245.78 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की थी।

एसजीए के माध्यम से जीओपी द्वारा खाद्यान्नों के प्रापण से संबंधित विभिन्न हितधारकों (एफसीआई, मंत्रालय, जीओपी का एसजीए और एसबीआई)¹⁴ की नवम्बर 2014 में हुई बैठक में एसबीआई मुम्बई ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को

¹² केएमएस 2009-10 से केएमएस 2015-16 और आरएमएस 2009-10 से आरएमएस 2015-16

¹³ पीयूएनजीआरआईएन, मार्कफेड, पनसप, पंजाब राज्य भंडारण निगम (पीएसडब्ल्यूसी) और पंजाब एग्री।

¹⁴ भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामला एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राज्य सरकार अभिकरण, पंजाब सरकार और भारतीय स्टेट बैंक।

सूचना दी (दिसम्बर 2014) कि एसजीए ने जीओपी को जीओपी द्वारा खाद्य क्रेडिट गारंटीकृत करने के लिए शुल्क का भुगतान किया था जिसे एसजीए को वापस किए जाने की आवश्यकता थी क्योंकि जीओपी ने खाद्य क्रेडिट के प्रति बैंकों को गारंटी नहीं दी थी। तदनुसार, एफसीआई ने यह दोहराते हुए निर्देश जारी किए (जनवरी/जून 2015) कि जीओपी किसी गारंटी शुल्क के लिए योग्य नहीं है और गारंटी शुल्क के अंतर्गत कोई भुगतान जारी तब तक जारी नहीं करना जब तक एसजीए द्वारा लिए गए खाद्य क्रेडिट की गारंटी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि निर्णय लेने के लिए मामले को जीओआई को प्रेषित किया गया था और गारंटी शुल्क का भुगतान तब रोक लिया जाए जब तक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क के कारण व्यय नहीं किया गया हो।

जीओपी और उसके एसजीए के लंबित मुद्दों की चर्चा करने के लिए मंत्रालय, जीओपी और एफसीआई के प्रतिनिधियों के बीच जुलाई 2015 में एक बैठक हुई थी जिसमें यह इंगित किया गया था कि आरएमएस 2015-16 से राज्य सरकार को सीधे रोकड क्रेडिट सीमा संस्वीकृत की जा रही है वहां पर किसी भी प्रकार के गारंटी शुल्क का भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। जीओआई ने आरएमएस और केएमएस 2016-17 से अनंतिम आकस्मिक व्यय में गारंटी शुल्क स्वीकार करने की प्रथा को बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त, जीओआई ने आरएमएस और केएमएस 2009-10 से 2012-13 के लिए अंतिम लागत शीट में गारंटी शुल्क का घटक शामिल नहीं किया था। 2013-14 और 2014-15 के लिए अंतिम लागत शीट को अब तक जीओआई द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एफसीआई ने जीओपी द्वारा बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने के मुद्दे को सत्यापित न किए जाने के कारण ₹ 245.78 करोड़ तक की राशि का एसजीए को गारंटी शुल्क के रूप में अनियमित भुगतान हुआ था। एफसीआई ने जीओआई से गारंटी शुल्क की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब को निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2016)। एफसीआई ने 2009-10 से 2012-13 (जिला अमृतसर को छोड़कर) की अवधि के लिए ₹ 91.38 करोड़ की वसूली की थी और 2013-14 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 8.66 करोड़ की आंशिक वसूली को प्रभावित किया था। एफसीआई ने भी आरएमएस और केएमएस 2015-16 से गारंटी शुल्क का भुगतान बंद किया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए संपूर्ण वसूली (जिला अमृतसर को छोड़कर) प्रभावित हुई थी।

5.5 कैथल सिलों में खाली भंडारण क्षमता के गैर-इष्टतम उपयोग के कारण अग्रनयन प्रभारों पर परिहार्य व्यय

कैथल सिलों में व्यर्थ भंडारण क्षमता का बेहतर रूप से उपयोग करने में विफलता के कारण ₹ 6.49 करोड़ की राशि के अग्रनयन प्रभारों का परिहार्य भुगतान राज्य सरकार अभिकरणों को किया गया था।

केन्द्रीय पुल के लिए गोहूँ का एफसीआई के साथ-साथ राज्य सरकार और उसके अभिकरणों (एसजीए) द्वारा प्रापण किया जाता है। एसजीए प्रापण किया गया गोहूँ भंडारण के लिए एफसीआई को भेज देता है और अपर्याप्त भंडारण क्षमता के मामले में एसजीए अपने सिलों/गौदामों में गोहूँ रखता है जिसके लिए जीओआई द्वारा निर्धारित दरों पर अग्रनयन प्रभार (सीओसी) एफसीआई द्वारा भुगतान योग्य होते हैं।

एफसीआई निर्माण, स्वामित्व और परिचालन (बीओओ) आधार पर निजी कम्पनी से कैथल में दो लाख मैट्रिक टनों (एमटी) की अतिरिक्त भंडारण क्षमता प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ था (जून 2005¹⁵)। अनुपूरक अनुबंध के अनुसार (फरवरी 2013), प्रति वर्ष 1,842 प्रति एमटी के भंडारण सह हैंडलिंग प्रभार (एससीएचसी) का भुगतान 2 लाख एमटी का गारंटीकृत टनभार के भुगतान के लिए किया गया था। एससीएचसी की दर सितम्बर 2013 में ₹ 2,000 प्रति एमटी प्रतिवर्ष बढ़ा दी गई थी तथा उसके पश्चात गारंटीकृत टनभार पर सितम्बर 2014 में ₹ 2,033.40 प्रति एमटी प्रति वर्ष दिया गया था।

चूंकि भुगतान गारंटीकृत टनभार आधार पर किया गया था, एफसीआई से एसजीए को सीओसी के भुगतान के अलावा सिलो पर खाली भंडारण जगह के लिए एससीएचसी को भुगतान कम करने के लिए भंडारण जगह का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना अपेक्षित था। हालांकि, 2013-14 से 2015-16 के दौरान कई अवसरों पर कैथल में सिलो खाली पड़ा रहा था। 14 अप्रैल 2014

¹⁵ हालांकि फरवरी 2013 तक कोई गारंटीकृत टनभार स्वीकृत नहीं किया गया था जब 2 लाख एमटी के गारंटीकृत टनभार के लिए एक अनुपूरक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

को, 1,33,803 एमटी की भंडारण क्षमता (किराए पर ली गई भंडारण क्षमता का 67 प्रतिशत) अनुपयुक्त रही जबकि उसी अवधि के दौरान उतना अवधि स्टॉक एसजीए के पास पड़ा हुआ था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जबकि कैथल सिलों पर गारंटीकृत भंडारण अनुपयुक्त पड़ा रहा, गेहूँ स्टॉक की बड़ी मात्रा पेहोवा, पुद्री और पाई में एसजीए के गोदामों में पडी हुई थी जिसके लिए सीओसी का भी भुगतान एसजीए को किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून के दौरान मूल डिपो का कम उपयोग होता है और जून के बाद खाद्यानों को नियमित रूप से फील्ड डिपो में भेजा जाता है जिसके कारण स्टॉक स्थिति में कमी आई थी। प्रत्येक वर्ष कैथल सिलो की स्टॉक स्थिति में कमी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा में अपने जिला कार्यालय कुरुक्षेत्र को लागतों (सिलो की दुलाई और डीबैगिंग) का केन्द्र-वार विश्लेषण करने के निर्देश दिए (जुलाई 2013) जिसका व्यय स्टॉक के लिए एसजीए को भुगतान योग्य सीओसी की तुलना में गेहूँ की वितरण लेने के लिए किया जाएगा। जिला कार्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय ने एफसीआई मुख्यालय को अनुशंसा की (जनवरी 2014) कि एसजीए के पास पड़े हुए गेहूँ स्टॉक का वितरण लेकर गारंटीकृत टनभार के स्तर तक सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। हालांकि एफसीए ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा सिलो की उपलब्ध खाली भंडारण क्षमता का उपयोग करने के लिए आसपास के केन्द्रों से स्टॉक को कैथल सिलो से भेजने में विफल रहा। इसके कारणवश अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान एसजीए को सीओसी के रूप में ₹ 6.49 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा ने बताया (अगस्त 2017) कि 7 मार्च 2014 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार “एफसीआई से सीधे वितरण का अर्थ राज्य अभिकरणों के गोदाम से न उठाकर संबंधित मंडी यार्ड से राज्य अभिकरणों द्वारा प्रापण किए गए गेहूँ को उठाना” इसका अर्थ यह था कि राज्य गोदामों से सिलो में खाद्यानों को हैंडल करना संरचन प्रतिबंधित था और चूंकि सीओसी का लागत अर्थशास्त्र कैथल सिलो के लिए भुगतान किए जा रहे किराए की कुल लागत से अधिक महंगा था, एफसीआई को 30 जून के पश्चात गेहूँ का

वितरण स्वीकृत नहीं था और कार्यवृत्त में उल्लिखित दूसरी बार ले जाना स्वीकृत नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्रापण मौसम के पश्चात कैथल में सिलो में स्टॉक को ले जाने के कारण सृजित जगह से संबंधित है जिसके लिए गारंटीकृत आधार पर किराए पर ली गई जगह के लिए एससीएचसी का भुगतान किया गया था जबकि एफसीआई द्वारा प्रापण मौसम के दौरान एसजीए से केवल एफसीआई को सीधे वितरण से संबंधित दिशानिर्देश दिए गए थे। कैथल में सिलो के लिए गारंटीकृत भंडारण प्रभारों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए एफसीआई को सिलो में उपलब्ध खाली जगह का उपयोग करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी जिसके कारण एसजीए को भुगतान बचाया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2017 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

5.6 संरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभारों का अनियमित भुगतान

संरक्षा एवं अनुरक्षण प्रभारों से संबंधित मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ओडीशा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार अभिकरणों (एसजीए) को ₹ 10.32 करोड़ का अनियमित भुगतान करना पड़ा।

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (मंत्रालय) ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2004-05 के लिए तथा सीएमआर/लेवी चावल के भविष्य में प्रापण के लिए कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर)/लेवी चावल प्रापण कार्यों के संबंध में विकेंद्रित प्रापण (डीसीपी) प्रणाली¹⁶ हेतु ओडीशा राज्य सरकार के साथ मार्च 2005 में समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। एमओयू के अनुसार, राज्य सरकार और उसके अभिकरण (एसजीए) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यानों का प्रापण करेगा,

¹⁶ योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार, भारत सरकार की ओर से चावल और गेहूँ का सीधे क्रय और लेवी चावल का प्रापण करती है और लक्षित संवितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत इन खाद्यानों का भंडारण भी करती है और संवितरण करती है। केन्द्र सरकार संस्वीकृत लागत के अनुसार प्रापण कार्यों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए संपूर्ण व्यय देने का वचन करती है।

भंडारण करेगा तथा वितरण करेगा। टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक स्टॉक को एफसीआई को दे दिया जाएगा।

एफसीआई ओडीशा क्षेत्र प्रत्येक केएमएस के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों पर प्रापण किए गए चावलों के लिए एसजीए को लागत तथा आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इन दरों में संरक्षा एवं अनुरक्षण (सीएवंएम) प्रभारों का तत्व शामिल है। एफसीआई द्वारा एसजीए को भुगतान के निर्गम हेतु मंत्रालय ने (नवम्बर/दिसम्बर 2014, सितम्बर 2015) केएमएस 2013-14 से एसजीए को सी एवं एम प्रभारों के भुगतान के लिए एफसीआई द्वारा अनुरक्षण की गई प्रणालियों के बारे में जारी किए गए निम्न निर्देश थे:

- एसजीए को उनके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित समर्थन करने वाले दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा और इस खाते में भुगतान करने से पूर्व इसे एफसीआई द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए;
- किसी विशेष वर्ष के लिए अंतिम दर¹⁷ के निर्धारण के पश्चात ही सी एवं एम प्रभारों पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा कोई अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, सितम्बर 2015 में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रतिपूर्ति की छूट दे दी गई थी तथा अंतिम दरों के निर्धारण के लिए प्रतीक्षा किए बिना अंतिम आधार पर प्रतिपूर्ति स्वीकार की गई थी; और
- किसी विशेष प्रापण मौसम के अंत में एसजीए को एफसीआई को सी एवं एम प्रभारों पर किए गए व्यय के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ समेकित अंतिम बिल प्रस्तुत करना होगा। एफसीआई बिलों का सत्यापन करेगा और बिल की यथार्थता, वास्तविकता तथा स्वीकार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात अंतिम दरों के निर्धारण के लिए प्रतीक्षा किए बिना अंतिम आधार पर भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भुगतान की प्रतिपूर्ति और निर्गम हेतु दावे की स्वीकृति के लिए मंत्रालय के निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुरक्षण किए बिना केएमएस 2013-14 से 2015-16 के लिए 2013-14 से 2016-17 के दौरान एसजीए को

¹⁷ ओडीशा क्षेत्र में पूरी की गई लागत शीट वर्ष 2004-05 की है।

सीएवंएम प्रभारों के प्रति ₹ 10.32 करोड़ का भुगतान किया गया था। एसजीए द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित सहायक दस्तावेजों के बिना बिलों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर भुगतान किए गए थे जोकि दावे की यथार्थता और स्वीकार्यता के सत्यापन हेतु आवश्यक था।

इस हद तक किसी प्रमाण को प्राप्त किए बिना एफसीआई द्वारा सीएवंएम प्रभारों के भुगतान को एसजीए द्वारा वास्तविक व्यय किया गया था कि इसकी सूचना इस अनुशंसा के साथ कि एफसीआई द्वारा सीएवंएम प्रभारों के लिए भुगतान इस कारण एसजीए द्वारा व्यय को वास्तविक रूप से करने के दस्तावेजी प्रमाण के सत्यापन के पश्चात ही किया जाए के साथ "केन्द्रीय पुल के लिए चावल का प्रापण तथा मिलिंग" पर सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं. 31 में भी दी गई थी। मंत्रालय ने अभ्युक्ति को इस अनुशंसा को देते हुए स्वीकार किया कि एफसीआई को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर मंत्रालय ने अपने कार्रवाई टिप्पणी में प्रस्तुत किया (फरवरी 2017) कि संबंधित राज्यों के एसजीए को सी एवं एम प्रभारों के भुगतान के विवरण के साथ वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रदान करने के लिए कहा गया है।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमाणपत्र आधार पर तथा ओडीशा क्षेत्र में सहायक दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त किए बिना 2016-17 में भी एसजीए को सी एवं एम प्रभारों का भुगतान किया गया था जिसके कारणवश केएमएस 2013-14 से 2015-16 के लिए निरंतर एसजीए को ₹ 10.32 करोड़ के सी एवं एम प्रभारों का अनियमित भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2017) कि क्योंकि एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय, ओडीशा के पास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश (नवम्बर/दिसम्बर 2014 तथा सितम्बर 2015) उपलब्ध नहीं थे, प्रमाणपत्रों के आधार पर सीएवंएम प्रभारों के लिए भुगतान किए गए थे जिसका उल्लेख केएमएस 2014-15 तक की अंतिम लागत शीट और आंशिक रूप से केएमएस 2015-16 में आंशिक रूप से किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि अन्तिम लागत शीट पर सीएवंएम प्रभारों के लिए जारी भुगतान ओडीशा सरकार द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा संबंधित वर्षों के लिए अंतिम लागत शीट के निर्धारण पर निर्भर करता है।

अध्याय VI : संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी

6.1 सांस्कृतिक विरासतों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु योजनाएं

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा हेतु योजना (आईसीएच योजना) के अंतर्गत, 2013-14 से 2015-16 के दौरान संस्वीकृत 324 परियोजनाओं में से केवल 35 ही पूरी की गयी थीं जबकि 96 अनुदानग्राहियों ने मार्च 2017 तक प्राथमिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी। अकादमी ने आईसीएच योजना के अंतर्गत ₹ 4.25 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति ₹ 5.77 करोड़ का व्यय संस्कृति मंत्रालय को (एमओसी) सूचित किया था। सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुदानों को संस्वीकृत किया गया था और अधिकांश परियोजना प्रस्तावों को राज्य अकादमियों/सरकारों के माध्यम से प्रेषित नहीं किया गया था तथा समुचित कागजातों के बिना ही अनुमोदन प्रदान किये गये थे।

6.1.1 प्रस्तावना

संगीत नाटक अकादमी (अकादमी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 31 मई 1952 को जारी एक संकल्प के द्वारा की गयी थी और बाद में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में सितंबर 1961 में इसे पुनर्गठित किया गया था। गायन, नृत्य एवं नाटक के रूप में प्रदर्शित भारत के विविध संस्कृति की विस्तृत विरासत को संरक्षण एवं प्रोत्साहन करते हुए अकादमी प्रदर्शनीय कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रही है। अकादमी, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है।

अकादमी द्वारा निष्पादित किये जा रहे सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु दो योजनाओं को 2012-13 से 2016-17 की अवधि में आवृत्त करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु लिया गया था। उनमें से एक योजना नामतः 'भारत के अमूर्त विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराएं (आईसीएच योजना)' के संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) की ओर से अकादमी द्वारा निष्पादित किया जा

रहा था जबकि दूसरी योजना नामतः 'सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता' अकादमी की अपनी योजना थी।

6.1.2 भारत के अमूर्त विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा हेतु योजना (आईसीएच योजना)

संस्कृति मंत्रालय ने नवम्बर 2013 में भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के व्यापक मान्यता तथा स्वीकृति, प्रचार, परिरक्षण एवं प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पणधारियों के प्रयासों में सहयोग करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए आईसीएच योजना को संस्वीकृति दी थी। योजना में गैर आवर्ती अनुदानों के रूप में 50:25:25 के अनुपात में तीन किस्तों में सहायता करने का प्रावधान है। योजना को XII वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान अकादमी द्वारा लागू किया जाना था और एमओसी द्वारा सितंबर 2017 तक इसे विस्तारित किया गया था।

योजना में व्यवस्था थी कि अकादमी में अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों को प्रत्येक दो वर्ष में एमओसी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) के समक्ष रखना होगा। ईसी की सिफारिशों को एमओसी द्वारा अनुमोदित किया जाना था जिसके बाद अनुमोदित अनुदानग्राहियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। योजना दिशानिर्देशों में ईसी द्वारा दूसरी/तीसरी किस्तों के दावों की प्रस्तुति हेतु प्रस्तावित गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक था। परियोजना का ईसी या एमओसी द्वारा नामित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के पहले मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक था। परियोजना की समाप्ति एवं उसके प्रमाण के रूप में तत्संबंधी कागजातों की प्रस्तुति के बाद अंतिम किस्त जारी की जानी थी।

6.1.2.1 आईसीएच योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों का गलत लेखांकन

एमओसी ने आईसीएच योजना के अंतर्गत 2013-14 से 2015-16 के दौरान अकादमी को ₹ 5.57 करोड़ जारी किये थे। मार्च 2017 तक योजना के अंतर्गत उपयोग के समक्ष प्राप्त निधियाँ तालिका सं. 1 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1: अनुदानों का निर्गम एवं उसका उपयोग

वर्ष	एमओसी से प्राप्त अनुदान (₹)	एमओसी को प्रस्तुत यूसी ¹ में दर्शाया गया व्यय (₹)	योजना के अंतर्गत वास्तविक रूप में किया गया व्यय (₹)
2013-14	67,67,250	87,72,809	57,23,284
2014-15	2,49,00,000	2,48,59,689	1,92,84,926
2015-16	2,40,00,000	2,40,40,311	1,74,43,057
कुल	5,56,67,250	5,76,72,809	4,24,51,267

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) अकादमी द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों हेतु अलग लेखे का अनुरक्षण करना अपेक्षित था। अकादमी ने, तथापि अलग लेखा नहीं रखा और आईसीएच पर हुए व्यय को इसके नियमित व्यय के साथ मिला दिया था। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान, अकादमी ने योजना के अंतर्गत ₹ 4.25 करोड़ का व्यय किया था पर ₹ 5.77 करोड़ का गलत उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया।
- (ii) मार्च 2015 में, एमओसी ने अकादमी को आईसीएच योजना के तहत बौद्ध जप एवं 'पंजाब के ठठेरस' से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए ₹ 50.95 लाख जारी किये थे। एमओसी की संस्वीकृति में प्रावधान था कि धनराशि को उसी वित्त वर्ष में उपयोग में ले लिया जाए और यदि कोई अव्ययित शेष हो तो इसकी सूचना सरकार को देनी होगी।
- (iii) अकादमी ने ₹ 0.40 लाख के अव्ययित शेष के साथ बौद्ध जप एवं पंजाब के ठठेरस की गतिविधि पर हुए व्यय सहित वर्ष 2014-15 हेतु ₹ 2.49 करोड़ का आईसीएच योजना का एक समेकित यूसी प्रस्तुत किया था। तथापि, दिसंबर 2016 में अकादमी ने एमओसी को सूचित किया कि उसने उपर्युक्त गतिविधि पर ₹ 50.95 लाख में से मात्र ₹ 16.27 लाख ही उपयोग में लिया था। अतः, न केवल अकादमी ने

¹ उपयोग प्रमाण पत्र

एमओसी को एक गलत यूसी प्रस्तुत किया, यह अव्ययित शेष को लौटाने या अनुदान के अप्रयुक्त राशि को अगले वर्षों में खर्च करने के लिए एमओसी से कोई विशिष्ट अनुमति लेने में भी असफल रहा था।

एमओसी ने बताया (दिसंबर 2017) कि अकादमी को योजना की शुरुआत से लेकर सभी वर्षों हेतु संशोधित यूसी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

6.1.2.2 योजना का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन

एमओसी ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान 324 परियोजनाओं का अनुमोदन किया था जिसके प्रति अकादमी ने मार्च 2016 तक ₹ 3.69 करोड़ जारी किये थे (अनुबंध-III)। 2015-16 के बाद कोई नयी परियोजना संस्वीकृत नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया:

(i) परियोजनाओं की पूर्णता का निराशाजनक दर

(ए) 2013-14 से 2015-16 के दौरान 324 परियोजनाओं में से केवल 35 को ही पूरा किया था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2017 तक 96² अनुदानग्राहियों से प्राथमिक सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी।

(बी) योजना दिशानिर्देशों में ई.सी. द्वारा दूसरी/तीसरी किस्तों के लिए दावों की प्रस्तुति हेतु प्रस्तावित गतिविधि को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण करना आवश्यक था। समय-सीमा की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में, अयोग्यता/वसूली प्रभावी रहेगी। तथापि, ऐसी कोई समय-सीमा ईसी की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज नहीं की गई थी। किसी समय-सीमा के अभाव में, अधूरी परियोजनाओं के अनुमोदन को निरस्त करने और निधियों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पायी थी, जैसा योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओसी ने अकादमी को उन अनुदान-ग्राहियों को जारी अनुदानों की तुरंत वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के साथ ही ऐसे अनुदानग्राहियों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया था (मार्च 2017), जिन्होंने अपनी प्राथमिक अथवा पुनर्निमित रिपोर्ट जमा नहीं की हो और मंत्रालय को इसकी अद्यतित सूचना प्रेषित न की हो।

² 2013-14-18, 2014-15-27 एवं 2015-16-51 अनुदानग्राही

हालांकि, अकादमी द्वारा अक्टूबर 2017 तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

एमओसी ने बताया (दिसंबर 2017) कि योजना दिशानिर्देशों में उन अनुदानग्राहियों से निधियों की वसूली हेतु प्रावधान शामिल करने के लिए इसे संशोधित किया जाएगा, जो अपनी परियोजना पूरी करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनुदानग्राहियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दी गयी समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के लिए अकादमी को निर्देश दिया जाएगा।

(सी) योजना दिशानिर्देशों में उन अनुदानग्राहियों को नयी परियोजना की संस्वीकृति के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, जिन्होंने अपने पहले की परियोजनाएं पूर्ण नहीं की थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1.06 करोड़ के अनुदान वाले 25 अनुदानग्राहियों की 54 परियोजनाएं आगामी वर्षों में, उनके पूर्व की परियोजनाओं की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना अनुमोदित की गयी थीं। इनमें से, 38 परियोजनाएं (70 प्रतिशत) मार्च 2017 तक पूरी की जानी शेष थीं। इनमें चार ऐसे अनुदानग्राही शामिल थे जिन्हें 2013-14 से 2015-16 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की संस्वीकृति दी गयी थी। ऐसे अनुदानग्राहियों को पहले की परियोजनाएं पूरी करने के पूर्व परियोजना की संस्वीकृति देना परियोजनाओं की पूर्णता के निम्न स्तरीय दर का कारण बन सकता है।

एमओसी ने आश्वस्त किया (दिसंबर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन करने के लिए दिशानिर्देशों में समुचित संशोधन किया जाएगा।

(डी) योजना में रखे गये व्यापक उद्देश्यों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुव्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखना, प्रोत्साहित करना और उसका प्रचार करना शामिल था। अकादमी ने पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित प्राप्त रिपोर्टों/सामग्री को प्रलेखित, संग्रहित या प्रकाशित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था जिससे कि शोध निष्कर्षों को प्रचारित किया जाता, जो योजना में अभिप्रेत था।

अकादमी ने स्वीकार किया (नवंबर 2017) कि अनुदानग्राही प्रतिष्ठानों से प्राप्त सामग्री का किसी रूप में उपयोग नहीं किया गया है। तथापि, उसने आगे ये बताया कि अनुदानग्राहियों से प्राप्त सामग्री को अपलोड करने के लिए एक वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। एमओसी ने इस संबंध में अकादमी के आश्वासन को ही दोहराया (दिसंबर 2017)।

(ii) योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों को अनुपालन किये बिना अनुदानग्राहियों को कुल ₹ 5.25 लाख की धनराशि का अनियमित निर्गम पाया था जिसे नीचे दिया गया है:

- (ए) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृति राशि का मात्र 50 प्रतिशत ही अनुमोदित अनुदानग्राहियों को पहली किस्त के रूप में जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा ने दो मामले³ देखे जहाँ पहली ही किस्त में कुल ₹ तीन लाख (प्रत्येक को ₹ 1.5 लाख) के संस्वीकृत अनुदान का शत-प्रतिशत जारी कर दिया गया था (मार्च 2015)। इसके अतिरिक्त, इनमें से एक अनुदानग्राही⁴ को फरवरी 2016 में ₹ 37,500 की दूसरी किस्त भी जारी की गयी थी जिससे अधिक भुगतान हुआ।
- (बी) लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 37,500 की अंतिम किस्त अकादमी द्वारा एक अनुदानग्राही⁵ को जारी की गई थी (फरवरी 2016) जो ईसी द्वारा संस्तुत नहीं था चूंकि अनुदानग्राही ने अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं की थी।
- (सी) ईसी ने तीन अनुदानग्राहियों⁶ को दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश की थी (दिसम्बर 2015) जिन्होंने प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। कुल ₹ 1.5 लाख की किस्त (प्रत्येक को ₹ 50,000) फरवरी 2016 में योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए तीनों अनुदानग्राहियों को जारी की गयी थी।

³ रामकृष्ण मिशन लोकशिक्षा परिषद और मैसर्स एली डोये, जिनकी परियोजनाएं 2014-15 में संस्वीकृत हुई थीं।

⁴ मैसर्स एली डोये।

⁵ मथरू भूमि फाउंडेशन, जिसकी परियोजना 2013-14 में संस्वीकृत हुई थी।

⁶ अजित कुमार झा, अजित कुमार; एवं कालीचरण यादव रावत नाच महोत्सव समिति जिनकी परियोजनाएं 2014-15 में संस्वीकृत हुई थीं।

एमओसी ने बताया (दिसंबर 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों की पूछताछ करने के लिए जाँच बिठायी जाएगी।

(iii) परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु कागजात

2013-14 से 2015-16 के दौरान संस्वीकृत 324 परियोजनाओं में से, यादृच्छिक रूप से 47 मामलों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि संबंधित फाइलों का समुचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया था और उनमें फाईल टिप्पणियां, संस्वीकृति की प्रतियाँ, अनुमोदनों के ब्यौरे, प्राप्त रिपोर्ट की स्थिति आदि जैसी सूचनाएं दर्ज नहीं थीं। 14 मामलों में, परियोजना प्रस्तावों में आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले सारे कागजात शामिल नहीं थे, इसके बावजूद परियोजनाओं को योजना दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए संस्वीकृत किया गया था। इन परियोजनाओं की संस्तुति करने के लिए ईसी की बैठकों के कायवृत्त में कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं पाया गया था।

एमओसी ने बताया (दिसंबर 2017) कि अकादमी आवश्यक कागजातों का पता लगाने/प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा और योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पूछताछ करने के लिए जांच शुरू की जाएगी।

(iv) ईसी संस्तुतियों को गलत दर्शाना

- (ए) ईसी की संस्तुतियों के कार्यवृत्त पर विचार करते हुए (सितंबर 2015) एमओसी ने वर्ष 2015-16 हेतु 116 संस्तुत प्रस्तावों में से 37 प्रस्तावों (₹ तीन लाख एवं इससे अधिक मूल्य के) की समीक्षा करने का निर्णय लिया था (नवंबर 2015)। समीक्षा के बाद, एमओसी ने 14 प्रस्तावों से संबंधित अनुदानों को घटाया, तीन प्रस्तावों में अनुदानों को बढ़ाया और दो प्रस्तावों को ईसी द्वारा स्पष्टीकरण का अभाव दर्शाते हुए खारिज कर दिया। ईसी संस्तुतियों के साथ-साथ एमओसी द्वारा उपर्युक्त समीक्षा के बाद लिए गये निर्णय को दर्शाती हुई संशोधित सूची मंत्री के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी जिन्होंने दिसंबर 2015 में अपनी स्वीकृति प्रदान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक मामले⁷ जिसे

⁷ श्री तुइसेम शिमरा

ईसी की संस्तुति नहीं मिली थी, को संशोधित सूची में ईसी द्वारा ₹ तीन लाख के लिए संस्तुति प्राप्त दिखाया गया था जो तथ्यों की गलत प्रस्तुति थी। संशोधित सूची के आधार पर, प्रस्ताव को एमओसी द्वारा अंततः ₹ दो लाख के लिए अनुमोदित किया गया था।

(बी) एमओसी द्वारा समीक्षित प्रस्तावों के अलावा प्रस्तावों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (₹ तीन लाख से कम मूल्य वाले) से और चार मामले उद्घाटित हुए जहाँ अकादमी द्वारा ईसी बैठक की एमओसी को भेजे गये कार्यवृत्त में ईसी की सिफारिशों में बदलाव किया गया था। कथित चार मामलों में से तीन मामलों में अकादमी ने संस्तुत राशि को घटाया जबकि एक प्रस्ताव जिसे ईसी द्वारा संस्तुति नहीं दी गयी थी, को ₹ दो लाख हेतु संस्तुत दिखाकर शामिल किया गया था। ये चार प्रस्ताव अकादमी द्वारा प्रस्तुत ईसी की गलत संस्तुति के आधार पर एमओसी द्वारा अनुमोदित किये गये थे।

एमओसी ने ऐसी पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था (दिसम्बर 2017)।

6.1.3 सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता हेतु योजना

योजना में नये नाटकों और नृत्य-नाटकों आदि की रचना को प्रोत्साहित करने के लिए संगीत, नृत्य एवं नाटक के क्षेत्र में प्रशिक्षण में संलग्न संस्थानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। विशेषज्ञों की एक समिति नामतः अनुदान समिति आवेदनों पर विचार करती है और अनुदान के परिणाम सहित संस्तुति प्रदान करती है। योजना के अनुसार, वित्तीय सहायता 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत के दो किस्तों में जारी करनी होती है।

अनुदान समिति की संस्तुतियों को अकादमी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) के समक्ष अकादमी द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन हेतु रखा गया है। तथापि, इस प्रक्रिया को न तो योजना में और न ही अकादमी के नियमों एवं विनियमों में परिभाषित किया गया है। परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के परिमाण को भी इस योजना के अंतर्गत भी परिभाषित नहीं किया गया है। फलस्वरूप वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित धनराशि में कोई सामंजस्य नहीं था जो नमूना परीक्षित मामलों में ₹ 20,000 एवं ₹ एक लाख के मध्य था।

प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता का परिमाण तय करते समय अनुदान समिति द्वारा कोई स्पष्टीकरण दर्ज हुआ नहीं पाया गया था।

2012-13 से 2016-17 के दौरान, कुल 2,101 अनुदानग्राहियों को ₹ 8.54 करोड़ संस्वीकृत हुआ था। ₹ 88.55 लाख के 210 मामलों⁸ की नमूना परीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) छः मामलों में, यद्यपि अनुदानग्राहियों ने ₹ 10 लाख एवं ₹ 43.80 लाख की वित्तीय सहायता की मांग की थी, संस्वीकृत की गयी वित्तीय सहायता ₹ 30,000 से ₹ 80,000 के बीच थी। दूसरी तरफ, एक नमूना-परीक्षित मामले⁹ में अकादमी द्वारा संस्वीकृत वित्तीय सहायता अनुदानग्राही द्वारा मांगे गये सहायता से अधिक था और इसके लिए कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

अकादमी ने बताया (नवंबर 2017) कि वित्तीय सहायता का परिमाण मामले पर निर्भर करता है और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अनुदानग्राहियों के वास्तविक आवश्यकता आंकलन करने के लिए कोई लिखित स्पष्टीकरण मौजूद नहीं था।

- (ii) परियोजना प्रस्तावों को राज्य अकादमियों अथवा जहाँ राज्य अकादमियां न हो वहाँ राज्य सरकारों के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 210 प्रस्तावों में से 166 (79 प्रतिशत) को योजना प्रावधान का उल्लंघन करते हुए राज्य अकादमियों या राज्य सरकारों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अकादमी ने बताया (नवंबर 2017) कि यद्यपि राज्य अकादमी के शामिल होने से किसी प्रतिष्ठान के अस्तित्व की पुष्टि होती है लेकिन अनेक मामलों में यह रास्ता कठिन होता है और कुछ जरूरतमंद आकांक्षियों को सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। योजना में अकादमी के

⁸ प्रतिस्थापन पद्धति के बिना स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर 10 प्रतिशत मामलों का चयन किया गया था।

⁹ वर्ष 2013-14 के लिए श्री श्री गोविंद जीयू भक्ति ग्रन्थ केन्द्र विद्यालय, इम्फाल, मणिपुर राशि ₹ 25,000 की माँग की और ₹ 30,000 स्वीकृत।

पास सीधे एक अग्रिम प्रति जमा करने का प्रावधान है और विशेषज्ञ समिति उसी का परीक्षण करती है और नियमित आधार पर औचक जाँच भी की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अधिकांश मामलों (79 प्रतिशत) को राज्य अकादमियों/सरकारों के माध्यम से नहीं भेजा गया था। परिणामस्वरूप अकादमी आवेदकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थी। इसके अतिरिक्त औचक जाँचों के लिए किसी निरीक्षण रिपोर्ट का उल्लेख नहीं पाया गया था।

- (iii) आवेदनों के साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित ब्यौरे पिछले वर्ष के लिए लेखे के लेखापरीक्षित विवरण, अकादमी द्वारा प्राप्त किये गये वित्तीय सहायता और उसके उपयोग के ब्यौरे गतिविधि रिपोर्ट एवं परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे आदि संलग्न होने चाहिए। लेखापरीक्षा में 21 नमूना परीक्षित मामले पाये गये थे जहाँ अनुमोदन दिया गया था जबकि अनुदानग्राहियों द्वारा आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों/ब्यौरे को जमा नहीं किया गया था।
- (iv) दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ अनुदान पिछले वर्षों में दिया गया हो, चालू वर्ष अनुदान की पहली किस्त को व्यय के विस्तृत विवरण के साथ विगत अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा ने 18 ऐसे प्रस्ताव देखे जिन्हें संस्वीकृति दी गयी थी और अनुदान भी जारी कर दिये गये थे जबकि पिछले अनुदानों के यूसी भी अनुदानग्राहियों के पास लंबित थे।
- (v) योजना में परियोजना की पूर्णता पर अनुदानग्राहियों द्वारा किसी रिपोर्ट की प्रस्तुति का प्रावधान नहीं था। 210 नमूना परीक्षित मामलों में से 94 अनुदानग्राहियों से संबंधित कोई पूर्णता/गतिविधि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। अतः, यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्या योजना के अंतर्गत कोई सफल परिणाम प्राप्त हुआ।

एमओसी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अकादमी को, अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनके प्रस्तावों पर विचार करते समय ऐसी अनियमितताओं को हटाने के लिए उपचारी उपाय अपनाने की सलाह दी

जा रही है। अकादमी को यह सलाह भी दी जा रही है कि जिन प्रतिष्ठानों के प्रति धनराशि जारी की जा रही हो उनकी गतिविधियों की सत्यता की पुष्टि के लिए अकादमी द्वारा एक “मॉनीटरिंग समिति” की स्थापना की जाए ताकि निर्गम का प्रयोजन विफल न हो।

राष्ट्रीय संग्रहालय

6.2 निम्नस्तरीय नकदी प्रबंधन एवं सरकारी खाते के बाहर निधियों का अनियमित रूप में पड़े रहना

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली सरकारी प्राप्तियों के रख रखाव से संबंधित केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का अनुपालन करने में विफल रहा था। इसने प्राप्तियों के लिए रोकड़ बही का मार्ग नहीं अपनाया और न ही इसने बैंक खाते के साथ समाधान किया था। परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ की धनराशि लंबे समय तक सरकारी खाते के बाहर अनियमित रूप से रखी रही।

केन्द्रीय सरकार (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 यह निर्धारित करता है कि सरकार की सभी प्राप्तियाँ, अविलंब, सरकारी खाते में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंक में पूर्ण रूप से अदा की जाएं। इन प्राप्तियों को विभागीय व्यय के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा या सरकारी खाते से बाहर अन्यथा रखा जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि महालेखा नियंत्रक के परामर्श से मंत्रालय अथवा संबंधित विभाग के वित्त सलाहकार द्वारा जारी आदेश के तहत सिविल मंत्रालय या विभाग द्वारा एक बैंक खाता खोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी वित्तीय लेनदेनों की रोकड़ बही में प्रविष्टि होनी चाहिए और निर्धारित बिलों की प्रस्तुति पर ही आहरण किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, (संग्रहालय) संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, और उर्पयुक्त नियमों का अनुपालन इसके लिए आवश्यक है।

वर्ष 2013 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सं.18 में यह प्रकट किया गया था कि ऑडियो गाइड सेवाओं के प्रति प्राप्त धन को अक्टूबर 2005 से अगस्त 2007 तक कुछ अधिकारियों के निजी खातों में जमा किया गया था।

अपने कार्रवाई टिप्पणी में एमओसी ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि राष्ट्रीय संग्रहालय के स्थान पर खाता गलती से दो अधिकारियों के नाम से खुल गया था और यह सूचित किया कि गलती को सुधार लिया गया है और धनराशि को संग्रहालय के खाते में अंतरित कर दिया गया है।

संग्रहालय एक विक्रय काउंटर का परिचालन कर रहा था जहाँ से टिकटों का विक्रय, प्रकाशन एवं प्रतिकृति बनाने का कार्य होता है। विक्रय काउंटर पर भुगतान नकद रूप में या विक्रय काउंटर पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर (ईडीसी) मशीन/स्वाइप मशीन के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। स्वाइप मशीन के माध्यम से विक्रय के प्रति भुगतान अगस्त 2007 के बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गये एक खाते (ईडीसी खाता) में अपने आप जमा हो रहा था। संग्रहालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

- (i) दिसंबर 2013 में एटीएन के माध्यम से लोक लेखा समिति को दिये गये इस आश्वासन कि ऑडियो गाइड सेवा की प्राप्तियों को संग्रहालय के खाते में जमा किया जा रहा है, के विपरीत संग्रहालय ने प्राप्तियों को सरकारी खाते में माहवार जमा करने का कार्य फरवरी 2016 में शुरू किया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2016 के पहले की अवधि से संबंधित ₹ 1.38 करोड़ की प्राप्ति में से, ₹ 1.23 करोड़ को सरकारी खाते में विलंबित करके जून 2017 में जमा किया गया और ₹ 15 लाख की धनराशि अक्टूबर 2017 तक इस खाते में अभी तक पड़ी हुई थी।
- (ii) संग्रहालय ने विक्रय काउंटर पर नवंबर 2007 से मई 2017 के दौरान कुल ₹ 1.03 करोड़ की धनराशि स्वाइप मशीन/ईडीसी मशीन के माध्यम से प्राप्त की थी। केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का उल्लंघन करते हुए इन प्राप्तियों को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही सरकारी खाते में जमा किया गया था। इसके बजाय बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में प्राप्तियों को जमा किया गया था जिसने ईडीसी मशीन उपलब्ध करायी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले को इंगित करने के बाद ही इस खाते में जमा शेष को मई 2017 में सरकारी खाते में हस्तांतरित किया गया।

- (iii) ईडीसी खाते में खाता धारक के पते के रूप में संग्रहालय के कार्यालयी पते के स्थान पर तत्कालीन निदेशक का आवासीय पता दर्शाया गया था। संग्रहालय खाता खोलने से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में यह बताते हुए असफल रहा कि वह मिल नहीं रहा है। इस तरह, यह सत्यापित नहीं हो पाया कि केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के अनुसार मंत्रालय के वित्त सलाहकार के अनुमोदन से खाता खोला गया था।
- (iv) यद्यपि प्राप्तियों को नियमित रूप से ईडीसी खाते में जमा किया जा रहा था, इसे दिसंबर 2010 से निष्क्रिय स्थिति में दर्शाया गया था और बैंक सितंबर 2013 से ही इस खाते से लगातार 'खाता निष्क्रियता शुल्क' नामे कर रहा था। इस खाते में हो रहे लेन देनों से न तो संग्रहालय प्राधिकारी अवगत लग रहे थे और न ही उन्होंने ईडीसी खाते और उनके अपने अभिलेखों के मध्य प्राप्तियों को सत्यापित किया।

इस तरह संग्रहालय सरकारी प्राप्तियों के रखरखाव में केन्द्र सरकार लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 का अनुपालन करने में निरंतर असफल होता रहा। यह प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्ज करने और बैंक खाते से किसी प्रकार का समाधान करने में विफल होते हुए नकदी प्रबंधन के मामले में मूलभूत आंतरिक नियंत्रण करने में भी विफल हुआ। फलस्वरूप, लंबी अवधि तक ₹ 2.26 करोड़ की धनराशि अनियमित रूप से सरकारी खाते से बाहर पड़ी रही।

संग्रहालय ने बताया (जून 2017) कि ईडीसी खाते में पड़े ₹ 1.03 करोड़ और ऑडियो यात्रा गाइड खाते में पड़े ₹ 1.23 करोड़ को सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है। सभी प्राप्तियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं करने और लंबी अवधि तक सरकारी खाते में प्राप्तियों को जमा नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2017)।

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

6.3 कर्मचारी भविष्य निधि को अतिरिक्त अंशदान

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान योजना, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 160 कर्मचारियों के खाते में ₹ 1.19 करोड़ के अतिरिक्त भविष्य निधि का अंशदान जमा कराया था।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान योजना, 1952 (योजना) के पैरा 29(1) में प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत जिन पर यह योजना लागू होती है, उन प्रत्येक कर्मचारियों को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो का 12 प्रतिशत¹⁰ योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा अंशदान देय होगा। योजना का पैरा 26 ए(2) आगे प्रावधान करता है कि कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा देय अंशदान राशि ₹ 6500 के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित रहेगी (01 सितंबर 2014 से बढ़ाकर ₹ 15000 कर दिया गया)। योजना के पैरा 29(2) में व्यवस्था है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी कर्मचारी द्वारा देय अंशदान, यदि वह चाहे तो, उपर्युक्त राशि से अधिक हो सकती है बशर्ते नियोक्ता पर योजना के अंतर्गत देय अंशदान से अधिक किसी अंशदान की देयता की बाध्यता नहीं होगी।

एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (सोसाइटी), पूर्णतः संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित है। सोसाइटी के उपनियमों में व्यवस्था है कि इसके कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना द्वारा निर्देशित होगी। योजना के अनुसार, वेतन के 12 प्रतिशत में से, 8.33 प्रतिशत कर्मचारी के पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत कर्मचारी के भविष्य निधि (ईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाता है। तदनुसार, सोसाइटी से अपने नियोक्ता अंशदान को ₹ 1800 प्रतिमाह अर्थात् ₹ 15000 प्रति माह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ₹ 15000 प्रति माह की अधिकतम वेतन सीमा के 12 प्रतिशत तक सीमित रखना अपेक्षित था।

¹⁰ उन स्थापनाओं अथवा स्थापनाओं की श्रेणी के मामले में जिन्हें केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा सरकारी गजट में विनिर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2016) कि सोसाइटी कर्मचारियों को भविष्य निधि के अपने अंश का योगदान ₹ 15000 के अधिकतम वेतन सीमा में सीमित रखने के स्थान पर कुल वेतन के 12 प्रतिशत के दर से कर रहा था। कुल कर्मचारी अंशदान में से, यद्यपि ईपीएस का योगदान अर्थात् ₹ 15000 के अधिकतम वेतन का 8.33 प्रतिशत था, तथापि, शेष संपूर्ण राशि अर्थात् वास्तविक वेतन का 12 प्रतिशत जिसका आशय था ₹ 15,000 प्रतिमाह से अधिक वेतन ₹ 15,000/- के अधिकतम सीमा का (-)8.33 प्रतिशत ईपीएफ जिसके परिणामस्वरूप 160 कर्मचारियों के भविष्य निधि के कर्मचारी अंशदान के प्रति ₹ 1.19¹¹ करोड़ के अतिरिक्त अंशदान हुआ था, जो योजना के सदस्य थे और अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान ₹ 15000 से अधिक मासिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।

सोसाइटी ने बताया (जुलाई 2017) कि: (i) अप्रैल 2001 तक कर्मचारी का अंशदान को ₹ 6500¹² के अधिकतम वेतन सीमा के 12 प्रतिशत तक सीमित रखा गया था जिसे सोसाइटी के मई 2001 वाले आदेश के अनुसार कुल वेतन के 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था; (ii) योजना के पैरा 26(6) एवं 26(ए) के संदर्भ में सोसाइटी के कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोध पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोलकाता को पहले सूचित करने के बाद किया गया था: (iii) चूंकि ईपीएफ के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या अधिक है, कर्मचारियों का अंशदान इस तरह से निर्धारित किया गया है कि एक ओर यह नियोक्ता की ओर से निम्नतम अंशदान की गारंटी देता है और दूसरी ओर नियोक्ता के दायित्व को सीमित करने के लिए यह वेतन सीमा का निर्धारण करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि: (i) पैरा 26(2) नियोक्ता को पैरा 29(2) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक अंशदान का अधिकार नहीं देता है और पैरा 26(6) में दी गयी छूट कर्मचारी के अंशदान के लिए है न कि नियोक्ता के अंशदान के लिए; (ii) अंशदान में वृद्धि की प्रक्रिया निर्धारित करती है कि कोई अधिकारी, जो सहायक भविष्य निधि आयुक्त से कम श्रेणी का न हो, किसी कर्मचारी और उसके नियोक्ता के संयुक्त लिखित अनुरोध पर, उसे निर्धारित

¹¹ ₹ 1.19 करोड़ के अतिरिक्त अंशदान की धनराशि, भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से से ही संबंधित था, पेंशन निधि के प्रति अंशदान को छोड़कर।

¹² यह वेतन सीमा उस समय लागू थी।

राशि से अधिक अंशदान की अनुमति देगा। इस मामले में पूर्व सूचना किसी संयुक्त अनुरोध के रूप में नहीं थी बल्कि इसके शीर्ष निकाय नामतः परिषद के अध्यक्ष की ओर से सूचना ही थी जिसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कर्मचारी संघ की मांग के अनुसार कर्मचारियों के अंशदान पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रेषित किया गया था, जिस पर इपीएफओ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी; तथा (iii) न तो सोसाइटी द्वारा परिषद से और न ही अपने प्रशासनिक मंत्रालय से थी अथवा वित्त मंत्रालय से योजना के पैरा 26(ए)(2) में मौजूदा वैधानिक सीमा से अधिक भविष्य निधि के कर्मचारी अंश के अंशदान हेतु कोई मंजूरी प्राप्त की गयी थी।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि सोसाइटी से मामले को देखने का अनुरोध किया गया था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

6.4 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल द्वारा अनुबंध मांग के गलत आकलन और अनुबंध मांग को कम करने के लिए विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क के लिए ₹ 82.95 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत कनेक्शन पाने को इच्छुक संस्थान को वितरण लाइसेंसधारक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन में अन्य बातों के साथ भार का अनुमान के आधार के साथ भार की आवश्यकता भी शामिल है। वितरण लाइसेंसधारक के इंजीनियरों की साइट पर विज़िट के आधार पर, अनुबंध की मांग को स्वीकृति दी जाती है तथा संस्थानों को निर्धारित अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है तथा संस्थान और वितरण लाइसेंसधारक के बीच समझौता किया जाता है। वास्तविक खपत/अनुमानों के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार अनुबंध की मांग को बदल सकता है। अनुबंध मांग में कमी के लिए, उपभोक्ता को प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन तथा स्वीकृत मांग में कमी के लिए विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

विद्युत पर आवर्ती व्यय से बचने के लिए वास्तविक विद्युत खपत के संदर्भ में अनुबंध मांग की समीक्षा करना संस्थान की जिम्मेदारी है।

आईजीएमआरएस में इसके विद्युत आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत विट्रान कं. लिमि. (एमकेवीवीसीएल) के साथ 600 केवीए का एक अनुबंध भार था। समझौते के अनुसार, एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर या अनुबंध की मांग का 90 प्रतिशत जो भी समय-समय पर लागू होता है, दर पर वास्तविक उपभोग के प्रभारों के साथ उच्चतर शुल्क लगाया जाता है।

विद्युत भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि मई 2007 और नवंबर 2016 के बीच अनुबंध भार की तुलना में वास्तविक खपत 37 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक निरन्तर कम थी। फरवरी 2016 में इंगित किए जाने पर, आईजीआरएमएस ने नयी ऊर्जा लेखापरीक्षा किया और दिसंबर 2016 से अनुबंध की मांग को 300 केवीए तक घटा दिया। इस प्रकार, आईजीआरएमएस की मई 2007 से मांग का पुनर्मूल्यांकन करने में विफलता तथा इसकी अनुबंध मांग का कम होकर 300 केवीए तक पहुंचने, का परिणाम नौ वर्षों में ₹ 82.95 लाख के परिहार्य व्यय में हुआ। इस प्रकार, आईजीएमआरएस की उसकी अनुबंध मांग को वास्तविक विद्युत खपत के साथ मिलाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 82.95 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2017 में सूचित किया गया था; उसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : विदेश मंत्रालय

7.1 दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (साउथ एशियन यूनीवर्सिटी - साऊ)

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (साऊ) की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के आठ सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापना की गई थी। साऊ ने अगस्त 2010 में कार्य करना प्रारम्भ किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसर का निर्माण, जिसे 2014 तक समाप्त किए जाने की योजना की गई थी, भारग्रस्त भूमि के आवंटन, मुकदमेबाजी तथा सांविधिक अनापत्तियों में विलम्ब के कारण पर्याप्त रूप से विलम्बित था। एमईए को किराए के भुगतान में विलम्ब के कारण ₹1.97 करोड़ तक की छूट को छोड़ना था। परियोजना में विलम्ब ने ₹2.66 करोड़ की आवर्ती मासिक किराया देयता को भी बढ़ाया है।

7.1.1 प्रस्तावना

नवम्बर 2005 में हुए तेरहवें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ¹ (सार्क) शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (साऊ) की स्थापना का प्रस्ताव किया था। बाद में अप्रैल 2007 में, आठ देशों के बीच अंतर-सरकारी अनुबंध किया गया था जिसने अनुबंध किया कि साऊ का मुख्य परिसर भारत में स्थित होगा। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को बाद में 11 जनवरी 2009 को संसद द्वारा 'दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम 2008' (साऊ अधिनियम) को लागू करके स्थापित किया गया था। साऊ के प्राथमिक उद्देश्यों में, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के क्षमता निर्माण के प्रति शिक्षा प्रदान करने हेतु तथा क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रोत्साहन को सहयोग देने हेतु विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान का सृजन शामिल है जो दक्षिण एशिया के सभी देशों से प्रतिभाशाली तथा सबसे अच्छे छात्रों को एक साथ लाएगा।

“सार्क क्षेत्रीय केन्द्रों को सहयोग का सिद्धांत” के अनुसार साऊ की स्थापना की पूंजी लागत को मेज़बान देश अर्थात् भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है

¹ सार्क दक्षिण एशिया में आठ राष्ट्रों का क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्य राज्यों में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं।

जबकि संचालन लागत को सदस्य राज्यों द्वारा सहभाजित किया जाएगा। तदनुसार, मंत्रीमण्डल ने साऊ की स्थापना हेतु यूएसडी 239.93² मिलियन के अंशदान को स्वीकृत किया जिसमें यूएसडी 198³ मिलियन की पूंजी लागत तथा यूएसडी 41.93 मिलियन की संचालन लागत शामिल है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने जून 2017 तक पूंजी अंशदान के प्रति ₹325.25 करोड़⁴ की निधियां जारी की थीं।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने अगस्त 2010 से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अस्थायी परिसर, जिसे इसने मुफ्त में प्राप्त किया था, से कार्य करना प्रारम्भ किया। बाद में, अपर्याप्त स्थान के कारण, साऊ को अकबर भवन, नई दिल्ली में ले जाया गया (जुलाई 2011) जो नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) से आठ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹1.68 करोड़ प्रति माह के किराए पर पट्टे पर लिया गया था। अस्थायी स्थान के किराये तथा अवसंरचना पर व्यय को पूंजी अंशदान के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है।

साऊ एक शासी मण्डल द्वारा शासित है जिसमें एक कार्यकारी परिषद, एक शैक्षणिक परिषद तथा वित्त समिति सहित प्रत्येक सदस्य राज्य से दो सदस्य तथा अध्यक्ष, साऊ शामिल है।

7.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

साऊ अधिनियम की धारा 25 शासी मण्डल द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान करती है। शासी मण्डल द्वारा तैयार साऊ नियमावली प्रावधान करती है कि भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत व्यय की मेजबान सरकार द्वारा चयनित अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा की जाए। भारत सरकार ने फरवरी 2015 में सीएजी के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत पूंजी अंशदान की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी।

² जून 2009 प्रचलित ₹48.92 की विनिमय दर पर ₹1,173.74 करोड़।

³ जून 2009 में प्रचलित विनिमय दर पर ₹968.62 करोड़।

⁴ ₹193.39 करोड़ (यूएसडी 29.93 मिलियन पूंजी लागत) साऊ को जारी किए तथा एमईए द्वारा सीधे एनडीएमसी को अदा किया जून 2017 तक अकबर भवन का ₹131.86 करोड़ का किराया जो पूंजी अंशदान का भाग था।

साऊ की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पूंजी अंशदान के रूप में जारी निधियों का साऊ द्वारा लागू कोडल प्रावधानों के अनुसार तथा मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी प्रकार से उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.1.3 साऊ परिसर हेतु भूमि

अप्रैल 2008 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एमईए को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण हेतु 100 एकड़ बाधा रहित भूमि का आश्वासन दिया था। सितम्बर 2008 में, ₹75.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर 100 एकड़ भूमि की खरीद का एक प्रस्ताव एमईए द्वारा स्वीकृत किया गया था। 100 एकड़ में से, डीडीए ने एमईए को फरवरी 2010 में 85.32 एकड़ तथा अगस्त में अन्य 8.36 एकड़ सुपुर्द की जो कुल 93.68 एकड़ थे। एमईए ने, बदले में, भूमि के शीर्षक का परिवर्तन किए बिना साऊ को भूमि सुपुर्द सितम्बर 2011 में की। एमईए ने फरवरी 2010 में 85.32 एकड़ भूमि हेतु डीडीए को ₹63.50 करोड़ जारी किए। 93.68 एकड़ भूमि हेतु डीडीए द्वारा जनवरी 2012 में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जारी किया गया था। तदनंतर, डीडीए ने मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के अनुसार रोड चौड़ी करने हेतु 2.72 एकड़ भूमि वापस ली तथा नवम्बर 2014 में 90.96 एकड़ की शेष भूमि के लिए एक संशोधित एनओसी जारी किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लगभग 46 प्रतिशत भूमि अर्थात् 41.69 एकड़ वास्तव में निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

- i. 18.59 एकड़ माप की भूमि भू-रूपात्मक रिज/वन के अंतर्गत आती है जहाँ रिज प्रबंधन बोर्ड के साथ-साथ संघ सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दोनों के अभिकरणों की स्वीकृति के बिना कोई निर्माण अनुमत नहीं है। तथ्य यह कि भूमि रिज/भू-रूपात्मक रिज के अंतर्गत आती है, को वन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में साऊ को सूचित किया गया था तथा बाद में जनवरी 2015 में सुनिश्चित किया गया

था। अक्टूबर 2017 तक इस भूमि पर कोई निर्माण प्रारम्भ करने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

- ii. अक्टूबर 2017 तक, साऊ परिसर के लिए 23.10 एकड़ भूमि के 12 न्यायालयी मामले सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित थे।

भूमि पर बाधाएं निर्माण कार्यनीति को दोबारा शुरू करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन में व्यापक विलम्ब का कारण बनी। छात्रों के छात्रावास कुछ शैक्षणिक बिल्डिंगों स्वास्थ्य केन्द्र, सेवा स्टाफ आवास, क्रीड़ा केन्द्र तथा शापिंग परिसर के निर्माण को रोकना पड़ा था।

एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि भूमि से संबंधित कुछ रिट याचिकाएं भूमि की सुपुर्दगी के पश्चात दर्ज की गई थीं तथा अंतिम निर्णय प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सुनिश्चित करना एमईए पर निर्भर था कि आबंटित की जा रही भूमि बाधा रहित थी तथा अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपलब्ध थी। तथ्य कि भूमि का एक भाग रिज/भू-रूपात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का पहले ही 2010 में पता लगाया जाना चाहिए था जब भूमि का आबंटन किया गया था तथा निधियां जारी की गई थी। निधियां जारी करने से पहले सभी पर्यावरणीय तथा वैधानिक मामलों से मुक्त भूमि को सुनिश्चित करने हेतु एमईए की ओर से डीडीए के साथ बातचीत करने में उचित सर्तकता की निसंदेह कमी थी।

7.1.4 लागत में वृद्धि

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978, जैसा वित्त मंत्रालय के कार्यालय जापन दिनांक 27 मई 2016 के माध्यम से संशोधन किया गया, के अनुसार, लागत अनुमानों में 20 प्रतिशत से अधिक किसी भी वृद्धि को मंत्रीमण्डल का फिर से अनुमोदन अपेक्षित है। व्यवसाय योजना मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित यूएसडी 198.00 मिलियन (₹968.62 करोड़) की मूल अनुमानित लागत के प्रति यूएसडी 204.20 मिलियन (₹ 998.95 करोड़) की संशोधित अनुमानित लागत 3.403 मिलियन वर्ग फुट के कुल कवर क्षेत्र पर परिसर के निर्माण की अभिकल्पना करता है। प्रधान वास्तुकार द्वारा तैयार तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पुर्नरीक्षित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ने मास्टर प्लान दिल्ली (2021) के अनुसार पार्किंग हेतु भूमिगत क्षेत्र को जोड़ने, छात्र गतिविधि केन्द्र के सृजन तथा संकाय विल्डिंग में सेवा हेतु उपयोगिता

स्थान को शामिल करने के कारण 5.567 मिलियन वर्ग फुट तक कुल कवर क्षेत्र तथा यूएसडी 334 मिलियन (₹ 1,656.64 करोड़) तक कुल अनुमानित लागत को बढ़ाया। इस प्रकार संशोधित लागत अनुमान ₹ 688.02 करोड़ (यूएसडी 136 मिलियन) अर्थात् 71 प्रतिशत तक बढ़े जिसे मंत्रीमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है जो अभी भी प्राप्त किया जाना था (अक्टूबर 2017)।

7.1.5 साऊ परिसर का निर्माण

साऊ व्यवसाय योजना 2010-14 के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर को 2014 तक पूरा किया जाना था। परिसर को निर्माण पैकेज I के अंतर्गत चारदीवारी के कार्य के साथ जून 2015 में प्रारंभ हुआ। पैकेज II तथा III के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक बिल्डिंगों, आवासीय ब्लॉकों, क्लब तथा उपयोगिता बिल्डिंग वाला कार्य क्रमशः दिसम्बर 2018 तथा जनवरी 2020 तक निर्धारित समापन के साथ प्रगति में था।

7.1.5.1 सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब

2010/2011 में भूमि के अधिग्रहण के पश्चात, मास्टर प्लान के डिजाईन, स्थल योजना तैयार करने, बिल्डिंग के नक्शे तथा सांविधिक निकायों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु मई 2011 में एक प्रधान वास्तुकार (पीए) को नियुक्त किया गया था। व्यवसाय योजना के अनुसार, निर्माण को 2011 समाप्ति/2012 के शुरू में आरम्भ करना प्रत्याशित था। तथापि, साऊ ने केवल फरवरी 2012 से जनवरी 2016 तक की अवधि के दौरान विभिन्न अभिकरणों अर्थात् दक्षिण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, भारतीय विमानन प्राधिकरण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, वन विभाग तथा राष्ट्रीय स्मारकीय प्राधिकरण को आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों हेतु आवेदन किया था। परिणामस्वरूप, सांविधिक स्वीकृतियों को निर्माण की प्रस्तावित तिथि के पश्चात प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पैकेज II की विशिष्ट बिल्डिंगों की ड्राईंग साऊ के पीए द्वारा सांविधिक स्वीकृति हेतु नगर प्राधिकरण को प्रस्तुतीकरण हेतु अपेक्षित वैधता के लिए जुलाई-अगस्त 2014 के बीच प्रस्तुत की गई थी। तथापि, इन पर 11 महीने के बाद केवल जून 2015 में जाकर ही हस्ताक्षर किए गए थे।

एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि उन्होंने सांविधिक स्वीकृति के मामले को केन्द्र तथा दिल्ली सरकार दोनों के उच्चतम स्तर पर उठाया था तथा वह इस

विचार में थे कि स्वीकृतियां कम से कम समय में प्राप्त हो जाएगी क्योंकि यह भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी परंतु ऐसा नहीं हुआ।

7.1.5.2 निर्माण कार्य में विलम्ब

साऊ ने केवल बाधा रहित भूमि पर ही परिसर के निर्माण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)। परिसर के निर्माण को पैकेज I, पैकेज II, पैकेज III एवं पैकेज IV में विभाजित कर दिया गया था तथा निविदाओं तालिका सं. 1 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार सौंपा गया था।

तालिका सं. 1: सौंपी गई निविदाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

पैकेज सं.	विवरण	निविदा लागत	समापन की वास्तविक/निर्धारित तिथि
I	चारदीवारी, स्थल कार्यालय हेतु पोर्टा केबिन	2.23	जनवरी 2016 में समाप्त
II	जीवन विज्ञान, भू-विज्ञान के संकाय, 3 आवासीय ब्लॉक एवं संकाय क्लब तथा अतिथि गृह सहित पांच बिल्डिंग	401.58	दिसम्बर 2018
III	सात बिल्डिंगें अर्थात् प्रशासन, पुस्तकालय तथा दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान की बिल्डिंग, विधि संकाय तथा मानविकी, रसायन, भौतिकी, आईटी तथा गणित संकाय, उपयोगिता बिल्डिंग, बाह्य विकास तथा बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली	588.40	जनवरी 2020
IV	छात्रों का छात्रावास, शेष शैक्षणिक बिल्डिंगें, स्वास्थ्य केन्द्र, सेवा स्टाफ आवास, क्रीडा केन्द्र तथा सार्क हाट	पैकेज भूमि के विवाद वन तथा भू-रूपात्मक रिज के अंतर्गत होने के कारण रोका हुआ है।	

जुलाई 2017 को समाप्त साऊ परिसर के पैकेज II तथा III के अंतर्गत निर्माण की पाक्षिक रिपोर्ट ने कार्य की कमी को उजागर किया जो नियोजित कार्य के प्रति 29.54 प्रतिशत से 45.5 प्रतिशत के बीच थी जैसा तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: कार्य की कमी

(₹ करोड़ में)

निर्माण चरण	कुल निर्माण लागत	नियोजित कार्य	वास्तव में किया गया कार्य	प्रतिशतता कमी ⁵
ए	बी	सी	डी	ई
पैकेज II	327.65*	146.35	79.80	45.5
पैकेज III	579.10#	37.44	26.38	29.54

*एक बिल्डिंग (संकाय आवास) की लागत को छोड़कर जिसे विवाद तथा ओएण्डएम निर्माण कार्य के कारण ठेकेदार को अभी भी सुपुर्द नहीं की गई है।

ओएण्डएम निर्माण कार्य को छोड़कर।

चूंकि परियोजना पहले ही विलंबित है इसलिए निर्माण में कमी से इसके समापन में आगे ओर विलम्ब होना संभावित है। एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि कमी को कम करने हेतु प्रगति समीक्षा समिति द्वारा स्थल पर नियमित मासिक प्रगति समीक्षा की जा रही है।

7.1.6 अवसंरचना का विकास

पूंजी लागत में प्रयोगशालाओं की स्थापना, उपकरण की खरीद, कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा फर्नीचर की लागत शामिल है। साऊ ने कम कागजी कार्य के साथ प्रभावी प्रशासन को सरल बनाने तथा प्रशासनिक लागत को कम करने हेतु एक सॉफ्टवेयर अर्थात् उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) का प्रापण किया। ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन में लाईसेंस की खरीद एवं वार्षिक तकनीकी सहायता, ईआरपी का कार्यान्वयन, हार्डवेयर का प्रापण तथा परामर्शी/समीक्षा सेवा शामिल थी। ईआरपी प्रणाली की कुल लागत को ₹ 7.01 करोड़ पर अनुमानित किया गया था। साऊ ने ईआरपी के कार्यान्वयन का अनुबंध मैसर्स आईबीएम को सौंपा (अगस्त 2014) तथा प्रणाली को सितम्बर 2015 तक चालू किया जाना प्रत्याशित था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

⁵ (सी-डी)* 100/सी

- i. लाईसेंस की आपूर्ति का आदेश नवम्बर 2013 में ₹ 1.12 करोड़ की लागत पर मैसर्स ओरेकल को जारी किया गया था तथा लाईसेंस की आपूर्ति सितम्बर 2014 में की गई थी। तथापि, ईआरपी प्रणाली हेतु हार्डवेयर की आपूर्ति का ₹75.86 लाख का क्रय आदेश मैसर्स सनप्रो इंटीग्रेटेड कम्यूनिकेशन सर्विसेस लिमिटेड को 11 मार्च 2015 अर्थात् साफ्टवेयर लाईसेंस की आपूर्ति के छः माह पश्चात, तक आपूर्ति हेतु केवल जनवरी 2015 में जाकर ही जारी किया गया था। हार्डवेयर को वास्तव में अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया था। दो परस्पर संबंधी प्रापणों के बीच गैर-समक्रमण से ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।
- ii. ईआरपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य था कि प्रणाली की क्षमताओं का सभी मॉड्यूलों का उपयोग करके इष्टतम प्रकार से उपयोग किया जाए। यद्यपि 'गो लाईव' को मार्च 2016 में घोषित किया गया था फिर भी मानव संसाधन (पैरोल, कार्य डाटा, अनुपस्थिति, नियुक्ति, पदोन्नति), वित्त (बजटींग, छात्र बिल्डिंग, शुल्क समाधान, अग्रिम का निपटान), परिसर (छात्र पंजीकरण तथा छात्रवृत्ति) तथा डाटा स्थानांतरण जैसे कुछ मॉड्यूल क्रियात्मक आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु समर्पित पूर्ण-कालिक कार्यान्वित करने वाले दल के अभाव, ऑनसाइट सहायता एवं प्रशिक्षण हेतु निरंतर अनुरोध, मामलों को सुलझाने में सलाहकार की विफलता तथा उपयुक्त कौशल के बिना उपभोक्ता स्वीकृति जॉच (यूएटी) किया जाना पाया। इसने ईआरपी के कार्यान्वयन में उपयुक्त योजना तथा मॉनीटरिंग की कमी को दर्शाया। एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि उपभोक्ताओं द्वारा सामना की गई समस्याओं का निपटान करने हेतु साऊ को समय सीमा की सहमति में कार्यान्वयनकर्ता के साथ लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, सहमत समय सीमा के दौरान तथा इसके पश्चात एक प्रभावी 'मॉनीटरिंग क्रियाविधि' तथा एक 'समर्पित पूर्ण कालिक दल' को स्थापित किया जाएगा।
- iii. सामान्य वित्तीय नियम 159 अनुबंध करता है कि अग्रिम भुगतान करते समय फर्म से बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त सुरक्षण प्राप्त किया

जाना चाहिए। ₹ 40.01 लाख का अग्रिम जून 2017 तक वैध समान राशि को बैंक गारंटी के प्रति मैसर्स आईबीएम को अक्टूबर 2015 में जारी की गई थी। यद्यपि ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य को अभी भी पूरा नहीं किया गया है फिर भी बैंक गारंटी की वैधता समाप्त हो गई थी। एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि साऊ ने कार्यान्वयनकर्ता को बैंक गारंटी को बढ़ाने हेतु स्मरण कराया था परंतु कार्यान्वयनकर्ता ने औपचारिक रूप से उत्तर नहीं दिया था। बीजी की निरंतर वैधता को सुनिश्चित करने हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफलता ने इसके मुख्य उद्देश्य को विफल किया तथा संविदा के उचित निष्पादन को लागू करने में साऊ की समर्थता को कम किया।

इस प्रकार लाईसेंस के प्रापण (सितम्बर 2014) तथा ₹ 5.09 करोड़ के व्यय से तीन वर्षों से अधिक के व्यतीत हो जाने के बावजूद भी ईआरपी प्रणाली को अभी भी पूरा नहीं किया गया है तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

7.1.7 किराए का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान

अकबर भवन में किराए के स्थान हेतु किराया व्यय अप्रैल 2017 तक ₹ 2.66 करोड़ प्रति माह था। एनडीएमसी द्वारा प्रस्तुत ईनवाईस में मूल किराया तथा विलम्बित भुगतान के मामले में मूल किराए की पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार शामिल है। यदि बिल को अंतिम तिथि तक अदा किया जाता है तो अधिभार की पूर्ण छूट तथा मूल किराए के दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट स्वीकार्य है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 13 महीनों का किराया एमईए द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् अदा किया गया था तथा परिणामस्वरूप किराए के भुगतान में विलम्ब के कारण इसे ₹ 1.97 करोड़ की सीमा तक छूट को छोड़ना था।

एमईए ने बताया (नवम्बर 2017) कि भुगतान निधियों की अनुपलब्धता के कारण विलम्बित था क्योंकि इसका साऊ के पूंजी अंशदान हेतु उपयोग किया गया था। एमईए ने यह भी बताया कि उसने एनडीएमसी को किराया भुगतान पर अधिभार/ब्याज की छूट हेतु अनुरोध किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किराया भुगतान की देयता एक ज्ञात आवर्ती व्यय था तथा सामयिक भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु इस उद्देश्य के लिए निधियों को विशेष प्रकार से चिन्हित किया जाना चाहिए था।

7.1.8 निष्कर्ष

इस प्रकार, साऊ के परिसर का निर्माण जिसे प्रारम्भ में 2014 तक समाप्त किया जाना निर्धारित था, में प्राथमिक रूप से बाधा मुक्त भूमि के आबंटन को सुनिश्चित करने में एमईए तथा डीडीए दोनो की विफलता के कारण लम्बा विलम्ब हुआ। डीडीए द्वारा आबंटित लगभग 46 प्रतिशत भूमि वन, भू-रूपान्तक रिज तथा विवाद के अंतर्गत होने के कारण वास्तव में निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं थी। इसमें आगे सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब था जिसने वास्तविक निर्माण को प्रारम्भ करने में विलम्बित किया। परियोजना में विलम्ब में अस्थायी परिसर बिल्डिंग के किराए के कारण ₹2.66 करोड़ प्रति माह का आवर्ती परिहार्य व्यय शामिल था। इसके अतिरिक्त, एमईए को किराए के भुगतान में विलम्ब के कारण कुल ₹1.97 करोड़ की छूट को छोड़ना था जिसने परियोजना की कुल लागत को बढ़ाया।

7.2 मिशन/पोस्टों में प्रदान की गई कांसुलर सेवाओं में राजस्व की हानि

विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों द्वारा वीजा और कांसुलर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। चीन, बहरीन, दुबई, शिकागो, बर्न और कैनबरा में कमीशन शुल्क, गलत विनियम दरों को अपनाने और प्रेषण में देरी से मिशनों/पोस्टों में इन निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वीजा के मामले में तथा ₹76.54 करोड़ का कांसुलर शुल्क के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय मिशन तथा पोस्ट विदेशी नागरिकों और विदेशी भारतीयों को अपने कांसुलर विंगों के माध्यम से विदेशों में पासपोर्ट, वीजा और अन्य कांसुलर सेवाएं प्रदान करता है। इस संबंध में नीतियों, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रालय की प्राप्ति में मुख्य रूप से भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्राप्त पासपोर्ट शुल्क और विदेशों में मिशनों और पदों द्वारा प्रभारित वीजा और कांसुलर शुल्क शामिल हैं।

मिशनो/पोस्टों के कांसुलर विंगों के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि विदेश मंत्रालय की निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.54 करोड़ की हानि हुई।

ए) चीन में भारतीय मिशन एवं पोस्टों द्वारा व्यापार वीजा शुल्क के कम संग्रहण के कारण राजस्व की हानि

1 जुलाई 2008 से प्रभावी, जून 2008 के एमईए के निर्देशों के अनुसार, व्यापार वीजा को एक वर्ष⁶ की न्यूनतम वैधता अवधि के लिए जारी किया जाना था। एक वर्ष के चीन पर लागू होने वाले व्यापार वीजा की दर यूएसडी 120 थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2012-13 के प्रतिवेदन सं.13 में 25 मिशनो एवं पोस्टों द्वारा एक वर्ष की अवधि से कम के व्यापार वीजाओं को जारी करने पर ₹36.85 करोड़ तक की राशि के वीजा शुल्क की कम वसूली उजागर की गई थी। चीन में भारतीय मिशनो और पोस्टों द्वारा जारी व्यापार वीजा के लिए वीजा शुल्क का कम उदग्रहण 2,854 मामलों में ₹ 55.23 लाख था।

उपरोक्त रिपोर्ट पर अपने कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में एमईए ने बताया (अक्टूबर 2013) कि व्यापार वीजा शुल्क पर निर्देशों को विदेश के सभी मिशनो/पोस्टों में फरवरी 2013 में दोहराया गया था। इन निर्देशों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि चूंकि व्यापार वीजा एक वर्ष से कम अवधि के लिए लागू दर पर वीजा शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह भी सूचना दी गई थी कि मिशनो/पोस्टों ने तब से व्यापार वीजाओं के लिए निर्धारित वीजा शुल्क प्रभारित करना शुरू कर दिया है। तत्पश्चात् अक्टूबर 2015 में, एमईए. ने दोहराया कि वीजा शुल्क की गणना के उद्देश्य हेतु यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका के नागरिकों को छोड़कर एक वर्ष से कम की सीमा वाले वीजा की वैधता होने पर भी एक वर्ष के व्यापार वीजा के लिए शुल्क प्रभारित किया जाएगा। मिशन/पोस्ट को वीजा शुल्क की समीक्षा करने को भी निर्देश दिए गए थे जहाँ पर वीजा शुल्क गलती से गणना हो गई हो ताकि इस लेखे पर अतिरिक्त लेखापरीक्षा आपत्तियां न हो।

⁶ हालांकि दिनांक 23 जून 2003 के एमओयू के अनुसार चीन के लिए छः माह की वैधता हेतु विभिन्न प्रवेश व्यापार वीजा जारी किया जा सकता है।

ईआई बेजिंग, सीजीआई गुवांगजु और सीजीआई शांघाई की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि इन मिशनों/पोस्टों ने यूएसडी 120 के बराबर आरएमबी 1011 जोकि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध व्यापार वीजाओं के लिए प्रभारित शुल्क था, की बजाय छः माह की वैधता के व्यापार वीजाओं के लिए यूएसडी 80 के बराबर आरएमबी 680 की कम दर पर वीजा शुल्क एकत्रित कर रहे थे। जैसा नीचे तालिका सं. 3 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका सं. 3: कम दर पर एकत्रित वीजा शुल्क का विवरण

चीन में भारतीय मिशन/पोस्ट	लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि	मामलों की संख्या	शामिल की गई अवधि का औसत आरओई आईएनआर के बराबर 1 आरएमबी	व्यापार वीजा शुल्क का कम उदग्रहण (₹ करोड़ में)
ए	बी	सी	डी	ई =सी*डी*331
ईओआई बीजिंग	अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक	83,912	10.0341	27.87
सीजीआई शांघाई	नवम्बर 2015 से मार्च 2017 तक	33,118	10.14386	11.12
सीजीआई गुवांगजु	अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक	95,735	10.0341	31.80
कुल		2,12,765		70.79

भारतीय दूतावास बीजिंग ने बताया (जून 2017) कि उन्होंने मार्च 2017 में एमईए के निर्देशों के आधार पर 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी वीजा की सभी श्रेणियों के लिए वीजा शुल्क संरचना को संशोधित किया था। तदनुसार, 1 अप्रैल 2017 से एक वर्ष अवधि के लिए निर्धारित व्यापार शुल्क प्रभारित किया जा रहा है। मिशन ने चीनी नागरिकों के लिए एक वर्ष के व्यापार वीजा के लिए लागू वीजा शुल्क को कार्यान्वित करने में विलंब जिन्हें अधिकतम छः माह की वैधता वाले व्यापार वीजा प्रदान किए जाने है से संबंधित एमईए से स्पष्टीकरण न प्राप्त होने को विलंब का कारण बताया था।

एमईए ने बताया (अगस्त 2017) कि उनके जून 2008 के निर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि व्यापार वीजाओं के लिए न्यूनतम एक वर्ष की वैधता का खंड उन देशों के लिए वैध नहीं है जिनके लिए वीजा नियम पुस्तक में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। चीनी नागरिकों के मामले में छः माह अधिकतम वैधता वाले व्यापार वीजा प्रदान करने के लिए वीजा नियम पुस्तक में एक विशेष प्रावधान था। इसलिए, वीजा की वैधता से अलग एक वर्ष तक के

व्यापार वीजा के लिए लागू दर पर व्यापार वीजा शुल्क प्रभारित करना चीनी नागरिकों पर लागू नहीं होता है।

एमईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह अक्टूबर 2015 में जारी अपने निर्देशों के साथ अक्टूबर 2013 में लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत अपने कार्रवाई टिप्पणी के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, एमईए द्वारा संदर्भ दिए गए वीजा नियम पुस्तक केवल चीनी नागरिकों को व्यापार वीजा प्रदान करने के लिए अवधि और शर्तों का उल्लेख करता है और ऐसे वीजा के लिए प्रभावित किए जाने वाले शुल्क के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है। यह तथ्य कि चीनी नागरिकों को जारी किए जाने वाले व्यापार वीजा की अवधि से संबंधित वीजा नियमपुस्तक के प्रावधानों का प्रभाव प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर नहीं पड़ता था, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि एमईए ने अप्रैल 2017 से युक्ति संगत वीजा शुल्क संरचना की शुरुआत की थी जिसमें छः माह के वीजा शुल्क स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और चीन में मिशन/पोस्ट अब एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित वीजा शुल्क प्रभारित कर रहे हैं।

इस प्रकार, चीन में मिशन/पोस्ट एमईए द्वारा पीएसी को दिए आश्वासन और सभी मिशन/पोस्ट को मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद चीनी नागरिकों को जारी व्यापार वीजा पर शुल्क का कम उदग्रहण करते रहे थे। मिशन और वाणिज्य दूतावासों में नमूना जांच की गई अवधि के दौरान कम उदग्रहण के कारण ₹ 70.79 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी।

बी) बहरीन में भारतीय दूतावास तथा भारतीय महाकांसुलावास, दुबई द्वारा पासपोर्ट नियम पुस्तक का अनुपालन न करने के कारण राजस्व की हानि

पासपोर्ट नियम पुस्तक, 2010 अनुबंध करता है कि पासपोर्टों को अंतिम वैधता की समाप्ति, वीजा पृष्ठों के भरने, पासपोर्ट की क्षति/हानि, लघु वैधता पासपोर्ट (एसवीपी) की समाप्ति तथा विवरणों में परिवर्तन पर दोबारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट को दोबारा जारी करने में नई पुस्तिका जारी करना शामिल है। वह आगे अनुबंध करता है कि एसवीपी के मामले में एक नया पासपोर्ट जारी किया जाना अपेक्षित है क्योंकि हस्तलिखित/मुद्रित अनुमोदन से एसवीपी का नवीकरण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा अनुमत नहीं है।

एमईए ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर 2012 के माध्यम से पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं जैसे कि पासपोर्ट जारी करना, पुनः जारी करना अथवा बदलना, पहचान प्रमाणपत्र अथवा पुलिस स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 01 अक्टूबर 2012 से शुल्कों को संशोधित किया। इसके पश्चात मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि शुल्क को विनिमय की सरकारी दर अथवा वाणिज्यिक/बैंक विनिमय दर जो कि सरकार के लिए लाभकारी हो, को अपनाकर स्थानीय मुद्रा में निर्धारित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में भारतीय दूतावास, बहरीन (ईआई बहरीन) तथा भारत का महाकांसुलावास, दुबई (सीजीआई दुबई) ने स्थानीय मुद्रा में दरों का संशोधन किया। तथापि, उन्होंने मौजूदा पासपोर्ट को नई पासपोर्ट पुस्तिका के साथ बदले बिना उसी में व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तनों को अनुमोदित किया तथा उपर्युक्त आदेशों के उल्लंघन में यूएसडी 25 की दर अर्थात् विविध सेवाओं हेतु निर्धारित दर, के बराबर स्थानीय मुद्रा में शुल्क प्रभारित किया।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दूतावास, बहरीन ने अक्टूबर 2012 से जून 2015 तक की अवधि के दौरान 4,744 मामलों में मौजूदा पासपोर्ट में अनुमोदन करने, व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तनों, लघु वैधता पासपोर्ट के नवीकरण हेतु बहरीनी दीनार (बी डी) 28.300 (यूएसडी 75 के बराबर) के बजाय बी डी 9.5 (यूएसडी 25 के बराबर) की दर पर शुल्क प्रभारित किया। इसका परिणाम कुल बी डी 89,187.20 (₹ 1.41 करोड़) के राजस्व की हानि में हुआ। इसी प्रकार, सीजीआई दुबई ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान 2,533 मामलों में संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (एईडी) 285 (यूएसडी 75 के बराबर), व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन हेतु पासपोर्ट बदलने के लिए लागू दर, का शुल्क प्रभारित करने के बजाए एईडी 95 (यूएसडी 25 के बराबर) का शुल्क प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप कुल एईडी- 481270 (₹ 79 लाख) के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) कि ईआई बहरीन तथा सीजीआई दुबई द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार नहीं थी तथा उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परिणाम राजस्व की हानि में हुआ।

इस प्रकार, मिशन तथा पोस्ट द्वारा संशोधित शुल्क संरचना के अंतर्गत पासपोर्ट में व्यक्तिगत विवादों में परिवर्तनों हेतु गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़⁷ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

सी) भारत के वाणिज्य दूतावास, शिकागो में दो वर्षों से अधिक सेवा प्रदाता द्वारा कांसुलर और भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) शुल्क का प्रेषण न होना

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के अनुसार राजस्वों के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत सारा धन बिना किसी विलंब के सरकारी लेखे में समावेश हेतु मान्यता प्राप्त बैंक में संपूर्ण में भुगतान करना होगा। सरकारी धन पर निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह विभागीय आंकड़ों का बैंक के खाते के साथ मिलान होगा।

वीज़ा, ओसीआई⁸ और पीआईओ⁹ कार्ड को जारी करने और अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सेन फ्रांसिस्को में उनके पांच ईआई में भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र के त्याग/अभ्यर्पण से संबंधित सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए सेवा प्रदाता (एसपी) और भारतीय दूतावास (ईआई) तथा वाशिंगटन के बीच अनुबंध हुआ था। अनुबंध के अनुसार, एसपी द्वारा दूतावास/वाणिज्य दूतावास की ओर से प्राप्त शुल्क के भुगतान को उसी दिन या विलंबित प्राप्तियों के मामले में अगले कार्य/बैंकिंग दिवस को दूतावास/वाणिज्य दूतावास के खातों में जमा करवाई जानी थी। पूर्वोक्त खंड ने यह भी प्रदान किया कि एसपी की तरह से

7

पोस्ट का नाम	मुद्रा	अदा किया गया शुल्क	देय शुल्क	कम वस्ली	विनिमय दर	₹ में कम वस्ली	मामलों की सं.	राशि (₹)
						(5x6)		(7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईआई बहरीन	बीडी	9.50	28.30	18.80	158.028	2970.9264	4744	1,40,94,074.84
सीजीआई दुबई	एईडी	95.00	285.00	190.00	16.39	3114.1	2533	78,88,015.30
कुल								2,19,82,090.14

⁸ भारत की विदेशी नागरिकता

⁹ भारतीय मूल के व्यक्ति

निर्धारित समय के भीतर दूतावास/वाणिज्य दूतावास के खाते में धन जमा करने में विलंब के कारण प्रति कार्य/बैंकिंग दिवस को 0.5 प्रतिशत का जुर्माना आवश्यक होगा। इसके अलावा, एसपी से अपेक्षित है कि वह समय-समय पर निर्धारित रूप से दूतावास/वाणिज्य दूतावास को प्राप्त, कार्रवाई कृत और भेजे गए आवेदनों की दैनिक, मासिक और/या कोई अन्य रिपोर्ट प्रदान करें और मिशन/पोस्ट द्वारा निर्णय लिए जाने वाले अंतरालों पर भेजी गयी राशि का मिलान करें। मानक प्रक्रिया के अनुसार, एसपी भेजे गए राजस्व सहित मिशन/वाणिज्य दूतावासों को प्राप्त और प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की दैनिक रिपोर्ट भेजता है।

भारतीय कांसुलावास, शिकागो (पोस्ट) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अक्टूबर 2013 से पोस्ट के लेखाओं का बैंक अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया गया था। अक्टूबर-नवम्बर 2015 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि पोस्ट की रोकड़ बही के अनुसार शेष और बैंक अभिलेखों में दिए गए शेष के बीच यूएसडी 1,30,401.49¹⁰ का अस्पष्टीकृत अंतर था। अंतर के लिए कारण का पता लगाकर लेखाओं का मिलान करने के लिए पोस्ट द्वारा किसी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई थी जबकि यह अंतर अक्टूबर 2014 से मौजूद था। तदनुसार, स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्दा उठाते हुए पोस्ट को लेखाओं का मिलान और अंतर के लिए कारणों का पता लगाने की सलाह दी गई थी (दिसम्बर 2015)।

सितम्बर 2016 में पोस्ट की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि पोस्ट ने पहचान की कि 25 जनवरी 2014 को एसपी द्वारा एकत्रित वाणिज्य दूतावास शुल्क से संबंधित यूएसडी 42,951 की राशि अनजाने में भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) में जमा करवा दी गई थी। बाद में, पोस्ट के अनुरोध (जुलाई 2016) पर, इस राशि को आईसीडब्ल्यूएफ से चांसरी खाते में वापस अंतरित कर दिया गया था। यूएसडी 89,320 और यूएसडी 1,869¹¹ की शेष राशि मई 2014 और जुलाई 2014 के बीच एसपी द्वारा एकत्रित किया गया कांसुलर शुल्क/आईसीडब्ल्यूएफ शुल्क था जिसे सरकारी

¹⁰ ₹ 65.18/यूएसडी का ₹84,99,569 @ आरओई

¹¹ 28 मई 2014 और 4 जून 2014 को विक्रेता द्वारा क्रमशः यूएसडी 42,300 और यूएसडी 25,967 और जून 2014 के दौरान यूएसडी 16,680 कम जमा किए गए थे और यूएसडी 4,373 जो जुलाई 2014 को कम जमा से संबंधित थे।

खाते में नहीं भेजा गया था। यह पता लगने के पश्चात् पोस्ट ने एसपी के समक्ष मामला उठाया (9 अगस्त 2016) जिसने 10 अगस्त 2016 को पोस्ट को यूएसडी 91,189 की राशि का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूएसडी 2,51,578 अथवा ₹ 1.71 करोड़ (प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर पर) का जुर्माना क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उदग्राह्य था उसे लगाया नहीं गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, पोस्ट ने एसपी पर जुर्माने के रूप में यूएसडी 2,51,578 की मांग उसके तुरंत भुगतान को सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ रखी थी (मार्च 2017)।

एसपी ने बताया (27 मार्च 2017) कि चूंकि वाणिज्य दूतावास को इतनी लंबी अवधि के लिए भुगतान न किए जाने का पता नहीं चला था, यह संभावना नहीं थी कि एसपी ने ऐसी गलती की स्वयं परिकल्पना की होगी। उन्होंने आगे बताया कि राशियों का यथासमय एसपी के खाते से भुगतान किया था परंतु किसी प्रकार से वाणिज्य दूतावास के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ था। उन्होंने प्राप्तियों का पुर्नमिलान न करने और समय पर प्रेषण न किए जाने का पता लगाने में विफलता के लिए पोस्ट को दोषी ठहराया था।

तथ्य कि पोस्ट ने लम्बे समय के लिए भुगतान न किए जाने को इंगित नहीं किया गया था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुबंध शुल्क के शीघ्र और संपूर्ण प्रेषण के लिए दायित्व एसपी पर डालता था और उसके द्वारा एकत्रित राजस्व का प्रेषण न किए जाने के लिए जुर्माने का अनुबंध करता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आवधिक अंतरालों पर प्रेषणों का पुर्नमिलान करना एसपी का दायित्व था। एसपी द्वारा दावा कि उनके बैंक खातों से भुगतान किए गए थे परंतु बैंकिंग चैनलों में अटक गए होंगे और बाद में उन्हें वापस कर दिया जाना किसी भी प्रमाण द्वारा दर्शाया नहीं गया है और एसपी को इसका पता लगाने और उसमें सुधार करने के लिए दोषमुक्त नहीं पाया जा सकता। पोस्ट के बैंककर्मियों ने भी पुष्टि की (अगस्त 2016) कि उपरोक्त राशियों के भुगतान के लिए कोई वायर ट्रांसफर नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोस्ट और बैंक अभिलेखों के बीच खातों के बीच यूएसडी 1,30,401.19 की बड़ी भिन्नता के पुर्नमिलान न किए जाना, पोस्ट के भाग पर गंभीर आंतरिक नियंत्रण विफलता थी। इसके परिणामस्वरूप, अगस्त 2016 तक पोस्ट, सरकारी खातों में एसपी द्वारा प्रेषण

न किए जा रहे यूएसडी 91,189 की राशि के लिए मई 2014 और जुलाई 2014 के बीच एकत्रित वाणिज्यदूत संबंधी शुल्क और आईसीडब्ल्यूएफ शुल्क के बारे में अनभिज्ञ थे। पोस्ट ने भी सुनिश्चित नहीं किया कि एसपी प्रेषण के आवधिक पुर्नमिलान को करने के अपने दायित्व को पूरा करे जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का प्रेषण न किए जाने के बारे में पता नहीं लगा था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एसपी विलंबित प्रेषण के लिए अनुबंध की शर्तों में जुर्माने का भुगतान करने के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी वसूली अभी भी एसपी से की जानी है।

मामला जून 2017 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2017)।

डी) वीजा शुल्क पर कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशों की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीय दूतावास, बर्न में शुल्क का कम संग्रहण हुआ

एमईए ने यूके नागरिकों के लिए वीजा शुल्क को बढ़ाते हुए दिसम्बर 2012 में आदेश जारी किए। इन आदेशों के अनुसार, यूके के सिवाए अन्य देशों तथा यूरोजोन में मिशनों तथा पोस्टों को यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क का स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन करने के पश्चात उदग्रहण किया जाना था जैसा यूएसडी में निर्धारित किया गया है। जनवरी 2013 में एमईए ने स्पष्ट किया कि यूएसडी में निर्धारित यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क को उसी विनिमय दर पर स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा जैसा अन्य नागरिकों के लिए वर्तमान वीजा शुल्कों को निर्धारित किए जाने हेतु अपनाया जाता है। यह भी अनुबंध किया गया था कि यदि स्थानीय मुद्रा का यूएसडी प्रति 10 प्रतिशत या अधिक तक मूल्य घटता है तो स्थानीय मुद्रा में वीजा शुल्क का वृद्धि की ओर संशोधन किया जाना चाहिए परंतु यदि स्थानीय मुद्रा यूएसडी के प्रति बढ़ती है तो शुल्क का कम करने हेतु संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

बाद में, दिसंबर 2015 में, एमईए ने यूके नागरिकों हेतु संशोधित वीजा शुल्कों के कार्यान्वयन हेतु समेकित अनुदेश जारी किए जिसे 4 जनवरी 2016 से कार्यान्वित किया जाना था। यूके के बाहर तथा यूरोजोन में मिशनों तथा पोस्टों हेतु यूएसडी में वीजा शुल्क को स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तित करने के संबंध में अनुदेश दिसंबर 2012 तथा जनवरी 2013 के

आदेशों के समान थे। यह प्रावधान किया गया था कि यूएसडी में अदा किए गए वीजा शुल्क का स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन मौजूदा कान्सुली प्रक्रिया के अनुसार होगा तथा उपयोग की गई विनिमय दर वही थी जैसी दिसंबर 2012 में निर्धारित की गई थी।

भारतीय दूतावास, बर्न (मिशन) को यूरोजोन से बाहर स्थित होने से, यूके नागरिकों हेतु यूएसडी में अदा किए गए बीजा शुल्क को स्थानीय मुद्रा अर्थात् स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) में परिवर्तित करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क के संशोधन के लिए दिसम्बर 2012 में जारी आदेशों को कार्यान्वित करते हुए मिशन ने यूएसडी 1=सीएचएफ 1.7625 की विनिमय की दर का प्रयोग किया जो वह विनिमय दर थी जिस पर प्रचलित वीजा शुल्क संरचना 1 जुलाई 2008 से आधारित थी। तथापि, दिसम्बर 2015 में जारी मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार 04 जनवरी 2016 से प्रभावी यूके नागरिकों के संबंध में वीजा शुल्क का संशोधन करते समय मिशन ने यूएसडी 1: सीएचएफ 1.7625 की मौजूदा विनिमय दर के स्थान पर यूएसडी 1= सीएचएफ 0.99 की वर्तमान सरकारी विनिमय दर जो 2000 से बिना परिवर्तन के थी, पर यूएसडी का सीएचएफ में परिवर्तन किया था। 14 माह से अधिक अर्थात् जनवरी 2016-मार्च 2017 तक के लिए यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क के संशोधन हेतु गलत विनिमय दर को अपनाने के परिणामस्वरूप सीएचएफ 140,754 (₹91.49 लाख) के वीजा शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया था कि यह एक अनभिप्रेत चूक थी जिसे मंत्रालय के स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के पश्चात सुधारा गया था। उसने यह बताते हुए मिशन के विनिमय की गलत दर के उपयोग को उचित ठहराने की मांग की कि सीएचएफ में वीजा शुल्क का निर्धारण करने हेतु निर्धारित विनिमय दर के समय से सीएचएफ यूएसडी के प्रति 43 प्रतिशत तक बढ़ा था। उसने यह भी बताया कि मार्च 2017 में जारी अनुदेशों ने अब यूएसडी के कुछ दुर्लभ मुद्राओं की बढ़ोतरी के पश्चात विनिमय दर के नीचे की ओर संशोधन हेतु प्रावधान किया है।

तथ्य यह है कि मिशन ने यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क को निर्धारित करते समय गलत विनिमय दर को अपनाया था।

इस प्रकार, मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में यूके नागरिकों हेतु वीजा शुल्क के निर्धारण के लिए मिशन द्वारा गलत विनिमय दर को अपनाना कुल ₹91.49 लाख¹² के वीजा शुल्क के कम संग्रहण का कारण बना।

(ई) भारतीय उच्चायोग केनबरा तथा भारत के महाकांसुलर, मेलबोर्न, पर्थ तथा सिडनी में स्थानीय मुद्रा में पासपोर्ट तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु स्थानीय शुल्क के संशोधन में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

विभिन्न देशों में मिशनों तथा पोस्टो द्वारा संग्रहित किए जाने वाले पासपोर्ट एवं अन्य संबंधित सेवाओं के शुल्क को एमईए द्वारा यूएस डालर (यूएसडी) या यूरो में निर्धारित किया गया है।

एमईए ने सितंबर 2012 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 01 अक्टूबर 2012 से लागू किए जाने वाले पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क को संशोधित किया। एमईए ने अक्टूबर 2012 में स्पष्ट किया कि शुल्क को विनियम की सरकारी दर अथवा वाणिज्यिक/बैंक विनियम दर, जो भी सरकार को लाभकारी हो, को अपना कर स्थानीय मुद्रा में निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि स्थानीय मुद्रा यूएसडी के प्रति 10 प्रतिशत अथवा अधिक तक कम होती है तो स्थानीय मुद्रा में शुल्क का संशोधन किया जाए।

केनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग (एचसीआई) आस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबोर्न तथा पर्थ भारत के महावाणिज्य दूतावास (सीएजीआई) हेतु स्थानीय मुद्रा में कान्सुली शुल्क को निर्धारित करता है। एचसीआई ने 1 यूएसडी= 0.9505 आस्ट्रेलियन डालर की विनियम दर को अपनाते हुए अक्टूबर 2012 में पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क को निर्धारित किया जिसे 16 सितंबर 2015 में 1 यूएसडी=1.44 एयूडी को लेते हुए संशोधित किया गया था।

आस्ट्रेलिया में एचसीआई तथा सीएजीआई ने नवम्बर 2013 से सितंबर 2015 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु शुल्कों से ₹ 119.05¹³ करोड़ सृजित किया।

¹² 4 जनवरी 16 से 15 मार्च 2017 की अवधि के दौरान औसत विनिमय दर 1 सीएचएफ = 65 आईएनआर

¹³ मेलबार्न: ₹ 19.29 करोड़, सिडनी: ₹ 46.56 करोड़; केनबरा: ₹ 36.22 करोड़ पर्थ: ₹ 16.96 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2012 के पश्चात स्थानीय मुद्रा में लगातार गिरावट¹⁴ आई तथा अगस्त 2015 तक यह 30 प्रतिशत से अधिक तक कम हुई। इस प्रकार, एमईए के अनुदेशों के अनुपालन में, एचसीआई द्वारा इस अवधि के दौरान प्रचलित विनियम दर को अपनाते हुए पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क को संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, एचसीआई ने प्रत्येक अवसर, जब स्थानीय मुद्रा में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी, के स्थान पर सितंबर 2015 में केवल एक बार शुल्कों का संशोधन किया। इसके परिणामस्वरूप सीजीआई सिडनी के मामले में अगस्त 2013 से अगस्त 2015 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क के संबंध में ₹ 93.47 लाख के राजस्व की हानि हुई। यदि आस्ट्रेलिया में सभी मिशनों/पोस्टों के संबंध में सभी कान्सुली सेवाओं पर प्रभाव को परिकल्पित किया जाए तो कुल हानि काफी अधिक होगी।

एमईए ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मिशन को एयूडी की यूएसडी के प्रति 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट होने पर शुल्क को संशोधित करना चाहिए था तथा इसके लिए सितंबर 2015 तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वह केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के अतिरिक्त विदेश में सभी मिशनों/पोस्टो को उपयुक्त अनुदेश जारी करने पर विचार कर रहा था जिससे कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।

7.3 सम्पत्ति प्रबंधन में लागत में वृद्धि तथा परिहार्य व्यय

डब्लिन, पोर्ट मोर्सबी तथा वारसॉ स्थित मिशनों में नवीनीकरण तथा निर्माण कार्यों की प्रगति में अनुचित विलम्ब के कारण अपर्याप्त सम्पत्ति प्रबंधन तथा सिडनी में मिशन द्वारा प्राधिकरण के बिना तथा मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में पट्टानामा करने का परिणाम कुल ₹ 12.61 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ-साथ लम्बी अवधियों तक ₹ 45.16 करोड़ की सम्पत्ति के व्यर्थ होने में हुआ।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने एमईए द्वारा सम्पत्ति प्रबंधन की जांच करते समय अपनी 75^{वीं} रिपोर्ट (14^{वीं} लोकसभा) में अन्य बातों के साथ-साथ

¹⁴ एमईए द्वारा परिकल्पना के अनुसार अगस्त 2013 में 10 प्रतिशत, जनवरी 2014 में 20 प्रतिशत, अगस्त 2015 में 30 प्रतिशत

सिफारिश की थी कि मंत्रालय को अपने परियोजनाएं नियोजन तंत्र को सरल और कारगर बनाना चाहिए, निर्माणपूर्व गतिविधियों को शीघ्र पूरा करना चाहिए तथा सम्पत्तियों के पुनः विकास में विलम्ब से बचने हेतु उपयुक्त प्रणालीयां स्थापित करनी चाहिए। मंत्रालय ने पीएसी को आश्वासन दिया था कि वह सम्पत्ति प्रबंधन को सुधारने तथा निर्माण परियोजनाओं पर कार्य को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निरंतर प्रयत्न करता है तथा वह मॉनीटरिंग को सुधारेगा तथा स्थानीय प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक पता लगाएगा जिससे कि अधिक समय एवं लागत लगने से बचने तथा न्यूनतम करने हेतु पहले ही कार्रवाई की जा सके।

तथापि विभिन्न मिशनों तथा पोस्टो की लेखापरीक्षा ने त्रुटिपूर्ण सम्पत्ति प्रबंधन के आवर्ती उदाहरणों को उजागर किया जिसके परिणामस्वरूप चार स्थानों में कुल ₹ 12.61 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ-साथ दो स्थानों पर ₹ 45.16 करोड़ की कीमत की सम्पत्ति के व्यर्थ पड़े रहने अथवा गैर-उपयोग हुआ।

ए) भारतीय दूतावास, डब्लिन में नवीनीकरण/विस्तार

नवम्बर 2008 में, एमईए ने भारतीय दूतावास डब्लिन (मिशन) हेतु कार्यालय परिसर के रूप में उपयोग हेतु एक आवासीय क्षेत्र में ₹ 32.66 करोड़ (यूरो 4.70 मिलियन) की लागत पर एक 144 वर्ष पुरानी सम्पत्ति की खरीद को स्वीकृत किया। चूंकि सम्पत्ति केवल नवीनीकरण/विस्तार के पश्चात ही उपयोग करने योग्य होगी इसलिए सम्पत्ति की खरीद की स्वीकृति की मांग करते समय इस उद्देश्य हेतु 2.93 मिलियन यूरो का एक मोटा अनुमान प्रक्षेपित किया गया था। मिशन ने 14 जनवरी 2009 को सम्पत्ति का अधिकार लिया तथा खरीदी गई सम्पत्ति के पुनः विकास, नवीकरण तथा विस्तार हेतु एक परामर्शदाता के साथ मई 2009 में एक अनुबंध किया। अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के अनुसार, कार्य को सौंपने हेतु अधिकतम 48 सप्ताहों की अभिकल्पना की गई थी तथा इसके पश्चात् वास्तविक निर्माण हेतु अधिकतम 15 महीने अपेक्षित होंगे। तथापि इस परियोजना को सम्पत्ति की खरीद से आठ वर्षों के पश्चात अभी भी निविदा करने के चरण पर पहुँचना है।

बिल्डिंग की खरीद तथा इसके नवीनीकरण एवं विस्तार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने मामले को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक विलम्ब को उजागर किया जो दोनों लागत तथा समय के अधिक लगने का कारण बना जैसा नीचे दिया गया है:

ए. आरेखणों/वैचारिक योजना को अंतिम रूप देना शहरी परिषद से योजना अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा मात्रा बिल (बीओक्यू)/निविदा दस्तावेज तैयार करने हेतु आवश्यक था। मंत्रालय ने आरेखणों की स्वीकृत करने में मिशन द्वारा आरेखणों के प्रथम प्रस्तुतीकरण की तिथि से 46 महीने¹⁵ लिए थे। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय ने स्थान आवश्यकताओं तथा परियोजना डिजाईन के संबंध में अतिरिक्त इनपुटों तथा कई स्पष्टीकरणों की मांग की। इसने डिजाईन/नक्शों में परिवर्तनों का बार-बार सुझाव दिया तथा मृदा जांच तथा डिजाईन की सरंचनात्मक दृढ़ता के प्रमाणपत्र की आवश्यकता को विलम्ब से उजागर किया। इसने आरेखणों को अंतिम रूप देने तथा परिषद से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने को में विलंब ने परियोजना के नवीनीकरण में विलंब किया।

बी. इसी बीच, मार्च 2014 से एक नया स्थानीय कानून¹⁶ लागू हो गया जिसमें अग्नि सुरक्षा, अक्षमता पहुंच, वाटर टेबल मॉनीटरिंग, ड्राई एण्ड वेट शेट जांच तथा मैकेनिकल तथा विद्युत कार्यों से संबंधित गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों को नियुक्त करना अपेक्षित था। यद्यपि नई आवश्यकताएं मार्च 2014 में लागू हुईं फिर भी अधिकांश विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों की नियुक्ति केवल अक्टूबर 2015 में अर्थात् लगभग 17 महीनों के पश्चात की गई थी। इस प्रकार, मिशन अनिवार्य प्रमाण पत्र जैसे कि अग्नि सुरक्षा, अक्षमता पहुंच आदि को केवल अगस्त 2016 में जाकर ही प्राप्त कर सका जिससे वह बीओक्यू तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने को प्रारम्भ करने में समर्थ हुआ।

सी. अप्रैल 2016, परामर्शदाता ने कार्य हेतु जुलाई 2012 में प्रदान किए गए 2.89 मिलियन यूरो के मूल लागत अनुमान के प्रति 3.98 मिलियन यूरो का एक संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत किया। 1.09 मिलियन यूरो की

¹⁵ अगस्त 2009 से जब आरेखणों को पहली बार प्रस्तुत किया गया था।

¹⁶ बिल्डिंग नियंत्रण (संशोधित) विनियम, 2014

अनुमानित लागत में वृद्धि का पर्याप्त भाग अर्थात् 0.545 मिलियन यूरो¹⁷ (₹ 3.79 करोड़) विलम्ब को आरोपनीय था।

डी. आरेखणों हेतु अंतिम स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात सलाहकार ने विभिन्न चरणों हेतु एक नई समय सीमा तैयार की थी। इस समय सीमा के अनुसार, बीओक्यू विशिष्टताओं तथा निविदा वेबसाइट अभिन्यास/सामग्री को 28 अगस्त 2017 तक अंतिम रूप दिया जाना था परंतु मिशन ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि इन दस्तावेजों पर चर्चा करने तथा अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के एक दल को अभी भी डब्लिन का दौरा करना बकाया था। इस प्रकार, नई समय सीमा के संबंध में आठ सप्ताहों का विलम्ब पहले ही अक्टूबर 2017 तक निर्धारित किया गया था। परियोजना की योजना अनुमति केवल अक्टूबर 2019 तक ही वैध है तथा आगे के विलम्ब परियोजना की प्राप्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते थे।

मंत्रालय ने इन विलम्बों को स्थानीय स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकताओं को आरोपित किया (दिसंबर 2017)। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विलम्ब का महत्वपूर्ण भाग मंत्रालय के भीतर स्वीकृतियों को संसाधित करने में लिए गए असाधारण समय के कारण था।

इस प्रकार, डब्लिन में कार्यालय के रूप उपयोग हेतु खरीदी गई सम्पत्ति के नवीकरण तथा विस्तार का खराब प्रबंधन सम्पत्ति के प्रापण के आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी कार्य को प्रारम्भ न किए जाने का कारण बना। इसके अतिरिक्त, विलम्ब के कारण ₹ 3.79 करोड़ (0.545 मिलियन यूरो) की अधिक लागत थी। इसी बीच, ₹ 32.66 करोड़ (4.70 मिलियन यूरो) की लागत पर खरीदी गई सम्पत्ति व्यर्थ रही।

बी) प्रभावी तकनीकी तथा सुरक्षा निर्धारण की कमी के परिणामस्वरूप पोर्ट मार्सबी में भारतीय उच्चायोग में सम्पत्ति के निर्जन रहने में हुआ।

विदेश में मिशनों/पोस्टों द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु नवम्बर 2011 में प्रचारित एमईए के दिशानिर्देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंधित किया कि सम्पत्तियों की खरीद को स्वीकृत करते समय आर्थिक लागत एक मात्र महत्व

¹⁷ जुलाई 2012 से अप्रैल 2016 के बीच 0.440 मिलियन यूरो के 19 प्रतिशत की दर पर मुद्रास्फीति जमा 13.5 प्रतिशत की दर पर वेट तथा 8.75 प्रतिशत की दर पर डिजाइन शुल्क के कारण वृद्धि।

नहीं था तथा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित कोई भी सम्पत्ति सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त होनी चाहिए। दिशानिर्देशों ने यह भी अनुबंधित किया कि महत्व सम्पत्ति की संरचनात्मक दृढ़ता/शेष आयु को दिया जाना चाहिए तथा विस्तारित एवं महंगी मरम्मतों तथा नवीकरण की आवश्यकता वाली सम्पत्तियों की खरीद की सिफारिश नहीं की थी।

पोर्ट मोर्सबी, पापूआ न्यू गिनी में भारतीय उच्चायोग (मिशन) अप्रैल 1996 से किराए के परिसर से कार्य कर रहा था। मिशानाध्यक्ष के सिवाए मिशन के अधिकारी तथा स्टाफ भी किराए के आवास में रह रहे थे। अस्थिर सुरक्षा परिस्थिति, उच्च वार्षिक किराया परिव्यय तथा कार्यालय की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, जो भारत की छवि को खराब करती है, को ध्यान में रखते हुए कार्यालय तथा आवासों को एक सुरक्षित परिसर में स्थित करने हेतु एक निर्मित सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया था।

जुलाई 2012 में, मंत्रालय से एक सम्पत्ति दल ने मिशन द्वारा चयन की गई नौ सम्पत्तियों के उसी समय निर्धारण हेतु पोर्ट मोर्सबी का दौरा किया। दल द्वारा ₹ 27.30 करोड़ (10 मिलियन किना¹⁸) की मांग कीमत तथा लघु सुधार तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता वाली 1992 में विकसित एक सम्पत्ति की अधिग्रहण हेतु सिफारिश की गई थी। इस सम्पत्ति में कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाला 300 वर्ग मीटर का एक स्टैंड एलोन लकड़ी का घर तथा आवासीय स्थान के रूप में 130 मीटर प्रत्येक की छः इकाईया शामिल थी। मंत्रालय के सुरक्षा स्कंध के प्रमुख जिसने स्थान का दौरा किया था, से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात मंत्रालय ने अगस्त 2012 में सम्पत्ति की खरीद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

बाद में, मिशन द्वारा नियुक्त एक फर्म द्वारा अक्टूबर 2012 में सम्पत्ति का एक संरचनात्मक निरीक्षण किया गया था। संरचनात्मक निरीक्षण रिपोर्ट ने बिल्डिंगों में व्यापक कमियां¹⁹ उजागर की जिन्हे संरचनात्मक सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु बड़े नवीकरण की आवश्यकता है। इसने सूचित किया कि ऐसे नवीकरण खरीद की लागत को मंत्रालय हेतु अव्यवहार्य बनाएगा। मंत्रालय

¹⁸ किना= ₹ 27.30 (जुलाई 2012 की सरकारी विनियम दर)

¹⁹ दीमक सक्रियता, लकड़ी के सड़ने, छातो में रिसाव के कारण लकड़ी की संरचना को हानि तथा बिल्डिंग की दीवारों में दरारें।

में अधीक्षक अभियंता (परियोजना) का तर्क था कि सम्पत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में असुरक्षित थी तथा सम्पत्ति को रहने योग्य बनाने के लिए सुदृढीकरण तथा मुख्य मरम्मत किए जाने की आवश्यकता थी।

सम्पत्ति दल ने जनवरी 2013 में फिर से मिशन का दौरा किया तथा मालिक द्वारा किए जाने वाली सरंचनात्मक मरम्मत तथा नवीकरण निर्माण कार्य²⁰ सहित ₹ 19.74 करोड़²¹ (7.5 मिलियन किना) पर सम्पत्ति की खरीद को अंतिम रूप दिया। मंत्रालय ने कार्यालय तथा आवासों में आंतरिक निर्माण कार्य हेतु ₹ 1.92 करोड़ तथा परिसर में सुरक्षा संस्थापनाओं हेतु ₹ 96.15 लाख सहित मार्च 2013 में उपर्युक्त कीमत पर सम्पत्ति की खरीद को स्वीकृत किया। कार्यालय तथा स्टाफ अगस्त 2013 में नए खरीदे परिसर में चला गया था। आंतरिक निर्माण कार्य को बाद में दिसंबर 2015 के पश्चात प्रारम्भ तथा मार्च 2016 में समाप्त किया गया था।

इसी दौरान, कार्यालय परिसर में लूट तथा घुसपैठ (सितंबर 2013 तथा अगस्त 2014) के हादसों के साथ-साथ खराब सुरक्षा स्थिति के कारण जनवरी 2015 में सभी भारत आधारित स्टाफ ने आवासीय इकाईयों को खाली किया तथा किराए के आवास में चले गए। तब से भारत आधारित स्टाफ सुरक्षा मामलों तथा आवासीय इकाईयों की स्थिति के कारण चांसरी परिसर के अन्दर बाहर हो रहे हैं। अक्टूबर 2017 तक एक सुरक्षा सहायक सहित केवल दो स्टाफ चांसरी परिसर में रह रहे थे।

सितंबर 2014 में, मंत्रालय द्वारा चांसरी परिसर की एक और सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई थी जिसने चांसरी परिसर की सुरक्षा में कुछ कमियों की पहचान की तथा परिसर को सुरक्षित करने हेतु एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) सीमा दीवार के निर्माण सहित कुछ उपायों की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नई अधिग्रहित चांसरी बिल्डिंग को बार-बार सुरक्षा लेखापरीक्षाओं तथा संशोधन निर्माण कार्यों के समापन के प्रमाणपत्र के पश्चात भी दोनों रहने योग्य स्थितियों के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न त्रुटियों

²⁰ ₹ 4.95 करोड़ (1.9 मिलियन किना) की अनुमानित लागत

²¹ किना= ₹ 26.32 (मार्च 2013 की सरकारी विनियम दर)। स्टैम्प शुल्क के लिए लागत को चांसरी कार्यालय 2.5 मिलियन+आवासीय परिसर 4.75 मिलियन+चल सम्पत्ति 0.25 मिलियन के रूप में बांटा गया था।

से ग्रस्त होना जारी है। इस प्रकार, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि क्या मरम्मत की गई संरचना को सम्पत्ति का अधिकार लेने से पूर्व सुनिश्चित किया गया था।

इसके अतिरिक्त खरीद का एक मुख्य उद्देश्य पोर्ट मोर्सबी में अनिश्चित सुरक्षा परिस्थिति की दृष्टि से चांसरी तथा आवास को एक ही सुरक्षित परिसर में स्थापित करना था। तथापि, चांसरी तथा आवास सुरक्षा जोखिम से असुरक्षित रहा जैसा सितंबर 2014 में की गई लेखापरीक्षा में उजागर किया गया जिसका मानना था कि परिसर का चयन करते समय सुरक्षा पर उपयुक्त प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया था। सुरक्षा लेखापरीक्षा ने भी उपयुक्त सुरक्षा मूल्यांकन तथा प्रभावी सुरक्षा उपायो के बिना परिसर के अधिग्रहण की अलोचना की थी। यह सम्पत्ति की खरीद के चरण पर मंत्रालय द्वारा किए गए सुरक्षा निर्धारण की विश्वसनीयता के प्रति प्रश्न उठाता है।

यद्यपि मंत्रालय ने परिसर में सुरक्षा संस्थापनाओं को प्रदान करने हेतु मार्च 2013 में ₹ 96.15 लाख संस्वीकृत किए थे फिर भी मिशन ने इन संस्थापनाओं को प्रदान करने पर कार्रवाई को विलम्बित किया तथा दिसंबर 2014 में मंत्रालय को संस्वीकृति के पुनर्वैधीकरण की सिफारिश की। यह संस्थापनाएं आंशिक रूप से पूर्ण थी तथा सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान अनुशंसित एक आरसीसी दीवार के निर्माण को अभी भी (अक्टूबर 2017) प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, सुरक्षा उपायो अति विशिष्ट रूप से एक उपयुक्त सीमा दीवार के अभाव तथा आवासीय इकाइयों की असंतोषजनक स्थिति के कारण अधिकतर भारत आधारित स्टाफ को समय-समय पर चांसरी परिसर को खाली करना था तथा किराए के आवास में जाना था। ₹ 12.50 करोड़ की कीमत की परिसर में आवासीय इकाइयों अधिकतर अप्रयुक्त रहीं। इसके अतिरिक्त, मिशन को स्टेशन में किराया परिव्यय को कम करने के उद्देश्य को नकारते हुए जनवरी 2015 से अप्रैल 2017 तक किराए पर ₹ 4.53 करोड़ का व्यय करना था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि इसने सम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु किसी दिशानिर्देश को अनदेखा नहीं किया था तथा सम्पत्ति ने सुरक्षित परिसर में चांसरी तथा आवासों को स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा किया। उसने यह भी बताया कि बिल्डिंग की संरचनात्मक दृढ़ता सुनिश्चित थी क्योंकि मालिक ने

संरचनात्मक इंजीनियर तथा मंत्रालय के तकनीकी कार्मिक द्वारा पहचान किए गए संरचनात्मक इंजीनियर तथा मंत्रालय के तकनीकी कार्मिक द्वारा पहचान किए गए संरचनात्मक सुधार तथा अन्य निर्माण कार्य किए गए थे। उसने यह भी बताया कि लूट के हादसे मंत्रालय के नियंत्रण से परे थे तथा स्टाफ को किराए के आवास स्थान में भेजना उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक था क्योंकि सीमा दीवार का निर्माण उन घटकों के कारण विलम्बित था जो मंत्रालय को अरोपनीय नहीं थे।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिसर की अनुवर्ती सुरक्षा लेखापरीक्षा के साथ-साथ मिशन से सूचनाओं ने चयनित सम्पत्ति में कुछ सुरक्षा कमियों को इंगित किया तथा यह तथ्य कि संरचनात्मक मरम्मतों के बावजूद आवासीय इकाइयां खराब स्थिति में रही, की गई संरचनात्मक मरम्मतों की प्रभावकारिता तथा पर्याप्ता के साथ-साथ चांसरी परिसर के भीतर सुरक्षा के संदेह को उजागर करता है।

इस प्रकार, ₹ 12.50 करोड़ की कीमत का आवास स्थान लम्बी अवधियों तक के लिए खाली रहा जबकि स्टाफ तथा अधिकारी किराए के आवास स्थान में रहे जो अप्रैल 2017 तक ₹ 4.53 करोड़ के पराहार्य किराया परिव्यय का कारण बना।

सी) वासा में भारतीय दूतावास में विलम्ब तथा स्थानीय विनियमों संज्ञान लेने की विफलता के कारण परिहार्य अतिरिक्त भुगतान

अप्रैल 2003 में, एमईए ने वासा, पोलेण्ड में चांसरी सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु परामर्श कार्य तथा निर्माण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक भारतीय कन्सलटेंसी फर्म के साथ करार किया। भारतीय परामर्शदाता ने आगे परियोजना हेतु एक स्थानीय सहयोगी को नियुक्त किया।

एमईए तथा परामर्शदाता के बीच करार के अनुसार स्वीकृत निविदा लागत के तीन प्रतिशत के दर शुल्क को निर्माण के प्रारम्भ की तिथि से 18 मासिक किस्तों में समानुपातिक आधार पर निर्माण प्रबंधन सेवाओं हेतु अदा किया जाना था बशर्ते कि कार्य की प्रगति निर्धारित योजनाओं के अनुसार थी। परामर्शदाताओं को निर्माण कार्य की स्थिति की नियमित मॉनीटरिंग हेतु पूर्णकालिक ऑनसाइट पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के लिए एक निर्माण प्रबंधन दल को तैनात करना था।

एमईए ने एक ठेकेदार को ₹ 33.97 करोड़ (यूरो 47.75 लाख) का सिविल तथा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य सौंपा (नवम्बर 2012)। तदनुसार, सलाहकार को अदा की जाने वाले निर्माण प्रबंधन शुल्क को ₹ 99.09 लाख जमा सेवा कर पर निर्धारित किया गया था। स्थल पर कार्य दिसंबर 2012 से प्रारम्भ किया गया था।

एमईए ने प्रारम्भ में भुगतान में विलम्ब से बचने हेतु अपने पूर्व अनुमोदन के बिना सलाहकार को नौ मासिक किस्तों में भुगतान जारी करने के लिए मिशन को प्राधिकृत किया। मिशन ने अक्टूबर 2013 तक समाप्त कार्य हेतु नवम्बर 2013 तक 10 मासिक किस्तों में कुल ₹ 55.05 लाख (देय कुल शुल्क का 55.55 प्रतिशत) का भुगतान जारी किया।

चूंकि कार्य की प्रगति योजना की गई सारणी से पीछे था इसलिए एमईए ने कार्य की वास्तविक भौतिक प्रगति के साथ भुगतानों को जोड़ने का निर्णय लिया (मई 2014)। तदनुसार, एमईए ने 12 जून 2014 को परामर्शदाता के साथ एक अनुपूरक करार, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि “यदि कार्य की प्रगति निर्धारित योजना के अनुसार नहीं है तो शुल्क को कार्य में प्राप्त वास्तविक वित्तीय प्रगति के अनुसार प्रतिशतता आधार पर अदा किया जाएगा” के माध्यम से भुगतान को संशोधित किया। वित्तीय प्रगति को ठेकेदार चालू खाता बिलों के भुगतान हेतु अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

परामर्शदाता द्वारा जनवरी 2014 में 11वीं तथा 12 वीं किस्तों के रूप में प्रस्तुत इंवाइसो को एमईए तथा परामर्शदाता के बीच अनुपूरक करार की स्वीकृति में लिए गए प्रक्रियात्मक समय के कारण समय पर अदा नहीं किया जा सका था। परामर्शदाता के स्थानीय सहयोगियों ने परामर्शदाताओं द्वारा उनके बकायों के गैर-भुगतान के कारण स्थल पर पर्यवेक्षण रोक दिया था। परिणामस्वरूप, ठेकेदार को 1 मई 2014 से 10 जुलाई 2014 तक 71 दिनों तक कार्य को बंद करने को मजबूर होना पड़ा था क्योंकि स्थानीय कानून किसी भी ठेकेदार को निर्माण प्रबंधक/पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में निर्माण कार्य को निष्पादित करने से रोकता है। कार्य को अंततः ₹ 57.04 करोड़²² (यूरो 72.23 लाख) की संशोधित लागत पर पूरा किया गया था तथा मिशन को जुलाई 2015 में नए परिसर में भेजा गया था।

²² ₹ 78.966/1यूरो

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ने 71 दिनों, जब कार्य को बिना कोई पूर्व नोटिस के रोका गया था, हेतु व्यर्थ श्रमिक की लागत तथा मशीनरी एवं उपकरण के किराए के प्रति ₹ 50.13 लाख की राशि का दावा किया। इस दावों को एमईए द्वारा मई 2017 में अनुमत तथा अदा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन तथा मंत्रालय को कार्य के निरंतर निष्पादन हेतु निर्माण प्रबंधक/पर्यवेक्षक को उपस्थिति को अनिवार्य बनाने वाले स्थानीय कानूनों से परिचित होना चाहिए था। इसलिए इसको दोनो अनुपूरक करार को जल्द अंतिम रूप देने के साथ-साथ परामर्शदाता द्वारा निर्माण प्रबंधक/पर्यवेक्षक की तैनाती से मध्यांतर में कार्य के बाधारहित निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने चाहिए थे। इसके स्थान पर, एमईए ने अनुपूरक करार को अंतिम रूप देने में दो महीनों से अधिक लिए तथा कार्यों को इसके निर्णय होने तक रोका गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 71 दिनों, जब पोलिश विनियमों के अनुसार कार्यों को रोकना मजबूरी थी, हेतु व्यर्थ श्रमिक तथा मशीनरी/उपकरण की लागत/किराए के प्रति ₹ 50.13 लाख के अतिरिक्त भुगतान हुआ। एमईए ने बताया (सितंबर 2017) कि सलाहकार को निर्माण प्रबंधन शुल्क का भुगतान करार के प्रावधानों तथा प्रक्रियात्मक विनियमों का अनुपालन करने के कारण विलम्बित हुआ। उसने यह भी बताया कि विदेश में भारतीय मिशनों की निर्माण परियोजनाओं हेतु सलाहकार के साथ किए गए सभी करारों में अब निर्माण प्रबंधन शुल्क के भुगतान हेतु संशोधित शर्तें हैं।

इस प्रकार, निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाते समय स्थानीय कानूनों का संज्ञान लेने में विफलता के साथ निर्माण प्रबंधन शुल्क के भुगतान की सांरणी के संशोधन हेतु सलाहकार के साथ अनुपूरक करार को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 50.13 लाख के परिहार्य अतिरिक्त भुगतान में हुआ।

डी) महाकांसुलावास सिडनी में पट्टे के नवीकरण में अप्राधिकृत तथा परिहार्य व्यय

जून 2015 में अपने स्वयं के परिसर में जाने से पूर्व सीजीआई सिडनी नवम्बर 2012 से एक किराए के परिसर से कार्य कर रहा था। पट्टानामा एयूडी 25,000

जमा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मासिक किराए जो ₹ 14.26 लाख²³ के बराबर था, पर 1 नवम्बर 2012 से 31 जुलाई 2014 तक 21 महीनों के लिए वैध था।

दिसंबर 2013 में, किराए पर लिए परिसर के मालिक ने उस समय के प्रचलित बाजार दर के अनुसार 1 फरवरी 2014 से 20 प्रतिशत तक मासिक किराया बढ़ाने हेतु एक नोटिस दिया। सीजीआई, सिडनी ने मालिक से मोल-भाव के पश्चात्, 1 फरवरी 2014 से चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित ₹ 15.71 लाख²⁴ के बराबर एयूडी 28,750 (15 प्रतिशत वृद्धि) प्रतिमाह जमा जीएसटी के बढ़े हुए किराए पर पट्टे का नवीकरण करने हेतु 30 जनवरी 2014 को मंत्रालय की स्वीकृति की मांग की। सीजीआई ने साथ-साथ अपने न्यायाभिकर्ताओं से कानूनी सलाह की मांग की जिन्होंने सिफारिश की (3 फरवरी 2014) कि किसी भी समय दो महीनों का नोटिस दे कर पट्टे को समाप्त करने के प्रावधान हेतु एक निर्गम शर्त को पट्टानामा में शामिल किया जाना चाहिए। यह सीजीआई को पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व अपने स्वयं का परिसर तैयार हो जाने पर पट्टे को समाप्त करने में समर्थ बनाएगा। सीजीआई सिडनी ने एयूडी 28,750 ₹ 15.71 लाख के बराबर प्रतिमाह जमा जीएसटी- के बढ़े हुए किराए पर 10 फरवरी 2014 को पट्टानामा किया।

बाद में 27 मार्च 2014 को मंत्रालय ने (i) दो अथवा तीन महीनों की अवधि के सहमत नोटिस से पट्टे की समाप्ति तथा (ii) केवल वर्तमान पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् 01 अगस्त 2014 से ही किराय में वृद्धि लागू होगी के प्रावधान हेतु दो शर्तों को शामिल करके प्रस्तावित पट्टानामा में संशोधन की सलाह दी। मंत्रालय ने निर्देश दिया कि अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता तो पट्टानामा को रद्द किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया की सीजीआई सिडनी ने मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा के बिना एक नया पट्टा किया था। प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां मिशनाध्यक्ष को केवल 10 प्रतिशत तक किराए को बढ़ाने हेतु पूर्ण शक्तियां प्रदान करती हैं। बशर्ते पिछली संविदा दो वर्ष की थी। इसलिए, 15 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर नया पट्टानामा करना सीजीआई को प्रत्यायोजित शक्तियों के परे था। इसके

²³ 1 एयूडी= ₹ 57.02 (नवम्बर 2012 की विनियम दर)

²⁴ 1 एयूडी= ₹ 54.64 (फरवरी 2014 की विनियम पर)

अतिरिक्त पट्टानामा का बढ़े हुए किराए के साथ फरवरी 2014 में नवीकरण किया गया था जबकि यह 1 अगस्त 2014 तक वैध था। इसके परिणामस्वरूप परिसर को किराए पर लेने पर एयूडी 5,43,950 ₹ 2.94 करोड़ के बराबर के अप्राधिकृत व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त, पट्टा नोटिस से सम्पत्ति तथा केवल चालू पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात ही किराए में वृद्धि से संबंधित शर्तों, जैसा मंत्रालय द्वारा नियत किया गया था, के बिना दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। यह अपने स्वयं के परिसर में नवीकरण निर्माण कार्यों हेतु चालू निविदा प्रक्रिया से अवगत होने के बावजूद किया गया था। परिणामस्वरूप, सीजीआई को जून 2015 में किराए के परिसर को खाली करने के पश्चात नवम्बर 2015 तक पांच महीनों के किराए के रूप में एयूडी 1,64,450 ₹ 84.76 लाख के बराबर का परिहार्य व्यय करना था।

मंत्रालय जबकि पट्टे के अनियमित तथा अप्राधिकृत नवीकरण से अवगत था फिर भी इसने पट्टे के निराकरण हेतु अपने अनुदेशों को लागू करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसने जवाबदेही निर्धारित करने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं जबकि सीजीआई द्वारा अधिक किराए पर पट्टानामा का नवीकरण सभी नियमों के विरुद्ध था।

सीजीआई सिडनी ने बताया (29 अगस्त 2016) कि पट्टानामा उस समय के कौंसल जनरल तथा परिसर के मालिक के बीच बिना किसी ग्वाह के किया गया था। चूंकि कोई निर्गम शर्त नहीं थी इसलिए मिशन के पास पट्टा अवधि की समाप्ति तक किराया अदा करने के सिवाए कोई विकल्प नहीं था। तथापि, सीजीआई सिडनी ने मालिक के साथ मोल भाव किया तथा पांच महीनों का किराया अदा किया और दो महीनों के किराए की छूट पाई।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि इसका सतर्कता विभाग मामले पर विचार कर रहा था।

इस प्रकार, मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना सीजीआई सिडनी द्वारा एक पट्टानामा के प्राधिकृत निष्पादन के साथ अपने अनुदेशों का अनुपालन करने में मंत्रालय की स्वयं की विफलता के परिणामस्वरूप एयूडी 7,08,400 ₹ 3.79 करोड़ के बराबर अनियमित तथा परिहार्य व्यय हुआ।

7.4 सेवा प्रदाता द्वारा अधिक कूरियर शुल्क प्रभारित करना

एक सेवा प्रदाता ने मिशन तथा वाणिज्य दूतावासों के बीच करार के उल्लंघन में आवेदको से वीजा तथा अन्य कौंसुलर सेवाओं हेतु ₹ 14.39 करोड़ की सीमा तक का अधिक कूरियर शुल्क प्रभारित किया।

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन (मिशन) ने वाशिंगटन में मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने वाणिज्य दूतावासों दोनों में वीजा, ओसीआई एवं पीआईओ कार्डों तथा भारतीय नागरिकता परित्याग/अभ्यर्पण प्रमाणपत्रों को जारी करने से संबंधित सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु अप्रैल 2014 में एक सेवा प्रदाता (एसपी) के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार, एसपी 15 यूएसडी प्रति पैकेट की दर अथवा वास्तविक आधार, जो भी कम है, पर कूरियर सेवा प्रदान करेगा जो कूरियर सेवा से प्राप्त पावती से समर्थित होगी। यह भी अनुबंध किया गया था कि इन सेवाओं को उपभोक्ताओं पर लागू नहीं किया जाएगा तथा उनसे अनुबंध में उल्लेखित प्रभार से अधिक कोई अतिरिक्त शुल्क भी प्रभारित नहीं किया जाएगा।

सीजीआई ह्यूटसन (वाणिज्य दूतावास) में कौंसुली स्कंध के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वीजा आवेदनों के सभी नमूना जांच किए गए मामलों में कूरियर शुल्क को दोनों आवेदन की प्राप्ति के चरण तथा वीजा स्टैम्प वाले पासपोर्ट को लौटने के चरण पर संचालित प्रत्येक आवेदन हेतु यूएसडी 15 की अधिकतम सीमा पर प्रभारित किया गया था।

तुलना के लिए, लेखापरीक्षा ने वाणिज्य दूतावास द्वारा रातभर मानक कूरियर सेवा हेतु मैसर्स फैंडएक्स को अदा किए गए प्रभारों की जांच की तथा यह पाया गया था कि वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले स्थानों हेतु दरें यूएसडी 8.73 और यूएसडी 9.84 प्रति पैकेट के बीच थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015 तथा 2016 के दौरान एसपी द्वारा कूरियर अभिकरण को अदा किए वास्तविक कूरियर शुल्क यूएसडी 11.02 से यूएसडी 11.55 प्रति पैकेट के बीच थे। तथापि, उसी अवधि के दौरान एसपी ने आवेदकों से यूएसडी 15 प्रति पैकेट की समान दर कूरियर शुल्क प्रभारित किया। इससे एसपी 2015 से 2016 के दौरान यूएसडी 3.98 से यूएसडी 3.45 के बीच की राशि आवेदको से अधिक प्रभारित कर रहा था।

एसपी ने प्रशासनिक व्ययों जैसे कानूनी शुल्क, न्यायालयी मामले, स्टाफ लागत आदि को ध्यान में रखने के पश्चात इस राशि से काफी अधिक का व्यय करने का दावा करके यूएसडी 15 की दर पर शुल्क को उचित ठहराया। एसपी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुबंध के अंतर्गत प्रावधान स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करता है कि एसपी कूरियर सेवा हेतु आवेदकों से अनुबंध में निर्धारित से अधिक कोई अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं करेगा।

एसपी मिशन तथा वाणिज्य दूतावासों में यूएसडी 15 की दर पर समान रूप से कूरियर शुल्क प्रभारित कर रहा था। मिशन तथा वाणिज्य दूतावासों द्वारा 2015 तथा 2016²⁵ के दौरान संचालित पैकेजों की क्रमशः 2,27,980 तथा 3,64,308 की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए एसपी द्वारा एकत्रित अतिरिक्त कूरियर प्रभारों की अनुमानित राशि को यूएसडी 23,43,323²⁶ अर्थात् ₹ 14.39 करोड़²⁷ के रूप में परिकलित किया गया है।

इस प्रकार, एसपी के साथ किए गए अनुबंध के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मिशन तथा इसके वाणिज्य दूतावासों की विफलता 2015 तथा 2016 के दौरान एसपी द्वारा आवेदकों से ₹ 14.39 करोड़ की सीमा तक कूरियर शुल्क को अधिक प्रभारित करने का कारण बनी।

मामला जून 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

7.5 मिशन/पोस्टो में नियमित प्रकृति के कार्य हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

वैनकोवर, ह्युस्टन तथा सन फ्रांसिस्को स्थित महावाणिज्य दूतावास ने नियमों तथा मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में ₹ 2.68 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय करके आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार कोई भी प्राधिकारी कोई भी व्यय नहीं करेगा अथवा व्यय वाली कोई देयता में शामिल नहीं होगा जब

²⁵ सितंबर 2016 तक की स्थिति

²⁶ 2015: यूएसडी 3.98x2,27,980= यूएसडी 10,86,460 का अंतर तथा 2016: यूएसडी 3.45 x3,64,308=यूएसडी 12,56,863 कुल यूएसडी 23,43,323 एसपी द्वारा कूरियर अभिकरण को अदा किए गए वास्तविक कूरियर शुल्क का अंतर का परिकलन करने हेतु उपयोग किया गया था।

²⁷ 2015 तथा 2016 के दौरान प्रचलित अप्रैल 2015 की न्यूनतम विनियम दर पर

तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों को वित्तीय शक्तियों की सारणी 1 की मद सं. 12 के अनुसार कुछ शर्तों के तहत आकस्मिकताओं से अदा किए गए श्रेणी IV के स्टाफ के संबंध में मिशानाध्यक्ष (एचओएम)/पोस्ट के अध्यक्ष (एचओपी) की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। एक विशिष्ट शर्त है कि नियुक्त किया गया स्टाफ नियमित प्रकृति के कार्य हेतु अथवा रिक्त पदों, चाहे अस्थायी अथवा स्थायी, नियमित स्थापना के प्रति नहीं होना चाहिए। एमईए ने भी निर्धारित नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन में आकस्मिकता स्टाफ को नियुक्त न करने हेतु समय-समय पर मिशनों/पोस्टों को विभिन्न अनुदेश जारी किए थे। जनवरी 2009 में एमईए ने मिशनों/पोस्टों को सभी आकस्मिकता स्टाफ को हटाने की सलाह दी तथा यह भी बताया कि बिना उचित प्राधिकार के स्टाफ की नियुक्ति करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2015 के प्रतिवेदन सं. 18 ने महावाणिज्य दूतावास ह्युस्टन तथा शिकागो द्वारा 'संस्वीकृति के बिना आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर ₹ 4.29 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय' को उजागर किया था। पैरा पर एटीएन में, एमईए ने सूचित किया था (अप्रैल 2016) कि व्यय को नियमित किया गया था जबकि उसने माना कि दो पोस्टों में नियुक्ति गैर-नियमित कार्य हेतु होने से एचओएम/एचओपी की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर थी। एमईए ने अनुदेशों को भी दोहराया था कि आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति केवल गैर-नियमित प्रकृति के कार्य हेतु ही की जा सकती है।

एमईए के निर्देशों के बावजूद यह पाया गया था कि वैनकोवर ह्युस्टन तथा सन फ्रंसिस्को स्थित महावाणिज्य दूतावास एमईए की संस्वीकृति के बिना समय-समय पर नियमित प्रकृति के कार्य अर्थात् कौंसुली कार्य तथा अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति कर रहे थे। एमईए की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों (मद 12(2)) के उल्लंघन में इन पोस्टों द्वारा आकस्मिकता

स्टाफ की नियुक्ति पर किए गए व्यय को ₹ 2.68 करोड़ पर परिकल्पित किया गया जैसा तालिका सं. 4 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 4: पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर किया गया व्यय

क्र. सं.	मिशन/पोस्ट	अवधि	नियुक्त आकस्मिकता स्टाफ की कुल संख्या	अदा किया गया वेतन (₹ लाख में)
1.	सीजीआई वैनकोवर	मार्च 2012 से जुलाई 2016	2	146.77
2.	सीजीआई ह्युस्टन	जनवरी 2016 से नवम्बर 2016	5-10	89.07
3.	सीजीआई, सन फ्रांसिस्को	अप्रैल 2016 से फरवरी 2017	2	32.00
			कुल	267.84

एमईए ने निम्नानुसार बताया (अक्टूबर 2017):

ए) सीजीआई वैनकोवर: आकस्मिकता स्टाफ की कौंसुली कार्य में लगाया गया था क्योंकि कौंसुली अनुभाग में स्टाफ की कमी है तथा व्यय का नियमितीकरण संसाधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास में अक्टूबर 2016 में तीन नए पदों को संस्वीकृत किया गया है तथा आकस्मिकता स्टाफ को हटा दिया गया है।

बी) सीजीआई, ह्युस्टन: पोस्ट ने आकस्मिकता स्टाफ को विभिन्न स्कंधों में लगाया था क्योंकि कौंसुली, वाणिज्य तथा अन्य स्कंधों में स्टाफ की कमी थी। नवम्बर 2017 में, छः नए स्थानीय पदों के सृजन को संस्वीकृत किया गया है तथा वाणिज्य दूतावास ने आकस्मिकता स्टाफ को हटाना शुरू कर दिया है।

सी) सीजीआई, सन फ्रांसिस्को: पोस्ट में कौंसुली तथा अन्य कार्यों को पूरा करने हेतु स्टाफ की कमी थी। पोस्ट ने दो आकस्मिकता स्टाफ को हटा दिया था तथा एमईए को अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक दो आकस्मिकता स्टाफ पर ₹ 32 लाख के व्यय को नियमित करने का अनुरोध किया था। पोस्ट ने सूचित किया (दिसंबर 2017) कि एमईए ने व्यय के नियमितीकरण हेतु कार्योत्तर संस्वीकृति प्रदान की है।

एमईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जनवरी 2016 में अनुदेशों को दोहराए जाने कि आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति केवल गैर-नियमित प्रकृति के कार्य हेतु ही की जा सकती है, के बावजूद पोस्ट ने इसकी पूर्व अनुमति के बिना नियमित कार्य हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की थी।

इस प्रकार, पिछली लेखापरीक्षा आपत्तियों के बावजूद तथा एमईए की स्वीकृति के बिना कार्य की नियमित मदों हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति न करने के एनईए के अनुदेशों के उल्लंघन में वैनकोवर, हयुस्टन तथा सन फ्रांसिस्को स्थित महाकांसुलावास ने नियमों के उल्लंघन में कार्य की नियमित मदों हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की जिससे ₹ 2.67 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ।

अध्याय VIII : वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

8.1 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन (पीएफएमएस)

पीएफएमएस को सरकारी वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं का प्रबंधन करने और प्रभावी एमआईएस/डीएसएस के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय प्रबंधन के वेब आधारित उपकरण के रूप में योजना बनाई गई थी। 12वें पंचवर्षीय योजना (2012-17) में पीएफएमएसएस के सम्पूर्ण रोलआउट के लिए ₹ 1,080 करोड़ का परिणाम संस्वीकृत किया गया था। इस अवधि के दौरान, पीएफएमएस के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों पर केवल ₹ 267.63 करोड़ का व्यय किया गया था। पीएफएमएस ने परियोजना कार्यान्वयन के लगभग सभी मापदंडों पर समयसीमाओं का पालन नहीं किया है और अपने किसी भी कथित उद्देश्यों पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। भौतिक और वित्तीय प्रगति की गति धीमी रही और कार्यान्वयन कार्यनीति में परियोजना कार्यान्वयन के योजनाबद्ध क्रम के साथ आवश्यक अनुकूलता की कमी थी।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भुगतान करने और भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का पता लगाने, मॉनीटरिंग, लेखांकन, पुनर्मिलान और सूचित करने के लिए वेब आधारित समेकित प्रणाली के रूप में शुरुआत हुई थी। पीएफएमएस का उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलग लेखांकन प्रबंधन सूचना निर्णय समर्थन प्रणालियों/एमआईएस/डीएसएस) को बदलने और कर/गैर-कर प्राप्तियों की स्वतंत्र प्रणालियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य था। यह प्रणाली दिसम्बर 2013 में भूतपूर्व केन्द्रीय योजनागत योजना प्रबंधन प्रणाली (सीपीएसएमएस) से विकसित हुई थी जिसे 2008 से महालेखानियंत्रक (सीजीए) द्वारा चार योजनाबद्ध योजनाओं¹ के निधि प्रवाह को मॉनीटर करने के लिए चार राज्यों² में प्रथम आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

¹ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

² मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम

एक बाह्य परामर्श कार्य फर्म को पीएफएमएस के विकास हेतु रोडमैप विकसित करने के लिए 2011 में कार्यरत किया गया था। फर्म द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सितम्बर 2012 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) में विचार-विमर्श किया गया था और अनुमोदन के लिए दिसम्बर 2013 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था सरकार ने 12वें पंचवर्षीय योजना (2012-17) में पीएफएमएस के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,080 करोड़ का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया था।


जैसा तालिका सं. 1 में ब्यौरा दिया गया है तथा प्रतिशतता में विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित परिव्यय चार्ट सं. 1 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1: अनुमोदित घटक तथा परिव्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

घटक	संस्वीकृत परिव्यय
प्रौद्योगिकी	308.82
मानव संसाधन	169.20
अवसंरचना और कार्यालय	293.71
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	308.27
कुल	1080.00

चार्ट. 1: प्रतिशतता में विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित परिव्यय



8.1.1 परियोजना कार्यान्वयन पदक्रम

सर्वोच्च निकाय के रूप में परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) और केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) के साथ पीएफएमएस को कार्यान्वित करने के लिए नीचे दिए गए चार्ट सं. 2 के अनुसार चार स्तरीय संगठनात्मक संरचना स्थापित की गई थी।



8.1.1.1 वर्तमान स्थिति

12वें पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान ₹ 1,080 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के प्रति पीएफएमएस पर दिसम्बर 2016 तक ₹ 267.63 करोड़ का व्यय किया गया था। दिसम्बर 2016 में, वित्त मंत्रालय ने कार्य क्षेत्र और पीएफएमएस पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों में काफी विस्तार के कारण बताते हुए मार्च 2017 से आगे परियोजना को बढ़ाने के लिए ईएफसी से संस्वीकृति मांगी थी। ईएफसी ने पहले किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए ₹ 839 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 31 मार्च 2020 तक योजना को बढ़ा दिया था।

8.1.2 पीएफएमएस की लेखापरीक्षा

2014-17 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन कार्यनीति की प्रभाविता का आकलन करने और सरकार द्वारा संस्वीकृत योजनागत क्रम से विपथन होने वाले कारकों का पता लगाने के लिए पीएफएमएस की लेखापरीक्षा की गई थी।

8.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

8.1.3.1 वित्तीय योजना बनाना

सरकार ने कार्यान्वयन के पहचाने गए घटकों पर ₹ 1,080 करोड़ के निम्नलिखित वर्ष दर वर्ष फेसिंग को संस्वीकृत किया था जैसाकि नीचे तालिका सं. 2 में दिया गया है:

तालिका सं. 2: पहचान किए गए घटकों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

लागत घटक	प्रौद्योगिकी	श्रमशक्ति	अवसंरचना एवं कार्यालय	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	कुल
2013-14	51.59	10.30	30.75	23.57	116.21
2014-15	105.17	53.44	96.33	114.44	369.38
2015-16	80.22	50.15	80.30	84.53	295.20
2016-17	71.84	55.31	86.33	85.73	299.21
कुल	308.82	169.20	293.71	308.27	1080.00

लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तविक बजटीकरण और व्यय का वर्ष दर वर्ष फेसिंग सरकार द्वारा संस्वीकृति योजना के अनुसार नहीं था और सभी वर्षों में बजट प्रावधानों के प्रति बड़ी बचतें थीं। 2013-17 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा संस्वीकृत वर्षवार परिव्यय, बनाया गया बजट प्रावधान और योजना पर किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका सं. 3 में दिया गया है:

तालिका सं. 3: वर्ष-वार परिव्यय, बजट प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	संस्वीकृत परिव्यय	बजट अनुमान	व्यय
2013-14	116.21	253.99	60.32
2014-15	369.38	369.57	64.49
2015-16	295.20	86.73	32.82
2016-17	299.21	60.00	108.69
कुल	1080.00	770.29	266.32

यह पाया गया था कि सारे व्यय को सामान्य स्थापना शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था और सरकार के अनुमोदन के साथ प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, अवसंरचना एवं कार्यालय और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के घटकों पर किए गए व्यय को मापने के लिए कोई रूपरेखा नहीं थी। परिणामस्वरूप, पहचाने गए व्यय के घटकों के साथ व्यय के आंकड़ों को मापना संभव नहीं था।

तथापि, 2013-17 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत घटक वार परिव्यय की सूचना योजना में विस्तार मांगते समय दिसम्बर 2016 में ईएफसी को दी गई थी जैसाकि तालिका सं. 4 निम्नलिखित है:

तालिका सं. 4: योजना के अंतर्गत घटक-वार परिव्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	संस्वीकृत परिव्यय	उपलब्ध बजट	व्यय	बचतें
प्रौद्योगिकी	308.82	197.75	107.31	90.44
श्रमशक्ति	169.20	71.55	26.55	45.00
अवसंरचना एवं कार्यालय	293.71	513.48	133.64	379.84
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	308.27	0.51	0.13	0.38
कुल	1080.00	783.29	267.63	515.66

हालांकि, न तो प्रत्येक घटक के लिए उपरोक्त आंकड़ों का आधार बनाया गया था और न ही मांगे जाने पर भी ईएफसी को प्रस्तुत व्यय आंकड़ों का वर्ष-वार घटक लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया गया था।

व्यय के पहचाने गए घटकों के लिए संस्वीकृत परिव्यय, बजट प्रावधान, व्यय और बचतों का विश्लेषण का ब्यौरा तालिका सं. 5 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: व्यय के पहचाने गए घटकों के लिए परिव्यय, बजट प्रावधान,
व्यय और बचतों के विवरण

(₹ करोड़ में)

घटक	प्रौद्योगिकी	श्रमशक्ति	अवसंरचना एवं कार्यालय	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	कुल
संस्वीकृति परिव्यय	308.82	169.20	293.71	308.27	1080.00
उपलब्धता बजट	197.75	71.55	513.48	0.51	783.29
व्यय (ईएफसी को सूचित)	107.31	26.55	133.64	0.13	267.63
बचत	90.44	45.00	379.84	0.38	515.66
उपलब्ध बजट की तुलना में बचतों की प्रतिशतता	45.73%	62.90%	73.97%	74.51%	65.83%

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की वित्तीय योजना पीएफएमएस के रोलआउट के लिए तैयार योजना के साथ मेल नहीं खाता था। प्रौद्योगिकी, श्रमशक्ति और प्रशिक्षण के लागत घटकों के लिए बजट प्रावधान क्रमशः 64 प्रतिशत और 43 प्रतिशत और 0.17 प्रतिशत अनुमोदित परिव्यय के प्रति कम था जबकि अवसंरचना और कार्यालय घटक के लिए प्रावधान अनुमोदित परिव्यय अर्थात् 175 प्रतिशत तक अत्याधिक था। सभी घटकों पर बजट प्रावधान के प्रति व्यय बहुत कम था जिसके कारणवश बजट प्रावधान के 45 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की बचत थी।

परियोजना पर अनुमोदित परिव्यय एक सीपीएमयू कार्यालय, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 36 एसपीएमयू कार्यालयों, जिलों में 571 डीपीएमयू कार्यालयों, दो डाटा केन्द्रों, एक आपदा वसूली साइट और अधीनस्थ अवसंरचना का सृजन करने के लिए था। स्टाफ की तैनाती और सीपीएमयू, एसपीएमयू तथा डीपीएमयू स्तर पर आउट सोर्सड कार्मिकों के लिए वित्तीय संसाधनों को भी चिन्हित किया गया था। तैनात स्टाफ और अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएमयू के लिए स्वयं की अवसंरचना का विकास भूमि अधिग्रहण के प्रसंस्करण के प्राथमिक स्तर पर था और सीपीएमयू किराए के परिसर से कार्य कर रहा था। किसी भी एसपीएमयू या डीपीएमयू के लिए कोई अवसंरचना सृजित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, एसपीएमयू आवश्यक पर्यवेक्षी स्तर अधिकारियों और तकनीकी सहायता कर्मियों के बिना

कार्य कर रहा था और डीपीएमयू से संबंधित स्टाफिंग की प्रक्रिया/आउटसोर्सिंग कार्य अभी शुरू किया जाना था।

जबकि पीएफएमएस इकाई ने बजटीकरण की प्रणाली पर कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की थी, इसने व्यय और बचतों की धीमी प्रगति के कारण प्रशासनिक कारणों, स्थान की अनुपलब्धता, व्यय के अवास्तविक अनुमानों और मशीनरी/उपकरण और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के प्रापण में विलंब बताया था। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना के लिए बजटीय योजना के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए थे और बजट और योजनाओं के अनुसार व्यय को मॉनीटर करने के लिए कोई निगरानी तंत्र उपलब्ध नहीं था।

योजना में विस्तार की चर्चा करते समय दिसम्बर 2016 में ईएफसी से प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने एसपीएमयू और डीपीएमयू को स्थापित करने में विलंब और सीपीएमयू का कम स्टाफ बचतों के लिए मुख्य कारण बताए थे।

प्रत्येक घटक के लिए बजट आवश्यकताओं का आकलन करते समय किसी भी तंत्र और पहचाने गए घटकों पर व्यय को दर्ज किए जाने की अनुपस्थिति में घटक-वार बजट और व्यय के लिए प्रदान आंकड़ों को लेखापरीक्षा में ध्यान नहीं दिया जा सका था। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई आश्वासन उपलब्ध नहीं था जिसमें बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों के वार्षिक प्रावधानीकरण के अनुसार वित्तीय योजना, परियोजना के लिए संस्वीकृत रोल आउट योजना के साथ संरेखित किया गया था।

8.1.3.2 प्रौद्योगिकी विकास

मौजूदा सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को बढ़ाकर राष्ट्रव्यापी रोल आउट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएफएमएस प्रौद्योगिकी समाधान रूपरेखा को डिजाइन किया जाना था। (क) लेनेदेन, (ख) रिपोर्टिंग और (ग) आकस्मिकता व्यवस्था सहित डाटा वेयरहाउसिंग के तीन महत्वपूर्ण व्यवसाय आवश्यकताओं को संबोधित करने करने के लिए मापनीय और वितरित वास्तुकला प्रदान करना उद्देश्य था। डीपीआर ने दो डाटा केन्द्रों (लेनेदेन के लिए डाटा केन्द्र 1 और रिपोर्टिंग के लिए डाटा केन्द्र 2) और अधीनस्थ आईटी अवसंरचना के साथ एक आपदा वसूली (डीआर) साइट को स्थापित करने

का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावित अवसंरचना में कोषागारों और महालेखाकार के कार्यालयों जैसे बाह्य प्रणालियों के साथ एकीकरण, अन्य एमआईएस के साथ एकीकरण और इंटरएक्टव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली और मोबाइल उपकरण के साथ एकीकरण का एकारात्मक असर प्रस्तावित किया था।

इस घटक के लिए ₹ 308.82 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया था। इसमें से, 2013-17 की अवधि के दौरान केवल ₹ 107.31 करोड़ का व्यय हुआ था। अपेक्षित डाटा केन्द्र एवं डीआर साइट को डीपीआर में परिकल्पित रूप से स्वयं की सुविधा की बजाय केवल एनआईसी के स्वामित्व वाली सुविधा में स्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संपूर्ण कार्यक्षमता का निर्माण अक्टूबर 2017 तक तीन लेखांकन मॉड्यूलों अर्थात् ओसीईएनएस, सरकारी ई-भुगतान मार्ग (जीईपीजी) और गैर-कर प्राप्ति पोर्टल के लिए किया जा सकता था। कार्यान्वयन की माड्यूल-वार स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है। हालांकि, कथित समयसीमाओं के प्रति एक/दो माह के विलंब के साथ सभी अपेक्षित 31 कोषागारों (विधानमंडल³ वाले 29 राज्य और 2 सं.शा.क्षे.) के एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था। यद्यपि पीएफएमएस का गैर-कर प्राप्ति पोर्टल संचालित किया गया था, इस उद्देश्य के लिए 5,50 पीएओ में से केवल 153 सिविल वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) पंजीकृत किए गए थे। लेखांकन माड्यूलों के लिए पीएफएमएस मंच पर लाए गए पदाधिकारियों की स्थिति निम्नलिखित **तालिका सं. 6** में दी गई है:

तालिका सं. 6: लेखांकन मॉड्यूलों के लिए पीएफएमएस प्लेटफार्म के अंतर्गत पदाधिकारियों की स्थिति

लेखांकन मॉड्यूल	कार्यालयों की कुल संख्या	पीएफएमएस के मंच पर लाए गए कार्यालयाओं की संख्या	कवरेज की प्रतिशतता
कर्मचारी सूचना प्रणाली	11793 डीडीओ	1395 डीडीओ	12
पीएओ माड्यूल	550 सिविल पीएओ	476 (सिविल पीएओ)	87
सीडीडीओ मॉड्यूल	1908 सीडीओ	361 सीडीओ	19

ईएफसी ने सितम्बर 2012 में इस तथ्य पर जोर दिया कि पीएफएमएस को सम्पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना होगा यदि उसे सार्थक एमआईएस/डीएसएस के

³ दिल्ली और पुडुचेरी

रूप में कार्य करने का उद्देश्य पूरा करना है। व्यापक प्रणाली के रूप में स्वंत्रत मॉड्यूलों की सम्पूर्ण कार्यक्षमता और एकीकरण की अनुपस्थिति में पदाधिकारी लेनेदेन प्रसंस्करण, निधियों का लेखांकन और मॉनीटरिंग के लिए विरासत मॉड्यूलों पर कार्य करते रहे।

8.1.3.3 मानव संसाधन और परियोजना संगठन संरचना

चूंकि पीआईसी को सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने वाला नीति सलाह और सामरिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर्वोच्च स्तरीय निकाय के रूप में माना गया था, डीपीआर ने सीपीएमयू, एसपीएमयू और डीपीएमयू स्तर पर मानव संसाधन आवश्यकता, अवसंरचना आवश्यकताओं और निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को सूचीबद्ध किया था।

मानव संसाधन तैनाती

यद्यपि मानव संसाधन तैनाती से संबंधित काफी छोटे निर्णय जैसे कि सलाहकारों और आउट सोर्सड तकनीकी दल को कार्य पर रखना और विस्तार करने का निर्णय पीआईसी द्वारा लिए गए थे, सौंपी गई भूमिका/दायित्वों में विस्तार के लिए पदाधिकारियों के निष्पादन मूल्यांकन तंत्र की बैंच मार्किंग के लिए डीपीआर या दिशानिर्देशों में अनुशंसित करते हुए भूमिकाओं/ दायित्वों को परिभाषित करते हुए कोई मानव संसाधन नीति का निर्धारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप वांछित कौशल समूह वाले लोगों को कार्यरत करने और विस्तार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूपरेखा सृजित नहीं की गई थी।

परियोजना कार्यान्वयन पदक्रम के विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन तैनाती की स्थिति (अक्टूबर 2017) निम्नलिखित है:

(ए) केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू)

सीपीएमयू में स्टाफ/अधिकारियों की तैनाती की स्थिति निम्नलिखित तालिका सं. 7 में दी गई है:-

तालिका सं. 7: सीपीएमयू में स्टाफ/अधिकारियों की तैनाती की स्थिति

पद	संस्वीकृति बल	पदेन व्यक्ति
अपर-सीजीए एवं परियोजना निदेशक	1	1
संयुक्त सीजीए	2	2
उप सीजीए	12	2

सहायक सीजीए	14	5
वरिष्ठ एओ/ए ओ	22	22
सहायक ए ओ	24	3
पीएस	6	6
वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार	6	6

उप सीजीए और सहायक सीजीए स्तर के वरिष्ठ/मध्यम स्तरीय प्रबंधन पदों की कमी थी। इसके अतिरिक्त, डीपीआर में परिकल्पित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव वाले बाह्य अभिकरणों से कोई क्षेत्र/डोमेन विशेषज्ञ सीपीएमयू में कार्यरत नहीं थे।

(बी) राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)

प्रणाली डिजाइन, प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की आवश्यकताओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ इसका तालमेल कायम करके अनुकूलन के दायित्व के साथ राज्यों में सीपीएमयू के विस्तार के रूप में एसपीएमयू को देखा गया था।

यद्यपि मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों में एसपीएमयू स्थापित किए गए थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी राज्यों में एसपीएमयू के लिए अलग कार्यालय अवसंरचना सृजित नहीं की गई थी। सितम्बर 2017 के अंत तक एसपीएमयू में तैनात मानव संसाधनों की स्थिति के ब्यौरे निम्न तालिका सं. 8 में दी गई है:

तालिका सं. 8: एसपीएमयू में तैनात मानव संसाधन की स्थिति

पद	संस्वीकृति	पदेन व्यक्ति
संयुक्त सीजीए	19	0
उपसीजीए या बराबर	36	6
वरिष्ठ लेखाअधिकारी/लेखाअधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी	72	66
सहायक लेखा अधिकारी	72	7
कुल	199	79

इस प्रकार, 30 सितम्बर 2017 को 55 के संस्वीकृत संख्या के प्रति उप.सीजीए/संयुक्त सीजीए स्तर के केवल छः अधिकारी थे। क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ पीएफएमएस का समन्वय करना और तालमेल कायम करने के लिए समर्पित अवसंरचना और निर्णय लेने वाले अधिकारियों की अनुपस्थिति में

एसपीएमयू का प्रभावी कार्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, न तो एसपीएमयू के पदाधिकारियों की कोई कर्तव्य सूची तैयार की गई थी और न ही एसपीएमयू की गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए कोई निगरानी तंत्र था।

(सी) जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)

प्रारंभिक स्तर पर कार्यान्वयन और ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, समन्वय और तकनीकी सहायता के लिए डीपीएमयू स्तर संगठन संरचना सृजित की जानी थी। ईएफसी ने पाया कि योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए इस संरचना की आवश्यकता नहीं थी और पूर्ण रूप से विकसित डीपीएमयू की बजाय पर्याप्त रूप से स्टाफ वाले कॉल सेंटर्स को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने की अनुशंसा की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई डीपीएमयू सृजित नहीं किया गया था और डीपीएमयू के सृजित की प्रक्रिया की शुरुआत काफी देर से यानि अक्टूबर 2017 में की गई थी। डीपीएमयू की अनुपस्थिति में, ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय भुगतानों का पता लगाने का उद्देश्य प्राप्त करना कठिन होगा।

8.1.3.4 अवसंरचना और कार्यालय

केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित किए जाने वाले कार्यालयों के लिए डीपीआर ने ₹ 511.10 करोड़ पर अवसंरचना और कार्यालय लागत प्रक्षेपित की थी। डीपीएमयू से संबंधित कार्य की आउटसोर्सिंग से संबंधित पहले ईएफसी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए इन लागतों को ₹ 293.71 करोड़ के रूप में पुर्न-परिकल्पित किया गया था। मंत्रालय ने सूचना दी कि 2013-17 की अवधि के दौरान इस घटक के लिए बजटीय प्रावधान और व्यय क्रमशः ₹ 513.48 करोड़ और ₹ 133.64 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीएमयू किराए पर लिए गए परिसर से कार्य कर रहा है और अवसंरचना की संरचना प्रारंभिक स्तर पर है। इसके अलावा, एसपीएमयू/डीपीएमयू स्तरों पर किसी अवसंरचना को सृजित नहीं किया गया था।

8.1.3.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों द्वारा स्वीकृति के लिए परिवर्तन प्रबंधन के साधन के रूप में डीपीआर ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को प्रक्षेपित किया गया है। इस घटक पर डीपीआर में प्रक्षेपित लागत ₹ 332.31 करोड़ थी जिसमें प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने, प्रशिक्षण की लागत, सूचना, 'शिक्षा और संचार', प्रशिक्षण सामग्री, यात्रा आदि जैसे उप-घटक शामिल हैं। डीपीएमयू से संबंधित प्रथम ईएफसी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए इन लागतों को ₹ 308.27 करोड़ के रूप में पुनर्-परिकल्पित किया गया था। मंत्रालय ने 2013-17 की अवधि के दौरान केवल ₹ 0.51 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था तथा लागतों के इस घटक पर ₹ 0.13 करोड़ का व्यय किया था।

8.1.4 परियोजना के लिए संस्थागत रूपरेखा

सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, डाटाबेस और मूल अवसंरचना जैसी परिसंपत्तियों पर आवश्यक सामरिक नियंत्रण पर जोर देने तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए मजबूत संस्थागत रूपरेखा और स्वतंत्र नीति बनाने वाली संरचनाएं आवश्यक थीं।

8.1.4.1 परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी)

पीआईसी, उसकी रचना, वित्तीय शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर में सरकार के भीतर और सरकार के बाहर से मानव संसाधनों को कार्यरत करना परिकल्पित किया गया था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

- आवश्यक मार्गदर्शन और सामयिक निर्णय प्रदान करने के लिए त्रैमासिक बैठकों के लिए आवश्यकता के बावजूद दिसम्बर 2013 से मार्च 2017 से कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान पीआईसी की केवल पांच बार बैठक हुई थी। परियोजना की संस्वीकृति के पश्चात प्रारंभिक दो वर्षों में दो बैठकों के बीच लगभग एक वर्ष का अंतराल था। बैठकों की कम आवृत्ति के कारण परियोजना, नीति मार्गदर्शन और सामरिक नियंत्रण से वंचित रही और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत रूपरेखा नहीं बनाई गई थी।
- प्रारंभिक रूप से, पीआईसी में योजना आयोग और भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार के विभिन्न स्कंदों के

प्रतिनिधित्व के साथ स्वतंत्र परियोजना कार्यान्वयन दल के महत्व को समझते हुए डीपीआर ने वित्त मंत्रालय से सदस्यों के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से एक सदस्य और योजना आयोग से दो सदस्यों के साथ नियंत्रक महालेखाकार की अध्यक्षता के अंतर्गत इस अवसंरचना को जारी रखने की अनुशंसा की थी। हालांकि, पीआईसी की रचना में केवल वित्त मंत्रालय (कार्यान्वयन अभिकरण) और महानिदेशक (एनआईसी), प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन साथी से सदस्य शामिल करने के लिए जनवरी 2016 में परिवर्तन किया गया था। रचना में परिवर्तन ने इस परिमाण एवं विस्तार की परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों से इनपुट के लाभ लेने से पीआईसी को वंचित किया था।

- पीआईसी के पास सक्षम वित्तीय प्राधिकरण की संपूर्ण शक्तियां थीं तथा एचओडी को प्रत्यायोजित शक्तियों के आधिक्य में व्यय के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु पीआईसी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालांकि, इन शक्तियों को पुर्न प्रत्यायोजित किया गया था। (जून 2014) और पीआईसी की भूमिका का उल्लेख किए बिना अपर सीजीए (पीएफएमएस) के अनुमोदन हेतु योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग के माध्यम से प्रस्तावों को भेजना आवश्यक था। यह कार्य अब व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे निष्पादित किया जा रहा है।

परियोजना मोड में पीएफएमएस के प्रभावी और सामयिक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में पीआईसी की भूमिका न तो स्पष्ट रूप से बताई गई है और न ही कार्यात्मक की गई है।

8.1.4.2 प्रौद्योगिकी सामरिक नियंत्रण समूह

परिणाम पर नियंत्रण, परिवर्तन करने को सुनिश्चित करने और पीएफएमएस के तकनीकी घटक से संबंधित निकास प्रबंधन की क्षमता प्रदान करने के लिए सीपीएमयू के उप-समूह के रूप में डीपीआर में एक प्रौद्योगिकी सामरिक नियंत्रण समूह के रूप में परिकल्पित किया गया था। समूह का कार्य साफ्टवेयर एप्लिकेशन, डाटाबेस और मूल अवसंरचना, परिणामों की प्राप्ति, डाटाबेस

प्रबंधन पदक्रम, बौद्धिक संपदा और नियमित मॉनीटरिंग पर नियंत्रण जैसे सामरिक परिसंपत्तियों पर सरकार का सम्पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीआर में परिकल्पित रूप में पीएफएमएस के लिए प्रौद्योगिकी पर सामरिक समूह का निर्माण नहीं किया गया था। इस कारण उपरोक्त कार्य और संबंधित जोखिमों का संबंधित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी रूप रेखा के बिना प्रणाली कार्य कर रही है।

मंत्रालय ने बताया कि मजबूत, विश्वसनीय और सतत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और डाटाबेस की स्थापना में पीएफएमएस के मौजूदा तकनीकी दल का समर्थन करने के लिए नवम्बर 2016 में बाह्य विशेषज्ञों के साथ एक मूल प्रौद्योगिकी समूह (सीटीजी) स्थापित किया था। सीटीजी के सदस्यों में सीजीए और एनआईसी से वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट से तकनीकी विशेषज्ञ और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक से सदस्य शामिल थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीटीजी के विचारार्थ विषय, उद्देश्य, रचना तथा कार्य, प्रौद्योगिकी सामरिक नियंत्रण समूह के लिए डीपीआर में निहित अनुशंसाओं से काफी भिन्न थे। इसके अलावा, आज तक (दिसम्बर 2016) सीटीजी की केवल एक बैठक हुई थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया था कि न तो हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर अनुबंधों के लिए पीएफएमएस के लिए उपकरण और सेवाओं के बिक्रेताओं के लिए मानक अनुबंध नमूने नहीं थे और न ही न्यूनतम हार्डवेयर क्षमता निर्धारित करने, पीएफएमएस के लिए तैनात प्रणालियों के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या डाटाबेस समाधानों को अनुशंसित करने के लिए कोई नीतियां/मानक/दिशानिर्देश थे। स्टाफ/अधिकारियों/व्यक्तिगत ठेकेदारों/सलाहकारों/आउटसोर्स किए गए सेवा प्रदाताओं को पहुँच प्राधिकृत करके पहुँच/अधिकारों वाले पदाधिकारियों के लिए पहुँच प्रबंधन या परिवर्तन प्रबंधन के लिए विशेष दिशानिर्देश नहीं थे। अतः, बिक्रेता के निकास के कारण अप्राधिकृत पहुँच, अपेक्षित क्षमता न होने वाले घटकों के अभिग्रहण, गैर-अनुकूल सॉफ्टवेयर के क्रय और कार्य के समापन में कठिनाइयों को संबोधित नहीं किया गया था।

8.1.5 कार्यान्वित योजनाओं में एमआईएस/डीएसएस के रूप में पीएफएमएस की प्रभावशीलता

पीएफएमएस की पारदर्शी रूप में सभी योजनाओं से संबंधित एमआईएस/डीएसएस सूचना प्रदान करने के लिए सब कुछ शामिल की गई प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया था। 1 जनवरी 2013 को आर्थिक सहायता के अंतरण और लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के विवरण के उद्देश्य के साथ सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत की गई थी। एक परिपत्र के माध्यम से (दिसम्बर 2014) वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया था कि 1 अप्रैल 2015 के पश्चात सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान करने के लिए पीएफएमएस के माध्यम से सभी इलेक्ट्रॉनिक फाइलें कार्रवाई कृत की गई हो पीएफएमएस की डाटा रिपोर्टिंग के रूप में पारदर्शी प्रणाली के रूप में प्रभाविता और एमआईएस/डीएसएस से संबंधित योजना के लिए सार्थक साधन के रूप में कार्य का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा में पीएफएमएस के इस पहलू का अध्ययन किया गया था।

पीएफएमएस द्वारा डीबीटी योजनाओं के कवरेज की स्थिति

पीएफएमएस का उपयोग करते हुए डीबीटी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

- आधार सीडिंग और लाभार्थी खाता मैपिंग के साथ लाभार्थियों के डाटा का सृजन, लाभार्थियों की पहचान के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभाग/कार्यान्वयन अभिकरण जिम्मेदार है। मंत्रालय/विभाग राज्य विभाग/कार्यान्वयन अभिकरण से यह अपेक्षित है कि वह पीएफएमएस में दर्ज करें और विभागीय उपयोगिताओं का सृजन करें।
- लाभार्थी डाटा को पीएफएमएस में स्थानांतरित किया गया था जोकि बैंकों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)⁴ के माध्यम से साख की सत्यापित करके लाभार्थी डाटा और बैंक खातों को मान्य करते

⁴ भारत में मजबूत भुगतान एवं निपटान अवसंरचना का सृजन करने के लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय भारतीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का सृजन किया गया है।

है। हालांकि, पीएफएमएस भुगतान के लिए संबंधित मंत्रालयों से संस्वीकृत और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर की गई फाइलों को प्राप्त करता है और मंत्रालय/विभाग के प्रायोजित बैंक का उपयोग करते हुए लाभार्थी खाते में लाभ का अंतरण सुनिश्चित करता है।

डीबीटी मिशन में रोकड़ अंतरण सम्मिलित करते हुए 51 मंत्रालयों के कुल 323 डीबीटी योग्य योजनाएं सूचीबद्ध हैं। इनमें से, वर्ष 2016-17 के लिए 140 योजनाएं लाभ अंतरण के डीबीटी प्रणाली के अनुसार थीं। पीएफएमएस में डीबीटी संबंधित योजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2017) से पता चला कि 2016-17 में पीएफएमएस द्वारा केवल 89 डीबीटी योजनाओं के अंतरण आवृत्त थे।

डीबीटी मिशन में एलपीजी आर्थिक सहायता योजना पहल सूचीबद्ध है जिसमें लगभग ₹ 52,076.85 करोड़ का भुगतान शामिल है (31 मार्च 2017) और सभी डीबीटी लाभार्थियों के लगभग 53 प्रतिशत और कुल डीबीटी भुगतानों के 28 प्रतिशत बनता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सूचना के दैनिक अद्यतन के लिए इस प्रणाली को अब तक पीएफएमएस से जोड़ा नहीं गया है। अतः, इस योजना से संबंधित एमआईएस सूचना प्रदान करने के लिए पीएफएमएस का उपयोग नहीं किया जा सका था।

पीएफएमएस में डीबीटी योजनाओं के कवरेज की वर्ष-वार प्रगति के ब्यौरे निम्न तालिका सं. 9 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 9: पीएफएमएस में डीबीटी योजना के कवरेज की प्रगति

वर्ष	डीबीटी ऑनबोर्ड योजनाएं (डीबीटी मिशन)	पीएफएमएस द्वारा कवरेज योजनाएं
2014-15	34	25
2015-16	59	46
2016-17	140	89

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफएमएस द्वारा सभी डीबीटी योजनाओं के पूरे कवरेज की अनुपस्थिति में निधियों के सामयिक तथा सूचित अंतरण को सुनिश्चित करने वाले निधि प्रवाह को मॉनीटर करने के लिए पीएफएमएस प्रवाह को मॉनीटर करने के लिए पीएफएमएस के कथित उद्देश्य और इन योजनाओं में पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

कुल डीबीटी लाभार्थियों और निधि संवितरण में अपने प्रमुख अंश को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित पीएफएमएस के डाटा की जांच इस योजना में कवरेज और एमआईएस/डीएसएस के रूप में पीएफएमएस में एकत्रित सूचना के उपयोग का आकलन करने के लिए किया गया था। मनरेगा में पीएफएमएस के कवरेज से संबंधित एमआईएस रिपोर्टों के विश्लेषण से पीएफएमएस का उपयोग करते हुए समग्र किए गए भुगतान का पता चला जैसाकि निम्न तालिका सं. 10 में दिया गया है:

तालिका सं. 10: मनरेगा में पीएफएमएस का उपयोग करते हुए सभी लेने-देन और भुगतान की गई राशि

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	डीबीटी-मनरेगा	
	कुल अंतरण	भुगतान की गई कुल राशि
2014-2015	0.04	67.79
2015-2016	25.54	30,911.36
2016-2017	35.36	46,891.90
2017-2018	31.13	39,661.22

यह पाया गया था कि डीबीटी मिशन की वेबसाइट नियमित रूप से मनरेगा समेत डीबीटी योजनाओं के अंतरणों तथा अंतरित निधियों, डीबीटी लाभार्थियों का डाटा नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अपनी वेबसाइट <http://www.nrega.nic.in> पर इस योजना से संबंधित एमआईएस डाटा प्रकाशित करता है। सूचना प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग के प्रमुख मापदंड अर्थात् पीएफएमएस और इन स्रोतों के लिए लाभार्थी लेनदेन और अंतरित निधियां वही है।

हालांकि, पीएफएमएस के अंतर्गत कवरेज तथा सभी लाभार्थियों के पारदर्शी चित्रण के लिए इन स्रोतों और पीएफएमएस के बीच डाटा विनियम का कोई तंत्र नहीं था। इसके अलावा, पीएफएमएस द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे लेखाओं में वित्तीय सूचना और डीबीटी मिशन और एमओआरडी में सूचित किए जा रहे एमआईएस आंकड़ों को पीएफएमएस में इन योजनाओं की प्रगति की पारदर्शी चित्र को पाने के लिए तुलना नहीं की जा सकती थी। पब्लिक डोमेन में डाटा

प्रकटीकरण की यर्थाथता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने बताया कि योजनाओं का प्रबंध करने के लिए मंत्रालय की ओर से भुगतानों की पुर्नमिलान के लिए नरेगासॉफ्ट को सफल भुगतानों का डाटा भेजा जाता है। हालांकि, सभी रिपोर्टों के पारदर्शी चित्रण के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

इसलिए पीएफएमएस ने पीएफएमएस के अंतर्गत सूचित और मंत्रालयों के योजना एमआईएस (अक्टूबर 2017) की योजना से संबंधित तुलना के स्वतंत्र कॉस प्लेटफार्म प्रदान नहीं किया था। पीएफएमएस डाटा की मौजूदा स्थिति ने सरकार द्वारा परिकल्पित रूप से व्यापक, पारदर्शी, उद्देश्य उन्मुख सूचना प्रदान नहीं किया गया था और यह योजनाबद्ध रूप से विशिष्ट एमआईएस/डीएसएस को किसी नियम के अंतर्गत नहीं किया गया था।

8.1.6 पीएफएमएस लागत लाभ विश्लेषण

पीएफएमएस की उपयोगिता को प्रक्षेपित करते समय यह उल्लेख किया गया था कि योजना कार्यान्वयन पदक्रम में निधियों के फ्लोट⁵ के निवारण के परिणामस्वरूप ₹ 8,363 करोड़ तक की ब्याज लागतों के बचतों में हो सकता है। 2017 (दिसम्बर 2016) के आगे पीएफएमएस के विस्तार के लिए प्रस्तुत ईएफसी नोट में दोहराया कि पीएफएमएस के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज पर लगभग ₹ 10,000 करोड़ बचतों की प्राप्ति की जा सकती थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी योजना जहां पीएफएमएस कार्यान्वित किया जा रहा है वहां वास्तविक निधि प्रवाह, पदक्रम में व्यर्थ पड़ी हुई निधियां, रोके गए निधियों के वास्तविक फ्लोट और फ्लोट की अवधि को मानते हुए ब्याज बचतें और मौजूदा ब्याज देरों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था। अतः पीएफएमएस का उसके निधि फ्लोट का निवारण करने और ब्याज का बोझ कम करने के उद्देश्य के संदर्भ में पीएफएमएस की प्रभाविकता का आकलन करना संभव नहीं है।

⁵ 'समय पर' निधि आवंटन के अभाव में, निधियां बजट आवंटन के समय कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को अंतरित की गई हैं। यह निधियां अंतिम व्यय किए जाने तक अभिकरणों के पास व्यर्थ रही। यह निधि फ्लोट है। तथापि, केन्द्र सरकार ने दिन प्रतिदिन व्यय हेतु निधियों के लघु अवधि उधार का सहारा लेना जारी रखा तथा ब्याज व्यय किया। समय पर निधि के निर्गम से इन ब्याज लागतों से बचा जा सकता था।

पीएफएमएस को योजना विशिष्ट एमआईएस में विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न स्वतंत्र प्रणालियां चलाने के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/अनुरक्षण की प्राप्ति को कम करने के लिए प्रत्याशित एसएसएस (सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) के रूप में परिकल्पित किया था। यह अनुमान लगाया गया था कि भौतिक और वित्तीय मॉनीटरिंग के लिए योजना-विशिष्ट एमआईएस की आवश्यकताओं का निपटान करने के पश्चात लगभग ₹ 1,900 करोड़ की बचतों की प्राप्ति की जा चुकी थी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि विभिन्न कार्यालयों में कार्य के क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया था जोकि पीएफएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात निरर्थक माना जा सके। पीएफएमएस के कार्यान्वयन के पश्चात स्टाफ की आवश्यकताओं और लागत युक्तिकरण का आकलन करने के लिए कोई कार्य अध्ययन नहीं किया गया, था। इसके कारण लेखांकन कार्यालयों में कार्य और योजना संबंधित एमआईएस/डीएसएस की आवृत्ति होगी जहाँ कार्य पीएफएमएस द्वारा किया जा रहा है।

8.1.7 निष्कर्ष

2014-17 के दौरान पीएफएमएस की कार्यान्वयन कार्यनीति की समीक्षा से पता चला कि पीएफएमएस ने परियोजना कार्यान्वयन के लगभग सभी मापदंडों पर समयसीमाओं का पालन नहीं किया था और अपने कथित उद्देश्यों पर अब तक कुछ करने को तैयार नहीं है। इस अवधि के दौरान भौतिक और वित्तीय प्रगति की गति धीमी है और कार्यान्वयन कार्यनीति में परियोजना कार्यान्वयन के योजनागत प्रणाली के साथ आवश्यक सुसंगत होने की कमी है। विस्तृत अवधि में भी परिकल्पित रूप से संरचनात्मक रूप में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए व्यय, मानव संसाधन तैनाती की योजना बनाने और व्यय को मॉनीटर करने के लिए मजबूत संस्थागत रूपरेखा और प्रौद्योगिकी विकास में जोखिमों का प्रबंधन नहीं किया जा सका था।

मंत्रालय को मामला नवम्बर 2017 में प्रेषित किया गया था; इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IX : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई

9.1 संविदाओं को सौंपने में अनियमितताएं

मानव संसाधन सेवा के प्रापण हेतु निविदा मूल्यांकन समिति ने सरकार की प्रापण नीति के उल्लंघन में दो बोलीकर्ताओं को अनियमित रूप से अयोग्य ठहराया जिससे प्रापण प्रक्रिया व्यर्थ तथा नीति के उद्देश्य विफल हुए। अन्य मामले में बोली दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मापदण्ड से परिवर्तन द्वितीय श्रेणी के अभिकरण को कार्य सौंपे जाने का कारण बना जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (आईआईपीएस) का एशिया तथा पॅसिफिक क्षेत्र के देशों हेतु क्षेत्रिय जनसंख्या अध्ययन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए जुलाई 1956 में स्थापना की गई थी। आईआईपीएस बड़ी संख्या में अनुसंधान, परियोजनाएं मूल्यांकन परक अध्ययन तथा बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों का भी संचालन करता है। संस्थान द्वारा की गई संविदाओं की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चला:

ए. बोलीकर्ताओं की अनियमित अयोग्यता

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने एक लोक प्रापण नीति¹ जारी की जिसने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत सूक्ष्म तथा लघु उपक्रम की मुफ्त निविदा सेट प्रदान करके तथा बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट प्रदान करके मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2005 का नियम 157(i) प्रावधान करता है कि बोली प्रतिभूति (जिसे बयाना राशि के रूप में भी जाना जाता है) उनके, जो केन्द्रीय क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अथवा संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं, को छोड़कर बोलीकर्ताओं से प्राप्त की जानी है।

¹ अधिसूचना सं. 503 दिनांक 26 मार्च 2012

आईआईपीएस ने सितंबर 2016 में मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रित की। उत्तर में, पांच फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे, जिसमें से दो बोलीकर्ताओं ने छूट हेतु एनएसआईसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। तकनीकी बोलियां अक्टूबर 2016 में एक समिति द्वारा खोली गई थीं जिसने इन दोनों बोलीकर्ताओं को इस आधार पर अयोग्य ठहराया था कि उन्होंने ईएमडी तथा निविदा शुल्क अदा नहीं किया था जबकि उन्होंने इसकी छूट हेतु एनएसआईसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात् नवम्बर 2016 में शेष तीन बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली खोली गई थी तथा कार्य न्यूनतम बोलीकर्ता को सौंपा गया था।

आईआईपीएस ने बताया (नवम्बर 2017) कि दो बोलीकर्ताओं को अनेक कारणों जैसे कि निविदा शुल्क का भुगतान न करना, लेखापरीक्षित लेखा विवरणी, संतुष्ट उपभोक्ता प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को जमा न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दोनों अभिकरणों ने आईआईपीएस के निर्णय पर आपत्ति नहीं की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों बोलीकर्ता एमएसएमई थे जो उपरोल्लेखित प्रापण नीति तथा जीएफआर के अनुसार निविदा शुल्क तथा ईएमडी के भुगतान से छूट प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त यह तर्क कि अभिकरणों ने उनको अयोग्य ठहराए जाने हेतु आपत्ति नहीं की थी, सही नहीं है क्योंकि एक फर्म द्वारा उन्हें एनएसआईसी प्रमाणपत्र, जिस पर संस्थान द्वारा विचार नहीं किया गया था (दिसंबर 2016), की अस्वीकृति के कारण अयोग्य ठहराये जाने की आपत्ति दर्ज की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान नीति के उल्लंघन में बोलीकर्ताओं की अयोग्यता न केवल अनियमित थी बल्कि इसने विक्रेता क्षेत्र को सीमित किया तथा कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया कि संस्थान संविदागत सेवाओं हेतु सर्वाधिक प्रतियोगी मूल्य प्राप्त करने में समर्थ था।

बी. फील्ड अभिकरणों का अनियमित चयन

आईआईपीएस को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) करने हेतु फील्ड अभिकरणों के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने तथा बोलियों के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था। जीएफआर 2005 का नियम 160 अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध करता है कि सभी सरकारी क्रयों को एक पारदर्शी, प्रतियोगी एवं स्पष्ट प्रकार से किया जाना चाहिए तथा

बोली दस्तावेज बोलीयों के मूल्यांकन हेतु मापदण्डों/घटकों से बिना किसी अस्पष्टता के स्वतः पूर्ण तथा व्यापक होना चाहिए तथा अनुकूल न्यूनतम बोलीकर्ता को संविदा सौंपने हेतु मापदण्ड को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। बोलियों का बोली दस्तावेजों में पहले से ही सम्मिलित शर्तों के अनुसार मूल्यांकित किया जाना चाहिए तथा कोई नई शर्त, जिसे बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया था, को बोलियों के मूल्यांकन हेतु उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। संविदा आमतौर पर न्यूनतम मूल्यांकित बोलिकर्ता को सौंपी जानी चाहिए जिसकी बोली अनुक्रियाशील पाई गई है तथा जो सगंत बोली दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के अनुसार संविदा को पूरा करने हेतु पात्र एवं योग्य है।

एनएफएचएस-4 के बोली दस्तावेज के अनुसार, बोलियों को संयुक्त गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन (सीक्यूसीसीबीएस) मापदण्ड के आधार पर मूल्यांकित किया जाना था जिसमें तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव हेतु महत्व क्रमशः 75 तथा 25 प्रतिशत था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने असम तथा मणिपुर राज्यों के सर्वेक्षण कार्य को प्रथम दर्जे के फील्ड अभिकरण के स्थान पर उन दो फील्ड अभिकरणों को सौंपा जो मूल्यांकन विवरणी में दूसरे दर्जे पर थे। अतिरिक्त व्यय जो दूसरे स्थान के फील्ड अभिकरण को कार्य सौंपने पर किया गया था, को मार्च 2017 तक ₹ 2.42 करोड़ परिकलित किया गया जैसा नीचे तालिका सं. 1 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 1: अतिरिक्त व्यय जो कार्य सौंपने में व्यय किए गए

राज्य	चयनित बोलीकर्ता			एच एच ² की सं.	कुल लागत (₹ लाख में) (4 x 5)	प्रथम स्थान का बोलीकर्ता		कुल लागत (₹ लाख में) (5 x 8)	विभेद लागत (₹ लाख में) (6 - 9)
	अंक ³	स्थान	उद्भूत दर			अंक	दर (₹)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
असम	87.00	2	1,854	23,220	430.50	87.30	1,371	318.35	112.15
मणिपुर	85.40	2	2,615	11,180	292.36	85.50	1,458	163.00	129.36
कुल									241.51

² परिवार

³ अंक में तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन में बोलिकर्ताओं को आबंटित अंकों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

आईआईपीएस ने बताया (नवम्बर 2017) कि परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) का तर्क था कि प्रथम दर्जे के अभिकरण के उद्धत मूल्य काफी कम (पर्वतीय क्षेत्रों हेतु-न्यूनतम अनुमानित मूल्य से 20 प्रतिशत कम) थे तथा अभिकरण के लिए गुणवत्ता से समझौता किए बिना परिणामो को प्रदान करना संभव नहीं होगा। इसलिए, पीएमसी ने असम तथा मणिपुर का सर्वेक्षण कार्य द्वितीय दर्जे के अभिकरण को आबंटित किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बोलियों को बोली दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मापदण्ड के अनुसार कड़ाई से मूल्यांकित किया जाना था। बोली दस्तावेज में व्यक्त मापदण्ड से विचलित करने वाले स्वयनिर्गम के कार्य ने पारदर्शता एवं स्पष्टता के सिद्धांत की काट की तथा यह उपर्युक्त कथित जीएफआर के उल्लंघन में था।

मामला सितंबर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

9.2 अनुपयुक्त प्रापण योजना के परिणामस्वरूप उपकरण व्यर्थ पड़े रहे

राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा उपकरण के प्रापण में अनुपयुक्त योजना के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश के अनुसार निष्पादन करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹1.52 करोड़ के उपकरण व्यर्थ पड़े रहे तथा ₹2.13 करोड़ के उपकरण को पांच वर्षों से अधिक के लिए इष्टतम उपयोग में नहीं लाया गया।

स्वचलित प्रोटीन डाइजेस्टर (एपीडी) तथा रोबोटिक स्पॉट पिकर (आरएसपी) डाइजेस्टिड नमूना, जिसको मैट्रिक्स एसिस्टेड लेजर डीसोर्प्शन/आयोनाइजेशन टाईम ऑफ फ्लाइंट (एमएएलडीआई टीओएफ) मशीन द्वारा विश्लेषित किया जाता है, सृजित करने हेतु संयोजन में कार्य करते हैं। ये तीनों उपकरण एक साथ प्रोटीओमिक्स प्रणाली स्थापित करते हैं।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), हैदराबाद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली की एक इकाई ने एपीडी तथा आरएसपी के प्रापण का प्रस्ताव किया (अगस्त 2007)। तथापि, आईसीएमआर ने निधियों के प्रतिबंध के कारण केवल एपीडी के प्रापण को स्वीकृत किया

(जुलाई 2008)। एपीडी का बाद में अप्रैल 2009 में ₹ 95.07 लाख की लागत में प्रापण किया गया था तथा अक्टूबर 2009 में संस्थापित किया गया था।

बाद में फरवरी 2011 में, आईसीएमआर की तकनीकी समिति ने आरएसपी के प्रापण को स्वीकृत किया तथा मार्च 2011 में एनआईएन द्वारा एक विदेशी आपूर्तिकर्ता को यूएस डालर 1,14,438.52 (₹ 56.55 लाख⁴) का आपूर्ति आदेश दिया गया था। आपूर्ति आदेश की शर्तों ने अनुबंध किया कि विदेशी आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट को उपयुक्त संस्थापना की तिथि से निष्पादन प्रतिमूर्ति के रूप में उपकरण के सीआईएफ⁵ मूल्य (₹ 5.27 लाख लगभग) के 10 प्रतिशत की बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करनी थी जिसे आईसीएमआर द्वारा वारंटी अवधि अर्थात् तीन वर्षों की समाप्ति तक रखा जाएगा। आपूर्तिकर्ता को जब कभी आवश्यकता हो निवारक अनुरक्षण जांच तथा ब्रैकडाउन जांच प्रदान करनी थी। इसके अतिरिक्त, यदि उपकरण 18 दिनों से अधिक तक कार्य न करने की स्थिति में रहता है तो आपूर्तिकर्ता दण्ड के रूप में एफओबी⁶ (₹ 0.052 लाख लगभग) के 0.1 प्रतिशत प्रति सप्ताह (वारंटी अवधि तक) अदा करने को भी सहमत था।

आरएसपी को सितम्बर 2011 में सुपूर्द किया गया था परंतु उपकरण की संस्थापना तथा तकनीकी प्रदर्शन आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट के पास तकनीकी रूप से कुशल कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण केवल अक्टूबर 2013 में जाकर ही किया जा सका था। संस्थापना के दौरान, आपूर्तिकर्ता के तकनीकी कार्मिक ने पाया कि उपकरण का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) खराब था तथा उसे बदले जाने की आवश्यकता थी। आपूर्तिकर्ता ने नवम्बर 2016 में अर्थात् संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात पीसीबी को बदला। तथापि, उपकरण के अनुप्रयोग प्रदर्शन को अभी भी (अक्टूबर 2017) आपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) जबकि एनआईएन इस तथ्य से अवगत था कि आरएसपी तथा एपीडी परस्पर निर्भर थे तथा एमएएलडीआई-टीओएफ के इष्टतम उपयोग हेतु दोनों आवश्यक थे फिर भी एनआईएन दोनों एपीडी तथा आरएसपी के एक साथ

⁴ आयातित माल की लागत ₹ 56,54,893= ₹ 52,75,616 (यूएस डालर 1,14,438.52* ₹ 46.10 (अगस्त 2011 को) ₹ 3,79,277 सहित (शुल्क तथा अन्य व्यय)

⁵ माल बीमा तथा भाड़ा

⁶ फ्री ऑन बोर्ड

प्रापण को समर्थ बनाने हेतु प्रापण प्रस्तावों की पुनः प्राथमिकता तथा निधियों के पुनर्आबंटन की संभाव्यता की खोज करने में विफल रहा। आईसीएमआर के पास निधियां उपलब्ध थी क्योंकि आईसीएमआर की तकनीकी समिति ने एनआईएन हेतु ₹ 6.08 करोड़ की अन्य आठ मशीनों का प्रापण स्वीकृत किया (मार्च 2009)।

(ii) यद्यपि आपूर्तिकर्ता ने सुपुदगी के पश्चात् दो वर्षों तक आरएसपी को संस्थापित नहीं किया था, बैंक प्रतिभूति प्रदान करने में विफल था, खराब भाग (पीसीबी) को बदलने में आगे तीन वर्ष और लिए थे तथा अभी भी अनुप्रयोग प्रदर्शन को पूर्ण करना था फिर भी एनआईएन ने आपूर्ति आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार दण्ड अथवा निष्पादन प्रतिभूति की मांग नहीं की थी। कुल ₹ 16.67 लाख⁷ का दण्ड आपूर्तिकर्ता पर लगाया जना था क्योंकि उपकरण सुपुदगी से गैर-क्रियाशील स्थिति में रहा।

(iii) आरएसपी को क्रियात्मक बनाने में एनआईएन की विफलता का परिणाम न केवल एपीडी के व्यर्थ होने में हुआ बल्कि इसने एमएएलडीआई-टीओएफ के कार्य को भी प्रभावित किया जिसे ₹ 2.13 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2011 में संस्थापित किया गया था। एमएएलडीआई-टीओएफ को कम शारीरिक हस्तक्षेप के 1000-2000 नमूने प्रति वर्ष का विश्लेषण करना था। आरएसपी तथा एपीडी बड़ी संख्या में नमूनों का विश्लेषण करने हेतु हस्त्य प्रक्रियाओं को कम करने के लिए थी। एमएएलडीआई-टीओएफ के साथ इन दो उपकरणों के गैर-एकीकरण के कारण प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन करने हेतु इसके उपयोग के अतिरिक्त यह सितंबर 2017 तक केवल 200 नमूनों का विश्लेषण कर सका था।

एनआईएन ने बताया (जून 2017) कि आपूर्तिकर्ता बैंक प्रतिभूति प्रदान करने तथा वारंटी को बढ़ाने के अतिरिक्त अनुप्रयोग प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। इस प्रकार, एनआईएन द्वारा अनुप्रयुक्त प्रापण योजना तथा एपीडी तथा आरएसपी के प्रापण के गैर-समक्रमण के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा निष्पादन करने हेतु आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने में विफलता का परिणाम ₹ 1.52 करोड़ की लागत पर प्रापण किए गए उपकरण (आरएसपी

⁷ दण्ड= ₹16,67,095 (₹52,75,616 का 0.1 प्रतिशत*316 सप्ताह (24 सितंबर 2011 से 31 अक्टूबर 2017))

एवं एपीडी) के व्यर्थ रहने तथा ₹ 2.13 करोड़ की लागत पर प्रापण किए एमएएलडीआई-टीओएफ के उप-इष्टतम उपयोग में हुआ।

इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उल्लिखित उन बेकार पड़े उपकरणों के उदाहरण हैं जो एनआईएन के रिकॉर्ड के नमूना परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा के नोटिस में आए थे तथा इसी तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिमों से इनकार नहीं करते हैं। इस तरह मंत्रालय सभी स्वायत्त निकायों में उनके नियंत्रणाधीन सम्पत्ति के उपयोग की समीक्षा कर सकता है ताकि समान मामलों की संभावना समाप्त हो सके।

मामला मई 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

9.3 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में उपकरण का प्रापण तथा अनुरक्षण

संस्थान में एक प्रापण नियमपुस्तक के रूप में एक स्थापित प्रक्रिया की कमी थी जो आवश्यकता के साकल्यवादी तथा प्रणालीगत निर्धारण के आधार पर उपकरण के प्रभावी प्रापण प्रबंधन तथा सामयिक अधिग्रहण को सुनिश्चित कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर प्रापण किये जाने, वित्त वर्ष के अंत में भारी व्यय तथा प्रापण मामलों को आगे बढ़ाने में विलम्ब में हुआ। उपकरण की आपूर्ति अथवा संस्थापना में विलम्ब हेतु कुल ₹ 72.77 लाख के दण्ड के उदग्रहण में विलम्ब तथा उपकरण की खराबी के समय के गलत परिकलन तथा संविदात्मक नियमों के अनुसार उपकरण की खराबी के अधिक समय हेतु लगभग ₹ 1.46 करोड़ के दण्ड की गैर-वसूली के साथ जहाँ आपूर्तिकर्ता ने अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा नहीं किया था वहाँ संस्थान अपने पास उपलब्ध संविदात्मक उपायों को लागू करने में भी विफल रहा। इसने दण्ड प्रावधानों के निवारक प्रभाव के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा के उचित निष्पादन को लागू करने हेतु संस्थान की समर्थता, दोनों को दुर्बल किया।

9.3.1 प्रस्तावना

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (संस्थान), चण्डीगढ़ की विशेषज्ञों एवं चिकित्सा शिक्षकों की देश की आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्नातकोत्तर

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ संसद के अधिनियम (1996 का 51) के माध्यम से स्थापना की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति को अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक अवसंरचना तथा सुविधाओं के सृजन के साथ गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा तथा रोगी देखभाल प्रदान करने हेतु अनिवार्य विभिन्न उपकरणों का सामयिक प्रापण तथा संस्थापन अपेक्षित है। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

संस्थान द्वारा उपकरण के प्रापण की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने हेतु की गई थी कि क्या उपकरण का प्रापण निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के अनुसार किया जा रहा था। लेखापरीक्षा 2012-13 से 2016-17 की पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया। लेखापरीक्षा ने प्रापण के 491 मामलों में से 10 लाख से अधिक के 81 मामलों का विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया। इसके अतिरिक्त, 49 विभागों में से 11 का उपकरण के संचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया था।

9.3.2 बजट आबंटन तथा व्यय

संस्थान उपकरण की खरीद तथा अन्य परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एवं एफडब्ल्यू) से योजनागत अनुदान प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा अवधि 2012-17 के दौरान योजनागत अनुदान के अंतर्गत बजट आबंटन की तुलना में वास्तविक व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: बजट आबंटन की तुलना में वास्तविक व्यय (2012-17)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	बजट आबंटन	कुल	व्यय	बचत (+)/ आधिक्य(-)
2012-13	42.77	118.23	161.00	158.10	(+) 2.90
2013-14	2.90	150.00	152.90	153.58	(-) 0.68
2014-15	शून्य	135.00	135.00	135.45	(-) 0.45
2015-16	शून्य	125.00	125.00	125.14	(-) 0.14
2016-17	शून्य	168.00	168.00	135.40	(+) 32.60

9.3.3 वित्तीय प्रबंधन

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 का नियम 56(3) अनुबंध करता है कि भारी व्यय, विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माह में, को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के सारांश के अनुसार, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दोनों योजनागत के साथ-साथ योजनेत्तर शीर्षों के अंतर्गत व्यय को कुल बजट के 33 प्रतिशत तथा अंतिम माह अर्थात् मार्च में 15 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

₹ पांच लाख से अधिक के आपूर्ति आदेशों की नमूना जांच से पता चला कि संस्थान ने 2012-17 की अवधि के दौरान उपकरण हेतु कुल आपूर्ति आदेशों में से 41 से 80 प्रतिशत मार्च माह के दौरान जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, संस्थान में आपूर्ति आदेशों की राशि के 80 प्रतिशत को तुरंत व्यय के रूप में दर्ज किया था जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष के अंत में भारी व्यय हुआ जैसा तालिका सं. 3 में दिया गया है:

तालिका सं. 3: वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान जारी क्रय आदेशों की तुलना में मूल्य							
		वर्ष के दौरान		वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान			मार्च माह के दौरान		
		पी ओ की संख्या	पी ओ का मूल्य	पी ओ की संख्या	पी ओ का मूल्य	% प्रतिशतता	पी ओ की संख्या	पी ओ का मूल्य	% प्रतिशतता
1.	2012-13	160	113.72	94	66.55	59%	66	47.17	41
2.	2013-14	193	124.40	82	28.43	23%	111	95.97	77
3.	2014-15	186	89.55	63	24.59	27%	123	64.96	73
4.	2015-16	144	80.77	66	15.54	20%	78	65.23	80
5.	2016-17	134	72.82	56	18.87	26%	78	53.95	74
		कुल	481.26		153.98			327.28	

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि हालांकि खरीद मामले समय पर प्रारम्भ किए गए थे फिर भी व्यय, संस्थान क्रय समिति (₹ पांच लाख से ₹ 25 लाख तक की खरीद हेतु) तथा स्थायी क्रय समिति (₹ 25 लाख से अधिक के मामलों हेतु) की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर, स्थायी क्रय समिति की बैठकें एक वर्ष में दो या तीन अवसरों से अधिक नहीं होती थीं तथा अधिकांश बैठक वित्त वर्ष की अंतिम दो तिमाही में

हुई थी। इस तरह, व्यय वित्त वर्ष की समाप्ति पर किया जा सकता था। मंत्रालय ने हालांकि यह भी बताया कि संस्थान अधिक बारंबार बैठको का आयोजन करके शोधक कार्रवाई कर रहा था जिससे कि व्यय को पूरे वर्ष बराबर किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान मार्च के दौरान भारी व्यय से बचने के लिए बैठकों को सही समय पर निर्धारित कर सकता था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान शामिल पांच वर्षों में से चार में स्वयं प्रथम तीन तिमाहियों में वास्तव में पर्याप्त निधियां अर्थात् वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः 100 प्रतिशत, 84 प्रतिशत, 96 प्रतिशत तथा 81 प्रतिशत उपलब्ध थीं। इस प्रकार, संस्थान के पास प्रापण प्रक्रिया की अच्छी योजना हेतु आवश्यक निधियां उपलब्ध थीं।

9.3.4 प्रापण हेतु स्थापित प्रक्रिया अथवा क्रियाविधि का अभाव

चिकित्सा उपकरण का सामयिक प्रापण तथा अनुरक्षण संस्थान के कुशल कार्य तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकता है। इसके लिए एकरूप तथा अच्छी तरह से प्रलेखित नीति/दिशानिर्देश होना अनिवार्य है।

9.3.4.1 क्रय नियमपुस्तक का अभाव

संस्थान में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, निधियों के आबंटन के संबंध में संस्वीकृति पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उपभोक्ता विभाग तकनीकी विशिष्टताएं तैयार करता है तथा आगे की प्रक्रिया हेतु प्रापण शाखा को प्रस्ताव भेजता है। इसके पश्चात् प्रापण शाखा तकनीकी विशिष्टताओं की स्वीकृति हेतु संबंधित कोर तकनीकी समिति (सीटीसी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। स्वीकृति के पश्चात् निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) से न्यूनतम 21 दिनों की निर्धारित तिथि सहित निविदाएं जारी की जाती हैं। निविदा खोलने के पश्चात् प्रस्ताव को तकनीकी बोली मूल्यांकन विवरणी तैयार करने हेतु संबंधित सीटीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तकनीकी बोलियों की स्वीकृति के पश्चात्, प्रापण शाखा द्वारा मूल्य बोलियों को खोला जाता है जिन्हें फिर संबंधित विभाग को मूल्य बोली मूल्यांकन विवरणी तैयार करने हेतु भेजा जाता है। मूल्य बोली मूल्यांकन विवरणियों को फिर से संबंधित सीटीसी के समक्ष न्यूनतम बोली की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात्

मामले को वित्तीय स्वीकृति हेतु लेखा शाखा को भेजा जाता है। एक बार स्वीकृत होने पर मामले को फिर सक्षम क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, संस्थान के पास कोई क्रय/प्रापण नियमपुस्तक नहीं थी जो प्रदान समय सीमाओं के भीतर प्रापण कार्यों का मार्गदर्शन कर सके तथा प्रभावी निविदा निरूपण तथा सुसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सके। संस्थान ने 2009 में भारत के लोक लेखापरीक्षक संस्थान, चण्डीगढ़ के माध्यम से एक क्रय/प्रापण नियमपुस्तक तैयार करवाई थी परंतु इसे अभी भी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि यद्यपि अभी ड्राफ्ट क्रय नियमपुस्तक स्वीकृत नहीं थी इसलिए संस्थान प्रापण मामलों में जीएफआर का अनुपालन कर रहा था। संस्थान ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मंत्रालय का तर्क था कि सभी तीनों स्वायत्त संस्थानों अर्थात् एम्स नई दिल्ली, पीजीआईएमईआर चण्डीगढ़ तथा जेआईपीएमईआर पुडुचेरी के लिए एक समरूप क्रय नियमपुस्तक तैयार करने हेतु एक समिति का गठन करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीनों संस्थानों हेतु एक समरूप क्रय नियमपुस्तक तैयार करने हेतु अभी तक (अक्टूबर 2017) ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया था।

9.3.4.2 आवश्यकताओं के प्रणालीगत निर्धारण की कमी

इस आकार तथा जटिलता वाले एक संस्थान की विविध आवश्यकता को पूरा करने में प्रापणों की योजना तथा प्राथमिकता अपेक्षित है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। डीजीएचएस नियमपुस्तक (अस्पताल) के अनुसार, प्रत्येक अस्पताल को एक प्रक्षेपित मुख्य योजना तैयार करनी चाहिए जो चरणों में बटी होनी चाहिए तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपकरण की विभाग स्तरीय आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। अस्पताल द्वारा तैयार वार्षिक योजनाएं मुख्य योजना पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकरण के प्रापण हेतु एक व्यापक योजना को न तो संस्थान स्तर पर केन्द्रीय रूप से और न ही विभाग स्तर पर तैयार किया गया था तथा प्रापण तदर्थ मामला-दर-मामला आधार पर विभाग से प्राप्त मांग पत्र/आवश्यकताओं पर आधारित थे। प्रापण की कोई प्राथमिकता अथवा समग्र आवश्यकता का साकल्यवादी निर्धारण नहीं था जो यह आश्वासन प्रदान कर सकता कि संस्थान की आवश्यकता को एक प्रणालीगत तथा इष्टतम प्रकार से पूरा किया जा रहा था।

9.3.4.3 कुशल प्रापण हेतु मॉनीटरिंग तथा सूचना प्रणालियों की कमी

संस्थान ने एक अस्पताल सूचना प्रणाली जिसमें एक प्रापण माड्यूल शामिल था हेतु मार्च 2007 में मैसर्स सेंटर फार डेवलोपमेंट आफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डीएसी) के साथ एक अनुबंध किया। परियोजना को ₹ 20.21 करोड़ की लागत पर तीन चरणों⁸ में कार्यान्वित किया जाना था जिन्हे क्रमशः अप्रैल 2008, अक्टूबर 2008 तथा मार्च 2009 तक समाप्त किया जाना निर्धारित था। चरण-I में प्रापण माड्यूल शामिल था। तथापि परियोजना का चरण-I, अप्रैल 2008 में निर्धारित समापन से सात वर्षों से अधिक के विलम्ब के पश्चात् सितंबर 2015 में केवल आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था।

संस्थान ने बताया (अक्टूबर 2017) कि चरण-I सितंबर 2015 में पूर्ण हुआ था तथा प्रापण शाखा ने प्रापण माड्यूल का पूर्व परीक्षण किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व परीक्षण में यह उजागर किया गया था कि प्रापण माड्यूल विफल था तथा यह केवल मूल स्थान अर्थात् केन्द्रीय भण्डार से प्रणाली को आरम्भ करने के पश्चात ही क्रियात्मक होगा। प्रापण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण का समापन क्रय प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने तथा प्रापण के विभिन्न स्तरों में विलम्ब से बचने तथा प्रापण प्रस्तावों की स्थिति का पता चलाने में मदद कर सकता था।

⁸ चरण-I: में सेवाएं अर्थात् रोगी पंजीकरण, प्रयोगशाला सेवाएँ, रोगी बिलिंग, रक्त बैंक, केन्द्रीय रोगी पूछताछ, प्रापण प्रणाली तथा ऑनलाईन वस्तुसूची, लेखा एवं प्रशासन शामिल, चरण-II: में अस्पताल उपकरण अनुरक्षण/अवसंरचना अनुरक्षण, क्लिनिकल डाटा कैप्चर की सेवाएं शामिल थी, चरण-III: में अपॉइंटमेंट एवं शेड्यूलिंग, आहार एवं रसोई, ड्यूटी रोस्टर, केन्द्रीय स्ट्राइल आपूर्ति विभाग, सहयोग सेवाएँ शामिल थी।

9.3.5 प्रापण प्रस्तावों की प्रक्रिया में विलम्ब

स्थापित एवं स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त मॉनीटरिंग प्रणालियों ने प्रापण प्रस्तावों की प्रक्रिया में विलम्ब का कारण बनी। संस्थान ने अनुबंध किया कि तकनीकी विशिष्टताओं को संबंधित विभागों द्वारा दो महीनों की अवधि के भीतर प्रापण शाखा को प्रस्तुत किया जाना था तथा उपकरण की खरीद की पूर्ण प्रक्रिया को चार महीनों की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए था। तथापि, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी क्या समाप्त की जानी वाली पूर्ण खरीद प्रक्रिया हेतु चार महीनों की अवधि, वित्तीय संस्वीकृति की तिथि अथवा विभाग से तकनीकी विशिष्टता की प्राप्ति से माना जाना था।

लेखापरीक्षा ने प्रापण शाखा में संबंधित विभाग से तकनीकी विशिष्टता सहित मांग पत्र की प्राप्ति से चार महीनों की अवधि के मापदण्ड के आधार पर खरीद प्रक्रिया को मूल्यांकित किया। इस मानदण्ड के आधार पर लेखापरीक्षा ने पूर्ण खरीद प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु लेखा शाखा द्वारा निर्धारित चार महीनों के समय के प्रति लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 81 मामलों में से 80 मामलों में एक माह से लेकर चार वर्षों से अधिक के बीच के विलम्ब पाए। 80 विलम्बित मामलों की कीमत ₹ 136.92 करोड़ थी।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि निविदाओं को अक्सर तकनीकी कारणों अर्थात् बयाना जमा (ईएमडी) प्रस्तुत न किए जाने अथवा कोई बोली या केवल एक बोली प्राप्त किए जाने अथवा विशिष्टताओं या संस्थान की नीति के अनुसार उद्धृत न करने के कारण रद्द किया गया था। ये परिस्थितियां उपकरण प्राप्त करने में परिणामी विलम्ब के साथ पुनः निविदा करने का कारण बनी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु प्रदत्त 69 फाईलों में से पुनः निविदा केवल 28 मामलों (41 प्रतिशत) में हुई जबकि 41 मामलो (59 प्रतिशत) में विलम्ब को पुनः निविदा को आरोपित किया गया था। इस प्रकार विलम्ब बड़े पैमाने पर प्रापण प्रस्तावों की प्रक्रिया में प्रशासनिक लापरवाही तथा बोझिल प्रक्रियाओं के कारण थे जिनकी समीक्षा की जा सकती थी तथा उन्हें सरल एवं कारगर बनाया जा सकता था।

9.3.6 खराब संविदा प्रबंधन

अच्छे प्रापण प्रबंधन में संविदात्मक प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से उनके संस्थापन तथा संचालन से संबंधित की गई संविदाओं अथवा आपूर्ति आदेशों की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना शामिल है। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान संविदाओं/आपूर्ति आदेशों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके दायित्वों के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने तथा अपनी शर्तों को लागू करने में विफल था।

9.3.6.1 उपकरण की आपूर्ति/संस्थापना में विलम्ब हेतु दण्ड का कम उद्ग्रहण

एनआईटी/आपूर्ति आदेश की नियम एवं शर्तें अनुबंध करती हैं कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपकरण को संस्थापित करने में विफलता के मामले में खरीददार को 20 सप्ताह तक स्वीकृत निविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के तहत आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर दण्ड का उद्ग्रहण करने का अधिकार था। 20 सप्ताह से अधिक के विलम्ब हेतु खरीददार संविदा को समाप्त कर सकता है। निविदा की मानक शर्तों में बैंक प्रतिभूति के रूप में निष्पादन बंधपत्रों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल है जिसका अपने दायित्वों को पूरा करने में आपूर्तिकर्ता की विफलता के मामले में आह्वान किया जा सकेगा। निष्पादन बंधपत्र प्रापण किए जाने वाले उपकरण के एफओबी⁹ मूल्य का 10 प्रतिशत था। विवादों के मामले में मध्यस्थता का सहारा लेने के भी प्रावधान हैं।

लेखापरीक्षा ने 58 प्रापण मामलों में उपकरण की संस्थापना में एक सप्ताह से दो वर्षों से अधिक तक के बीच का विलम्ब पाया। इन 58 मामलों में से, 17 मामलों में उपकरणों को 20 सप्ताह से अधिक के विलम्ब के साथ संस्थापित किया गया था जो 110 सप्ताह तक के बीच थे, इनमें से दो मामलों में 20 सप्ताह तक के विलम्ब हेतु कुल ₹ 64.12 लाख के दण्ड की अक्टूबर 2017 तक अभी भी आपूर्तिकर्ताओं से वसूली की जानी थी। शेष 41 मामलों, जहां विलम्ब 20 सप्ताह के भीतर था, में से 39 मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्ड वसूला गया था अथवा विलम्ब को माफ किया गया था जबकि शेष दो

⁹ फ्री ऑन बोर्ड

मामलों में न तो विलम्ब को माफ किया गया था और न ही ₹ 8.65 लाख के दण्ड की वसूली की गई थी।

इस प्रकार, उपकरण की विलम्बित संस्थापना हेतु चार आपूर्तिकर्ताओं से कुल ₹ 72.77 लाख के दण्ड की वसूली की जानी शेष थी। संस्थान उपकरण की संस्थापना में 20 सप्ताह से अधिक के लिए निष्पादन बंधपत्र का आह्वान और आपूर्तिकर्ता द्वारा संविदा शर्तों के अनुपालन किए जाने हेतु अन्य उपायों का सहारा लेने में भी विफल था।

संस्थान ने बताया (अक्टूबर 2017) कि चार में से तीन मामलों में वसूली को संबंधित विभागों से सूचना की प्राप्ति पर परिकल्पित किया जाना था जबकि शेष मामलों में फर्म को दण्ड जमा करने को कहा गया था।

9.3.6.2 डाउन टाईम का गलत परिकलन

संविदा/आपूर्ति आदेश संस्थापना की तिथि से प्रभावी एक गारंटी/वारंटी अवधि का प्रावधान करते हैं जिसके बाद वारंटी/विस्तृत वारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात 2/5 वर्षों के वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी)/व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी) की जानी थी। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता वारंटी अवधि के साथ-साथ सेवा संविदा अवधि के दौरान 95 प्रतिशत कार्यसमय¹⁰ सुनिश्चित करने को संविदात्मक रूप से बाध्य था अर्थात् उपकरण के साथ-साथ उपसाधनों का एक वर्ष में न्यूनतम 347 दिनों की अवधि तक अच्छी कार्यस्थिति में अनुरक्षण किया जाएगा। अगर मशीन एक दिन के दौरान पांच घण्टो से अधिक के लिए खराब है तो इसे एक दिन के डाउन टाईम के रूप में माना जाएगा। यदि डाउन टाईम अवधि एक वर्ष में 18 दिनों (पाँच प्रतिशत) से अधिक होती है तो दण्ड, जैसा संविदा में अनुबंधित है, लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वारंटी/गारंटी अवधि को उतने दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा जिनके लिए वारंटी/गारंटी अवधि के दौरान डाउनटाईम वर्ष में अनुमत डाउनटाईम अवधि (18 दिनों) से अधिक था।

दिसंबर 2011 में विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान विभाग में संस्थापित एक सीटी स्केन मशीन की कार्य पुस्तिका की संवीक्षा से पता चला कि मशीन की वारंटी के दौरान इसकी कुल डाउन टाईम अवधि 157 दिन थी। इसलिए उपकरण की वारंटी अवधि को 83 दिनों तक बढ़ाया जाना था। तथापि, मशीन की वारंटी के केवल 36 दिनों, अर्थात् 47 दिनों तक कम, तक बढ़ाया गया था। इसके

¹⁰ कार्यसमय उस समय से संबंधित है जब उपकरण कार्य करने की स्थिति में रहता है।

अतिरिक्त, इसे विस्तृत वारंटी अवधि को शामिल करके उपकरण के प्रथम तिमाही सीएमसी बिल हेतु भुगतान जारी करते समय ध्यान में नहीं लिया गया था जिसका परिणाम आपूर्तिकर्ता को ₹ 4.23 लाख के अधिक भुगतान में हुआ। इसी प्रकार, अन्य तीन मशीनों की वारंटी को क्रमशः 108, 148 तथा 16 दिनों तक बढ़ाया गया था जो उनकी वारंटी अवधियों के दौरान उनके डाउनटाईम के संदर्भ में क्रमशः 52, 54 तथा 47 दिन तक था। तथापि, अनुरक्षण बिलों का भुगतान अभी तक (अक्टूबर 2017) विभाग द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि मामले संस्थान की विशेष समिति द्वारा समीक्षा के अधीन थे।

विभाग ने उत्तर दिया कि डाउन टाईम को संविदा करार की धारा 12.1 के अनुसार परिकल्पित किया गया है जिसमें उपकरण को कार्य स्थिति में रखने हेतु पांच दिन अनुमत किए गए हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संविदा की धारा 12.1 अनुबंध करती है कि पांच दिन केवल पुर्जों के प्रापण हेतु अनुमत है जहां उनका आयात किया जाना था फिर भी पांच दिनों को नियमित रूप से प्रत्येक अवसर पर अनुमत किया जा रहा था। सीटी स्कैन मशीन पांच वर्षों में 37 बार खराब हुई थी तथा संस्थान ने अभी 37 अवसरों पर पांच दिनों तक डाउनटाईम अवधि को कम किया हालांकि संस्थान एक भी मामले में कल पुर्जों के आयात के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। संस्थान ने अन्य तीन उपकरणों हेतु भी वारंटी अवधि के कम बढ़ाये जाने की वही प्रक्रिया का अनुपालन किया।

9.3.6.3 डाउन टाईम अवधि हेतु दण्ड की वसूली न किया जाना

2012-17 के दौरान 'रेडियो डायग्नोस एण्ड इमेजिन' विभाग द्वारा अनुरक्षित लॉग बुक की नमूना जांच से पता चला कि 21 उपकरणों¹¹ हेतु दर्ज डाउन टाईम अवधि स्वीकार्य सीमा से तीन दिनों से आठ महिनों से अधिक तक अधिक थी। तदनुसार कुल ₹ 2.10 करोड़ दण्ड आपूर्तिकर्ताओं से उद्ग्राह्य/वसूलनीय था जिसमें से ₹ दो करोड़ का वसूलनीय शेष छोड़ते हुए केवल ₹ 9.34 लाख की वसूली की गई थी।

लेखापरीक्षा ने लॉग बुक में शब्दों की कटिंग तथा छेड़छाड़ भी पाई थी जिससे प्रारम्भ में 'कार्य नहीं कर रहे' के रूप में चिन्हित किए गए को बाद में 'कार्य

¹¹ उपकरण नामतः अल्ट्रासाउंड की विभिन्न प्रकार की मशीनें, एक्स-रे मशीन, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, एनजियो-सिम्यूलेटर मशीन आदि।

कर रहे' के रूप में दर्शाया गया था। कुछ मामलों में उपकरण के मरम्मत के समय से भी छेड़छाड़ की गई पाई गई थी जिससे उस विशिष्ट उपकरण की डाउन टाईम अवधि कम हुई। इसके अतिरिक्त, शब्दों की कटिंग तथा छेड़छाड़ को किसी अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जो स्पष्ट रूप से धोखेबाजी की गुंजाईश छोड़ता है। लेखापरीक्षा किए गए परिवर्तनों की विश्वसनीयता अथवा वैधता के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

संस्थान ने बताया (अगस्त तथा सितंबर 2017) कि (i) विभाग ने 21 में से 11 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ का दण्ड लगाया था जिसमें से ₹ 9.34 लाख वसूल किया गया था, (ii) आठ मामलों के संबंध में डाउन टाईम अवधि को गारंटी/वारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात परिकलित किया जाएगा तथा (iii) एक उपकरण के संबंध में, दण्ड को बिल के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् किया जाएगा जबकि अन्य उपकरण में दण्ड को 'शून्य' के रूप में परिकलित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान द्वारा 11 मामलों में परिकलित ₹ 1.17 करोड़ की राशि के प्रति दण्ड को असत्यापित कटिंग/छेड़छाड़ को ध्यान में रखे बिना तथा डाउन टाईम के परिकलन हेतु संविदा प्रावधानों के अनुसार कार्य पुस्तिका में प्रविष्टियों के अनुसार ₹ 1.55 करोड़ तक परिकलित किया गया।

9.3.6.4 उपकरण की लॉग बुक के उपयुक्त अभिलेख का अनुरक्षण न किया जाना

उपकरण की एएमसी/सीएमसी गारंटी अवधि अथवा विस्तारित वारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपने आप प्रभावी हो जाती है तथा फर्म को भुगतान सभी संविस रिपोर्टों तथा एक वर्ष में 18 दिनों की स्वीकार्य अवधि के आधिक्य में उपकरण की डाउन टाईम अवधि के सत्यापन के पश्चात् चार बराबर किशतों में जारी किया जाएगा।

10 विभागों¹² के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि विभागों ने निर्धारित प्रारूप में लॉग बुक का अनुरक्षण नहीं किया था तथा डाउन टाईम एवं

¹² उन्नत नयन केन्द्र, एनस्थिसिया, स्त्री रोग, हिस्तोपैथोलॉजी, माईक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो-सर्जरी ओर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक तथा यूरोलॉजी

मरम्मतों के विवरणों को समय तथा दिनांक के बिना दर्ज किया गया था। ऐसे विवरणों के अभाव में उपकरण के खराब होने के कारण न तो डाउन टाईम और न ही दण्ड को सही प्रकार से परिकल्पित किया जा सका था। तथापि, उपर्युक्त विभागों के कुल ₹ 4.33 करोड़ के सीएमसी बिलों को उपकरण की डाउन टाईम अवधियों का परिकल्पन किए बिना संबंधित विभागों द्वारा सत्यापित किया गया था तथा आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान जारी किया गया था।

9.3.7 निष्कर्ष

संस्थान में एक स्थापित एवं स्वीकृत प्रक्रिया तथा क्रियाविधि की कमी थी जो प्रभावी प्रापण प्रबंधन तथा सामयिक अधिग्रहण को साथ-साथ नियोजित प्रकार से संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित कर सकता था। यह किसी भी व्यापक योजना के अभाव में अनिवार्य रूप से तदर्थ आधार पर प्रापणों, वित्त वर्ष के अंत में भारी व्यय तथा प्रापण मामलों को संसाधित करने में विलम्ब को दर्शाता था। संस्थान, जहां आपूर्तिकर्ता, अपनी संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया था, संविदात्मक उपायों का उपयोग करने में भी विफल रहा जिसमें संविदा में दण्ड प्रावधानों के निवारक प्रभाव को दुर्बल बनाया तथा उपकरण की संपूर्णता एवं संचालन से संबंधित संविदात्मक शर्तों को लागू करने की अपनी क्षमता से समझौता किया। उपकरण की विलम्बित संस्थापना का स्पष्ट रूप से रोगी देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा पाठ्यक्रमों के आयोजन करने पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी

9.4 फर्म द्वारा लाभ उठाई गई सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफलता

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी फर्म द्वारा आयातित उपकरण पर लाभ उठाई गई सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ की हानि हुई।

मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (जेआईपीएमईआर) में शिक्षण ब्लॉक, 400 बेड वाले महिला एवं शिशु अस्पताल, एक छात्रावास परिसर की स्थापना तथा मौजूदा विशेषताओं (परियोजना) के सुधार हेतु इनहाउस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था (मार्च 2009)।

दिसम्बर 2009 में जेआईपीएमईआर ने एचएलएल के साथ परामर्शी सेवा हेतु एक संविदा की जिसमें एचएलएल को इंजीनियरिंग, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) विकासक को भुगतान करने तथा प्रतिपूर्ति हेतु जेआईपीएमईआर को समायोजित बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित था। संविदा की धारा 3.4 के अनुसार एचएलएल संविदा के प्रावधानों के अनुसार सेवा के निष्पादन तथा एचएलएल की गलती के परिणामस्वरूप जेआईपीएमईआर द्वारा वहन की गई किसी भी हानि के लिए जेआईपीएमईआर उत्तरदायी होगा।

इसी बीच, एचएलएल ने टर्नकी आधार पर परियोजना के निष्पादन हेतु योग्य ईपीसी विकासकों से अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की (अप्रैल 2009)। इसने बाद में दो फर्मों का चयन किया तथा दो चयनित फर्मों को निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किया (22 अक्टूबर 2009)।

निविदा मूल्य एवं भुगतान सारणी पर धारा 3 के तहत प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) की शर्त 3.1 (डी) के अनुसार निविदाकर्ता को अपने उद्धत मूल्य में संविदा के अंतर्गत निविदाकर्ता द्वारा देय सभी करो (वेट,सेवाकर), शुल्क तथा अन्य उद्ग्रहणों को शामिल करना था। जेआईपीएमईआर को जहां कहीं सीमा शुल्क छूट प्राप्त करना संभव हो, निविदाकर्ता की सहायता करनी थी। इसके अतिरिक्त, संविदा की विशेष शर्तों पर भाग-III में मद सं. 19 के प्रति आरएफपी की संविदा की विशेष शर्तों में यह अधिसूचित किया गया था कि चिकित्सा उपकरण हेतु 'ठेकेदार उपकरण हेतु अपने मूल्यों को एकमुश्त मूल्य के रूप में प्रस्तुत करेगा, जो सभी उपकरण मूल्यों का जोड़ होगा तथा ठेकेदार करो, शुल्को आदि, जहां कहीं लागू हो, सहित उपकरण के आदेश, क्रय, परिवहन, आपूर्ति, खड़े करने तथा चालू करने के सभी प्रभारों को वहन करेगा तथा इसे इसके संविदा मूल्य में शामिल किया माना जाएगा'। इसके अतिरिक्त, बोली पूर्व पूछताछ (नवम्बर 2009) में बोलीकर्ताओं को यह

स्पष्ट¹³ किया गया था कि मूल्यों में सीमा शुल्क शामिल होना चाहिए तथा इससे प्राप्त किसी भी छूट के मामले में ऐसी राशि को जेआईपीएमईआर को जमा किया जाएगा।

एचएलएल ने चयनित में से एक फर्म को परियोजना सौंपी (मार्च 2010) तथा परियोजना के निष्पादन हेतु जेआईपीएमईआर की ओर से एक करार किया (मार्च 2010) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा उपकरण का प्रापण, संस्थापना तथा चालू करना शामिल था।

जेआईपीएमईआर ने सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने हेतु फर्म को 175 एनएमआई एवं सीडीई प्रमाणपत्र¹⁴ जारी किए (अप्रैल 2011) क्योंकि जेआईपीएमईआर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002- सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2002 की शर्त 77 की श्रेणी (एफ) (1) के अंतर्गत आता है। फर्म ने अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के बीच 256 उपकरण का आयात किया था।

लेखापरीक्षा ने फर्म द्वारा आयातित 256 उपकरण में से 128 के मामलों में सीमा शुल्क भुगतान की नमूना जांच¹⁵ की तथा पाया कि फर्म ने इन उपकरण का आयात करते समय ₹ 1.08 करोड़ की सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाया था। तथापि, एचएलएल ने फर्म द्वारा प्राप्त की गई सीमा शुल्क छूट की वापसी पर जोर नहीं दिया था तथा इसे जेआईपीएमईआर को प्रेषित करने में विफल रहा जैसा एचएलएल तथा जेआईपीएमईआर के बीच करार के प्रावधानों अंतर्गत अभिकल्पित था। इस प्रकार, एचएलएल, जीआईपीएमईआर के हितों की रक्षा करने में फर्म से 128 उपकरण हेतु ₹ 1.08 करोड़ की वापसी का दावा न कर सकने के कारण विफल था।

¹³ एक फर्म द्वारा उठाए गए एक प्रश्न, कि क्या उद्धृत दरों में सीमा शुल्क शामिल होना चाहिए या नहीं को प्रस्तुत आरएफपी पर स्पष्टीकरण (सं 10)

¹⁴ भारत में निर्मित नहीं एवं सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र

¹⁵ फर्म द्वारा प्रापण किए गए 256 उपकरण में से 199 उपकरण के विवरण सीमा शुल्क लेखापरीक्षा स्कंध के पास उपलब्ध डम्प डाटा से प्राप्त किया जा सका था तथा 199 में से केवल 128 उपकरण को जेआईपीएमईआर द्वारा जारी एनएमआई एवं सीडीई प्रमाणपत्रों जीआईपीएमईआर के पास उपलब्ध संस्थापना रिपोर्ट तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत उपकरण की सूची से पुनः सत्यापित किया जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि जेआईपीएमईआर द्वारा फर्म से राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया है।

सफदरजंग अस्पताल

9.5 गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान किया गया

सफदरजंग अस्पताल की यह सुनिश्चित करने कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 7बी के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु उपयोग किए गए गैर-व्यवहार भत्ते की प्रमात्रा इस निर्धारण कि मूल वेतन जमा गैर-व्यवहार भत्ता ₹ 85000/- से अधिक नहीं है, पर आधारित अदा किए जा रहे एनपीए से अधिक नहीं थी के परिणामस्वरूप कुल ₹ 70.85 लाख के गैर-व्यवहार भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 का नियम 7बी अनुबध करता है कि चिकित्सा अधिकारी, जिसके संबंध में गैर-व्यवहार भत्ता (एनपीए) स्वीकार्य है, के मामले संशोधित वेतन संरचना में वेतन के मौजूदा मूल वेतन को 2.57 के घटक से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा तथा प्राप्त आकड़े को 1 जनवरी 2016 को पूर्व संशोधित एनपीए पर दैनिक भत्ते के बराबर राशि से जोड़ा जाएगा। इससे प्राप्त आकड़े को वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर पर रखा जाएगा तथा अगर ऐसा कोई समान आंकड़ा वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर पर किसी सेल से मेल खाता है तो वेतन को तुरंत वेतन मैट्रिक्स के उस लागू स्तर के अगले उच्च सेल पर निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किए गए वेतन को गैर-व्यवहार भत्ते की संशोधित दरों पर आगे कोई निर्णय लिए जाने तक मौजूदा मूल वेतन पर स्वीकार्य पूर्व-संशोधित एनपीए से जोड़ा जाएगा।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के ओएम दिनांक 30 अगस्त 2008 के अनुसार एनपीए इस शर्त के तहत कि मूल वेतन जमा एनपीए ₹ 85000/- से अधिक नहीं है, मूल वेतन का 25 प्रतिशत है। इसलिए, वहीं नियम 7बी के अंतर्गत वेतन निर्धारण के उद्देश्य हेतु कम किए गए एनपीए पर 1 जनवरी 2016 को डीए को सभी मामलों में जोड़ा जाना था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित संशोधित वेतन पर अदा किए जाने वाले

एनपीए को भी पूर्व-संशोधित स्तर तक सीमित किया जाना था। तथापि, एनपीए सहित भत्तों की दर को 01 जुलाई 2017 से संशोधित किया गया है।

डाक्टरों/सलाहकारों के वेतन निर्धारण से संबंधित सफदरजंग अस्पताल (अस्पताल) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि एनपीए तथा इस पर डीए का परिकलन करने हेतु, मूल वेतन तथा एनपीए का जोड़ ₹ 85000/- से अधिक नहीं होना चाहिए की शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था। 52 डाक्टरों/सलाहकारों के वेतन को पूर्व-संशोधित मूल वेतन जमा एनपीए की 25 प्रतिशत की दर पर एनपीए को लेते हुए निर्धारित किया गया था जो ₹ 85000/- की सीमा से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप दोनों 1 जनवरी 2016 से वेतन के अधिक निर्धारण के साथ-साथ 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के दौरान कुल ₹ 70.85 लाख के एनपीए के अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (अगस्त 2017) पर अस्पताल ने बताया (नवम्बर 2017) कि डाक्टरों/सलाहकारों के वेतन को पुनः निर्धारित किया गया है तथा सितंबर 2017 से वसूली आरम्भ कर दी है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वेतन निर्धारण के कार्योत्तर जांच हेतु कोई आंतरिक क्रियाविधि नहीं थी जिससे लम्बी अवधियों तक विसंगतियों का बिना पता लगाए रहने का जोखिम था। इस मामले में, गलत निर्धारण का लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक पता नहीं चल सका था।

मामला अक्टूबर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित है।

अध्याय X : गृह मंत्रालय

दिल्ली पुलिस

10.1 सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू करने में विलम्ब

नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के लिए फरवरी 2013 में सीसीटीवी निगरानी परियोजना में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए तकनीकी आवश्यकता का मूल्यांकन और निर्धारण करने में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की विफलता रही क्योंकि ₹42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अक्टूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस इन इलाकों के लिए सीसीटीवी कैमरों को किराए पर लेने में ₹21.02 लाख का मासिक व्यय कर रही है।

फरवरी 2008 में, दिल्ली पुलिस (डीपी) ने अपने पुलिस अधिकार क्षेत्र के आसपास अपराधों को मानीटर तथा समाधान करने तथा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को स्थापित करने का निर्णय लिया। यह चरणों में पूर्ण होना था। अक्टूबर 2008 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस कार्य को करने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को नामित किया। जुलाई 2012 में, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी परियोजनाओं के लिए कॉमनवेलथ गेम्स -2010 (सीडब्ल्यूजी मर्दों) से बचे हुए उपकरणों 1,888 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे बचे हुए के उपयोग को मंजूरी दी। सीडब्ल्यूजी मर्दों भारत के खेल प्राधिकरण, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्मालिया विश्वविद्यालय के अधिकार में थे और इसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएस) से डीपी को हस्तांतरित की जानी थी।

फरवरी 2013 में, डीपी ने नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के छह पुलिस थानों¹ के अधिकार क्षेत्रों में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए ₹74.29 करोड़ का ईसीआईएल को एक अनुबंध

¹ चाणक्यपुरी, संसद मार्ग, बाराखंबा रोड़, कनॉट प्लेस, गोल मार्किट, मंदिर मार्ग और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन

दिया था जिसमें 1,211 सीडब्ल्यूजी कैमरों और ₹ 14.81 करोड़ के संबंधित सिस्टम और उपकरण² का उपयोग किया जाना था। यह कार्य जोकि संबंधित स्थलों के लिए सिविक अभिकरणों से सड़क काटने की अनुमति प्राप्त होने के 150 दिनों के अंदर पूरा होना था, ₹ 42.94³ करोड़ व्यय होने के बावजूद अक्टूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

(i) ईसीआईएल ने सिविल और संबंधित कार्य पूरा कर लिया था, और स्थल 15 अक्टूबर 2013 तक सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए तैयार थे। चूंकि एमएचए ने अधिसूचित समापन की तारीख को मार्च 2015 तक संशोधित किया था। यद्यपि, जुलाई 2012 और जून 2015 के बीच तीन वर्षों के लिए सीडब्ल्यूजी वस्तुओं की प्राप्ति न होने के कारण सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका।

(ii) जून 2015 में, 281 सीडब्ल्यूजी कैमरों के प्रदर्शन और तस्वीर की गुणवत्ता के आधार पर पहले से ही अन्य चरणों में कार्यान्वित परियोजनाओं के विभिन्न स्थानों में उपयोग किया गया, डीपी ने निष्कर्ष निकाला कि सीडब्ल्यूजी उपयोग में लिए गए कैमरों की विशिष्टताएँ ऐसी थी कि अधिकतर मामलों में मूल उद्देश्य, वस्तु की पहचान करने, व्यक्ति या वाहन संख्या को पहचानना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप इन छः पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन इलाकों में सीसीटीवी साइटों के लिए उनका उपयोग न करने का निर्णय लिया गया था। नवम्बर 2015 में, डीपी ने सीसीटीवी कैमरों के अद्यतित तकनीकी विशिष्टताओं को अनुमोदित किया। हालांकि, इन कैमरों की कुल आवश्यकता 2,727 तक बढ़ी और ईसीआईएल की तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव को 20 माह बाद अगस्त 2017 में अंतिम रूप दिया गया और ईसीआईएल के साथ अनुबंध अक्टूबर 2017 तक लंबित था। इस प्रकार, उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को स्थापित तथा चालू करने के लिए एक अनुबंध फरवरी 2013 में दिया गया था, चार वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो सका। अगर डीपी ने तकनीकी आवश्यकताओं का निर्धारण और सीडब्ल्यूजी कैमरों के मूल्यांकन के लिए उनकी आवश्यकता के

² पीटीजेड ऑटोडोम आईपी कैमरा, लेंस सहित फिक्सड आईपी कैमरा, एलसीडी मॉनीटर, विडियो प्रबंधन, व्यावसायिक वर्क स्टेशन आदि।

³ ₹ 37.14 करोड़ अग्रिम और ₹ 5.80 करोड़ सड़क बहाली प्रभारों की प्रतिपूर्ति के रूप में।

लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन इस परियोजना के लिए इनका उपयोग करने के निर्णय से पहले किया होता इस विलंब को टाला जा सकता था।

(iii) इसी दौरान, डीपी ने सेन्ट्रल विस्टा, एसपी मार्ग और संसद भवन के लिए 145 सीसीटीवी निगरानी कैमरे को नई दिल्ली जिले के अंतर्गत लिया। अगर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना समय सीमा से हो गई होती तो इन कैमरों के किराए पर होने वाला ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय टाला जा सकता था। सितम्बर 2017 तक चल रही केवल इस व्यवस्था के लिए कुल भुगतान ₹ 6.75 करोड़ था।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2017) कि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना में विलंब सीडब्ल्यूजी मदों की अप्राप्ति की वजह से हुई थी और संशोधित तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव के आधार पर कार्य का अनुबंध प्रक्रिया में था।

इस प्रकार, सीसीटीवी प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले व्यवस्थित रूप से निर्धारण और इसकी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए जो कि सही तरीके से इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। डीपी की विफलता के परिणामस्वरूप निगरानी परियोजना में ₹ 42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद अक्टूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। विलम्ब के कारण दिल्ली पुलिस तीन क्षेत्रों के लिए सीसीटीवी कैमरे किराए पर लेने पर ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय कर रहा है जबकि दोनों जिले के अन्य भाग सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से बाहर रहे।

10.2 अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एयर किरायों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दावों को प्रस्तुत किया। यह दावे बिना संविक्षा के पारित किए गए जिसके परिणामस्वरूप 435 कर्मचारियों को ₹ 2.56 करोड़ की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 21 अनुबंध करता है कि लोक निधियों से होने वाले या प्राधिकृत व्यय सभी अधिकारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। यह भी बताया गया है

कि व्यय को पूरा करने के लिए दी गई भत्ते की राशि को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ते प्राप्त करने वालों के लिए लाभ के पूरे स्रोत न हो।

भारत सरकार (जीओआई) ने गैर पात्र कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने और जम्मू-कश्मीर (जे एण्ड के) जाने के लिए किसी भी एयरलाइन से समय-समय पर विस्तारित एवं उसमें शामिल शर्तों के अधीन क्रमशः 2 मई 2008⁴ और 18 जून 2010⁵ को अपने आदेश के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर जाने की अनुमति दी थी। भारत सरकार के आदेश⁶ अनुबन्ध करता था कि एलटीसी की यात्रा के लिए हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों बुकिंग काउंटर वेबसाइट पर या प्राधिकृत ट्रेवल ऐजेंटों जैसे मैसर्स बालमर लॉरी एंड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूरर्स और आईआरसीटीसी की सेवाओं का उपयोग करके खरीदे जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 1,196 गैर पात्रता प्राप्त कर्मचारियों⁷ के संबंध में दिल्ली पुलिस के चार कार्यालयों⁸ के एलटीसी दावों की संविक्षा की थी, जिन्होंने 2010-13 और 2014-17 के ब्लॉक वर्ष के लिए जम्मू -कश्मीर एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की हवाई जहाज से यात्रा की थी। लेखापरीक्षा 567 कर्मचारियों के 435 यात्रा ब्यौरों का पता कर सकी, जिन्होंने निजी एयरलाइन की वेबसाइट से निजी एयरलाइन द्वारा यात्रा की थी। इन सभी मामलों में, यह पाया गया कि हवाई टिकट न तो सीधे एयरलाइन से और ना ही प्राधिकृत ट्रेवल ऐजेंटों से खरीदा गया था। इन 435 कर्मचारियों (अनुबंध-V) द्वारा हवाई किराया ₹ 2.56 करोड़ दावा किया गया तथा दिल्ली पुलिस द्वारा प्रतिपूर्ति इन कर्मचारियों द्वारा लगाए गए टिकट एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखाए गए टिकटों की लागत से भी अधिक

⁴ उत्तर-पूर्व हेतु: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ओएम नं. एफ नं. 31011/4/2007 स्था.(ए) दिनांक 2 मई 2008, 20 अप्रैल 2010 और 30 अप्रैल 2012 और ओएम नं. 31011/3/2014 स्था.(ए-IV) दिनांक 26 सितम्बर 2014

⁵ जे एण्ड के हेतु: डीओपीटी ओएम नं. 31011/2/2003-स्था.(ए-IV) दिनांक 18 जून 2010 और 15 जून 2012, डीओपीटी ओएम नं. 31011/7/2014 स्था.(ए-IV) दिनांक 28 नवम्बर 2014

⁶ वित्त मंत्रालय ओएम नं. 19024/1/2009-ई IV दिनांक 16 सितम्बर 2010

⁷ ओएण्डसी-390, सुरक्षा-403, पश्चिम-277 और केन्द्रीय-126

⁸ पुलिस उपायुक्त (डीसीएससी), संचालन और संचार (ओ एंड सी), सुरक्षा, पश्चिम दिल्ली और केन्द्रीय दिल्ली

थे। इन कर्मचारियों ने एयरलाइनों के मूल टिकट प्रस्तुत नहीं किए थे तथा हवाई किराए का दावा अधिक किया गया था। हालांकि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित परिश्रम किए बिना तथा मौजूदा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना दावों को अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा शेष 132 कर्मचारियों जिन्होंने इसी निजी एयर लाइन द्वारा यात्रा की थी के संबंध में टिकट विवरण प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त 629 कर्मचारियों, जिन्होंने अन्य एयरलाइनों का उपयोग किया था के यात्रा विवरण की जांच भी नहीं की जा सकी क्योंकि ये इन एयरलाइंस की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय/ दिल्ली पुलिस ने बताया (जनवरी 2017/जुलाई 2017) कि दिल्ली पुलिस के संबंधित कार्यालयों में वसूली आरंभ कर दी गई है और जुलाई 2017 तक ₹ 1.68 करोड़ की वसूली की गई है। एक कार्यालय नामतः डीसीपी (पश्चिम दिल्ली) ने यह स्वीकार किया कि कर्मचारी ने यात्रा की थी, केवल टिकट की वास्तविक लागत से अधिक दावा की गई राशि अनियमित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दावों को पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा एलटीसी दावेदारों के दावों की कुल वित्तीय अयोग्यता के साथ-साथ अखंडता के मुद्दों को भी उठाया और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निवारक कार्रवाई के लिए कहा। हालांकि, यह सूचित नहीं किया गया है कि असंगत दावों को प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों के प्रति यदि कोई अनुशासनात्मक तथा अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा चार कार्यालयों में शेष कर्मचारियों के दावों की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके लिए लेखापरीक्षा प्राप्त नहीं किया जा सका तथा दिल्ली पुलिस के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों का विवरण जिन्होंने इसी दौरान इसी तरह एलटीसी का लाभ लिया था। आगे, यह स्थिति कि टिकट के वास्तविक लागत से अधिक राशि का दावा अनियमित और अवैध है क्योंकि पूरी प्रतिपूर्ति अनियमित है। चूंकि हवाई टिकटों को अप्राधिकृत रूप से खरीदा गया था और दावे मनगढ़ंत थे।

10.3 सर्वरों और सॉफ्टवेयर का बेकार पड़े रहना और किराए वाले सर्वरों पर परिहार्य व्यय

पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद के साथ सर्वर और सॉफ्टवेयर की खरीद सिंक्रनाइज़ करने के लिए दिल्ली पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप सर्वर और सॉफ्टवेयर की स्थापना साढ़े तीन साल तक बेकार रही तथा ₹ 1.11 करोड़ किराए के सर्वरों पर परिहार्य व्यय हुआ।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सर्वर पर जांच अधिकारियों के लिए पड़ोसी राज्यों और ऑनलाइन आपराधिक डोजर सिस्टम (ओसीडीएस) के साथ लापता व्यक्तियों/वस्तुओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए शुरूआती क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क (ज़िपनेट) की मेजबानी की थी। चूंकि बाद में एनआईसी ने अपने सर्वर से दिल्ली पुलिस के आवेदन को बंद किया था, दिल्ली पुलिस ने वैकल्पिक सर्वर पर इन आवेदन को होस्ट करने का निर्णय लिया (मई 2009)। करों सहित ₹ 29.73 लाख के वार्षिक किराया पर सीमित निविदा के माध्यम से एक निजी ऐजेंसी से दो सर्वरों (लिनक्स और विंडोज) को किराए पर रखा गया था (मई और दिसम्बर 2009)।

फरवरी 2013 में, दिल्ली पुलिस ने किराये पर ₹ 29.73 लाख की वार्षिक व्यय को बचाने के लिए एससीआरबी में इन-हाउस सर्वर पर दो सिस्टम को होस्ट करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिल्ली पुलिस ने मई 2013 में ₹ 1.06 करोड़ (सर्वर के लिए ₹ 63.19 लाख और सॉफ्टवेयर के लिए ₹ 42.37 लाख) के सर्वर और सॉफ्टवेयर खरीदे और जुलाई 2013 में उन्हें स्थापित किया। इन-हाउस सर्वरों और सॉफ्टवेयर को साढ़े तीन वर्ष से अधिक तक उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2013 में इन दोनों ऐप्लीकेशनों को इन-हाउस सर्वरों पर होस्ट करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आठ माह का समय और लेने के बाद 12 नवम्बर 2013 को सीमित निविदा आमंत्रित करने की एमएचए से अनुमोदन मांगा। एमएचए ने सात मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कई बार पूछताछ की और

12 माह के बाद अंततः 20 मई 2015 को प्रशासनिक मंजूरी दी ताकि सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद खुली निविदा में ठेके को अंतिम रूप दिया जा सके। दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय द्वारा विसंगतियों का उल्लेख किया गया जिसमें व्यापक संचार योजना की अनुपस्थिति, इस योजना को अहस्ताक्षरित प्रस्तुतीकरण और निविदा बोलियों के अनुमोदन के प्रस्ताव को अग्रोषित करने में विलंब शामिल था। इसके पश्चात दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को सामान्य वित्तीय नियामावली में निर्धारित कोडल औपचारिकताओं का पालन करने में विफलता के कारण और अपूर्ण दस्तावेजों के कारण गृह मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी।

मार्च 2016 में, एमएचए द्वारा पट्टे पर लाइनों के लिए दिल्ली पुलिस को वित्तीय अधिकार देने के पश्चात दिल्ली पुलिस अंत में सितम्बर 2016 में एमटीएनएल से पट्टे पर इंटरनेट लाइनों के लिए आदेश दे सकी। इंटरनेट लीज लाइनों की स्थापना का कार्य मार्च 2017 में पूर्ण हुआ। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अपने वेब आधारित कार्यक्रमों के लिए निजी एजेंसी के सर्वर का उपयोग करना जारी रखा और अगस्त 2013 से मार्च 2017 तक किराए पर लिए गए सर्वरों पर ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2017) कि सर्वरों का उपयोग साइबर राजमार्ग कनेक्टिविटी के उपयोग से इंटरनेट एप्लीकेशनों के लिए किया गया था, और इस प्रकार ये निष्क्रिय नहीं थे। यह निविदा प्रक्रिया में 'अस्वस्थ' प्रतिस्पर्धा के लिए लीजड इंटरनेट लाइनों की खरीद में विलंब का कारण बना। इसके साथ ही विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर के ऐप्लीकेशनों का किराये वाले सर्वरों से एससीआरबी के डाटा सेंटर में स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी वेबसाइट दिल्ली पुलिस के स्वामित्व वाले सर्वरों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इंटरनेट लाइनों को लीज करने में तीन वर्ष से अधिक का अनुचित विलंब हुआ था। दिल्ली पुलिस की डॉक्यूमेंटेशन के उचित सुनिश्चितता और जीएफआर के अनुपालन में विफलता के कारण विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप एमएचए द्वारा प्रस्तावों को बार-बार लौटा दिया गया। इसके उत्तर में यह कहना कि इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए सर्वर का उपयोग किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों का हल नहीं देता है

क्योंकि सर्वरों का किराए पर लिए गए सर्वरों से बदलना परन्तु लीज लाइनों के अभाव के कारण तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, दिल्ली पुलिस ने सभी कोडल औपचारिकताओं के अनुरूप इंटरनेट लाइनों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए एक निजी पार्टी से सर्वरों को किराए पर लेने पर ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

अध्याय XI : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भुवनेश्वर केन्द्रीय प्रभाग सं.-II, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भुवनेश्वर

11.1 सेवा कर की वापसी पर दावा नहीं करने से परिहार्य व्यय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देय तिथि के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

वित्त अधिनियम 2016 ने पूर्व प्रभाव से सरकार के लिए किए जाने वाले निर्माण सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान से छूट प्रदान कर दी थी और इस प्रकार 1 अप्रैल 2015 से 29 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए सरकार के लिए जाने वाले निर्माण कार्य, स्थानीय प्राधिकरण, या सरकारी अस्पतालों, विद्यालयों के संबंध में कोई भी सेवा कर लगाने या जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस छूट को आगे 31 मार्च 2020 तक अधिसूचना संख्या 9/2016-एसटी दिनांक 1 मार्च 2016 के द्वारा इस शर्त के साथ बढ़ा दिया कि समझौता 1 मार्च 2015 से पहले हो जाए। सेवा की वापसी के दावे के लिए आवेदन हालांकि, वित्त बिल 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली उस तिथि से अर्थात् 14 मई 2016 उससे छः माह के अंदर बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार सेवा कर की वापसी के दावों को 13 नवम्बर 2016 के पहले किया जाना चाहिए था।

कार्यपालक अभियंता, भुवनेश्वर, केन्द्रीय प्रभाग-II केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कार्यालय, ने केन्द्रपारा और जाजपुर में केन्द्रीय विद्यालय के स्कूल भवनों के निर्माण के लिए दो ठेकेदारों¹ (जून 2014 और अगस्त 2014) के साथ अनुबंध किया। नवम्बर 2016 और दिसम्बर 2016 में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। ठेकेदारों ने सीपीडब्ल्यूडी से जून 2015 से अगस्त 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 71.80 लाख के सेवा कर की

¹ केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रपारा, ओडिशा के स्कूल भवन निर्माण के लिए श्री पी के बेहुरा और केन्द्रीय विद्यालय, जाजपुर, ओडिशा के स्कूल भवन निर्माण के लिए श्री आर एल सिंह इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड ।

प्रतिपूर्ति का दावा किया था, जिसकी प्रतिपूर्ति फरवरी 2016 से नवम्बर 2016 के दौरान की गई थी।

तथापि, न तो ठेकेदारों और न ही सीपीडब्ल्यूडी ने 13 नवम्बर 2016 तक आईबीआईडी नियमों के तहत सेवा कर की वापसी के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त के पास दावा किया। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के द्वारा सेवा कर के प्रति ₹ 71.80 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (अगस्त 2017) कि उसके भुवनेश्वर प्रभाग को ठेकेदार से वसूली की कार्रवाई आरंभ करने या अगले भुगतान/अंतिम बिल से समायोजन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वसूली के लिए दावा करने का समय बीत चुका है। इसके आगे, चूंकि कर का मामला पहले ही सीपीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित हो चुका है, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भी वापसी का दावा किया जा सकता है। इसलिए निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवा कर की वापसी का दावा करने में विफलता के कारण निर्माण कार्यों पर ₹ 71.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

अध्याय XII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

12.1 यूपीएससीआईडीसीएल के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य

एमजीएएचवी द्वारा निर्माण गतिविधियों तथा निधियों की उपलब्धता को प्राथमिकता दिए बिना उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण तथा अवसरचना विकास निगम लिमिटेड (यूपीएससीआईडीसीएल) को ₹138.41 करोड़ मूल्य के 49 निर्माण कार्यों को सौंपने के परिणामस्वरूप छः अपूर्ण निर्माण कार्यों पर ₹22.65 करोड़ की निधियों का व्यय करने में हुआ जो मार्च 2017 तक व्यर्थ पड़े रहे थे।

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी) वर्धा को हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित एवं विकसित करने तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने हेतु संसद के अधिनियम (1997 की सं. 3) के माध्यम से जनवरी 1997 में स्थापित किया गया था। एमजीएएचवी अपनी गतिविधियों को पूरा करने हेतु अनिवार्य अवसरचना के सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुदान प्राप्त करता है। सृजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुदान प्राप्त करता है। जनवरी 2009 से पूर्व, संस्थान की सभी निर्माण गतिविधियों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित किया जा रहा था। बाद में, कुलपति तथा यूपीएससीआईडीसीएल के बीच चर्चा के अनुसरण में निगम से संस्थान से संबंधित सभी निर्माण कार्यों निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया (दिसंबर 2008)। जनवरी 2009 में एक एमओयू किया गया जो बाद में सभी निर्माण कार्यों पर लागू था।

2009-17 की अवधि के दौरान, 49 निर्माण कार्यों को ₹138.41 करोड़ की कुल लागत पर यूपीएससीआईडीसीएल को सौंपा गया था। इनमें से, 39 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे (मार्च 2017) जिसके लिए मार्च 2017 तक ₹39.65 करोड़ अदा किए गए थे। 30 निर्माण कार्यों हेतु अंतिम भुगतान प्रतीक्षित थे। 2015 तक समाप्त किए जाने को निर्धारित किए ₹83.87 करोड़ वाले शेष 10 निर्माण

कार्य मार्च 2017 तक अपूर्ण थे। इन अपूर्ण कार्यों पर कुल ₹ 33.06 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इन निर्माण कार्यों सौंपने तथा निष्पादन से संबंधित गतिविधियों की लेखापरीक्षा वित्तीय नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा यह निर्धारित करने कि व्यय के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा जांच ने विभिन्न परियोजनाओं के वास्तविक प्रारम्भ तथा निष्पादन के बिना किसी संयोजन के निधियों के निर्गम में जीएफआर का अनुपालन न करने को प्रकट किया। इसके परिणामस्वरूप यूपीएससीआईडीसीएल को प्रदान की गई कुल ₹ 22.65 करोड़¹ की निधियों के व्यर्थ होने तथा उद्देश्यों, जिनके लिए निधियां जारी की गई थी, की प्राप्ति न होने में हुआ जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

ए) निधियों की उपलब्धता के बिना निर्माण कार्यों को सौंपना

जीएफआर 2005 के नियम 129 (I) (V) के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा अथवा कोई भी देयता वहन नहीं की जाएगी जब तक कि वर्ष के दौरान प्रभार को पूरा करने हेतु निधियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटित न किया गया हो। 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्माण कार्य सौंपे गए थे तथा उपलब्ध पूंजीगत अनुदान से अधिक भुगतान किए गए थे जैसा तालिका सं. 1 में दर्शाया गया है:

¹ पैरा बी में उल्लेखित 1 से 6 तक निर्माण कार्यों के संबंध में।

तालिका सं. 1: निधियों की उपलब्धता की तुलना में निर्माण कार्यों की कुल लागत को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के 1 अप्रैल को अथ शेष	यूजीसी से प्राप्त पूंजीगत अनुदान	उपलब्ध कुल निधियां	यूपीएससी आईडी सीएल को सौंपे गए निर्माण कार्यों की सं.	यूपीएससी आईडीसीएल को सौंपे गए निर्माण कार्यों की कुल लागत	यूपीएससीआईडी सीएल को अग्रिम की राशि (एमओयू के अनुसार अर्थात् निर्माण कार्य की लागत का 33%)	निर्माण कार्यों ² के प्रति किए गए कुल भुगतान	अंत शेष
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)=(डी)-(एच)
2008-09	शून्य	5.85	5.85	2	7.89	2.60	1.98	3.87
2009-10	3.87	5.00	8.87	6	17.60	5.81	11.30	-2.43
2010-11	-2.43	17.50	15.07	5	1.63	0.54	15.17	-0.10
2011-12	-0.10	32.41	32.31	15	30.07	9.92	14.51	17.80
2012-13	17.80	22.00	39.80	14	64.43	21.26	27.79	12.01

यह स्पष्ट था कि निर्माण कार्यों को कार्य हेतु अपेक्षित पूर्ण राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना मात्र अग्रिमों अर्थात् निर्माण कार्यों की लागत का 33 प्रतिशत के भुगतान हेतु निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात सौंपा गया था इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने एमजीएचवी को चेतावनी (सितंबर 2016) दी थी कि निर्माण कार्यों को निधियों की प्राथमिकता तथा उपलब्धता के बिना सौंपा गया था। अपर्याप्त निधीयन के साथ निर्माण कार्यों के खराब प्रबंधन के कारण 25 निर्माण कार्यों के संबंध में ₹ 22.32 करोड़ के अग्रिम जनवरी 2017 तक यूपीएससीआईडीसीएल के पास चार से आठ वर्षों तक के बीच की अवधि के लिए अवरुद्ध पड़ी थी।

बी) निष्पादित निर्माण कार्यों में पाई गए कमियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीएससीआईडीसीएल को अग्रिम भुगतानों के निर्गम के बावजूद खराब मानीटरिंग के साथ एमजीएचवी की ओर से कार्य की प्रगति में

² यूपीएससीआईडीसीएल, सीपीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएससी) को भुगतान

अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप कुल ₹ 22.65 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ जैसा नीचे तालिका सं. 2 में दिया गया है:

तालिका सं. 2: निधि की निष्क्रियता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य की मद	कार्यआदेश की लागत/निर्धारित समापन	मार्च 2017 तक व्यय ³	वर्तमान स्थिति (मार्च 2017)	अभ्युक्तियां
1.	क्षेत्रिय केन्द्र, इलाहाबाद का बिल्डिंग तथा स्थल विकास	₹ 11.14/मार्च 2015	₹ 1.80	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ	एमजीएचवी ने अक्टूबर 2013 में यूपीएससीआईडीसीएल को ₹ 1.80 करोड़ के अग्रिम अदा की परंतु बाद में फरवरी 2014 में आवास विकास परिषद (एवीपी) से स्वीकृति हेतु आवेदन किया। स्वीकृति नवम्बर 2017 तक लंबित थी। क्षेत्रिय केन्द्र इलाहाबाद एक किराए के परिसर से कार्य कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप यूपीएससीआईडीसीएल को अदा की गई ₹ 1.80 करोड़ की अग्रिम राशि के व्यर्थ होने तथा अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक ₹ 0.33 करोड़ के किराए के परिहार्य भुगतान में हुआ। एजीएचवी ने बताया (नवम्बर 2017) कि बिल्डिंग योजना को अभी भी स्वीकृत किया जाना था। उत्तर की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी क्योंकि बिल्डिंग योजना की स्वीकृति को स्थापित करने के संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
2.	स्टाफ क्वार्टर	₹ 10.86/ अक्टूबर 2014	₹ 5.24	40 प्रतिशत समाप्त	एमजीएचवी ने फरवरी 2013 में ₹ 3.58 करोड़ को अग्रिम अदा किए। तथापि, फरवरी 2016 तक कार्य प्रगति केवल 40 प्रतिशत थी। यूजीसी ने एमजीएचवी को प्राथमिकता पर कार्य को समाप्त करने तथा अन्य निर्माण कार्यों ⁴ के अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के समापन हेतु ₹ 50 करोड़ के अनुदान जारी करने के निर्देश दिए (अगस्त 2015 तथा सितंबर 2016)। तथापि, मार्च 2017 तक कोई कार्य नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप

³ मार्च 2017 तक व्यय में गैर-समायोजित अग्रिम शामिल थी।

⁴ लड़कों का छात्रावास, शैक्षणिक ब्लॉक, ट्रांसिट छात्रावास तथा सीवर उपचार संयंत्र

					<p>प्रत्याशित उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ₹ 5.24 करोड़ की निधियों (₹ 2.68 करोड़ की गैर-समायोजित अग्रिम सहित) के अपूर्ण निर्माण कार्य (मार्च 2017) व्यर्थ पड़े रहे।</p> <p>एमजीएचवी ने उत्तर दिया कि निर्माण कार्यों को निधियों की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका था तथा नवम्बर 2015 तथा मार्च 2017 में क्रमशः ₹ 30 करोड़ तथा ₹ 20 करोड़ की निधियां प्राप्त करने के पश्चात 48.21 प्रतिशत निर्माण कार्य को अक्टूबर 2017 तक समाप्त किया गया है।</p> <p>उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नवम्बर 2015 में ₹ 30 के निर्गम के बावजूद केवल अतिरिक्त आठ अतिरिक्त आठ प्रतिशत की कार्य प्रगति को अक्टूबर 2017 तक पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि मार्च 2017 में अतिरिक्त ₹ 24 करोड़ को संस्वीकृत किए जाने के बावजूद दिसंबर 2016 तथा फरवरी 2017 में ₹ 10 करोड़ प्रत्येक की दो किस्तों में निधियां प्राप्त की गई थीं। इसलिए कार्य की रूकी हुई प्रगति को निधियों की कमी को आरोपित नहीं किया जा सकता।</p>
3.	संग्रहालय हेतु बिल्डिंग	₹ 11.88/ फरवरी 2015	₹ 5.48	20 प्रतिशत पूर्ण	<p>मार्च 2013 में ₹ 3.92 करोड़ के अग्रिम के निर्गम के बावजूद मार्च 2017 तक केवल 20 प्रतिशत कार्य को समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 2.97 करोड़ की गैर-समायोजित अग्रिम सहित ₹ 5.48 करोड़ की निधियां (मार्च 2017 तक) व्यर्थ रही तथा प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति का कारण बनी। एमजीएचवी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि निर्माण को एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाएगा।</p>
4 एवं 5	लड़को का छात्रावास सं. 5 एवं 6	₹ 11.30 प्रत्येक/ अगस्त 2014	₹ 9.46 (छात्रावास सं. 5- ₹ 4.80 तथा छात्रावास सं. 6- ₹ 4.66)	33 प्रतिशत समाप्त	<p>मार्च 2013 में प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 3.73 करोड़ की अग्रिम जारी की गई थी। तथापि, मार्च 2017 तक केवल 33 प्रतिशत कार्य समाप्त किया गया था। जबकि यूजीसी ने अनुदान संस्वीकृत की तथा एमजीएचवी को प्राथमिकता पर लड़को के छात्रावास को पूरा करने का निर्देश (अगस्त 2015 एवं सितंबर 2016)</p>

					दिया था फिर भी कार्य को केवल जनवरी 2017 में जाकर ही दोबारा प्रारम्भ किया गया था। इसका परिणाम अपूर्ण निर्माण कार्यों में ₹ 5.36 करोड़ ⁵ (मार्च 2017 तक) की गैर-समायोजित अग्रिम सहित ₹ 9.46 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। एमजीएचवी ने बताया (नवम्बर 2017) कि निर्माण कार्यों को एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाएगा। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि एमजीएचवी ने कार्य को पुनः प्रारम्भ करने हेतु जनवरी 2017 में प्रस्ताव किया जबकि निधियां नवम्बर 2015 में प्राप्त की गई थीं।	
6.	नार्थ कैम्पस में आम भोजन एवं रसोईघर (लड़को के छावास सं. 3 एवं 4 के बीच)	₹ 2.04/ 2015	अप्रैल	₹ 0.67	खुदाई का कार्य समाप्त	मई 2014 में ₹ 0.67 करोड़ की अग्रिम जारी की गई थी। लगभग तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात यूपीएससीआईडीसीएल ने आरेखण ⁶ प्रदान करने हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) को कहा (30 अप्रैल 2017)। पीएमसी द्वारा सरचनात्मक डिजाईन ⁷ को विलम्ब से 15 अप्रैल 2017 को प्रदान किया गया था। आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन ने प्रकट किया कि निर्माण कार्य को अभी फरवरी 2016 में प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा दल द्वारा भौतिक निरीक्षण (मार्च 2017) ने प्रकट किया कि केवल खुदाई का कार्य समाप्त था। इसका परिणाम ₹ 0.67 करोड़ की निधियों के व्यर्थ होने में हुआ। एमजीएचवी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि निर्माण कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।
7	लड़को का छात्रावास सं. 3	₹ 2.00 2013	मार्च	₹ 3.32	कार्य अक्टूबर 2015 में समाप्त किया गया।	एमजीएचवी ने आरेखणों में संशोधन के कारण अगस्त 2014 तक समापन के विस्तार को अनुमत किया। कार्य को अक्टूबर 2015 में समाप्त किया गया था। अगस्त 2014 के पश्चात् विस्तार

⁵ जैसा जनवरी 2017 में बीसीसी की बैठक में प्रस्तुत अग्रिम के समाधान पर विवरणी में उल्लेख किया गया है।

⁶ बरसाती तथा मार्ग हेतु आरेखण

⁷ स्लैब बीम का सरचनात्मक डिजाईन

				<p>प्रदान करने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। कार्य के अंतिम लेखे का अक्टूबर 2015 में कार्य को समाप्त किए जाने के बावजूद भी अभी निपटान किया जाना था। ₹5.08 करोड़ के संशोधित अनुमान स्वीकृति हेतु लंबित थे। ₹दो करोड़ के व्यय की संस्वीकृति के प्रति जुलाई 2016 तक ₹3.32 करोड़ का भुगतान किया गया था।</p> <p>एमजीएचवी ने उत्तर दिया कि बिल्डिंग को पूर्ण किया गया था तथा अक्टूबर 2015 से उपयोग में थी।</p> <p>तथापि, एमजीएचवी विस्तारित अवधि के परे निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब के साथ-साथ संस्वीकृति से अधिक व्यय हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं कर सका था।</p>
--	--	--	--	---

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान की निर्माण कार्यों को प्रणालीगत प्रकार से प्रबंधित करने तथा आगे बढ़ाने की क्षमता को दोनो निर्माण कार्य प्रबंधन तथा निष्पादन हेतु किसी भी दिशानिर्देशों की कमी के साथ-साथ अत्यंत त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा प्रक्रियाओं ने कम किया था। एमजीएचवी द्वारा निर्माण कार्य पंजिका, कार्य अग्रिम भुगतान पंजिका, कार्य-वार भुगतान पंजिका तथा पूंजीगत अनुदान पंजिका का अनुरक्षण नहीं कर रहे हैं। 'समाधान विवरणी'⁸ के अनुसार 25 निर्माण कार्यों के संबंध में ₹22.32 करोड़ के अग्रिम मार्च 2017 तक चार से आठ वर्षों के बीच की अवधि के लिए यूपीएससीआईडीसीएल के पास व्यर्थ पड़े थे। इसके अतिरिक्त, यूपीएससीआईडीसीएल को सौंपे गए 49 निर्माण कार्यों की कुल लागत को 'योजनागत व्यय विवरणी' में ₹138.25 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था जबकि 'समाधान विवरणी' में इसे मार्च 2017 को ₹129.50 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था। ऐसी कमियां तथा विसंगतिया किसी अर्थपूर्ण आंतरिक तंत्र के अभाव की सूचक थी।

मामला अगस्त 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

⁸ विवरणी को यूपीएससीआईडीसीएल को अग्रिम भुगतानों का समाधान करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार की गई थी तथा जनवरी 2017 में बीसीसी बैठक में प्रस्तुत की गई।

तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर

12.2 निर्माण गतिविधियों में विलम्ब तथा अधिक लागत होना

यूजीसी दिशानिर्देशों ता सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुपालना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46.32 करोड़ की लागत के अधिक होने के साथ-साथ समापन में विलम्ब हुआ। पुस्तकालय इमारत आंशिक रूप से रिक्त तथा ₹ 15.40 करोड़ के व्यय करने तथा चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात भी अपूर्ण रही है। इसके अतिरिक्त, अविवेकपूर्ण स्थल चयन तथा अधिक निर्माण के साथ-साथ मानदण्डों से विचलन का परिणाम ₹ 19.82 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

12.2.1 प्रस्तावना

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित थिरुवरूर में तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने सितंबर 2009 में तमिलनाडु सरकार (जीओटीएन) द्वारा आबंटित एक स्थायी इमारत में कार्य करना प्रारम्भ किया। सीयूटीएन को जुलाई 2013 से चरणबद्ध प्रकार से अपने नए परिसर में भेज दिया गया तथा वह 22 विभागों सहित दस विद्यालयों के साथ कार्य कर रहा है। 2008-09 से 2016-17 के दौरान सीयूटीएन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कुल ₹ 544.90 करोड़ की अनुदान प्राप्त किए। इसमें से, सीयूटीएन ने निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु सीपीडब्ल्यूडी के पास ₹ 395.83 करोड़ जमा किए। सीपीडब्ल्यूडी ने मार्च 2017 तक ₹ 378.11 करोड़ का उपयोग किया था।

प्रारम्भ से 2016-17 तक की अवधि को शामिल करके परिसर के निर्माण से संबंधित निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी कि क्या गतिविधियों को एक कुशल तथा मितव्ययी प्रकार से तथा वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर की गई थी।

सीयूटीएन ने नवम्बर 2009 में चरण-I को स्वीकृत किया जिसमें ₹ 114.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर 11 बिल्डिंगों का निर्माण शामिल था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

12.2.2 निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन के कारण विलम्ब तथा अधिक लागत होना

एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को लक्ष्यित समय सीमा तथा लागत के भीतर अभिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु परियोजना गतिविधियों की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन हेतु परियोजना निरूपण के भाग के रूप में तैयार किया जाना अपेक्षित है। यूजीसी के दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक निर्माण समिति होनी चाहिए तथा सभी योजनाएं तथा परियोजनाओं के अनुमान इस समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

सितंबर 2009 में, सीयूटीएन ने निर्णय लिया कि चरण-1 के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु एक फास्ट ट्रैक पद्धति का अनुपालन किया जाएगा जहां सीपीडब्ल्यूडी शैक्षणिक संस्थानों जैसे पोंडिचेरी विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) तिरुचिरापल्ली में पहले से ही मौजूद बिल्डिंगों के आरेखों पर आधारित अनुमान तैयार करेगा तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इन अनुमानों के आधार पर निविदा आमंत्रित करेगा। इसे वास्तुकार को शामिल करने, बिल्डिंग के डिजाइन की स्वीकृति, प्रशासनिक संस्वीकृतियां प्राप्त करने तथा निविदा आमंत्रित करने से पूर्व विस्तृत अनुमान तैयार करने की पारम्परिक दृष्टिकोण में अपेक्षित समय की बाध्यताओं से निपटने हेतु अपनाया गया था। कार्य को कार्य को सौंपने के पश्चात तैयार किए जाने वाले आरेखों के आधार पर निष्पादित किया जाना था तथा सीटीएन विचलनों, यदि कोई हो, हेतु वित्तीय विवक्षाओं को वहन करेगा। तदनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने नवम्बर 2009 में अनुमान तैयार किए तथा सीयूटीएन द्वारा कुल ₹ 114.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (एए एवं ईएस) उसी माह में प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीयूटीएन द्वारा अपनाई गई पद्धति यूजीसी के दिशानिर्देशों⁹ जिसने निर्माण समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य किया था, से भिन्न थी। वर्तमान मामले में, दोनों निर्माण तथा वित्त समितियों की कार्योत्तर स्वीकृति दिसंबर 2010 में प्राप्त की गई थी। यह

⁹ XI योजना के दौरान केन्द्रीय, मानी गई राज्य विश्वविद्यालयों को आम विकास सहायता हेतु यूजीसी के दिशानिर्देश

प्रक्रिया सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका के भी विपरित थी। जिसमें अपेक्षित था कि अनुमान तैयार करने से पूर्व मृदा की प्रवृत्ति, बुनियाद का प्रकार आदि से संबंधित सूचना को प्राप्त किया जाना है जो नहीं किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बाद में नियुक्त वास्तुकला परामर्शदाता को कार्य के वास्तविक निष्पादन हेतु संशोधित आरेखण तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिसका परिणाम कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन तथा दो से तीन वर्षों तक परियोजनाओं के समापन में परिणामी विलम्ब के साथ-साथ ₹ 46.32 करोड़ अर्थात् 40 प्रतिशत की कुल अधिक लागत होने में हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि सीपीडब्ल्यूडी ने वास्तुकला परामर्शदाता को डिजाइन तथा प्रारम्भिक अनुमान तैयार करने हेतु नियुक्त किया तथा इंजीनियरिंग डाटा जैसे कि मृदा स्तर सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी। उसने यह भी बताया कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली तथा पॉडिचेरी विश्वविद्यालय को माडलो को कार्य तीव्र करने का सुझाव दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी को कार्य आलेखनों को संशोधित करना था जब स्थल की स्थिति इतनी औचित्यपूर्ण थी और इसे अधिक लागत नहीं माना जा सकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वास्तुकला परामर्शदाता ने पॉडिचेरी विश्वविद्यालय तथा एनआईटी तिरुचिरापल्ली के डिजाइन के आधार पर निविदा आमंत्रित करने के सीयूटीएन के निर्णय के कारण निविदा प्रक्रिया को समाप्त किए जाने के पश्चात् ही स्थल स्थिति तथा मृदा जांच के आधार पर विस्तृत डिजाइन तैयार किए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यकारी आरेखणों तथा अनुमानों को एक से अधिक अवसरो पर पर्याप्त रूप से संशोधित करना था क्योंकि निविदा आरेखण स्थल की स्थिति तथा उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं थे जिसका परिणाम न केवल लागत के अधिक होने में हुआ बल्कि निर्माण को फास्ट ट्रेक करने का मूल उद्देश्य भी विफल हुआ था। इससे बचा जा सकता था अगर सीयूटीएन ने वास्तविक स्थल स्थिति के आधार पर डीपीआर तथा अनुमानों को तैयार करने को निर्धारित करने वाले यूजीसी के दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका का अनुपालन किया होता।

12.2.3 पुस्तकालय की बिल्डिंग का निर्माण

सीयूटीएन ने 3000 वर्ग मीटर के कुल प्लिनथ क्षेत्र के साथ ₹ 5.82 करोड़ के पुस्तकालय ब्लॉक के निर्माण को अनुमोदित किया (नवम्बर 2009)। अक्टूबर 2010 में आमंत्रित निविदा को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रशासनिक कारण बताते हुए नवम्बर 2010 में रद्द कर दिया गया था। बाद में, वास्तुकला परामर्शदाता के आरेखों के आधार पर सीयूटीएन ने दिसंबर 2010 में 5,282 वर्ग मीटर के कुल प्लिनथ क्षेत्र के साथ ₹ 11.64 करोड़ के संशोधित अनुमान को संस्वीकृत किया। कार्य एक ठेकेदार को ₹ 8.34 करोड़ के लिए सौंपा (जनवरी 2011) गया था। तथापि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा छः महीनों से अधिक तक सरचनात्मक आरेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण ठेकेदार ने करार को रोकने हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अनुरोध किया (जून 2011) तथा निविदा को अगस्त 2011 में रोक दिया गया था। कार्य की अगस्त 2011 में पुनः निविदा की गई थी तथा कार्य को 12 महिनों की निर्धारित समापन अवधि के साथ ₹ 10.10 करोड़ हेतु फरवरी 2012 में अन्य ठेकेदार को सौंपा गया।

अक्टूबर 2014 में, सीपीडब्ल्यूडी ने ₹ 17.79 करोड़ का एक संशोधित अनुमान¹⁰ प्रस्तुत किया। सीयूटीएन ने सीपीडब्ल्यूडी को निधियों की कमी के कारण कार्य के क्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)। जबकि सीयूटीएन ने पुनः संशोधित अनुमान (अक्टूबर 2015) को स्वीकृत किया था फिर भी कार्य को ₹ 15.40 करोड़ (मार्च 2017) का व्यय करने के पश्चात जनवरी 2016 में रोक दिया गया था। कार्य के कम किए गए क्षेत्र के साथ भी बिल्डिंग को अभी भी अन्ततः पूरा किया जाना था (मार्च 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार को सरचनात्मक आरेखण प्रदान करने में सीपीडब्ल्यूडी की ओर से छः महीनों से अधिक का विलम्ब अनुबंध को रोकने तथा पुनः निविदा की परिणामी आवश्यकता का कारण बना।

¹⁰ लागत सूचकांक में परिवर्तन, खराब मृदा स्थिति के कारण बुनियाद का अतिरिक्त सुदृढीकरण, अतिरिक्त प्रावधान जैसे लिफ्ट, स्वचालित अग्नि अलार्म प्रणाली आदि के कारण।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.76 करोड़¹¹ की लागत वृद्धि हुई तथा एक वर्ष के विलम्ब में हुआ। इसके अतिरिक्त, बुनियाद में परिवर्तन तथा इसमें शामिल अतिरिक्त व्यय का सीटीयूएन को अक्टूबर 2014 में जाकर अर्थात् फरवरी 2012 में कार्य सौंपने के पश्चात ढाई वर्षों के पश्चात ही पता चला था। यह सीयूटीएन द्वारा कार्य की प्रगति की अपर्याप्त मॉनीटरिंग का सूचक था।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि डिजाईन प्रारम्भ में भू तथा प्रथम तल के लिए तैयार किया गया था। चूंकि एक और तल की आवश्यकता थी इसलिए बुनियाद में परिवर्तन करना था। जिसमें अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, प्रथम तल में लर्नर रिसोर्स यूसिंग सेंटर तथा दूसरे तल में विश्व स्तरीय सभागार-सह-थियेटर का कार्य प्रगति में है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बुनियाद में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्यय का अक्टूबर 2014 में पता चला था जबकि भू-तल और दो तलो सहित पुस्तकालय बिल्डिंग का जनवरी 2011 में सौंपा गया था। एक अतिरिक्त तल की आवश्यकता की देरी से अनुभूति अपने आप में अपर्याप्त संप्रत्ययीकरण तथा योजना का सूचक था। मूल योजना के अनुसार, दूसरे तल की दृश्य-श्रय कक्ष एवं अभिलेख भण्डारण कक्ष, संरक्षण कक्ष, संग्रहण स्थान, लॉन्ज बैठक, भण्डार प्रबंधक कक्ष, पुरानी पुस्तक स्टोर, पिछला मामला कक्ष तथा फर्नीचर भण्डार हेतु उपयोग किए जाने की योजना की गई थी। परंतु सीयूटीएन ने इसे अब सभागार सह थियेटर हेतु उपयोग करने का प्रस्ताव किया जिसके लिए कार्य को अभी भी प्रारम्भ किया जाना था।

इस प्रकार, पुस्तकालय बिल्डिंग ₹ 5.82 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के प्रति ₹ 15.40 करोड़ का व्यय करने तथा चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात भी आंशिक रूप से खाली तथा अपूर्ण रही।

12.2.4 प्राध्यापक क्वार्टरों का अधिक निर्माण

सीयूटीएन ने ₹ 12.44 करोड़ के 30 प्राध्यापक क्वार्टरों (टाईप VI) को संस्वीकृत किया (नवम्बर 2009) तथा कार्य को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिसंबर 2010 में एक ठेकेदार को सौंपा गया। बाद में, आरेखण को वास्तुकला द्वारा संशोधित किया

¹¹ पहले की निविदा ₹ 8.34 करोड़ हेतु जनवरी 2011 में सौंपा गया तथा संशोधित निविदा को ₹ 10.10 करोड़ हेतु फरवरी 2012 में सौंपा गया।

गया था तथा सीयूटीएन ने ₹ 19.29 करोड़ हेतु संशोधित संस्वीकृति प्रदान की (जून 2011)। कार्य को ₹ 19.27 करोड़ के व्यय पर जून 2013 में पूरा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूजीसी ने 20 विभागों हेतु प्रध्यापकों के 20 पदों को संस्वीकृत किया था (अप्रैल 2011)। सीयूटीएन ने 30 प्रध्यापक क्वार्टरों हेतु जून 2011 में संस्वीकृति प्रदान करते समय केवल 20 पदों की यूजीसी की संस्वीकृति पर ध्यान नहीं दिया था जिसका परिणाम 10 अधिक क्वार्टरों पर ₹ 6.42 करोड़¹² के परिहार्य अनुमानित व्यय में हुआ। निर्माण किए गए 30 क्वार्टरों में से केवल सात क्वार्टर प्राध्यापकों को आबंटित किए गए हैं जबकि तीन क्वार्टरों को अतिथिगृह में परिवर्तित कर दिया गया था, तीन को वित्त अधिकारी, नियंत्रक जांच एवं रजिस्ट्रार को आबंटित किया गया था तथा शेष 17 क्वार्टर जून 2017 तक खाली थे।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि जबकि यूजीसी ने 20 प्राध्यापकों वाले 20 विभागों को संस्वीकृत किया था फिर भी संस्वीकृति में अतिथि प्राध्यापकों, प्रध्यापक ऐमेरिटस आदि हेतु परिकल्पित किसी अतिरिक्त आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। सीयूटीएन ने यह भी बताया कि पदों का आबंटन अवरूद्ध नहीं बल्कि बढ़ने वाला है तथा मास्टर प्लान में प्रत्येक विद्यालय में कुछ विभागों तथा पाठ्यक्रमों वाले 30 विद्यालयों का प्रावधान है।

सीयूटीएन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अतिथि प्राध्यापकों को अलग क्वार्टर आबंटित नहीं किया जाता है बल्कि उचित प्रकार से अतिथिगृह में ठहराया जाता है जिसका सीयूटीएन द्वारा अलग से निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीयूटीएन द्वारा तैयार मास्टर प्लान में सीयूटीएन द्वारा खोले जाने को प्रस्तावित विद्यालयों विभागों की संख्या के कोई विवरण नहीं थे।

12.2.5 स्वीकृत प्लिंथ क्षेत्र के आधिक्य में छात्रावास बिल्डिंग का निर्माण

सीयूटीएन ने ₹ 17.24 करोड़ की लागत पर प्रत्येक छात्रावास हेतु 3,956 वर्ग मीटर के प्लिन्थ क्षेत्र सहित 200 छात्रों (पुरुष तथा महिला हेतु प्रत्येक) के छात्रावास स्थान के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 2009)। निविदाएं

¹² कुल व्यय ₹ 192667000÷30= 6422333×10 क्वार्टर= ₹ 64223330 अथवा ₹ 6.42 करोड़

जनवरी 2010 में आमंत्रित किए गए थे तथा दोनों निर्माण कार्यों को ₹ 16.95 करोड़ की लागत पर मार्च 2010 में सौंपा गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रत्येक छात्रावास हेतु 7219 वर्गमीटर के प्लिनथ क्षेत्र सहित ₹ 28.44 करोड़ की कुल लागत पर कन्या छात्रावास हेतु दिसंबर 2012 में तथा लड़को के छात्रा हेतु मार्च 2013 में कार्य को समाप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्रावास बिल्डिंग के समापन के पश्चात सीपीडब्ल्यूडी ने सीयूटीएन को संशोधित अनुमान प्रेषित किए (दिसंबर 2013) जिसमें यह बताया गया था कि संशोधित अनुमान प्रत्येक छात्रावास हेतु प्लिनथ क्षेत्र में 3,956 वर्गमीटर से 7,219 वर्ग मीटर तक की वृद्धि के कारण आवश्यक थे। यद्यपि निर्माण समिति ने 20 फरवरी 2015 को हुई अपनी बैठक में प्लिनथ क्षेत्र में वृद्धि के मामले को उठाया था फिर भी उसने प्लिनथ क्षेत्र में वृद्धि हेतु कारणों को प्रस्तुत करने की सलाह के साथ सीपीडब्ल्यूडी (दिसंबर 2015) द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों को स्वीकृत किया।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) के मूल रूप से तैयार किया गया डिजाईन छोटा था तथा इसलिए सीपीडब्ल्यूडी ने संशोधित अनुमान तैयार किए। उसने यह भी बताया कि मूल अनुमान के समय लागत तालिका में कार्य को प्रारम्भ करने के समय तक वृद्धि हुई जिसने लागत को भी प्रभावित किया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि छात्रावास बिल्डिंग हेतु मूल डिजाईन 200 छात्रों के लिए था तथा बढ़ाए गए प्लिनथ क्षेत्र के साथ संशोधित डिजाईन भी उतने ही छात्रों के लिए था तथा इसलिए प्लिनथ क्षेत्र को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है बाद में कि सीयूटीएन में 7,543 वर्गमीटर के प्लिनथ क्षेत्र सहित दो 300 बिस्तर वाले छात्रावासों का निर्माण (अगस्त 2016 तथा जनवरी 2017) किया गया था। इसलिए लगभग 82 प्रतिशत तक प्लिनथ क्षेत्र में अनुचित वृद्धि को अनुमान के संशोधन तथा ₹ 5.98 करोड़¹³ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। संशोधित अनुमानों को निर्माण समिति द्वारा बिना किसी औचित्य के स्वीकृत किया गया था जो खराब वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण का सूचक था।

¹³ दोनों छात्रावासों की वास्तविक लागत (मैस ब्लॉक की लागत को हटाने के पश्चात) ₹ 23.22 करोड़ घटा मूल अनुमानित लागत ₹ 17.24 करोड़

12.2.6 चरण-II के अंतर्गत निर्माण

सीयूटीएन ने मार्च 2011 से ₹ 213.78 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण II के अंतर्गत 14 निर्माण कार्यों का निर्माण को प्रारम्भ किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है।

12.2.6.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्थल का अविवेकपूर्ण चयन

जीओटीएन ने सीयूटीएन के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु 517 एकड़ भूमि आबंटित की जिसमें 3.63 एकड़ भूमि शामिल थी जहां 39 परिवारों को मुफ्त पट्टा प्रदान किया गया था। राज्य सरकारी प्राधिकरणों/सीयूटीएन द्वारा बातचीत के कई अवसरों के पश्चात भी परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के मामले का निपटान नहीं किया जा सका था। इसी बीच, सीयूटीएन ने विवादित भूमि के निकटवर्ती स्थल पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) का निर्माण करने का निर्णय लिया तथा ₹ 5.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2012)।

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पीएचसी के निर्माण का कार्य मई 2013 तक समापन हेतु जुलाई 2012 में एक ठेकेदार को सौंपा गया था। कार्य को परिवारों द्वारा लगातार विरोध के कारण बुनियाद तथा क्रंकीट बेसमेंट पर ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात जुलाई 2014 में परित्याग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीयूटीएन निकटवर्ती भूमि की विवादित स्थिति तथा इन परिवारों द्वारा विरोध से अवगत था। फिर भी सीयूटीएन पीएचसी के निर्माण हेतु विवादित भूमि के निकटवर्ती स्थल के चयन हेतु गया था जो अंततः ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात कार्य के परित्याग का कारण बना।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि भूमि विवादित क्षेत्र का भाग नहीं है तथा इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को वैध रूप से संपूर्ण किया गया था। उसने बताया कि कार्य को रोकना पूर्णतः अस्थायी था तथा इसे किसी भी समय प्रारम्भ किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बातचीत के माध्यम से इन परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने के मामले का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था। अगर पीएचसी के निर्माण के स्थल का चयन इस क्षेत्र के निकटवर्ती था तो सीयूटीएन

को बाधा से प्रत्याशित होना चाहिए था। इसलिए, पीएचसी को अपने परिसर में दूसरे स्थान पर ले जाना सीयूटीएन के लिए विवेकपूर्ण होगा। सीयूटीएन सात वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् भी इन परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने में समर्थ नहीं था। इस प्रकार, एक पीएचसी के निर्माण के उद्देश्यों को ₹ 32.01 लाख का व्यय करने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।

12.2.6.2 क्वार्टरों के निर्माण में मापदण्डों से विचलन

यूजीसी दिशानिर्देश¹⁴ अनुबंध करते हैं कि बिल्डिंग के अनुमान सीपीडब्ल्यूडी अथवा राज्य पीडब्ल्यूडी के मापदण्डों, विशिष्टता तथा दरों की सूची के अनुसार होने चाहिए। वर्तमान नियमावली¹⁵ के अनुसार, ₹ 4200 अथवा अधिक के ग्रेड वेतन वाले अधिकारी 76.02 वर्गमीटर¹⁶ वाले टाईप III क्वार्टरों के पात्र हैं। निर्धारित पैमानो से आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जब कि उपभोक्ता विभाग द्वारा विशेष रूप से मांग न की गई हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गैर-शिक्षण स्टाफ हेतु 32 टाईप III क्वार्टरों का निर्माण ₹ 10.11 करोड़ की लागत पर 4,305.4 वर्ग मीटर के कुल प्लिनथ क्षेत्र के साथ पूर्ण किया गया था। प्रत्येक क्वार्टर का निर्माण 76.02 वर्गमीटर के निर्धारित मापदण्ड के प्रति 134.54 वर्ग मीटर के क्षेत्र अर्थात् 76.98 प्रतिशत अधिक के साथ किया गया था। मापदण्डों के प्रति अधिक प्लिनथ क्षेत्र को अपनाने हेतु अनुमानों में कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था। यूजीसी दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के प्रति टाईप III क्वार्टरों हेतु प्लिनथ क्षेत्र के गलत अभिग्रहण का परिणाम लगभग ₹ 4.40 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

¹⁴ पैरा 4.4-XI योजना (2007-12) के दौरान केन्द्रीय, मानी गई तथा राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता हेतु दिशानिर्देशों में "विभिन्न बिल्डिंग परियोजनाओं हेतु योजनाएं तथा अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया"।

¹⁵ अनुपूरक नियमावली 317- बी 5 तथा सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका के परिशिष्ट 5 के साथ पठित धारा 4.1.3

¹⁶

टाईप	इकाई का क्षेत्र	सीढ़ी/प्रसार	बालकॉनी को बाहर निकालना	साईकल/स्कूटर शैड/ गैराज	वास्तुकला विचार	कुल क्षेत्र वर्ग मीटर
III	55.75	5.00	7.45	4.20	3.62	76.02
VI	223	10.5	16	20.90	शून्य	270.40

इसी प्रकार, 37,400-67,000 के वेतनमान तथा ₹ 10,000 के ग्रेड वेतन वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार तथा सीयूटीएन के कुलपति सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों के अनुसार 270.40 वर्गमीटर के क्षेत्र वाले टाईप VI क्वार्टरो के पात्र थे। तथापि, सीयूटीएन ने 270.40 वर्ग मीटर के मापदण्डों के प्रति 845 वर्गमीटर तथा 544 वर्ग मीटर के प्लिनथ क्षेत्र के साथ क्रमशः वीसी/रजिस्ट्रार के आवासों का निर्माण किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि अधीक्षक अभियंता, योजना, सीपीडब्ल्यूडी ने सीयूटीएन को सूचित किया (मार्च 2011) कि वास्तुकार आरेखण में विचार किया गया प्लिनथ क्षेत्र स्वीकृत मापदण्डों से अधिक था फिर भी सीयूटीएन ने प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (जून 2011) प्रदान करते समय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सदंभित मापदण्डों पर ध्यान नहीं दिया था। तदनुसार, वीसी/रजिस्ट्रार के आवासों का 270.40 वर्गमीटर के प्रति क्रमशः 845 वर्ग मीटर तथा 544 वर्ग मीटर के प्लिनथ क्षेत्र के साथ ₹ 4.37 करोड़ के व्यय पर निर्माण किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 2.70 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि वास्तव में नियम पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, इसे जीआरआईएचए¹⁷ मापदण्डों को अपनाने के कारण संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्लिनथ क्षेत्र मापदण्डों का अनुपालन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, जीआरआईएचए मापदण्ड संसाधनों के संरक्षण तथा उपयोग को बढ़ाने हेतु हरित बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के संबंधित है न कि प्लिनथ क्षेत्र पर चर्चा करते हैं।

इस प्रकार, सीपीडब्ल्यूडी की अभ्युक्तियों के बावजूद अनुमानों तथा गलत प्लिनथ क्षेत्र को अपनाने को स्वीकृत करते समय सीपीडब्ल्यूडी मापदण्डों को स्वीकार करने में सीयूटीएन की विफलता का परिणाम ₹ 7.10 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

¹⁷ जीआरआईएचए नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा डिजाईन, निर्माण, संचालन को सहायता तथा एक संसाधन प्रभावित निर्मित वातावरण को बनाए रखने हेतु एक साधन।

12.2.6.3 रसायन प्रयोगशालाओं का व्यर्थ होना

सीयूटीएन ने मार्च 2011 में रसायन विभाग हेतु प्रयोगशाला आधारित विद्यालय (एलबीएस) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की। कार्य को अगस्त 2012 में प्रारम्भ तथा ₹ 15.70 करोड़ की लागत पर फरवरी 2015 में समाप्त किया गया था। 15 प्रयोगशालाओं में से, 13 प्रयोगशालाएं अवसरंचना तथा उपकरण¹⁸ की अनुपलब्धता के कारण चालू नहीं थीं। सीयूटीएन ने प्रयोगशाला आधारित विद्यालय को सज्जित करने हेतु एक परामर्शदाता को नियुक्त किया (फरवरी 2015) तथा अवसरंचना के सृजन हेतु कार्य आदेश दस महीनों की निर्धारित समापन अवधि के साथ मार्च 2017 में प्रदान किया गया था। प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति हेतु कार्य आदेश प्रतीक्षित था (जून 2017)। 2010-11 से 2016-17 के दौरान रसायन विभाग में कुल 210 छात्रों का दाखिला किया गया था तथा पाठ्यक्रमों को उपयुक्त प्रयोगशाला के बिना पूरा किया जा रहा था। प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब का परिणाम फरवरी 2015 से 13 प्रयोगशालाओं के व्यर्थ होने तथा छात्रों को प्रयोगशाला सुविधा से इंकार में हुआ।

सीयूटीएन ने बताया (जुलाई 2017) कि प्रारम्भिक निर्माण के समय प्रयोगशाला उपकरण की संस्थापना हेतु प्रावधानों को निश्चित रूप से निर्धारित करने हेतु कोई संकाय नहीं था तथा इसका प्रारम्भिक स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सका था।

सीयूटीएन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीयूटीएन ने सिविल कार्य की समाप्ति के पश्चात केवल फरवरी 2015 में जा कर ही परामर्शदाता की नियुक्ति की थी। परामर्शदाता की प्रयोगशाला के निर्माण के समय के साथ-साथ नियुक्ति की गई होती तो 13 रसायन प्रयोगशाला के व्यर्थ होने से बचा जा सकता था। इस प्रकार, समन्वय तथा उपयुक्त योजना की कमी ढाई वर्षों से अधिक के लिए 13 प्रयोगशालाओं के व्यर्थ रहने का कारण बनी।

¹⁸ प्रयोगशाला का फर्नीचर एवं सहायक उपकरण, एचवीएसी हेतु इलैक्ट्रिकल निर्माण कार्य, फ्यूम हुड एवं सहायक उपकरण, केलिसियम बिलिकेट पार्टिशन, इलैक्ट्रिकल एवं अगिन अलार्म प्रणाली, गैस संवितरण प्रणाली, प्रयोगशाला निकास प्रणाली तथा अन्य इलैक्ट्रिकल कार्य।

12.2.7 निष्कर्ष

यूजीसी दिशानिर्देशों तथा सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन का परिणाम समय तथा लागत के अधिक होने में हुआ। 11 निर्माण कार्य जिनका प्रारम्भ में ₹ 114.45 करोड़ का प्रस्ताव किया गया था उन्हें विशिष्टताओं तथा आरेखणों में परिवर्तन के कारण 17 से लेकर 46 महीनों के बीच के विलम्ब के साथ ₹ 160.77 करोड़ की लागत पर समाप्त किया गया था। ₹ 15.40 करोड़ की लागत निर्मित पुस्तकालय बिल्डिंग का अभी भी प्रत्याशित उद्देश्य हेतु पूर्णतः उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पीएचसी हेतु स्थल के अविवेकपूर्ण चयन, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्मिकों हेतु क्वार्टरों के निर्माण में मापदण्डों से अधिक निर्माण/विचलन तथा अधिक प्लिन्थ क्षेत्र के साथ छात्रावास बिल्डिंगों के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 19.82 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। अंततः, 13 रसायन प्रयोगशालाएं अवसंरचना तथा उपकरण की अनुपलब्धता के कारण व्यर्थ रहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

12.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता हेतु महिलाओं के होस्टल के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया था तथा स्फीत अनुमानों पर ₹ 56.11 लाख की अनुदान की अधिक स्वीकृति थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ की अनुदान के भुगतान वाली 31 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधियों के पश्चात भी अपूर्ण रही जबकि ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार किए गए दो होस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

12.3.1 प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में निधियां एवं

समन्वय प्रदान करने, निर्धारण तथा मानकों को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। यूजीसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा लिंग समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला होस्टल का निर्माण की एक योजना (योजना) को कार्यान्वित कर रहा है। कोलकाता में यूजीसी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ-यूजीसी) ने योजना को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार तथा झारखण्ड चार राज्यों में स्थित महाविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया।

अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि को शामिल करके ईआरओ-यूजीसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या योजना को यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया गया था। 680¹⁹ स्वीकृत मामलों में से Xवीं से XIIवीं योजनाओं तक विस्तारित 60 मामलों²⁰ का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था। इन 60 मामलों में से 15²¹ का स्थल दौरा हेतु चयन किया गया था (अनुबंध-VI)।

12.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महिला होस्टलों के निर्माण की योजना VIIIवीं योजना से चालू थी। योजना का कार्यान्वयन (i) “महाविद्यालयों हेतु महिला होस्टलों के निर्माण की विशेष योजना पर दिशानिर्देश (योजना दिशानिर्देश)” तथा (ii) “बिल्डिंगों के निर्माण हेतु महाविद्यालयों को विकास सहायता की योजना के दिशानिर्देशों (निर्माण दिशानिर्देश)” के अनुसार किया जाना है। यूजीसी ने समय-समय पर निर्धारित सीमाओं²² के तहत किस्तों में योग्य महाविद्यालयों को होस्टल के निर्माण के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की। महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों

¹⁹ 638 मामले अप्रैल 2014 तक चालू थे तथा 42 मामलों को 2014-17 के दौरान स्वीकृत किया गया था।

²⁰ 20 चालू (अप्रैल 2014 से पहले प्रारम्भ तथा मार्च 2017 तक समाप्त न की गई), 20 2014-17 के दौरान पूर्ण तथा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान 20 नई अनुमोदित

²¹ पांच चालू, 2014-17 के दौरान पांच पूर्ण तथा पांच नई अनुमोदित परियोजनाओं का लेखापरीक्षाओं द्वारा दौरा किया गया था।

²² महिला छात्र के नामांकन के आधार पर Xवीं योजना (2002-07) हेतु ₹ 60 लाख से ₹ 2.00 करोड़ तथा XIवीं (2007-12) एवं XIIवीं (2012-17) योजनाओं हेतु ₹ 40 लाख से ₹ 1.20 करोड़।

की स्वीकृति के पश्चात सहायता को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ तीन किस्तों²³ में महाविद्यालयों को जारी की जानी थी। 2014-17 के दौरान जारी अनुदान की तुलना में परियोजनाओं की स्थिति को नीचे तालिका सं. 3 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3: 2014-17 के दौरान जारी अनुदान के तुलना में परियोजनाएं

वर्ष	चालू परियोजनाएं ²⁴	संस्वीकृत परियोजनाएं	समाप्त परियोजनाएं	शेष	जारी अनुदान (₹ करोड़ में)
2014-15	638	42	21	659	27.79
2015-16	659	0	11	648	7.95
2016-17	648	0	15	633	7.20

लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों तथा अन्य नियमों का गैर-अनुपालन पाया जिसका परिणाम दोनो परिहार्य व्यय तथा परियोजनाओं के समापन में विलम्ब में हुआ जैसा निम्न पैराग्राफों में ब्यौरा दिया गया है।

12.3.2.1 परियोजना के अनुमोदन में योजना दिशानिर्देशों से विचलन

योजना दिशानिर्देश विशिष्ट दस्तावेजों का अनुबंध करते हैं। जिनके साथ महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव तथा यूजीसी द्वारा मूल्यांकन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया को जोड़ा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआरओ-यूजीसी-महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा में उचित सचेतना बरतने में विफल रहा जिसका परिणाम वर्तमान दिशानिर्देशों से विचलन में ₹9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ ₹56.11 लाख की अधिक वित्तीय सहायता में हुआ जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(i) योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि अनुमान को अलग सहयोगी सेवाओं²⁵ हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिशतता दर सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (एसओआर) के आधार पर तैयार

²³ प्रथम किस्त (50 प्रतिशत), दूसरी किस्त (40 प्रतिशत) तथा अंतिम किस्त (10 प्रतिशत)

²⁴ 1 अप्रैल तक

²⁵ सहायक सेवाओं में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संस्थापना (सिविल लागत का 7.5 प्रतिशत), विद्युतीकरण कार्य (सिविल लागत का 10 प्रतिशत/12.5 प्रतिशत), आकस्मिकता (सेवाओं सहित सिविल कार्य का तीन प्रतिशत), वास्तुकार का शुल्क (सेवाएं तथा आकस्मिकता सहित सिविल लागत का पांच प्रतिशत), पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी सत्यापन प्रभार (सिविल लागत का 0.50 प्रतिशत)

किया जाना है। संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार²⁶ मामलों में महाविद्यालयों द्वारा सहायक सेवाओं हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिशतता दर से अधिक दर लगाकर स्फीत अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। इसका परिणाम ₹ 56.11 लाख की अधिक वित्तीय सहायता की स्वीकृति में हुआ।

(ii) निर्माण दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि विद्यालय की निर्माण समिति (बीसी) के संकल्प तथा प्रमाणपत्र में बीसी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। छः²⁷ मामलों में, ईआरओ-यूजीसी ने ₹ 4.80 करोड़ संस्वीकृत किए जबकि संकल्प में सभी बीसी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे तथा इसलिए उनकी वैधता संदेहस्पद थी।

(iii) निर्माण दिशानिर्देश दिव्यांगों हेतु सभी बिल्डिंगों में रैम्प का प्रावधान करते हैं। 43 मामलों में, हॉस्टल में दिव्यांगों हेतु रैम्प का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(iv) निर्माण दिशानिर्देश बताते हैं कि संबंधित महाविद्यालयों की बीसी को यह सत्यापित करना चाहिए कि बिल्डिंग योजनाओं को यूजीसी के विचार हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें स्थानीय प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। छः²⁸ मामलों में, ईआरओ-यूजीसी ने ₹ 4.80 करोड़ की अनुदान को महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का समर्थन करने वाले बिना किसी दस्तावेज के अनुमोदन किया। उपर्युक्त छः मामलों में से केवल एक परियोजना पूर्ण थी (फरवरी 2016) तथा शेष को अभी भी दिसंबर 2017 तक समाप्त करना था।

(v) योजना दिशानिर्देश के अनुसार, प्रस्ताव में निर्माण हेतु चिन्हित भूमि महाविद्यालय के गैर-विवादित स्वामित्व की होनी चाहिए। लेडी ब्रेबोर्न महाविद्यालय, कोलकाता ने पीडब्ल्यूडी पश्चिम बंगाल से संबंधित भूमि पर एक

²⁶ (i) बारीपाड़ा महाविद्यालय, ओड़िशा (ii) आनन्दपुर महाविद्यालय, ओड़िशा (iii) देशबन्धु कन्या महाविद्यालय, कोलकाता तथा (iv) बहमानन्द केशव चन्द्रा महाविद्यालय, कोलकाता

²⁷ (i) महिषादल कन्या महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल (ii) कृष्क महाविद्यालय, बिहार (iii) गोपाबन्धु चौधरी महाविद्यालय, ओड़िशा (iv) भाट्टेर महाविद्यालय, दनतन, पश्चिम बंगाल (v) महादेव सिंह महाविद्यालय, बिहार (vi) फलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय, बिहार

²⁸ (i) इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, ओड़िशा (ii) नयागढ़ स्वायत्त महाविद्यालय, ओड़िशा (iii) गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय, बिहार (iv) महादेव सिंह महाविद्यालय, बिहार (v) कृष्क महाविद्यालय, बिहार तथा (vi) गुरुशाय दियोशरण स्मारक महाविद्यालय, बिहार

हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव किया (नवम्बर 2006)। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति, जिसने प्रस्तावित स्थल का स्थान निरीक्षण किया, ने सिफारिश की (मार्च 2012) कि भूमि का स्वामित्व महाविद्यालय के नाम पर नहीं था तथा इसे सुधारने की आवश्यकता थी। ईआरओ-यूजीसी ने हॉस्टल के निर्माण हेतु महाविद्यालय को ₹ 1.91 करोड़ की अनुदान अनुमोदित की। तथापि, लेखापरीक्षा को कोई प्रलेखन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था जिससे निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रस्ताव को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उजागर उपर्युक्त प्रत्येक मामले में, ईआरओ-यूजीसी ने केवल यह बताया (जून 2017) कि उजागर मामलों पर महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा एक साथ ध्यान दिया जाएगा।

12.3.2.2 परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों के निर्गम से इसके समापन तक परियोजना के कार्यान्वयन तथा निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब था जो समन्वय तथा योजना की कमी के साथ-साथ अप्रभावी मॉनिटरिंग का सूचक था जैसा नीचे उजागर किया गया है:

(i) **किस्तों को जारी करने में विलम्ब:** निर्माण दिशानिर्देश परियोजनाओं की अनुमोदन प्रदान करते समय पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत तथा पहली किस्त के लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र (यूटी) तथा व्यय विवरणी की प्राप्ति पर दूसरी किस्त के रूप में 40 प्रतिशत के निर्गम की अभिकल्पना करते हैं। लेखापरीक्षा ने 41 मामलों में किस्तों के निर्गम में विलम्ब पाया जो पांच महीनों से सात वर्षों से अधिक के पश्चात् पूरा किया गया था। यह परिणामस्वरूप 16 परियोजनाओं के समापन में विलम्ब का कारण बना जिन्हें उनकी निर्धारित तिथियों के 18 महीनों से सात वर्षों से अधिक के पश्चात् पूरा किया गया था जबकि 21 परियोजनाएं दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक तक अनुसूचित तिथि से पीछे थे। ईआरओ-यूजीसी ने किस्तों को जारी करने में विलम्ब को दस्तावेजों के विलंबित प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ निधि की कमी को आरोपित किया (जून 2017)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना की संस्वीकृति ने सूचित

किया कि सभी अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था।

(ii) **निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलम्ब:** निर्माण दिशानिर्देशों में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जमा कार्य के रूप कार्य को निष्पादित न किए जाने के मामले महाविद्यालयों को कार्य को सौंपने के छः महीनों के भीतर यूजीसी को निविदा के ब्यौरो से सूचित करना अपेक्षित है। पाँच²⁹ महाविद्यालयों ने कार्य सौंपने से 15 महीनों से 28 महीनों के व्यतीत होने के पश्चात निविदा ब्यौरो को प्रस्तुत नहीं किया था जबकि दस महाविद्यालयों ने मई 2017 तक अर्थात् एक से दस वर्षों से अधिक के बीच की अवधि के बीत जाने के पश्चात भी ब्यौरों को प्रस्तुत नहीं किया था। ईआरओ-यूजीसी ने बताया कि महाविद्यालयों को दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस भेजे जाएंगे।

(iii) **कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब:** निर्माण दिशानिर्देश बताते हैं कि अगर परियोजना को निर्धारित अवधि अथवा यूजीसी द्वारा स्वीकृति से छः महीनों, जो भी बाद में हो, के भीतर प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो मामले को यूजीसी को सूचना के अंतर्गत बीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। लेखापरीक्षा ने 18 मामले पाए जिन्हें ईआरओ-यूजीसी को कोई सूचना के बिना निर्धारित अवधि के पश्चात प्रारम्भ किया गया था। ऐसे मामलों को सूचना न देने के लिए यूजीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसका अंततः परिणाम परियोजनाओं के समापन में विलम्ब में होगा। ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

(iv) **परियोजना के समापन में विलम्ब:** निर्माण दिशानिर्देशों में महाविद्यालयों को अपने प्रस्ताव में निर्माण को प्रारम्भ करने की संभावित तिथि तथा परियोजना के समापन हेतु अपेक्षित अवधि को दर्शाना आवश्यक है। तथापि, महाविद्यालयों द्वारा गैर-निर्माण/विलंबित निर्माण के मामले में यूजीसी द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा ने 22 परियोजनाएं पाई जिन्हे समापन की निर्धारित अवधि से 10 महीनों से सात वर्षों से अधिक के बीच के विलम्ब के पश्चात समाप्त किया गया था। इसके

²⁹ (i) स्कोटिश चर्च महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल (ii) आर.बी. महाविद्यालय, बिहार (iii) श्री अरविंद महिला महाविद्यालय, बिहार (iv) लाल बहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय, झारखण्ड तथा (v) एग्रा सारदा सासी भूषण महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल

अतिरिक्त, ₹ 26.16 करोड़ की अनुदान वाली 31 परियोजनाएं समापन की निर्धारित अवधि से दो महीनों से नौ वर्षों से अधिक के बीच की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण रहीं (मई 2017)। ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि दिशानिर्देशों में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं थी तथा केवल महाविद्यालयों ने परियोजना की समापन तिथि का विशेष रूप से उल्लेख किया तथा केवल बीसी ही परियोजना के समापन हेतु उत्तरदायी था। तथ्य है कि यूजीसी द्वारा अनुदान जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कि परियोजनाएं जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी उन्हें परियोजना प्रस्तावों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार पूरा किया गया था जिससे योजना के उद्देश्यों की सामयिक प्राप्ति का उद्देश्य विफल हुआ।

12.3.2.3 चयन आधार पर कार्य सौंपना

निर्माण दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि महाविद्यालयों को कार्य को या तो जमा कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या फिर महाविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा निष्पादित करना चाहिए। इसे जमा कार्य के रूप में सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के माध्यम से निष्पादित न किए जाने के मामले में दिशानिर्देश ने अनुबंध किया कि महाविद्यालयों को कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस के माध्यम से इच्छुक दलों से मद-दर आधार पर निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए। निविदा प्रक्रिया के संबंध में सूचना को कार्य सौंपने से छः महीनों के भीतर यूजीसी को प्रेषित किया जाना था।

संत जेवियर कॉलेज, कोलकाता ने ₹ 4.59 करोड़ की अनुमानित लागत पर महिला हॉस्टल के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवम्बर 2006)। फरवरी 2007 में, यूजीसी ने परियोजना हेतु ₹ दो करोड़ संस्वीकृत किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि महाविद्यालय ने एक निजी अभिकरण को बिना निविदा प्रक्रिया के ₹ 2.91 करोड़ का कार्य सौंपा (सितम्बर 2010)। कार्य को मार्च 2014 में समाप्त किया गया था। महाविद्यालय ने बताया कि अभिकरण का चयन महाविद्यालय के साथ उनके लम्बे संबंध, पहले के निष्पादन तथा विश्वसनीयता के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयन आधार पर कार्य प्रदान करना न केवल निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में था बल्कि वित्तीय औचित्य तथा निर्माण कार्यों की निविदाओं को सौंपने के मापदण्डों के मौलिक सिद्धान्तों के भी उल्लंघन में था जैसा दोनो सामान्य वित्तीय नियमावली तथा सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका में भी निर्धारित है जहां कुछ विशेष परिस्थितियों के सिवाय ऐसी प्रवृत्ति के निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया एक अनिवार्य आवश्यकता है। तथापि, यूजीसी ने महाविद्यालयों द्वारा अपनी वित्तीय सहायता के उपयोग की ऐसी मूल आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। ईआरओ-यूजीसी ने केवल बताया (जून 2017) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा।

12.3.2.4 निर्माण कार्यों में अधिक व्यय

लेखापरीक्षा ने निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु महाविद्यालयों द्वारा ठेकेदारों को कुल ₹ 13.90 लाख का अधिक भुगतान पाया जैसा नीचे दिया गया है:

- ए) केएसटी महाविद्यालय, बिहार ने निवेदित दर से अधिक ₹ 319.05 प्रति क्यूबिक मीटर पर ईंट कार्य हेतु भुगतान किया जिसका परिणाम ठेकेदार को ₹ 1.46 लाख³⁰ के अधिक भुगतान में हुआ। महाविद्यालय ने बताया कि वह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की जांच करेगा तथा वसूली की जाएगी;
- बी) गुरुशाय दियोशरण स्मारक महाविद्यालय, बिहार ने 1000 ईंटों की निवेदित इकाई के स्थान पर ₹ 241.50 तथा ₹ 544.30 प्रति 100 ईंट की दर पर ईंटों पर क्रमशः आपूर्ति तथा भाड़ा प्रभार अदा किया। इसका परिणाम ठेकेदार को ₹ 10.50 लाख³¹ के अधिक भुगतान में हुआ; तथा
- सी) दियोगढ़ महाविद्यालय, झारखण्ड ने ₹ 317.75 तथा ₹ 248.94 की अनुबंध दर से ₹ 665.62 तथा ₹ 393.73 की उच्च दरों पर भुगतान के कारण क्रमशः ईंटों तथा रेत के भाड़ा प्रभारों के कारण ₹ 1.94 लाख³² का अधिक भुगतान हुआ।

³⁰ 456.94 क्यूबिक मीटर (निष्पादित प्रमात्रा) X ₹ 319.05 (वास्तविक भुगतान दर ₹ 4032.30 - निवेदित दर ₹ 3713.25)

³¹ आपूर्ति पर अतिरिक्त लागत - ₹ 3.23 लाख, भाड़ा प्रभार- ₹ 7.27 लाख

³² ईंटों पर - ₹ 1.25 लाख: 358082 ईंट X ₹ 347.87 प्रति हजार (₹ 665.62-₹ 317.75)। रेत पर-₹ 0.69 लाख: क्यूबिक मीटर रेत X ₹ 144.79 प्रति क्यूबिक मीटर (₹ 393.73-₹ 248.94)

ईआरओ-यूजीसी ने बताया (जून 2017) कि मामले को महाविद्यालयों के साथ उठाया जाएगा तथा राशि का अगली किस्त से समायोजन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे अधिक निर्गम आंतरिक नियंत्रणों तथा जांचों की कमी तथा शेष जिनसे ठेकेदार को अधिक भुगतान का जोखिम था, के बिना पता चले रहने के सूचक थे।

12.3.2.5 वित्तीय सहायता से सृजित अवसंरचना का व्यर्थ होना

भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित 15 महाविद्यालयों में से सात³³ महाविद्यालयों में हॉस्टलों को पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सात हॉस्टलों में से ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर निर्मित दो हॉस्टलों का समापन की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात भी उपयोग नहीं किया जा रहा था (मई 2017)। जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- ए) बंकी महाविद्यालय, ओडिशा ने दिसंबर 2013 में ₹ 1.08 करोड़ लागत पर 96 बिस्तर वाला महिला हॉस्टल को पूर्ण किया। परन्तु हॉस्टल को तीन वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी आंतरिक जल आपूर्ति, मुख्य प्रवेश पर रैम्प, बिल्डिंग के कुछ भाग में रंगरोगन तथा फर्नीचर की आवश्यकता के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था। यूजीसी ने महाविद्यालय द्वारा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी निधियां जारी की थी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा स्थल दौरे के दौरान यह देखा गया था कि कार्य की उपर्युक्त मदों का अभी भी पूर्ण किया जाना था।
- बी) तार्केश्वर डिग्री महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल में महिला हॉस्टल का मार्च 2014 में ₹ 1.22 करोड़ की लागत पर निर्माण किया गया था। महाविद्यालय ने बताया (मई 2017) कि उच्चतर शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को अभी भी हॉस्टल स्टाफ, रसोईया तथा सुरक्षा गार्डों को संस्वीकृत करना था। इसलिए, हॉस्टल का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था।

³³ इसमें दो परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें 2014-17 के दौरान अनुमोदन के साथ-साथ समाप्त किया गया था

12.3.3 निष्कर्ष

इस प्रकार, ईआरओ-यूजीसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन को वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन द्वारा अंकित किया गया था जिसका परिणाम निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ₹ 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता के निर्गम के साथ-साथ ₹ 56.11 लाख के अधिक निर्गम में हुआ। विलम्ब, लगभग 10 वर्षों के बीच के विलम्बों के साथ परियोजना स्वीकृति तथा निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थानिक था। 22 परियोजनाओं के समापन विलंबित थे जबकि 31 परियोजनाओं को समापन की निर्धारित तिथि से नौ वर्षों से अधिक के बीच के विलम्बों के पश्चात भी अभी भी पूर्ण किया जाना था। ₹ 2.30 करोड़ की लागत पर तैयार दो हॉस्टल तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त रहे।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जुलाई 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता

12.4 जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने वर्तमान आदेशों के उल्लंघन में जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज की उच्चतर दर अदा की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.28 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से अपने क्षेत्राधिकार के अधीन सभी स्वायत्त संगठनों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) अंशदाताओं को सरकार द्वारा अधिसूचित से उच्चतर दर पर ब्याज अदा न करने का अनुदेश दिया (फरवरी 2014)। तथापि, अधिसूचित दर से ब्याज की कम दर अदा की जा सकती थी जो संगठन की वित्तीय स्थिति पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी तथा अहमदाबाद (आईआईएम-ए) एवं कोलकाता (आईआईएम-सी) में भारतीय प्रबंधन

संस्थान ने जीपीएफ/सीपीएफ संचयों पर केन्द्र द्वारा निर्धारित अधिसूचित दरों से उच्चतर दरों पर ब्याज अदा किया। इसका परिणाम वर्ष 2010-11 से 2016-17 हेतु ₹ 6.28 करोड़ के ब्याज के अधिक भुगतान में हुआ जैसा नीचे तालिका सं.4 में दिया गया है:

तालिका सं. 4: ब्याज का अधिक भुगतान

संस्थान का नाम	वर्ष के लिए	दर जिस पर संस्थान द्वारा अदा किया गया (%)	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर (%)	क्रेडिट किया गया अधिक ब्याज (र करोड़ में)
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	2012-13	9.30	8.80	1.17
	2015-16	9.20	8.70	1.75
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2010-11	12.00	8.00	0.93
	2011-12	12.00 (नवम्बर 11 तक)	8.00 (नवम्बर 11 तक)	1.11
		12.60 (दिसम्बर 11 - मार्च 12)	8.60 (दिसम्बर 11 - मार्च 12)	
	2012-13	10.80	8.80	0.65
	2013-14	9.45	8.70	0.27
	2014-15	9.10	8.70	0.17
2015-16	8.82	8.70	0.05	
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2016-17	8.70	8.10 (सितम्बर 16 तक)	0.18
			8.00 (अक्टूबर 16 - मार्च 17)	
कुल अधिक भुगतान				6.28

आईआईएम-ए ने बताया (जून 2017) कि 2004 में जारी एमएचआरडी के अनुदेश संस्थान पर लागू नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अनुदेश उन स्वायत्त निकायों पर लागू थे जो किए गए जीपीएफ/सीपीएफ संचयों के निवेश पर अर्जित आय तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर पर जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज प्रदान करने हेतु अपेक्षित राशि के बीच कमी को पूरा करने की दृष्टि से अपने बजट के संवर्धन हेतु अपनी संबंधित वित्त समितियों की स्वीकृतियों की मांग करते हैं। वर्तमान मामले में, ट्रस्ट्री ने यह ध्यान रखने के पश्चात कि ब्याज दर में कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त

कुशन सृजित किया गया है, ट्रस्ट की कमाई के अनुसार कर्मचारियों को अतिरिक्त ब्याज की घोषणा की थी। बीएचयू ने उत्तर दिया (मई 2017) कि महामना पं. मदन मोहन मालवीया जी के 150^{वीं} जन्म सालगिरह तथा बीएचयू के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक विशेष मामले के रूप में जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को वर्ष 2012-13 तथा 2015-16 के लिए क्रमशः 9.3 तथा 9.2 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर अदा की थी। आईआईएम-सी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि ब्याज का अधिक भुगतान गलत ब्याज दर लागू करने के कारण था तथा अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन किया जाएगा।

आईआईएम-ए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थान जिनकी भविष्य निधि नियमावली को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 8(2) के तहत अधिसूचित किया गया है उनको अपने कर्मचारियों हेतु भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भविष्य निधि पर ब्याज की दर का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना है। चूंकि आईआईएम-ए की सीपीएफ नियमावली को अक्टूबर 1964, में जीओआई द्वारा अधिसूचित किया गया था इसलिए वह जीओआई द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों से बाध्य है तथा एमएचआरडी के अनुदेश लागू हैं। इसके अतिरिक्त, एमएचआरडी के अनुदेश किसी छूट का प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए, आईआईएम-ए तथा बीएचयू के उत्तर 2004 के मंत्रालय के अनुदेशों के अनुरूप नहीं थे जो सभी स्वायत्त संगठनों पर ब्याज की उच्चतर दरों के भुगतान पर प्रतिबंध लगाते हैं।

इस प्रकार, एमएचआरडी के अनुदेशों का अनुपालन करने में इन संस्थानों की विफलता के परिणामस्वरूप इन संस्थानों के जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ₹ 6.28 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।

मामला दिसंबर 2016/जून 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उसका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक

12.5 निधियों का उपयोग न होना तथा अनियमित भुगतान

विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृत ₹ 3.30 करोड़ के अनुदान विश्वविद्यालय के पास अप्रयुक्त पड़े थे जिससे वह उद्देश्य जिसके लिए ये संस्वीकृत हुए थे, पूर्ण नहीं हुआ। ₹ 35.39 लाख के जनजातीय क्षेत्र के भत्तों का अनियमित भुगतान हुआ था तथा ₹ 22.09 लाख राशि के सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई।

12.5.1 प्रस्तावना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) अमरकंटक मध्य प्रदेश, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत भारत की जनजातीय जनता के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने तथा प्राथमिक रूप से विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय के 12 संकाय तथा 30 विभाग हैं जो स्नातकाधीन, पोस्ट ग्रेजुएट तथा पीएचडी कार्यक्रमों को सम्मान देते हैं। इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र मणिपुर में है। विश्वविद्यालय के पास 31 मार्च 2017 को ₹ 590.46 करोड़ की कॉर्पस/पूँजीगत निधि, ₹ 496.39 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियां तथा ₹ 60.33 करोड़ राशि के निवेश व रोकड़ व बैंक शेष थे। विश्वविद्यालय द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए निधियों के उपयोग की स्थिति तालिका सं. 5 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 5: निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	योजना अनुदान	अन्य अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	जोड़ उपलब्ध निधि	उपयोग	अंत शेष
2012-13	2.99	100.00	--	2.72	105.71	111.71	(-) 6.00
2013-14	(-) 6.00	100.00	--	2.97	96.97	98.27	(-) 1.30
2014-15	(-) 1.30	185.16	2.70	5.31	191.87	189.50	2.37
2015-16	2.37	97.67	2.43	5.83	108.30	90.34	17.96
2016-17	17.96	116.18	0.32	5.38	139.84	103.53	36.31

स्रोत - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह लेखापरीक्षा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान संबंधित वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय औचित्यता के संदर्भ में निधियों के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

12.5.2 अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निधियों का कम उपयोग होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा विभिन्न मंत्रालय/विभाग विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों पर अनुदान संस्वीकृत करते हैं जिसमें अन्य के साथ साथ यह शामिल है कि (i) संस्वीकृत राशि उस वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया जाता है, के दौरान भुगतान हेतु वैध है, (ii) अनुदानग्राही संस्थान अनुदान के उपयोग जिसके लिए वह संस्वीकृत किया जा रहा है, को सुनिश्चित करेगा तथा (iii) गैर उपयोग/आंशिक उपयोग के मामले में, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार आहरण करने की तिथि से वापसी की तिथि तक अप्रयुक्त राशि पर समय समय पर यथासंशोधित या 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त ₹ 3.93 करोड़ के अनुदानों में से 84 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3.30 करोड़ का उपयोग करने में विफल रहा जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

ए. मई 2013 में, विश्वविद्यालय ने विलुप्त जनजातीय समूहों की संकटापन्न भाषाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु तथा केन्द्रीय भारत में एकमात्र संकटापन्न भाषाओं के प्रोत्साहन तथा प्रलेखन, संरक्षण में दीर्घकालिक अनुसंधान हेतु उनकी उपभाषाओं के लिए एक पूर्ण रूपेण केन्द्र की स्थापना करना प्रस्तावित किया। यूजीसी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2014) तथा उसने 2015-16 के वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु अगस्त 2015 में ₹ 2.65 करोड़ संस्वीकृत किए। तथापि, विश्वविद्यालय स्थापना व्यय तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद हेतु ₹ 2.31 करोड़ (87 प्रतिशत) का अव्ययित शेष छोड़ते हुए 2015-16 के दौरान केवल ₹ 6.15 लाख तथा 2016-17 के दौरान ₹ 27.47 लाख का ही उपयोग कर सका। मई 2017 में विश्वविद्यालय ने केन्द्र की प्रगति यूजीसी को सूचित की तथा प्रथम किस्त में

दी गई निधियों का उपयोग किए बिना ₹ 2.65 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया।

बी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जीविका व्यापार उद्भवन केन्द्रों तथा प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्रों तथा त्वरित वर्कशॉपों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों तथा त्वरित वर्कशॉपों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों के सृजन, क्षमता, निर्माण तथा सहायता जैसे संघटकों से नवीकरण उद्यमिता तथा कृषि-उद्योग हेतु एक योजना प्रारंभ की (मार्च 2015)। विश्वविद्यालय को बहुव्यापार के रूप में प्रशिक्षण के केन्द्र क्षेत्र सहित नोडल एजेंसी बनाया गया (सितम्बर 2016) तथा ₹ 49.43 लाख की राशि जारी की गई थी। तथापि, 31 मार्च 2017 तक समस्त अनुदान अप्रयुक्त रहा।

सी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो परियोजनाओं नामतः (i) भूमि उपयोग गति की शीलता तथा इसका सूक्ष्म तत्वों, ढांचे और संरचना पर प्रभाव तथा अचन कुमार की विविधत- सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकी का उपयोग करके अमरकंटक बायोस्केयर तथा (ii) नर्मदा नदी पर पारिस्थितिक रूप से प्रासंगिक विषाक्त पदार्थों से संभावित जोखिम की पहचान और जलीय मैक्रो अवास्तविक जीवाश्म का उपयोग करके स्वास्थ्य का मूल्यांकन के प्रति ₹ 43.16 लाख (जनवरी 2016 में ₹ 12.59 लाख तथा अक्टूबर 2016 में ₹ 30.57 लाख) जारी किए। फरवरी 2017 में, यद्यपि विश्वविद्यालय जनवरी 2016 में प्राप्त अनुदान का उपयोग करने में विफल था, तथापि परियोजना प्रभारी को 2016-17 के दौरान संस्वीकृति का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, 31 मार्च 2017 को विश्वविद्यालय के पास ₹ 5.67 लाख (45 प्रतिशत) का अव्ययित छोड़ते हुए केवल ₹ 6.92 लाख का उपयोग किया जा सका। वैसे ही, अक्टूबर 2016 में प्राप्त ₹ 30.57 लाख के अनुदान के प्रति 31 मार्च 2017 को ₹ 29.58 लाख (97 प्रतिशत) का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल ₹ 0.99 लाख की राशि का उपयोग किया जा सका।

डी. यूजीसी ने सहायक प्रोफेसर स्तर पर युवा संकाय के बीच मूल विज्ञान अनुसंधान (बीएसआर) को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप रिसर्च ग्रांट नाम की एक योजना आरंभ की (2011)। दिए गए अनुदानों का लघु उपकरण उपभोज्य सामग्री आकस्मिकताओं क्षेत्रीय कार्यों तथा यात्रा जैसी मदों के लिए उपयोग

किया जा सकता था। यूजीसी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पाच वर्षों की अवधि के दौरान छः सहायक प्रोफेसरों को स्टार्ट अप रिसर्च ग्रांट के रूप में ₹ 35.40 लाख जारी किए थे जिसमें से केवल ₹ 20.76 लाख का ही उपयोग किया जा सका था और ₹ 14.64 लाख (41 प्रतिशत) संस्थान के पास पड़े हैं जिसका न तो निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग किया गया और न ही संस्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार यूजीसी को वापस किए गए थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि उसको व्यय करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होता है तथा उसमें कम उपयोग जो अपरिहार्य है, के कुछ मामले हो सकते हैं क्योंकि दिशानिर्देशों का अनुपालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने आगे बताया कि परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा संबंधित निधियन एजेंसी से जब कमी आवश्यक हो तो परियोजना का समय-विस्तारण प्राप्त किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानग्राही संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालय ने निर्धारित अवधि के भीतर अनुदान के गैर-उपयोग को न्यायोचित ठहराते हुए तथा समय के विस्तारण हेतु अनुरोध के लिए यूजीसी को नहीं लिखा है। अभीष्ट उद्देश्यों के लिए यह सुनिश्चित करना कि जिन उद्देश्यों के लिए यह संस्वीकृत किए गए हैं वह पूर्ण किए गए हैं, अनुदानों के उपयोग का निरीक्षण करना विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त अनुदानों की वापसी न करने पर अनुदान के अप्रयुक्त भाग जिसकी यूजीसी द्वारा मांग की गई थी, पर 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज का जुर्माना लगता है वह एक परिहार्य व्यय है।

12.5.3 सिविल तथा विद्युत कार्यों का अनियमित रूप से प्रदान करना

जीएफआर 2005 के नियम 160 (एक्स) के अनुसार प्राप्त की गई बोलियों का बोली दस्तावेजों में पहले से समाविष्ट शर्तों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। किसी नई शर्त जो पहले से बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं थी, को बोली के मूल्यांकन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय अहाते में सब स्टेशन ओवरहैड ट्रांसमिशन लाइन तथा भूमि केबलिंग सहित एचटी इलैक्टिकल सिस्टम हेतु सिविल तथा विद्युत कार्यों के लिए सूचना आमंत्रण निविदा जारी की (मार्च 2011) मानदण्ड की पात्रता इस प्रकार निर्धारित की गई थी (i) ठेकेदार द्वारा पिछले तीन

वित्तीय वर्षों में इसी प्रकृति के कार्यों का सफलता पूर्वक निष्पादन किया होना चाहिए, (ii) ठेकेदार या फर्म पंजीकृत होनी चाहिए या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार लोक क्षेत्र उपक्रम या किसी प्राइवेट प्रतिष्ठित कम्पनी के विभाग में पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक निर्माण कार्य का निष्पादन अवश्य किया हुआ होना चाहिए तथा (iii) ठेकेदार या फर्म के पास सभी आवश्यक पंजीकरण जैसे आयकर बिक्री कर, श्रम विभाग सेवा कर आदि होने चाहिए।

विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने तकनीकी बोलियों को खोलने तथा मूल्यांकन करने तथा प्राप्त निविदाओं का एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया था (मई 2011)। तकनीकी समिति ने तकनीकी बोलियों को खोला तथा एक निविदा को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि प्रस्तुत सावधि जमा प्राप्ति पर ईएमडी के रूप में बैंक प्राधिकारी के प्रति हस्ताक्षर नहीं थे तथा वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए प्राप्त अन्य पांच निविदाओं की सिफारिश की तदन्तर, तकनीकी समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय रजिस्ट्रार ने प्रस्तावित किया कि ₹ 25 लाख के कम के कार्य का अनुभव रखने वाले इसी प्रकार की फर्मों का तकनीकी योग्यता प्राप्त होने के नाते चयन नहीं किया जा सकता। उपकुलपति ने रजिस्ट्रार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा दो फर्मों को अयोग्य कर दिया था तथा उसके पश्चात् निर्माणकार्य शेष रहे तीन बोलीकर्ताओं से एल-1 को ₹ 1.68 करोड़ पर दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के समय कम से कम ₹ 25 लाख के कार्य का अनुभव वाली फर्मों की एक नयी शर्त को लागू करना तथा दो फर्मों, जो अन्यथा तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त थी, को अयोग्य घोषित करना जीएफआर के नियम 160 का उल्लंघन करना है।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि फर्मों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के अनुसार उन्हें 11 केवीए तथा एलटी निर्माण कार्यों का अनुभव था जबकि निविदा के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता 33 केवीए तथा एचटी निर्माण कार्यों की भी तथा इस प्रकार, निविदा समिति द्वारा दोनो फर्मों को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों फर्मों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों में, एचटी निर्माण कार्यों का अनुभव दर्शाया गया था तथा दोनो फर्मों को

वित्तीय बोलियां खोलने के लिए तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक अयोग्य फर्म को 2010-11 के दौरान ₹ 1.37 करोड़ के टर्नओवर सहित लोक निर्माण विभाग रेवा, मध्य प्रदेश के पास 33 केवी एचटी लाइन सब स्टेशन भूमि केबलिंग आदि निर्माण कार्य का निष्पादन करने का अनुभव था तथा 2007-08 के दौरान ₹ 39.95 लाख का इसी तरह का कार्य किया था। दूसरी फर्म जो अयोग्य हुई थी, भारत संचार निगम लिमिटेड में कार्य करने का अनुभव था तथा 2008-10 के दौरान ₹ 3.95 करोड़ राशि तथा 2009-11 के दौरान ₹ 1.30 करोड़ राशि के आपूर्ति प्रतिष्ठापन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की जांच तथा चालू करने तथा एलटी आपूर्ति देने के लिए एचटी/एलटीलाइन के विस्तारण से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण किए।

12.5.4 जनजातीय क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान

विशेष प्रतिपूरक (पर्वतीय क्षेत्र) भत्ते³⁴ तथा अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्र भत्ते³⁵ के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उन क्षेत्रों में जहाँ एक से अधिक विशेष प्रतिपूरक भत्ता ग्राह्य है, वहाँ ऐसे स्टेशनों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास उनके लिए जो सबसे अधिक लाभकारी हो उसमें विकल्प को चुनने का अधिकार होगा।

मध्य प्रदेश के अनुप्पुर जिले, जहाँ विश्वविद्यालय स्थित है, को जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित किया गया है तथा समुद्री स्तर से 1,048 मीटर ऊँचाई पर है, वहाँ पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 2012-2017 की अवधि के दौरान ₹ 35.39 लाख राशि का जनजातीय क्षेत्र भत्ते तथा ₹ 56.39 लाख राशि के पर्वतीय क्षेत्र भत्ते का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, दोनों भत्तों के बीच भुगतान की गई न्यूनतम राशि होने के नाते ₹ 35.39 लाख का भुगतान वर्तमान आदेशों का उल्लंघन था।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 2017) कि सरकार के दिनांक 29 अगस्त 2008 के आदेश में जनजातीय क्षेत्र भत्ते को विशेष प्रतिपूरक भत्ते के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है तथा इस प्रकार यह भी ग्राह्य है।

³⁴ कार्यालय जापन सं. 4(2)2008-ई-11(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

³⁵ कार्यालय जापन सं. 17(1)2008-ई-11(बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुदेशों में स्पष्ट रूप से अनुबद्ध है कि एक स्टेशन में तैनात कर्मचारियों को केवल एक विशेष प्रतिपूरक भत्ता ग्राह्य है।

12.5.5 सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति

मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थान के उपयोग हेतु बनाई गई किसी संरचना के निर्माण उत्थापन, चालू करना, प्रतिष्ठापन, पूर्ण करना, फिटिंग करना, मरम्मत अनुरक्षण, नवीकरण या परिवर्तन करने के द्वारा सरकार स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाएं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की अधिसूचना सं. 25/2012 दिनांक 20 जून 2012 के खंड 12 (सी) के अनुसार सेवा कर के अद्ग्रहण से छूट प्राप्त है। यह छूट एमओएफ की दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल 2015 से वापस ले ली गई थी लेकिन बाद में एमओएफ की 1 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा इस चेतावनी के साथ पुनः आरंभ की गई थी कि 1 अप्रैल 2016 से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवाओं के अनुबंध में मार्च 2015 से पूर्व सेवाएं प्रविष्ट की जानी चाहिए।

अमरकंटक में विश्वविद्यालय परिसर के लिए भवनों तथा सम्बद्ध ढांचों के निर्माण हेतु कार्य निष्पादन के संबंध में विश्वविद्यालय ने 2016-17 के दौरान ठेकेदारों को सेवा कर के प्रति ₹ 91.59 लाख की प्रतिपूर्ति की लेखापरीक्षा ने पाया कि शिक्षा भवन, अध्यापक निवासों तथा आंतरिक सड़कों तथा सम्बद्ध संरचनाओं के निर्माण से संबंधित तीन निर्माण कार्य 1 मार्च 2015 से पूर्व सौंपे गए थे तथा ठेकेदार को 2016-17 के दौरान उन बिलों के संबंध में जो सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थे, ₹ 22.09 लाख के सेवा कर संघटक की प्रतिपूर्ति की गई थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि सेवा कर प्राधिकारियों के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है। विश्वविद्यालय ने बताया कि वह सेवा कर विभाग के साथ अपील के माध्यम से मामला चल रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था तथा इसलिए एमओएफ की अधिसूचनाओं में उद्धृत शर्तों के अनुसार दी गई सेवाओं की छूट प्राप्त करने को

पात्र था। इस प्रकार सेवा कर संघटक की प्रतिपूर्ति से बचने के लिए बिलों को पारित करने की स्थिति तक उचित परिश्रम किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सितम्बर 2017 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि

12.6 स्कूल छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय

केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि, एमपी के लिए छात्रावास भवन, रसोई एवं भोजन के स्थान के केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना निर्माण के कारण निर्माण कार्य पर ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि मई 2012 में निर्मित होने के बाद से ही भवन अप्रयुक्त पड़ा रहा।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 26 में प्रावधान है कि नियंत्रक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके विभाग में जनता के धन के अपव्यय एवं हानि से सुरक्षित रखने के लिए एक पर्याप्त नियंत्रक तंत्र है और ऐसे तंत्रों एवं नियंत्रणों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। आगे सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में कहा गया कि आवश्यकताओं और व्यावहारिकता अध्ययन के समुचित आकलन के बाद ही कार्य किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा और निधियों का लाभप्रद रूप से उपयोग किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली (केवीएस) को 6 जून 2007 को केवीएस के अध्यक्ष से आदिवासी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय, सिद्धि (एमपी) में एक छात्रावास भवन के निर्माण हेतु एक संदेश प्राप्त हुआ था। मामले को 13 जून 2007 को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसने प्रस्ताव की संस्वीकृति दी थी। छात्रावास भवन के निर्माण को बाद में शासक मंडल द्वारा इसके 77वीं बैठक में 20 जून 2007 को अनुमोदित किया गया था।

तदुपरांत, केवीएस ने लड़कों और लड़कियों के लिए रसोई और भोजन के स्थान के जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधा, जल निकासी के साथ छात्रावास भवन (प्रत्येक

30 छात्रों के लिए) के निर्माण के लिए ₹ 1.74 करोड़ हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान किया था (जनवरी 2008) और केन्द्रीय विद्यालय (केवी), सिद्धि एमपी केवीएस ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से निर्माण कार्य का संपादन किया और केवीएस द्वारा ₹ 1.70 करोड़ फरवरी 2008 से अगस्त 2011 के दौरान तीन किस्तों³⁶ में केवी, सिद्धि को जारी किया गया था। निर्माण कार्य की शुरुआत मार्च 2009 में हुई थी और उसे मार्च 2010 में पूरा कर लेना था। तथापि, निर्माण कार्य को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दो वर्षों के विलंब के बाद मार्च 2012 में पूरा किया गया था, और मई 2012 में केवी सिद्धि को सौंप दिया गया था। यद्यपि निर्माण-कार्य को पूरा कर लिया गया था, सीपीडब्ल्यूडी को लेखे का अंतिम समायोजन एवं पूर्णता रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र अभी प्रस्तुत करना था जबकि पूर्णता की तिथि एवं केवीएस को निर्माण-कार्य सौंपे जाने के बाद पाँच वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योगाभ्यास के सत्रों के लिए कभी कभार जगह के उपयोग के अलावा, रसोई एवं भोजनालय सहित दोनो छात्रावास मई 2012 में केवी सिद्धि को दिये जाने के बाद से ही अप्रयुक्त पड़े थे। किसी व्यवहार्यता अध्ययन अथवा आवश्यकता के मूल्यांकन कराये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कराया जा सका था।

केवीएस एवं केवी, सिद्धि ने क्रमशः अक्टूबर 2017 एवं जून 2017 को सूचित किया कि (i) सीपीडब्ल्यूडी ने बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद समापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, (ii) बार-बार निर्देश देने के बाद भी, कोई भी छात्र छात्रावास में रहने के लिए तैयार नहीं था, और (iii) छात्रावास को विद्यालय प्रबंधन समिति की अनुमति से कभी कभार योगाभ्यास सत्रों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। तथापि, छात्रावास भवन में फिलहाल कोई योगाभ्यास का सत्र नहीं चल रहा था क्योंकि यह योगाभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं था।

अतः, इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन अथवा व्यवहार्यता अध्ययन कराये बिना छात्रावास भवन के निर्माण का केवीएस का निर्णय अविवेकपूर्ण था और इसके कारण ₹ 1.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। आगे सीपीडब्ल्यूडी के समापन लेखे को विगत पाँच वर्षों से समायोजित नहीं किया गया था। मंत्रालय/प्रबंधन को

³⁶ फरवरी 2008 में ₹ 60 लाख, अप्रैल 2010 में ₹ 50 लाख एवं अगस्त 2011 में ₹ 60 लाख।

विद्यालय छात्रावास और संबंधित सुविधाएं निर्माण, अन्य मंत्रालयों/सरकारी विभागों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों सहित में लाभकारी वैकल्पिक उपयोग का पता लगाना चाहिए।

मामले को मंत्रालय के पास जून 2017 में भेजा गया था; इनके उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित थे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

12.7 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की संबद्धता

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों का संबद्धताओं की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया था। संबद्धताएं प्रदान करने में विलम्ब तथा निरीक्षण समितियों के गठन तथा निरीक्षण करने में कमियों ने उनके मुख्य उद्देश्य को नष्ट किया। विद्यालयों को निरीक्षण किए बिना संबद्धता प्रदान की गई थी तथा संबद्धता का अनुचित प्रदान किए जाने तथा आवेदनों के अनुचित संसाधन के उदाहरण थे।

12.7.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) एक स्वयं वित्तपोषित स्वायत्त संगठन, को भारत सरकार के संकल्प (संकल्प) के द्वारा जुलाई 1929 में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा विनियमन बोर्ड (विनियमन) बोर्ड की कार्यालयी सीमाओं, बैठक करने तथा संबद्धता हेतु तथा जांच करने हेतु नियमों को निर्धारित करता है। बोर्ड सचिव (विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है। अध्यक्ष बोर्ड का मुख्य कार्यकारी है।

विनियमन की धारा 9 के अनुसार, बोर्ड शैक्षणिक संस्थानों को उनकी जांचो के उद्देश्य हेतु संबद्ध करने को अधिकृत है। संबद्धता हेतु आवेदनों पर (i) माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम की स्वीकृति; (ii) माध्यमिक विद्यालय की प्रावधानिक संबद्धता; (iii) उच्च माध्यमिक स्तर हेतु एक विद्यालय के उन्नयन/प्रावधानिक संबद्धता (iv) अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन; (v) सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)/नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)/केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों

को नियमित संबद्धता; तथा (vi) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्रबंधित विद्यालयों तथा वह जिन्हें पहले प्रावधानिक संबद्धता प्रदान की गई है, को स्थायी संबद्धता हेतु विचार किया जाता है।

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रारम्भ में तीन से पांच वर्षों की अवधि हेतु प्रावधानिक संबद्धता प्रदान की जाती है तथा इसके पश्चात जनवरी 1988 में बोर्ड द्वारा तैयार की गई संबद्धता उपनियमों के मापदण्डों एवं निर्धारित शर्तों की पूर्ति के तहत स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।

संबद्धता उप-नियमों की धारा 15 के अनुसार, संबद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड की संबद्धता इकाई दस्तावेजों की जांच करती है तथा यदि आवेदक विद्यालय अनिवार्य मापदण्डों को पूरा करता है तो सचिव अध्यक्ष को सूचित करता है जो संस्थान के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण समिति का गठन करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर सचिव यह निर्णय लेने हेतु कि क्या विद्यालय को संबद्धता प्रदान की जानी चाहिए, संबद्धता समिति की एक बैठक आयोजित करता है। संबद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में निर्णय को संबद्धता समिति की स्वीकृति के पश्चात तुरंत विद्यालय को सूचित किया जाता है। आकस्मिक³⁷ के मामले में इस अधिकार का उपयोग अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।

31 मार्च 2017 को, 211 विदेशी विद्यालयों सहित 18,694 विद्यालयों को बोर्ड के साथ संबद्ध किया गया था जैसा तालिका सं. 6 में दिया गया है:

तालिका सं. 6: बोर्ड के साथ सम्बद्ध विद्यालय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय	निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय	नवोदय विद्यालय समिति	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन	कुल
1,117	2,720	14,253	590	14	18,694

लेखापरीक्षा 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों की अवधि को शामिल करके निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय की संबद्धता की प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु की गई थी। 14,253 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में से 2014-17 की

³⁷ आकस्मिक का तात्पर्य नियमित से अतिरिक्त किसी भी संबद्धता मामले से है जिसमें लोक हित में तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है।

अवधि हेतु प्राप्त संबद्धता आवेदनों के 203 मामलों का यादृच्छिक नमूना चयन आधार का उपयोग करके चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

12.7.2 विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबद्धता उप-नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में 2014-17 के दौरान प्राप्त सभी 11,060 मामलों में संबद्धता इकाई के अध्यक्ष/उप-सचिव द्वारा इन्हे संबद्धता समिति के माध्यम से किए जाने के बिना संबद्धता प्रदान की गई थी। इन सभी 11,060 मामलों में, विद्यालयों को संबद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में सूचित किया गया था तथा बाद में निर्णय की संबद्धता समिति द्वारा पुष्टि की गई थी। गैर-आकस्मिक प्रसंग के मामलों में भी वर्तमान नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संबद्धता समिति द्वारा किए जाने वाली प्रत्याशित संवीक्षा न करके संबद्धता प्रदान करना अनुचित था तथा यह संबद्धता उप-नियमों के उद्देश्यों को दुर्बल बनाता है।

12.7.3 संबद्धता प्रदान करने में विलम्ब

संबद्धता उप-नियमों की धारा 15 (1) (ए) प्रावधान करती है कि संबद्धता के मापदण्डों का पूरा करने वाले विद्यालयों, वर्ष जिसमें कक्षा VI/IX/XI, जैसा भी मामला हो, को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है के पूर्ववर्ती वर्ष के 30 जून से पहले निर्धारित शुल्क सहित निर्धारित प्रपत्र पर माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम/माध्यमिक हेतु प्रावधानिक संबद्धता/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के उन्नयन हेतु बोर्ड को ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आवेदन जो बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून को अथवा पहले प्राप्त किए गए हैं, को छः महीनों की अवधि के भीतर एक साथ संसाधित करेगा। संबद्धता प्रदान करने अथवा अस्वीकृति के आदेश को उस वर्ष की 31 दिसंबर को अथवा पहले आवेदक को सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि बोर्ड द्वारा 203 मामलों में से 140 में विद्यालयों को संबद्धता प्रदान की गई थी। तथापि 140 मामलों में से केवल 19 (14प्रतिशत) को छः माह के भीतर संबद्धता प्रदान की गई थी। शेष 121 मामलों में, बोर्ड ने स्कूलों के लिए अनुदान देने में सात महीने से तीन साल तक का समय लिया। विलम्ब मुख्यतः (i) आवेदनों के विलम्बित संसाधान तथा कमियों

की देरी से सूचना; (ii) सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण निरीक्षण करने में विलम्ब; तथा (iii) अनुपालन की लंबी प्रक्रिया तथा कमियों को सूचित करने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, 121 मामलों में से 30 में बोर्ड ने आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रारंभिक सवीक्षा के पश्चात पहली कमी को 31 दिसंबर की समय सीमा के पश्चात सूचित किया था।

इस प्रकार, बोर्ड संबद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सीमा का अनुपालन नहीं कर सका था।

12.7.4 संबद्धता का अनुचित प्रदान करना

12.7.4.1 संबद्धता के बिना कक्षाओं को प्रारम्भ करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 15(9) के अनुसार किसी भी विद्यालय को बोर्ड की संबद्धता की औपचारिक अनुमति प्राप्त किए बिना सीबीएसई प्रतिमान की कक्षा VI/IX/XI, जैसा भी मामला हो, प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं है तथा इस शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्यालय को दो वर्षों की अवधि हेतु अयोग्य ठहराया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 203 मामलों में से 58 में, जहां विद्यालयों ने माध्यमिक कक्षा हेतु संबद्धता/माध्यमिक हेतु प्रावधानिक संबद्धता/उच्च माध्यमिक प्रारम्भ के पश्चात प्रदान की गई थी जिसने दर्शाया कि विद्यालय बोर्ड की अनुमति के बिना कक्षाओं का संचालन कर रहे थे वर्तमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। फिर भी बोर्ड द्वारा कोई अयोग्यता निर्धारित नहीं की गई थी।

12.7.4.2 दस्तावेजों की अनुपयुक्त संवीक्षा

संबद्धता उप-नियमों की धारा 8(5) के अनुसार, विद्यालय की स्वास्थ्य तथा स्वच्छता स्थिति के संबंध में स्थानीय सरकार के स्वास्थ्य अधिकारी तथा जल/अग्नि/परिवहन/सुरक्षा के संबंध में नगरपालिका/अग्नि/परिवहन प्राधिकरण से निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तथा इन्हे संबद्धता हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में विद्यालय द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक नवीन प्रमाणपत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमाणपत्र जिन्हे नगरपालिका प्राधिकरण/अग्नि प्राधिकरण/परिवहन प्राधिकरण से सलंग्न किया जाना अपेक्षित था। जांच किए

गए 203 मामलों में से 123 में उपयुक्त प्रारूप में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 123 मामलों के 76 में संबद्धता उन प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रदान की गई थी जो समाप्त हो चुके थे अथवा एक वर्ष की वैधता वाले थे। इसके परिणामस्वरूप इसका परिणाम छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सुरक्षा के संबंध में आश्वासन के बिना संबद्धता प्रदान की गई।

12.7.5 निरीक्षण प्रणाली में कमियां

विनियमनों के अध्याय IV की धारा 1(10) (V) के साथ पठित सम्बद्धता उपनियम की धाराएं 13(1) तथा 15(3) के अनुसार, संबद्धता समिति का एक कार्य संस्थानों के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों के एक पैनल का गठन करना है। आवेदन की प्राप्ति पर सचिव प्रारम्भिक जांच के पश्चात अध्यक्ष को सूचित करेगा जो उन विद्यालयों जिन्होंने संबद्धता हेतु आवेदन किया है, के निरीक्षण हेतु निरीक्षण समितियों का गठन करेगा। संबद्धता समिति, एक संस्थान के निरीक्षण की तिथि के तीन महीनों के भीतर, इसके द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को उस पर अपनी सिफारिश सहित अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

गठित की गई निरीक्षण समितियों तथा प्रदान की गई संबद्धताओं के ब्यौरों को नीचे तालिका सं. 7 में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका सं. 7: गठित निरीक्षण समितियां तथा सम्बद्धता

	कुल	प्रदान संबद्धता	प्रदान न की गई लंबित संबद्धता
वर्तमान आवेदन हेतु गठित निरीक्षण समितियां	118	65	53
पहले की संबद्धता अवधि हेतु गठित निरीक्षण समितियां	65	59	6
किसी भी निरीक्षण समिति का गठन न करना	20	16	4
कुल	203	140	63

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- यद्यपि संबद्धता उप-नियमों की धारा 15(3) तथा 15(5) के साथ पठित अध्याय IV की धारा 1(10) (V) के तहत विनियमनों ने संबद्धता प्रदान करने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता को निर्धारित किया फिर भी संबद्धता 75 विद्यालयों को

निरीक्षण समिति के गठन तथा निरीक्षण किए बिना प्रदान की गई थी। 75 में 59 विद्यालयों में संबद्धता की प्रक्रिया के पिछले चक्र हेतु किए गए निरीक्षण के आधार पर संबद्धता प्रदान की गई थी।

निरीक्षण समिति के सदस्यों का चयन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। निरीक्षणों की संख्या, जिसके लिए एक सदस्य का चयन किया जाता है, को प्रणाली में अनुरक्षित किया जाता है तथा प्रणाली अपने आप सदस्यों को प्राथमिकता देती है जिन्होंने कम निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण समिति के गठन के पश्चात् निरीक्षण दल के साथ समन्वय हेतु सदस्यों के नामों को विद्यालयों को सूचित किया जाता है तथापि, इसके पश्चात् यह दर्शाने की कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं है कि क्या सदस्य ने वास्तव में निरीक्षण किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, जब कभी एक सदस्य सेवानिवृत्त होता है/स्थानांतरित होता/सेवा छोड़ता है तो ऑनलाईन प्रणाली को अद्यतन भी नहीं किया जाता है।

- (ii) डाटाबेस का अद्यतन न किए जाने के कारण 13 आवेदनों के मामलों में सात अवसरों में सदस्यों की सेवानिवृत्ति तथा नौ अवसरों में सदस्यों के स्थानांतरण के कारण निरीक्षण समितियों को 16 बार पुनर्गठित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप छः मामलों में विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में विलम्ब हुआ, जबकि शेष मामलों में संबद्धता अभी भी प्रदान की जानी है।
- (iii) निरीक्षण समितियों को विद्यालयों की संबद्धता के संबंध में बोर्ड की सभी आवश्यकताओं जैसे कि नियमों का अनुपालन, अवसरचरणा का प्रावधान, शिक्षकों को वेतन का भुगतान एवं शिक्षको, स्टाफ को सेवा लाभ तथा छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं की तुलना में शुल्क सरंचना की जांच करना प्रत्याशित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण समिति ने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के बावजूद 59 मामलों में विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। यद्यपि 41 विद्यालयों को पाई गई कमियों के उनके अनुपालन के पश्चात् संबद्धता प्रदान की गई थी फिर भी 18 विद्यालयों को

संबद्धता प्रदान करना अभी भी लंबित है क्योंकि विद्यालयों को निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों का सुधार करना है।

12.7.6 संबद्ध विद्यालयों के मामले में विनियमनों का अनुपालन न करना

12.7.6.1 नियमित निरीक्षण न करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 3(सी) (V) (एफ) के अनुसार बोर्ड को विद्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू संबद्धता उप-नियमों में निर्धारित मापदण्डों/शर्तों का सख्ती से पालन किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने पहले से संबद्ध विद्यालयों का आवधिक निरीक्षण करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है। यह भी देखा गया था कि विद्यालयों का ऐसा कोई निरीक्षण, जैसी संबद्धता उप-नियमों में अभिकल्पना की गई है, नहीं किया जा रहा था। संबद्ध विद्यालयों का निरीक्षण उन मामलों में अधिक आवश्यक है जहां बोर्ड द्वारा संबद्धता विशेष शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रदान की गई है जिसका विद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुपालन किया जाना है क्योंकि ऐसे मामलों में इन शर्तों का विद्यालय द्वारा अनुपालन पर बोर्ड द्वारा कोई आगे अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

बोर्ड ने बताया (मई 2017) कि गंभीर शिकायतों/शिकायत/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त इनपुट/विस्तार के आवेदन की संवीक्षा के दौरान अनियमितताओं तथा यादृच्छिक आधार पर केवल निजी विद्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। चूंकि अधिकांश समितियां आफलाईन गठित की जाती हैं इसलिए कोई पूर्ण केन्द्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं है।

12.7.6.2 वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 13(3)(i) के अनुसार विद्यालय को अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए जिसमें संबद्धता स्थिति, प्रावधानिक संबद्धता की अवधि, अवसररचना के ब्यौरे, शिक्षकों के विवरण, छात्रों की संख्या तथा संबद्धता उप-नियमों के मापदण्डों की पूर्ति की स्थिति सहित व्यापक सूचना शामिल हो तथा इसे प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से पहले वेब साईट पर डालना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन न होने को मॉनीटर करने हेतु कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं था।

बोर्ड ने बताया (मई 2017) कि मॉनीटरिंग विद्यालयों द्वारा मॉनीटरिंग अनुपालन पर डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि यह संभव नहीं था। बोर्ड ने आगे सूचित किया कि इसके सभी संबद्ध विद्यालयों हेतु अपनी विस्तृत सूचना का ऑनलाईन अद्यतन करने हेतु नवम्बर 2016 में एक ऑनलाईन संबद्ध विद्यालय सूचना प्रणाली (ओएएसआईएस) को प्रारम्भ किया गया है। नवम्बर 2016 तक संबद्ध 18,124 विद्यालयों में से कुल 16,047 ने अगस्त 2017 तक ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत की है।

12.7.6.3 विद्यालय निधियों की लेखापरीक्षा न करना

संबद्धता उप-नियमों की धारा 13(10) प्रावधान करती है कि बोर्ड जब कभी यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझता है कि (ए) विद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित निधियों/शुल्क का शिक्षा को आगे बढ़ाने के सिवाए किसी अन्य उद्देश्य हेतु अपवर्तित नहीं किया गया है; (बी) स्टाफ को उप-नियमों के अनुसार वेतन अदा किया गया है; तथा (सी) कोई अन्य वित्तीय अनियमिता, तो विद्यालय की निधियों की लेखापरीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है।

बोर्ड ने सूचित किया (मई 2017) कि ऐसे किसी डाटा (निधियों की लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट का अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है तथा इसलिए उपलब्ध नहीं है।

12.7.7 निष्कर्ष

संबद्धता समिति द्वारा संबद्धता प्रदान करते समय की जाने वाली प्रत्याशित संवीक्षा को छोड़ने सहित संबद्धता उप-नियमों के प्रावधानों अंतर थे। इसके साथ संबद्धता प्रदान करने में विलम्ब, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित न करना तथा आवधिक निरीक्षणों की कमी शामिल है जिसका परिणाम बोर्ड को अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संबद्ध विद्यालयों के मानक तथा अवसररचना एवं छात्रों को प्रदान शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके प्रत्याशित पर्यवेक्षण हेतु समर्थ न बनाने में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सितंबर 2017 में मंत्रालय को प्रेषित की गई थी; उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

12.8 विशेष भत्ते/मानदेय का अनियमित भुगतान

जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करके विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 209 (6)(iv)(ए) में अनुबद्ध है कि वे सभी अनुदानग्राही संस्थान जो अपने आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं, अपने सभी कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्तें, तैयार करेंगे जो केन्द्रीय सरकार में इसी श्रेणी के कर्मचारियों को लागू से उच्च न हों। अपवादिक मामलों में, कोई छूट वित्त मंत्रालय के परामर्श से दी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक स्टाफ के वेतन एवं भत्ते केन्द्रीय सरकार की नियमावली तथा अधिसूचनाओं के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने विशेष भत्ते/मानदेय हेतु पात्र कुछ पद³⁸ वर्गीकृत किए तथा दरे निर्धारित की जिन पर विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को ऐसे भुगतान किए गए थे। तथापि, आईआईटी मुम्बई ने शासक बोर्ड (बोर्ड) के विभिन्न प्रस्तावों द्वारा कई वर्षों से मासिक मानदेय/विशेष भत्ते के भुगतान हेतु अन्य पदों को लाभ भोगियों की पात्र सूची में शामिल किया था। संस्थान ने, मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसे बोर्ड के प्रस्तावों द्वारा आवधिक रूप से नियमित आधार पर इन दरों को भी बढ़ाया था।

एमएचआरडी ने, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संसोधित वेतनमान का लाभ पहुंचाते हुए विशेष उल्लेख किया था (अगस्त/सितम्बर 2009) कि ऐसे सभी सुविधाएं तथा परिलब्धियां जो सरकारी अनुदेशों के अनुसार नहीं थी, को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें केन्द्रीय सरकारी विभागों के समान थी। इसके अतिरिक्त, 'मानदेय' (एफआर 46) अर्थात् 'ऐसे कार्य जो

³⁸ उप निदेशक डीन, वार्डन तथा एसोसि/सहायक वार्डन

अवसरिक या सविरामी प्रकृति के हो, के लिए दी गई राशि' की परिभाषा पर विचार करते हुए सरकार ने आईआईटी मुम्बई द्वारा उसके अनुदेशों का विचलन करके मासिक आधार पर नेमी रूप में अपने स्टाफ को मानदेय देने तथा संस्थान को ऐसे भुगतानों को रोकने तथा जनवरी 2006 से किए गए भुगतानों की वसूली करने के निर्देश दिए।

आईआईटी मुम्बई ने मानदेय के ऐसे भुगतानों को वापस लेने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2009) तथा निर्देश दिया कि संकाय सदस्यों को प्रतिपूरक देने के लिए सरकारी निधियों के अलावा स्रोतों की जांच की जाए। तदन्तर, आईआईटी मुम्बई के निदेशक ने संकाय सदस्य तथा अन्य स्टाफ को संस्थान विकास निधि (आईडीएफ जो संस्थान की आय तथा उस पर अर्जित ब्याज से संग्रहीत की जाती है, से मानदेय का भुगतान करने तथा जनवरी 2006 से संबंधित लाभभोगियों से वसूल करने की बजाय इस निधि से लाभभोगियों को पहले किए गए भुगतानों को समायोजित करने का अनुमोदन किया (अक्टूबर 2009)।

मानदेय/विशेष भत्ते का नियमित मासिक भुगतान तथा उसका आईडीएफ से समायोजन जारी रखने का आईआईटी मुम्बई का निर्णय सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करना था। जनवरी 2006 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान आईआईटी मुम्बई ने संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों को ₹ 9.76 करोड़ के मानदेय/विशेष भत्ते का भुगतान किया था।

अप्रैल 2017 में, मंत्रालय ने सूचित किया कि प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) तथा एमएचआरडी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) को कहा गया था कि आईआईटी पर्याप्त रूप से भारत सरकार (जीईआई) द्वारा वित्त पोषित होता है तथा भुगतान के किसी स्रोत का ध्यान किए बिना किसी भत्ते को जीओआई द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मंत्रालय ने 2010 में चार श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष भत्ता देना निर्धारित किया गया था और किसी अनुवर्ती संशोधन हेतु भुगतान से पूर्व मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया था। एमएचआरडी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) ने यह और बताया कि आईएफडी के पास सुसंगत प्रावधानों/नियमों में ढील देने तथा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति नहीं होती तथापि संस्थान ने न केवल कर्मचारियों की अनुमोदित श्रेणियों की

दरों को बढ़ाया बल्कि विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान हेतु सूची में अन्य 11 श्रेणियों को भी शामिल किया था।

तदन्तर मंत्रालय ने जुलाई 2017 में बताया कि विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को मानदेय/विशेष भत्ते के भुगतान हेतु प्रावधान आईटी मुम्बई के सांविधि (1962) की धारा 23.5 में है। आईआईटी में मानदेय तथा भत्तों पर एफआर 46 के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता जिसमें वार्षिक सीमा ₹ 5000 निर्धारित की गई है, अर्थात् आईआईटी में मानदेय तथा विशेष भत्ते किसी सरकारी नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार, इस भत्ते/मानदेय का भुगतान करने में बोर्ड का निर्णय गलत नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह जीएफआर 2005 के नियम 209(6)(iv)(ए) का उल्लंघन था क्योंकि एमएचआरडी द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से आईआईटी मुम्बई का विशेष भत्ते/मानदेय के भुगतान हेतु कोई छूट नहीं दी गई थी। आगे, मंत्रालय द्वारा उद्धृत सांविधि की धारा 23.5 में केवल यह प्रावधान है कि वार्डन तथा सहायक वार्डन को प्रतिमाह ₹ 50 का भत्ता दिया जाएगा बशर्ते किसी प्रोफेसर की वार्डन के रूप में नियुक्ति न हो, वह कोई भत्ता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। तात्कालिक मामले में आईआईटी मुम्बई ने बहुत बड़ी कर्मचारियों की श्रेणी को मानदेय/विशेष भत्ते का भुगतान किया था। इस प्रकार, संकाय सदस्यों तथा स्टाफ को मानदेय/विशेष भत्ते के रूप में किया गया ₹ 9.76 करोड़ का भुगतान अनियमित था तथा वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उल्लिखित उन विशेष भत्तों/मानदेयों के अनियमित भुगतान के उदाहरण हैं जो आईआईटी मुंबई के रिकॉर्ड के परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आये थे तथा इसी तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार, मंत्रालय इस तरह के मामलों की संभावना को हटाने के लिए अपने नियंत्रण में सभी स्वायत्त निकायों में विशेष भत्ते/मानदेय के अनियमित भुगतान की समीक्षा कर सकता है।

12.9 सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई यथोचित परिश्रम करने में विफल रहा और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण गतिविधियों पर ₹ 2.56 करोड़ की राशि के सेवा कर का अनियमित भुगतान किया गया था जिसपर सेवाकर के भुगतान की छूट थी।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012 एसटी के माध्यम से मुख्य रूप से शैक्षिक स्थापना के रूप में उपयोग हेतु एक संरचना के निर्माण, स्थापन, काम में लाए जाने, संस्थापना, पूरा करने, तैयार करने, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण या परिवर्तन करने के माध्यम से सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को प्रदान सेवाओं पर सेवाकर की छूट दी थी। उपरोक्त छूट को दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना 6/2015 एसटी के माध्यम से हटा दिया गया था। लेकिन, तत्पश्चात्, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 1 मार्च 2016 की अधिसूचना 09/2016 एसटी के माध्यम से इस शर्त के साथ पुनः शुरू करने के लिए कहा कि पूर्वोक्त गतिविधियों को एक अनुबंध के अंतर्गत होना चाहिए जिन्हें 1 मार्च 2015 से पूर्व प्रवेश किया गया है और जिसपर जहां लागू हो, उचित स्टॉप शुल्क उस तिथि से पूर्व भुगतान किया गया हो।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई 1 मार्च 2015 से पूर्व पांच निर्माण कार्यों के लिए अनुबंध किया था और 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान इन निर्माण कार्यों पर ₹ 2.56 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था। चूंकि इन गतिविधियों को 1 मार्च 2016 से सेवा कर की छूट दी गई थी, 1 मार्च 2016 के पश्चात् सेवाकर के रूप में ₹ 2.56 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

आईआईटी ने बताया (अगस्त 2017) कि पटना उच्च न्यायालय में शापुरजी पलुंजी एवं कम्पनी (पी) लिमिटेड/ आईआईटी पटना बनाम सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त (2015) के मामले में सेवा कर विभाग ने यह तर्क दिया कि आईआईटी पटना सरकारी प्राधिकरण नहीं है क्योंकि सरकार का इसमें 90 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी नहीं थी और अतः छूट अधिसूचना आईआईटी पटना पर लागू नहीं होती थी। अतः, यह स्पष्ट नहीं था

कि क्या आईआईटीबी पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ठेकेदारों को सेवा कर का भुगतान रोकने के लिए अपनी ओर से कार्रवाई कर सकता है। इसलिए, संस्थान ने ठेकेदारों को सेवा कर का भुगतान किया था क्योंकि 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी शैक्षिक संस्थान से संबंधित छूट वापस ले ली गई थी। संस्थान का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन निर्माण कार्यों के लिए समझौते 1 मार्च 2015 से पूर्व किए गए थे और निर्णय के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी (मार्च 2016) कि आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए थे और जून 2012 की अधिसूचना सेवा कर के भुगतान से संस्थान द्वारा शुरू किए गए निर्माण की गतिविधि पर छूट देता है। आईआईटी, मुम्बई पर योग्य संस्थान होते हुए ऐसी गतिविधि पर सेवाकर छूट का लाभ लेने के लिए कोई रोक नहीं थी।

मंत्रालय को मामले की सूचना दे दी गई थी (अप्रैल 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

12.10 एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति

तीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने, 2011-16 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके उनके कर्मचारियों द्वारा अप्राधिकृत एजेंटों से खरीदी गई हवाई टिकटों के प्रति ₹ 1.28 करोड़ के हवाई किराए की अनियमित प्रतिपूर्ति की।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर हवाई यात्रा हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा जारी (सितम्बर 2010) दिशानिर्देशों के अनुसार हवाई टिकटें प्रत्यक्ष रूप से एयरलाइन्स³⁹ या प्राधिकृत यात्रा एजेंटों अर्थात मै. बाल्मर लॉरी

³⁹ एयरलाइन्स की वेबसाइट/बुकिंग काउंटर

व कम्पनी में. अशोक ट्रेवल्स एंड टूर तथा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)⁴⁰ की सेवाओं का उपयोग करके खरीदी जानी होती है।

तीन⁴¹ केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबीएम) में एलटीसी बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राधिकृत एजेंटों के इलावा ₹ 1.28 करोड़⁴² राशि के हवाई टिकट खरीदे गए थे। चूँकि एमओएफ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके हवाई टिकट खरीदी गई थी, इसलिए रु.1.28 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनियमित थी।

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने बताया (मई 2017) कि चूँकि एयर इंडिया के काउंटर से तथा प्राधिकृत यात्रा एजेंट से टिकट बुक कराने की सुविधा धनबाद शहर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए संस्थान के कर्मचारी कठिनाई का सामना कर रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् एयर इंडिया वेबसाइट/प्राधिकृत यात्रा एजेंटों से हवाई टिकट बुक कराने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। एनआईएफएफटी रांची ने बताया (जून 2017) कि 2015-16 से ऐसे एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुक के कोई मामले नहीं हैं तथा सभी बुकिंग अनुमोदित एयरलाइन्स/बुकिंग एजेंसियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई है। एनआईटी जमशेदपुर बताया (मार्च 2017) कि उन मामलों जहाँ अप्राधिकृत यात्रा एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक की गई हैं, में वर्ष 2016-17 से हवाई किराए का भुगतान रोक दिया गया है।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में सूचित किया गया था। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के संबंध में मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2017) कि सी एंड सीए जी द्वारा मार्च 2017 में ऐसे चूक के मामलों की पहचान करने के बाद संस्थान ने 2017-18 के वित्तीय वर्ष से हवाई यात्रा का लाभ लेने के लिए केवल सरकार द्वारा प्राधिकृत स्रोतों/एयर इंडिया से ही खरीदने के

⁴⁰ डीओपीटी के ओएम सं. 31011/6/2002 स्था(क) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार आईआरसीटीसी को इस सीमा तक प्राधिकृत किया गया है।

⁴¹ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), जमशेदपुर

⁴² आईआईटी (आईएसएम) धनबाद- ₹ 36.29 लाख, एनआईटी जमशेदपुर- ₹ 62.80 लाख तथा एनआईएफएफटी रांची- ₹ 29.01 लाख।

लिए अनिवार्य बना दिया गया है। एनआईटी जमशेदपुर तथा एनआईएफएपीटी रांची के संबंध में मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

12.11 सेवा कर की वसूली न होने के कारण परिहार्य व्यय

सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की विफलता के कारणवश अपने संसाधनों से सेवा कर के बकाया और ब्याज के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (आईआईटी चेन्नई) के वयस्क शिक्षा केन्द्र (सीसीई) संकाय सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। उद्योग और आर एवं डी स्थापनाओं से पेशेवरों के लिए कई अल्पावधि कार्यक्रमों के साथ उपयोगकर्ता उन्मुख कार्यक्रमों को औद्योगिक संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजित करता है जिसके लिए वह शुल्क प्रभारित करता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 की खंडों 26 और 27 के साथ पठित खंड 105 की उप-धारा जेडजेडसी के अनुसार, प्रमाणपत्र को जारी करने या न करने के साथ खेलकूद को छोड़कर किसी विषय या क्षेत्र पर कौशल या ज्ञान या कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र⁴³ द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण या कोचिंग पर सेवा कर लगाया जाएगा। सीसीई द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सेवा कर लगाये जाने के अधीन है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईआईटी, चेन्नई ने सीसीई द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सेवाकर एकत्रित और प्रेषित नहीं किया था। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मुख्य रूप से निजी संस्थानों और इकाइयों के साथ कुछ

⁴³ धारा 65 के खंड 105 की उप-धारा जेडजेडसी के अंतर्गत स्पष्टीकरण/संदेहों के निवारण हेतु इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उप-धारा में आने वाली अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र" और खंड (26),(27) और (90 ए) में किसी भी नाम वाला कोई भी केन्द्र या संस्थान शामिल है जहां विचार हेतु प्रशिक्षण या कोचिंग प्रदान की जाती है चाहे ऐसा केन्द्र या संस्थान इस समय मौजूद किसी भी कानून के अंतर्गत एक न्यास या एक समाज या उसी प्रकार का अन्य संगठन हो या न हो और इस गतिविधि को लाभ के उद्देश्य के साथ या बिना चला रहा हो और अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

पीएसयू तथा सरकारी इकाइयों के लिए थे। सेवाकर विभाग ने सीसीई द्वारा अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए प्रदत्त वाणिज्यिक प्रशिक्षण पर सेवा कर के प्रति ₹72.76 लाख के भुगतान की मांग की थी (जनवरी 2016)। तत्पश्चात्, आईआईटी चेन्नई को मार्च 2016 में सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के प्रति ₹ 45.76 लाख के साथ सेवा कर के प्रति ₹ 72.76 लाख का भुगतान करना था। यह पाया गया कि संस्थान सीसीई के माध्यम से वाणिज्यिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में विफल हुआ था। परिणामस्वरूप, आईआईटी चेन्नई को सेवा कर और ब्याज के बकाया के प्रति ₹ 1.19 करोड़ की राशि, को अपने संसाधनों से भुगतान करना पड़ा था, जो परिहार्य था।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2007) कि अतिरिक्त कानूनी देयताओं से बचने के लिए ब्याज सहित सेवा कर का भुगतान किया गया था। उन्होंने बताया कि इन पाठ्यक्रमों पर अब सेवा कर एकत्रित किया जा रहा है और सेवा कर विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

इस प्रकार आईआईटी चेन्नई की सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर की वसूली करने में विफलता के कारणवश ₹ 1.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली

12.12 अभिप्रेत उद्देश्य के लिए विद्यालय भवन का उपयोग न किया जाना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली ने मंत्रालय से स्वीकृति और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन का निर्माण किया था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली (एनआईटी) ने अपने परिसर में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्कूल के लिए विद्यालय भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2006) और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से विस्तृत आवश्यकताओं की मांग की। फरवरी 2007 में केवीएस ने एनआईटी से परियोजना क्षेत्र/उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के अंतर्गत एक केवी

खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। केवीएस ने आगे बताया कि आईएचएल के अंतर्गत एक केवी खोलने के लिए एनआईटी के शासक मंडल (बीओजी) द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया जाएगा कि एनआईटी संपूर्ण लागत अर्थात् आनुपातिक ओवरहेड प्रभार तथा भविष्य विकास व्यय सहित आवर्ती और अनावर्ती व्यय का भार उठाएगा तथा प्रस्तावित केवी के स्टाफ के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ उचित और उपयुक्त भूमि, भवन, फर्नीचर और उपकरण भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, एनआईटी और केवीएस के बीच हस्ताक्षर होने वाले समझौता ज्ञापन में इस वचन की आवश्यकता थी कि एनआईटी केवी को खोलने और चलाने की सारी लागत का भार उठाएगा और सचिव, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की सहमति से होगा।

एनआईटी ने केवी के लिए मंत्रालय को मई 2008 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् अप्रैल 2009 में, एनआईटी के बीओजी ने एनआईटी की निधियों से वेतनों का भुगतान करते हुए 2009-10 से केवी को स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जबकि मंत्रालय से प्रस्ताव के प्रति उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था। तत्पश्चात्, एनआईटी ने एमएचआरडी को अपेक्षित अनुमोदनों को शीघ्र करने के लिए याद दिलाया (सितम्बर 2009) और आवर्ती एवं अनावर्ती व्ययों हेतु अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति मांगी (सितम्बर 2011 और नवम्बर 2011) और केवीएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। एमएचआरडी की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना एनआईटी ने केवी के लिए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को ₹ 7.57 करोड़ के लिए सौंप दिया (जुलाई 2009) निर्माण कार्य ₹6.64 करोड़ की लागत पर पूरा हुआ और भवन मई 2013 में सौंप दिया गया था। उसी दौरान, एमएचआरडी ने एनआईटी से अनुरोध किया (मई 2012) कि वह भूमि, जोकि केवीएस को बिना किसी मूल्य के केवीएस को प्रदान की जा सकती है, उसके लिए बदले में स्वयं के बजट से आवर्ती और अनावर्ती लागत का भार उठाने के लिए केवीएस से बातचीत करें। हालांकि, केवीएस ने बताया (अप्रैल 2013) कि आईएचएल/परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केवल निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनआईटी में केवी को खोलना व्यवहार्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवर्ती और अनावर्ति व्यय को वित्तपोषित करने पर एमएचआरडी की कोई प्रतिबद्धता न होने के बावजूद और केवी स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए उनकी सहमति लेने से पूर्व एनआईटी ने विद्यालय भवन का निर्माण कर दिया था। चूंकि विद्यालय की शुरुआत नहीं हो सकी थी, भवन विद्यार्थी गतिविधि केन्द्र के रूप में आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था और मार्च 2016 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली को अंशतः आवंटित किया गया था।

एमएचआरडी ने बताया (अक्टूबर 2017) कि उसने एनआईटी को जीएफआर में निर्धारित मानदंडों और संस्थान में भवन के निर्माण से संबंधित समय-समय पर जीओआई द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से और सावधानीपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए हैं। संस्थान से यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक चूकें न दोहराई जाएं।

इस प्रकार, मौजूदा नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से एमएचआरडी का अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एनआईटी द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण के परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य के लिए ₹ 6.64 करोड़ की लागत पर निर्मित भवन का उपयोग नहीं हुआ था।

केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय, गांधीनगर

12.13 अकार्यात्मक उपकरण

आपूर्ति आदेश की शर्तों को लागू करने के प्रभावी अनुवर्तन की कमी और खराब अनुबंध प्रथा के कारणवश ₹ 2.22 करोड़ के मूल्य के उपकरण अकार्यात्मक रहे।

केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय (सीयूजी), गांधीनगर अपने विभिन्न विभागों द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपकरण खरीदता है। उपकरण के प्रापण हेतु निविदाओं के नियम एवं शर्तें शिपमेंट तिथि से 24 माह तक या शिपमेंट तिथि से 27 माह जो भी पहले हो तक उपकरण की वारंटी अवधि का अनुबंध करती हैं। वारंटी के उल्लंघन के मामले में, आपूर्तिकर्ता को ऐसे उल्लंघन के कारण होने वाली प्रतिपूर्ति का ग्राहक को भुगतान करना होगा। निविदा की शर्तें प्रावधान करती हैं कि सफल बोलीकर्ता को बैंक गारंटी/वारंटी

और निष्पादन गारंटी सहित आपूर्ति आदेश की प्राप्ति पर अनुबंध (आपूर्ति के मानक नियम एवं शर्तों के साथ) करना होगा।

सीयूजी के जीव विज्ञान विद्यालय (एसएलएस) ने जन स्पेक्ट्रोमेट्री के उद्देश्य हेतु मेट्रिक्स द्वारा सहायता प्रदत्त लेजर डिजोर्पशन/उड़ान मशीन के आयनीकरण-समय के प्रापण का प्रस्ताव दिया था। उपकरण का ₹ 2.22 करोड़ की लागत पर अगस्त 2012 में प्रापण किया गया था और सितम्बर 2012 में संस्थापित किया गया था। संस्थापन के पश्चात् यह पाया गया कि उपकरण रूक रूक कर कार्य कर रहा था और यूपीएस के विफल होने के कारण नवम्बर 2013 में पूर्ण रूप से वह विफल हो गया था। दिसम्बर 2013 में आपूर्तिकर्ता द्वारा यूपीएस की मरम्मत की गई थी। हालांकि, उसके बाद भी वह कार्य करने में विफल रहा था। तत्पश्चात्, एसएलएस को समझ में आया (अप्रैल 2015) कि एक परावर्तक डिटेक्टर खराब था और केवल प्रतिस्थापन ही विकल्प था। 15 अप्रैल 2015 को एसएलएस और आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी जहां यह बात मानी गई थी कि चूंकि वारंटी की अवधि के दौरान खराबी आई थी इसलिए आपूर्तिकर्ता को मरम्मत की लागत वहन करनी होगी और उपकरण को संपूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाना होगा। हालांकि, उसके बाद आपूर्तिकर्ता ने परावर्तक डिटेक्टर के प्रतिस्थापन हेतु यूएस \$25,000 की मांग की थी (21 अप्रैल 2015)।

उसके पश्चात् चूंकि आपूर्तिकर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया था और उपकरण की मरम्मत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, सीयूजी ने मई 2015 में ₹19.90 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण किया था। लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने (अगस्त 2015/जुलाई 2016/जनवरी 2017) के पश्चात् सीयूजी ने आपूर्तिकर्ता को मामले का समाधान करने के लिए लिखा (मार्च 2017)। हालांकि, उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित रूप से प्रापण हेतु आपूर्तिकर्ता के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया था। इस प्रकार, जुर्मानों के लिए कोई मानक प्रावधान नहीं था जिसे अनुबंध के उल्लंघन होने पर लागू किया जा सके या कानूनी उपायों का अनुसरण किया जा सके।

सीयूजी ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि निविदा दस्तावेज की विस्तृत प्रवृत्ति जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, के कारण विश्वविद्यालय ने आपूर्ति आदेश के जारी होने के पश्चात् अलग अनुबंध नहीं किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों के कार्यों और किसी भी संविदा पक्ष द्वारा उल्लंघन होने पर लागू करने योग्य उपायों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक अनुबंध की मौजूदगी आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निविदा शर्तों में समझौते के संबंध में किसी दावे, विवाद या अंतर होने पर मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता के लिए एक प्रावधान शामिल है। सीयूजी मामले का समाधान करने के लिए इस प्रावधान को लागू करने के बारे में विचार करने में भी विफल रहा।

इस प्रकार, अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ त्रुटिपूर्ण संविदा के कारणवश अगस्त 2012 में ₹2.22 करोड़ की लागत पर प्रापण किया गया उपकरण व्यर्थ पड़ा रहा था (अक्टूबर 2017)।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

विश्व-भारती, शांतिनिकेतन

12.14 मानदेय का अनियमित भुगतान

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानदेय के भुगतान से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

विश्व भारती, शांतिनिकेतन (वीबी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 209(6)(iv) (ए) में यह व्यवस्था है कि अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त करने वाले सभी अनुदानग्राही संस्थान अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तों को तैयार करेंगे जो केन्द्र सरकार के समान वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से अधिक न हों। असाधारण मामलों में, वित्त मंत्रालय के परामर्श से ढील दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, स्थापना एवं संबंधित

मामलों के संबंध में विबी द्वारा पारित संकल्प (जुलाई 1989) के अनुसार, यदि विश्वभारती के नियमों से काम नहीं हो रहा हो तो जीओआई के संबंधित नियमों का प्रयोग प्राधिकृत होगा।

वीबी के अधिनियम/संविधि में मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मौलिक नियमावली (एफआर) का नियम 46 (बी) यहाँ लागू होता है जिसमें व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे कार्य के लिए केन्द्र सरकार पारिश्रमिक के रूप में मानदेय प्रदान कर सकती है या इसे प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है जो आकस्मिक या अनियत प्रकृति का हो और या तो इतना श्रमसाध्य हो या फिर ऐसे विशेष महत्व का हो जिसके लिए विशेष पारितोषिक प्रदान किया जाए। नियम में आगे बताया है कि इस प्रावधान से विचलन हेतु जब विशेष कारण हो उन स्थितियों को छोड़कर, मानदेय प्रदान करने की संस्वीकृति तब तक न दी जाए जब तक कि कार्य की शुरुआत केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति लेकर न की गयी हो और इसकी राशि को पहले से समायोजित न किया गया हो।

लेखापरीक्षा परीक्षण से पता चला कि वीबी संकायों/अधिकारियों को विभिन्न पदों से संबद्ध नियमित दायित्वों को पूरा करने के लिए मासिक मानदेय का भुगतान नीचे तालिका सं. 8 में दी गई दरों पर कर रही थी:

तालिका सं. 8: संकाय/अधिकारियों को मासिक मानदेय

डाक	मासिक मानदेय की राशि (₹)
भवनों/विभागों के प्रॉक्टर, प्रोवोस्ट एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा-नियंत्रक, निदेशक	5000
विभागों/केन्द्रों के अध्यक्ष	3500
डिप्टी डीन, डिप्टी प्रॉक्टर, वॉर्डन	3000
उप-प्रधानाध्यापक	2000

मार्च 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, वीबी 165 संकाय/अधिकारियों को ₹ 1.07 करोड़ राशि के मानदेय का भुगतान किया था।

चूंकि, विश्वभारती ने नियमित कार्य के लिए मानदेय का भुगतान किया था जो न तो आकस्मिक प्रकृति का था और न ही अनियत था, इस प्रकार के मानदेय का भुगतान करना प्रयोग्य नियमों की संगति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, वीबी ने मानदेयों के भुगतान हेतु एफआर के प्रावधानों से विचलन हेतु मंत्रालय

से कोई अनुमोदन नहीं लिया था, इसके कारण मानदेय के प्रति हुआ ₹ 1.07 करोड़ का पूरा भुगतान अनियमित हो गया था।

वीबी ने बताया (जुलाई 2017) कि यद्यपि मानदेय के रूप में धनराशि का भुगतान हुआ था, यह छात्रों के हित में विशेष अवधि तक अतिरिक्त दायित्वों के वहन हेतु विशेष भत्ते के रूप में थे और तदनुसार प्रत्येक माह इसका भुगतान किया जा रहा था। वीबी ने यह भी बताया कि हालांकि अप्रैल 2017 से प्रधानाध्यापकों, विभागाध्यक्षों और प्रॉक्टर को मानदेय का भुगतान बंद कर दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि एफआर के प्रावधानों के अंतर्गत मानदेय के भुगतान को विशेष भत्ते के रूप में शामिल नहीं किया गया है और वीबी ने विशेष भत्ते के भुगतान हेतु मंत्रालय से अनुमोदन नहीं लिया था।

मामला मई 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

तेजपुर विश्वविद्यालय, असम

12.15 शिक्षकों को अनुचित लाभ

मौजूदा नियमों के उल्लंघन में तेजपुर विश्वविद्यालय, असम ने उच्चतर पद पर पदोन्नति/पुनः पदनामित करने की अनुमति दी और 10 अध्यापकों को उच्चतर वेतन दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99.25 लाख के वेतन और भत्ते का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने जनवरी 2006 से प्रभावी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और समकक्ष पदों के लिए वेतनमानों, सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति योजना (सीएएस) को संशोधित किया था (दिसम्बर 2008)। मंत्रालय ने बताया कि अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन इस पक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित नियमों और योजना के विभिन्न प्रावधानों के तहत होगा। तदनुसार, यूजीसी ने जून 2010 में विनियम⁴⁴ निर्धारित किए और

⁴⁴ यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण के लिए उपाय) नियमावली 2010

मंत्रालय द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन संरचना के अनुसार अपनाए थे। सीएएस के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना अनुबद्ध करता है कि मौजूदा रीडर जिन्होंने तीन साल की सेवा पूरी नहीं की थी उन्हें रीडर के रूप में तीन साल की सेवा पूरी करने तक ₹ 8000 के शैक्षिक ग्रेड वेतन (एजीपी) के साथ ₹ 15600 - ₹ 39100 के पेबैंड में उपयुक्त स्तर पर रखा जाएगा। तत्पश्चात, उन्हें ₹ 9000 के एजीपी के साथ ₹ 37400 - ₹ 67000 के उच्चतर पेबैंड में रखा जाएगा और उन्हें एसोसिएट प्रोफेसरों के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। यही वेतन संरचना सीधे भर्ती हुए रीडरों के लिए भी लागू होती थी। संशोधित वेतन संरचना ने आगे निर्धारित किया कि ₹ 9000 के एजीपी में सेवा के तीन वर्ष पूरा करने पर एसोसिएट प्रोफेसर ₹ 10000 के एजीपी के साथ प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति होने के लिए योग्य होंगे।

तेजपुर विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) असम के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने अपने चार⁴⁵ मौजूदा रीडरों को, उनके तीन वर्ष की सेवा पूरी करने से भी पूर्व जनवरी 2006 से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किया था (मई 2009) और उन्हें ₹ 9000 के एजीपी के साथ उच्चतर पेबैंड का लाभ दिया था। विश्वविद्यालय ने यह लाभ अन्य छः⁴⁶ रीडरों को दिया था। जोकि या तो सीएएस के अंतर्गत पदोन्नत हुए थे या फिर जनवरी 2006 और जून 2010 के बीच नियुक्त हुए थे। चूंकि, किसी भी अध्यापक ने रीडर के रूप में तीन वर्ष पूरे नहीं किए थे, उनका वेतन ₹ 8000 के एजीपी के साथ ₹ 15600 - ₹ 39100 के पेबैंड में निर्धारित किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विश्वविद्यालय ने इन अध्यापकों⁴⁷ में से एक को अपेक्षित सेवा को पूरा करने से पूर्व सीएएस के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान वेतन और भत्तों के प्रति दस अध्यापकों को ₹ 99.25 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2017) कि अतिरिक्त वेतन एवं भत्तों की वसूली के लिए कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी

⁴⁵ ए.के. मुखर्जी, डी.हजारिका, एन.करक और आर.सी. डेका

⁴⁶ एन. दास, जी.ए. एहमद, डी.पी. नाथ, डी.डेका, डी.सी. बरूआ और पी. डेब

⁴⁷ श्री डी.पी. नाथ

है। ऐसा तब किया गया था जब वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय की छूट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था (मई 2017) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से अपने प्रस्ताव को भेजने के लिए उन्हें सलाह दी थी। मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के उत्तर का समर्थन किया (सितम्बर 2017)।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

12.16 पुस्तकों तथा जर्नल के प्रापण में अनियमित व्यय

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ने अपने स्वयं की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से 1,830 पुस्तकों/जर्नलों की खरीद के प्रति ₹ 1.50 करोड़ का व्यय किया। इन 1,830 में से ₹ 81.45 लाख कीमत की 801 पुस्तको तथा 180 जर्नलों से संबंधित न तो कोई पावती और न ही पुस्तकालय प्राप्ति पंजिका में कोई प्रविष्टि है जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संस्थान) इलाहाबाद के पास कुछ नियमों एवं शर्तों जो क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हैं, के तहत पुस्तकों की आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध पांच विक्रेता हैं। पुस्तकालय आमतौर पर वह पुस्तक शीर्षों का प्रापण करता है जिनकी संकाय सदस्य द्वारा सिफारिश की गई है, संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उचित प्रकार से प्रेषित तथा सक्षम प्राधिकारी (निदेशक) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित इनफ्लिबनेट ई-सोधसिंधु संकाय (पहले इनडेस्ट) के माध्यम से ऑनलाईन ई-जर्नलों का प्रापण करता है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 का नियम 187(1) अनुबद्ध करता है कि भण्डार का प्रभारी अधिकारी को संबंधित संविदा शर्तों का संदर्भ लेना चाहिए तथा सामग्रियों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 187(3) बताता है कि प्राप्त की गई सामग्री के ब्यौरो को उपयुक्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा भण्डार के प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने वास्तव में सामग्री प्राप्त की है तथा उपयुक्त स्टॉक रजिस्टर में इसे दर्ज किया है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि सामग्री वास्तव में भुगतान करते समय प्राप्त की गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संस्थान ने पुस्तकालय की पुस्तकों/जर्नलों के प्रापण हेतु स्वयं की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना एक गैर-सूचीबद्ध प्रकाशक से अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बीच ₹ 1.15 करोड़ की कीमत की 1830 पुस्तकों/जर्नलों (1550 पुस्तकें तथा 280 जर्नल) का प्रापण किया। जिनकी सूपूर्वगी फरवरी तथा अक्टूबर 2013 के बीच की गई थी। सभी पुस्तकों/जर्नल का चालन संस्थान के उस समय के निदेशक के नाम बनाया गया था। भुगतानों को उस समय के निदेशक, सक्षम अधिकारी होने, के नाते पुस्तकालय में पुस्तक की वास्तविक प्राप्तियों को सुनिश्चित किए बिना प्राधिकृत किया गया था। संकाय सदस्यों/विभागों से किसी मांग तथा किसी क्रय आदेश का कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, 1830 पुस्तकों/जर्नलों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹81.45 लाख की लागत की 801 पुस्तकें तथा 180 जर्नलों को न तो पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया गया था और न ही पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

संस्थान ने बताया (मार्च 2017) कि उनके पास मामले में संबंधित कोई सूचना/सुसंगत दस्तावेज नहीं थे। प्रकाशक को भुगतान निदेशक की स्वीकृति के पश्चात वायर अंतरण के माध्यम से किए गए थे।

इस प्रकार, संस्थान पुस्तकालय की पुस्तकों/जर्नलों के प्रापण हेतु स्वयं की निर्धारित प्रक्रिया तथा जीएफआर के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ के अनियमित व्यय हुआ। इसमें से, ₹81.45 लाख की कीमत की पुस्तकों तथा जर्नलों से संबंधित संस्थान के पुस्तकालय में कोई प्राप्ति तथा पुस्तकालय परिग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं थी जो व्यय को संदेहास्पद बनाता है।

मामला मई 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

एबीवी - भारतीय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सूचना संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम), ग्वालियर, भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन, तथा विनिर्माण सूचना संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर तथा राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल

12.17 सेवा कर का अनियमित भुगतान

एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर तथा एनआईटीटीटीआर भोपाल ने बाहर से ली गई सेवाओं पर सेवाकर के रूप में ₹ 82 लाख का भुगतान किया हालांकि ये संस्थान ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 जुलाई 2012⁴⁸ से शैक्षिक संस्थानों को या द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ सेवाओं को सेवा कर से छूट दी हुई थी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि छूटप्राप्त सेवाओं में अन्य के साथ साथ वह सेवाएं भी शामिल हैं जो शैक्षिक संस्थानों द्वारा साधारण अपने आप की जाती हैं लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से बाह्य सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने यह और स्पष्टीकरण दिया कि ऋणात्मक सूची में प्रविष्टि करके यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवा कर⁴⁹ से छूट प्राप्त हैं। इन सेवाओं में छात्रावास, हाऊसकीपिंग, सुरक्षा सेवाएं, कैंटीन आदि भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं जैसे सुरक्षा सफाई तथा हाऊसकीपिंग जो सेवा कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी, के लिए ₹ 82 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था जिसके विस्तृत ब्यौरा तालिका सं. 9 में दर्शाया गया है:-

⁴⁸ अधिसूचना सं.25/2012- सेवा कर दिनांक 20 जून 2012

⁴⁹ परिपत्र सं.172/7/2013 एस टी दिनांक 19 सितम्बर 2013

तालिका सं. 9: सेवा कर के विवरण का भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्थान	बाहर से ली गई सेवाएं	अवधि	अदा किए गए सेवा कर
1.	अटल बिहारी वाजपेयी- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान (एबीवी-आईआईआईटीएम) ग्वालियर	सुरक्षा, सफाई तथा हाऊसकीपिंग	जुलाई 2012 से अक्टूबर 2016	43.00
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम) जबलपुर	सुरक्षा सेवाएं	सितम्बर 2012 से जून 2015	32.00
3.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल	सुरक्षा सफाई तथा हाऊसकीपिंग	अप्रैल 2014 से जुलीई 2015	7.00
कुल				82.00

एबीवी-आईआईआईटीएम ग्वालियर ने बताया (फरवरी तथा दिसम्बर 2017) कि संस्थान ने, सेवा प्रदाताओं को सेवा कर का भुगतान करना रोक दिया तथा ₹ 5.65 लाख वसूल किए जबकि आईआईआईटीडीएम जबलपुर (फरवरी 2017) तथा एनआईटीटीटीआर भोपाल (जून 2017) ने बताया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित सेवा कर को वसूल कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान को अधिसूचना की जानकारी होनी चाहिए तथा इस प्रकार, निधियों का संस्थान की अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

12.18 पट्टा किराए की वसूली न होना

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 23 पट्टाधारियों, जो चूक कर रहे थे के संबंध में किराए के संग्रहण या परिसरों की बेदखली के लिए प्रभावकारी कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख के पट्टा-शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग हुआ।

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (अधिनियम) में, सार्वजनिक परिसरों से अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यदि सम्पदा अधिकारी को यह संतुष्टि होती है कि सार्वजनिक परिसरों में अप्राधिकृत निवास है तो सम्पदा अधिकारी बेदखली का एक आदेश उसमें कारण देते हुए यह निर्देश देने के लिए जारी करेगा कि सार्वजनिक परिसर आदेश में उल्लिखित तिथि को लेकिन इस आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों तक खाली कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति बेदखली आदेश को अस्वीकारता है या पालन करने में असफल रहता है तो सम्पदा अधिकारी उस व्यक्ति को वहां से निकाल कर सार्वजनिक परिसर में कब्जा कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य के लिए पुलिस का उपयोग भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर से बेदखल किया गया हो तो सम्पदा अधिकारी उन व्यक्तियों जिनसे सार्वजनिक परिसर का कब्जा लेना है को चौदह दिनों का नोटिस देने के बाद तथा उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के पश्चात् ऐसे परिसरों पर शेष रही किसी सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसको निपटान करेगा या उसको हटाएगा।

अभियंताओं तथा डिप्लोमा धारकों के बीच स्व रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) इलाहाबाद ने 68 औद्योगिक शैडों का निर्माण कार्य (1973-74) तथा उनका 1973 तथा 1975 के बीच विभिन्न आवेदन उद्यमियों/कम्पनियों/फर्मों को आवंटित किया। पट्टा किराया पट्टा अनुबंध में नियत दर के अनुसार मासिक आधार पर वसूल किया जाना था। इसके अतिरिक्त पट्टा विलेख की शर्तों का पालन करने में

पट्टाकर्ता की विफलता के मामले में एनएनएनआईटी द्वारा दो माह नोटिस पर पट्टा समाप्त किया जाना था।

एमएनएनआईटी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 68 शैडों में से 37 मामलों में पट्टा अनुबंध 1989 तथा 2013 के बीच समाप्त हो गया था। 37 शैडों में से सात शैडों⁵⁰ के मामले में पट्टा किराया 31 मार्च 2017 को वसूल किया गया था। सात शैडों⁵¹ के पट्टा निर्णयाधीन था तथा शेष 23 शैडों⁵² के पट्टा अधिभोक्ताओं से रु 66.10 लाख राशि का पट्टा किराया एमएनएनआईटी द्वारा अभि वसूल किया जाना था। इन 23 शैडों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएनआईटी ने नवम्बर 2013 में पट्टाधारी को सूचित किया था कि अगर वे उचित किराया जमा नहीं कराते तो उनके शैड सील कर दिए जाएंगे और उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। तथापि, कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी तथा एमएनएनआईटी ने केवल प्राप्य किराए के भुगतान हेतु वार्षिक अनुस्मारक ही जारी किए थे तथा चूंकि पट्टा पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए वही अधिनियम को प्रावधानों का आह्वान करके अधिभोक्ता को बेदखल करने की कोई निश्चित कार्रवाई किए बिना 'उपयोग तथा अधिभोग हेतु क्षतियों' के सामान्य वाक्य के आधार पर किराए की मांग कर रहा था। एमएनएनआईटी प्रत्येक पट्टे के बकाया किराए की आवधिकता का उल्लेख करने की स्थिति में भी नहीं था। ये 23 शैड 31 मार्च 2017 तक अप्राधिकृत अधिभोग के अंतर्गत रहे।

एमएनएनआईटी ने बताया (मई 2017) कि पट्टाधारियों की कई इकाइयां काफी लम्बे समय से रुकी हुई थी तथा वे किराए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। एमएनएनआईटी ने यह और बताया कि चार पट्टाधारियों⁵³ ने बेदखली पर स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए इसके विरुद्ध एक केस फाइल किया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

⁵⁰ शैड सं.-2,12, 23, 40ए, 48, 52 व 61

⁵¹ मै. यूपी इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन (शैड सं.41-47) मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

⁵² शैड सं. 3, 9, 12ए, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 54, 58, 59, 60, 64, 65 व 68

⁵³ शैड सं. जिसका मामला खारिज कर दिया है (12ए, 32, 35 एवं 60)

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएनआईटी के दृष्टिकोण को निस्तेज किया गया है जैसाकि मार्च 2017 तक एमएनएनआईटी की निष्क्रिय कार्रवाई से सुस्पष्ट है। एमएनएनआईटी सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत अप्राधिकृत निवासियों के बेदखली के लिए यहाँ तक कि चार शैडों, जिसमें न्यायालय द्वारा मई 2014 में बेदखली को पास कर दिया था, निर्धारित कार्रवाई करने में विफल रहा।

इस प्रकार, एमएनएनआईटी की किराए की वसूली तथा 23 पट्टाधारियों के संबंध में परिसरों की बेदखली हेतु प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 66.10 लाख राशि के पट्टा किराए की वसूली न होने के साथ साथ संस्थान से संबंधित शैडों का अप्राधिकृत अधिभोग जारी रहा। ऊपर बताए गए किराए पर गैर-प्राप्ति के उदाहरण वैसे हैं, जो एमएनएनआईटी के रिकार्ड की जांच के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए थे और इसी तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को शामिल नहीं करता है। इसी तरह की अनियमितताओं की संभावना को हटाने के लिए मंत्रालय अपने नियंत्रण में सभी स्वायत्त निकायों में किराया प्राप्ति की समीक्षा कर सकता है।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना

12.19 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान

संस्थान की केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क से दस वर्षों के लिए छूट प्राप्त करने का आवेदन करने में विफलता होने के कारण उपकरण के अधिप्रापण में ₹ 60.36 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

भारत सरकार की अधिसूचना सं. 10/97-सीई तथा सं.51/96-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 1997/23 जुलाई 1996 के अनुसार क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित लोक धनराशि से निधिबद्ध अनुसंधान संस्थानों को उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जो यदि संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के पास पंजीकृत हैं तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साधनों पर संपूर्ण रूप से अतिरिक्त शुल्क तथा पांच प्रतिशत यथामूल्य से अधिक हों के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना ने अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के बीच उपकरण की खरीद हेतु तीन आपूर्ति आदेश⁵⁴ जारी किए तथा दिसम्बर 2014 से जुलाई 2015 के बीच ₹ 62.31 लाख के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क सहित ₹ 6.64⁵⁵ करोड़ का भुगतान किया। यद्यपि एनआईटी पटना उपर्युक्त उद्धत अधिसूचनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने का पात्र था, तथापि संस्थान छूट प्राप्त करने का पात्र होने के लिए डीएसआईआर के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करने में विफल रहा। संस्थान ने छूट के लिए केवल मई 2014 में आवेदन किया जो डीएसआईआर द्वारा फरवरी 2015 में दिया गया था। इस प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क की छूट हेतु आवेदन करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 60.36⁵⁶ लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

एनआईटी पटना ने बताया (अप्रैल 2017) कि संस्थान को फरवरी 2015 में छूट दी गई थी तथा चूँकि खरीद आदेश अगस्त/सितम्बर 2014 में जारी किए गए थे, फिर भी संस्थान ने शुल्क का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त छूट प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संस्थान पात्र खरीदो/अधिप्रापणों पर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

संस्थान का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जुलाई 1996 तथा मार्च 1997 में छूट को अधिसूचित किया गया था लेकिन संस्थान ने छूट प्राप्त का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों⁵⁷ से अधिक का समय लिया था।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया है; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁵⁴ 24 सितम्बर 2014, 14 अगस्त 2014 तथा 30 अक्टूबर 2013

⁵⁵ हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर ₹ 0.43 करोड़+एडवांस इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम सिमूलेटर ₹ 5.50 करोड़+अल्टिमा IV ऑटोमैटिक हाई रेज्यूशन माइक्रोएक्स-रे डिफ्राएक्टोमीटर उपकरण ₹ 0.71 करोड़ के साइटीलेशन काउंटर सहित।

⁵⁶ कुल ₹ 62.31 लाख के उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क का भुगतान किया गया। ₹ 10.09 लाख के सीमाशुल्क में से ₹ 1.95 लाख की राशि देय थी तथा ₹ 8.14 लाख की शेष राशि छूट प्राप्त थी।

⁵⁷ एनआईटी पटना जनवरी 2004 में अस्तित्व में आया तथा उसने मई 2014 में छूट हेतु आवेदन किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा

12.20 ब्याज की हानि

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा ने बचत खाते में अधिशेष निधियां रखी थीं और लगभग ₹ 51.87 लाख के अतिरिक्त ब्याज उत्पन्न करने का अवसर गवाया था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 21(2) प्रावधान करता है कि प्रत्येक संस्थान की निधि में क्रेडिट किए गए सारे धन उन बैंकों में जमा किया जाए या इस प्रकार से निवेश किया जाए जैसाकि केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निर्णय लिया गया हो।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईटी), गोवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से प्राप्त अनुदानों और विद्यार्थियों से एकत्रित अध्यापन शुल्क (योजनागत अनुदान खाता); विदेश से विद्यार्थियों से विदेशी विद्यार्थियों के सीधे प्रवेश डीएएसए के अंतर्गत प्राप्त शुल्क छात्रावास शुल्क जमा करने के लिए; और प्रायोजित परियोजनाओं से अनुदानों के लिए अलग बचत खातों का अनुरक्षण करता है। जबकि डीएएसए शुल्क और छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में पड़ी हुई निधियों का निवेश मियादी जमा (टीडी), में नहीं किया गया था, एनआईटी ने योजनागत अनुदान खाते में पड़े हुए अधिशेष निधियों को टीडी में निवेश कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईटी ने ₹ 4.55 करोड़ की राशि के टीडी का अप्रैल से जून 2014 के दौरान नकदीकरण किया था क्योंकि नकदीकरण की तिथि पर योजनागत अनुदान खाते में निधियां कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने और अन्य सामान्य व्यय करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। तत्पश्चात्, यद्यपि एनआईटी को एमएचआरडी से अनुदानों की नियमित प्राप्ति और शैक्षिक प्राप्तियों से आय हो रही थी, उसने जनवरी 2017 तक टीडी में कोई अतिरिक्त निधियों का निवेश नहीं किया था जिसके कारणवश 31 मार्च 2015 को ₹ 6.96 करोड़ और 31 मार्च 2016 को ₹ 14.18 करोड़ तक की राशि की निधियां बचत खाते में व्यर्थ पड़ी हुई थीं। अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 के दौरान योजनागत अनुदान से संबंधित बचत खातों में अधिशेष निधियों और डीएएसए शुल्क एवं

छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में निवेश न करने के कारण एनआईटी लगभग ₹ 51.87 लाख की ब्याज आय से वंचित रहा था।

एनआईटी ने बताया (जून 2017) कि एनआईटी की अनुसंधान गतिविधि के लिए गोवा सरकार द्वारा प्रदत्त बोरिम में विद्यालय भवन के नवीकरण कार्य के लिए ₹ 1.99 करोड़ तक अनुमानित समर्पित व्यय को पूरा करने के लिए बचत खाते में रखा हुआ था। ₹ 10 करोड़ की राशि को एनआईटी के नए स्थायी परिसर के लिए चारदीवारी के निर्माण के लिए किए जाने वाले व्यय और सामान्य स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान के रूप में रखा गया था। उसने आगे बताया कि बचत खातों में पड़ी हुई राशियां जनवरी और मार्च 2017 के बीच टीडी में निवेशित थीं।

जबकि एनआईटी ने जनवरी और मार्च 2017 के बीच योजनागत अनुदान, डीएसएस शुल्क और छात्रावास शुल्क से संबंधित बचत खातों में पड़ी हुई अधिशेष निधियों को रखकर सुधारात्मक कार्रवाई की थी, यह तर्क की विद्यालय भवन के नवीकरण और स्थायी परिसर के लिए चारदीवारी के निर्माण हेतु समर्पित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से टीडी में निधियों का निवेश नहीं किया जाना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एनआईटी के पास न तो विद्यालय भवन का कब्जा था और न ही 2014 में स्थायी परिसर के लिए भूमि थी। बोरिम में विद्यालय भवन को दिनांक 8 सितम्बर 2016 के आदेश के माध्यम से आवंटित किया गया था और स्थायी परिसर के लिए साइट की केवल जुलाई 2017 में पहचान की गई थी और एनआईटी को अंतरित की गई थी। इस प्रकार, अविवेकी वित्तीय प्रबंधन और निवेश योजना के कारणवश ₹ 51.87 लाख की राशि की ब्याज आय की हानि हुई थी।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

12.21 करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण में विलंब

इग्नू ने ₹ 5.29 करोड़ के लिए नवम्बर 2007 में हुडा से करनाल में क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए 7,235.4 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया था। आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने से दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। हालांकि, इग्नू विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा भवन का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.41 लाख की परिहार्य लागत के साथ परियोजना के अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने करनाल में एक क्षेत्रीय केन्द्र के निर्माण के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), हरियाणा सरकार से ₹4.41 करोड़⁵⁸ पर 6,393.60 वर्ग मी. (लगभग) माप की भूमि खरीदी थी। दिसम्बर 2007 में इग्नू द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया था। भूमि के आवंटन के नियम एवं शर्तों के अनुसार, इग्नू को कब्जे की तिथि से दो वर्षों के भीतर निर्माण पूरा करना था। यदि निर्माण न होने के कारण इग्नू के नियंत्रण से बाहर थे तब संपदा अधिकारी, हुडा द्वारा समयसीमा बढ़ाई जा सकती थी।

अक्टूबर 2009 में हुडा द्वारा क्षेत्रीकरण योजना के अनुमोदन के पश्चात् इग्नू ने टर्नकी आधार पर परियोजना के निर्माण के लिए 17 दिसम्बर 2009 को वास्तुकार सह परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में इग्नू ने मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया था। परियोजना को 30 माह अर्थात् 16 जून 2012 तक पूरा करना चाहिए था, लेकिन इसे 31 दिसम्बर 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

तत्पश्चात् मार्च 2011 में, हुडा ने इग्नू को सूचना दी कि आवंटित साइट का क्षेत्र 7,235.4 वर्ग मी. था न कि 6,393.60 वर्ग मी. था और 841.68 वर्ग मी. के माप वाले संवर्धित क्षेत्र के लिए मार्च 2011 तक ब्याज सहित ₹ 84.77 लाख⁵⁹ की अतिरिक्त मांग रखी थी। इग्नू ने अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 की अवधि

⁵⁸ 6393.60 वर्ग मी. x ₹ 6900/-प्रति वर्ग मी.

⁵⁹ 841.80 वर्ग मीटर x ₹ 6900/-प्रति वर्ग मीटर+मार्च 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए ब्याज के रूप में ₹ 26.69 लाख

के लिए ₹ 2.96 लाख के ब्याज सहित ₹ 87.73 लाख का भुगतान सितम्बर 2011 में किया था।

उसमें अनुमोदन के लिए निविदाओं के प्रस्तुतीकरण में मैसर्ज राइट्स की ओर से विलंब एवं विसंगतियों के कारण इग्नू की निर्माण कार्य समिति ने मै. राइट्स से निर्माण कार्य को वापस लेने और उसे सीपीडब्ल्यूडी को सौंपने का निर्णय लिया (25 नवम्बर 2013)। मै. राइट्स के साथ अनुबंध को जुलाई 2014 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, मै. राइट्स द्वारा वास्तु परामर्श सेवाएं इग्नू लेता रहा था। परियोजना पर निर्माण कार्य सितम्बर 2017 तक शुरू नहीं किया गया था।

आगे यह पाया गया था कि इग्नू ने ₹ 35,000/- के मासिक किराए पर इग्नू कार्यालय और गोदाम के रूप में उपयोग के लिए फरवरी 2010 में निजी पार्टी से एक भवन किराए पर लिया था। कार्यालय और गोदाम को 2013 में कार्य समापन के पश्चात् प्रस्तावित नए भवन में स्थानांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (i) इग्नू ने न तो कब्जा लेने से पूर्व भूमि का सही माप सुनिश्चित किया था और न ही जिला नगर योजनाकर्ता, करनाल द्वारा दी गई सूचना (अक्टूबर 2009) कि भूमि का क्षेत्र 7,235.40 वर्ग मी. था न कि 6,393.60 वर्ग मी. का समय पर संज्ञान नहीं लिया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान पर ₹ 29.65 लाख का परिहार्य व्यय हुआ था;
- (ii) इग्नू ने विस्तार शुल्क के रूप में हुडा को ₹ 1.36 लाख का भी भुगतान किया था। यह तब तक लगता रहेगा जब तक निर्माण पूरा नहीं होता;
- (iii) निविदा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में मैसर्ज राइट्स की ओर से विलंब के साथ इग्नू के भाग पर सीपीडब्ल्यूडी के साथ इग्नू द्वारा एमओयू. पर हस्ताक्षर करने में तीन वर्ष का अतिरिक्त विलंब हुआ था जिसका कारण कानूनी पुनरीक्षण और वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदनों को प्रदान करने में विलंब बताया गया था। एमओयू.पर अक्टूबर 2017 में हस्ताक्षर हुए थे और निर्माण अभी शुरू किया जाना था; और

(iv) मै. राइट्स के साथ अनुबंध में ऐसे शुल्क के अधिकतम 10 प्रतिशत तक विलंबित निर्माण कार्य के लिए भुगतान योग्य शुल्क के प्रत्येक सप्ताह के विलंब के लिए 0.25 प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति लगाया जाना प्रदान किया गया था। हालांकि, इग्नू ने निविदा की प्रक्रिया में विलंब हेतु मैसर्स राइट्स से ₹ 3.93 लाख तक की राशि के मुआवजे की वसूली नहीं की थी।

इस प्रकार, इग्नू द्वारा विभिन्न स्तरों पर सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹5.29 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2007 में अधिग्रहित भूमि पर भवन के निर्माण में विलंब के साथ सितम्बर 2017 तक ₹ 46.41 लाख⁶⁰ का परिहार्य व्यय भी हुआ था।

मामला अगस्त 2017 में इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2017)।

⁶⁰ ब्याज भुगतान हेतु ₹ 29.65 लाख+@₹ 35,000/- प्रति माह से 44 महिनो के किराये के लिए ₹ 15.40 लाख+ विस्तार शुल्क के लिए ₹ 1.36 लाख

अध्याय XIII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर

13.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर द्वारा वास्तविक उपभोग के अनुबंध मांग के गलत आकलन के परिणामस्वरूप बंगलौर विद्युत आपूर्ति कम्पनी को भुगतान किए गए बिलिंग मांग प्रभारों के लिए ₹ 1.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत कनेक्शन पाने को इच्छुक संस्थान को वितरण लाइसेंसधारक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। वास्तविक खपत/अनुमानों के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार अनुबंध की मांग को बदल सकता है। अनुबंध मांग में कमी के लिए, उपभोक्ता को प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन तथा स्वीकृत मांग में कमी के लिए विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर (एसपीटी), के पास विद्युत आपूर्ति के लिए बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कंपनी (बीईएससीओएम) के साथ 5,200 केवीए की एक अनुबंध मांग थी। समझौते के अनुसार, मांग प्रभारें एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर या अनुबंध की मांग का 75 प्रतिशत, जो समय-समय पर लागू वास्तविक उपभोग के प्रभारों के साथ उच्चतर दर पर है, पर लगाया जाता है।

विद्युत भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2008 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान अनुबंध मांग के मुकाबले वास्तविक खपत 26 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक निरंतर कम है। 4,000 केवीए के अनुबंध मांग के लिए यथार्थवादी बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए, एसपीटी ने वास्तविक खपत की गई विद्युत की मांग का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए ₹ 1.24 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया। एसपीटी ने बताया (अगस्त 2017) कि अनुबंध मांग का उपयोग नहीं किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

प्रसार भारती

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई

13.2 निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन न करना

अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सहित प्रसारित करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा अग्रिम भुगतान के संबंध में वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

'ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर विज्ञापन के लिए दरें' निर्धारित करते हैं कि मान्यताप्राप्त एजेंसियों के अलावा, एक स्थानीय बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा "पीबी (बीसीआई) सीबीएस, एआईआर (संबंधित सीबीएस का नाम)" भुगतान अग्रिम में किया जाएगा (प्रसारण शुरू होने के 15 दिन पहले नहीं)।

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा (सीबीएस), एआईआर, मुंबई के अभिलेखों की जांच से पता चला कि छह गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से संबंधित ₹ 28.85 लाख राशि जिनकी विज्ञापन/सामग्री 1995-2005 के दौरान प्रसारित की गई थी, 12 वर्षों से अधिक के लिए लंबित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित निर्देशों के उल्लंघन में, सीबीएस ने इन छह गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से अग्रिम भुगतान के बिना विज्ञापन/सामग्री प्रसारित की। इसके अतिरिक्त, सीबीएस ने उनकी सामग्री को प्रसारित करना जारी रखा यद्यपि वे पूर्व प्रसारण के लिए भुगतान में चूक गए थे। सीबीएस की ओर से लंबित बकायों के पीछे प्रभावी रूप से लगने या वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। वैध सुधार करने हेतु गंभीरता से बिना प्रयास के साथ केवल एक ही कार्रवाई सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से आवधिक अनुस्मारक और नोटिस जारी करने की गई थी। सीबीएस दोषी एजेंसियों के पते तथा जानकारियों के अद्यतित अभिलेखों का अनुरक्षण करने में भी विफल रहा जिसने आगे बकायों के प्रभावी रूप से पीछे पड़ने के उनके प्रयास को कमजोर किया तथा मामले में एक निराशाजनक रवैये को प्रतिबिंबित करता है। अंततः, अगस्त 2016 में,

सीबीएस ने ₹ 1.08 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित किया (₹ 28.85 लाख - मूल तथा ₹ 78.67 लाख - ब्याज¹)।

सीबीएस ने बताया (नवंबर/दिसंबर 2016) कि इन मामलों को बट्टे खाते में डालने का एक प्रस्ताव शुरू किया गया है क्योंकि ये लंबे समय से लंबित थे।

इस प्रकार, प्रसारण शुरू करने से पहले गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के रूप में अग्रिम में भुगतान प्राप्ति को सुनिश्चित करने में सीबीएस, एआईआर, मुंबई की विफलता तथा दोषी एजेंसियों से बकाया वसूल करने के किसी भी सार्थक प्रयास की कमी के कारण ₹ 1.12 करोड़ (30 सितंबर 2017 तक) वसूली योग्य नहीं रही।

मामला अगस्त 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

¹ मान्यता प्राप्त एजेंसियों से संबंधित अतिदेय भुगतान पर एआईआर द्वारा ब्याज की दर को अपनाने से, 1 अप्रैल 2003 तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा उसके बाद 14.50 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है।

अध्याय XIV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

14.1 प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दर के संदर्भ में प्रतिष्ठानों द्वारा भेजे गए बकाया की पुष्टि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़ की कमी हुई।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ) के पैरा 38(1) के साथ पठित कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 6 और 6सी तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई) के पैरा 8(1), के अनुसार एक नियोक्ता को ऐसे दर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को प्रशासनिक प्रभार देना होगा जो केन्द्र सरकार मासिक अंशदान के साथ समय-समय पर दर निर्धारित करती है।

फरवरी 2015 में, ईपीएफ और ईडीएलआई के अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर श्रम और रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा संशोधित की गई थी जैसा नीचे तालिका सं. 1 में दिया गया है:

तालिका सं. 1: ईपीएफ और ईडीएलआई अंशदान पर प्रशासनिक शुल्क की दर

योजना	पूर्व संशोधित दर ¹	संशोधित दर ²
ईपीएफ	ईपीएफ वेतन ³ का 1.10 प्रतिशत न्यूनतम ₹ पांच तक के अधीन	वेतन का 0.85 प्रतिशत न्यूनतम ₹ 75 ⁴ और ₹ 500 ⁵ तक के अधीन
ईडीएलआई	वेतन का 0.01 प्रतिशत न्यूनतम ₹ दो तक के अधीन	वेतन का 0.01 प्रतिशत न्यूनतम ₹ 25 ⁶ और 200 ⁷ तक के अधीन

¹ ईपीएफओ के लेखांकन प्रक्रिया भाग-1 सामान्य मैनुअल के अनुसार

² श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. 243, दिनांक 2 फरवरी 2015 के अनुसार

³ बेसिक मजदूरी, महंगाई भत्ता, रखरखाव भत्ता, यदि कोई हो और उस पर खाद्य रियायतें नकद मूल्य पर स्वीकार्य

⁴ गैर-कार्यात्मक प्रतिष्ठान के लिए जिसका कोई अंशदायी सदस्य न हो।

⁵ अन्य प्रतिष्ठान के लिए

⁶ गैर-कार्यात्मक प्रतिष्ठान के लिए जिसका कोई अंशदायी सदस्य न हो।

⁷ अन्य प्रतिष्ठान के लिए

इसके बाद मार्च 2015 में, ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली ने 01 जनवरी 2015 से प्रभावी सभी प्रशासनिक प्रभार के संशोधित दरों को लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया था। ईपीएफओ और ईडीएलआई डाटा ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड करने और इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) बनाने के बाद ईपीएफ और मासिक अंशदान सहित ईडीएलआई पर प्रशासनिक शुल्क ईपीएफओ के नामित बैंक खाते में नियोक्ता द्वारा प्रेषण किया गया।

ईपीएफओ के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ)⁸ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि पंजीकृत प्रतिष्ठान संशोधित दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे। ईपीएफओ के आरओ संशोधित दरों पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ईसीआर को सत्यापित करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान ₹ 6.17 करोड़⁹ के प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति हुई, जैसा कि नीचे तालिका सं. 2 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 2: प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति

आरओ के नाम	योजना	मामलों की संख्या (संस्थान)	प्रशासनिक प्रभारों की कम प्राप्ति (₹)
आरओ, कोलकाता	ईडीएलआई	9,429	1,30,14,493
	ईपीएफ	4,386	90,25,865
आरओ, बैरकपुर	ईडीएलआई	3,020	36,82,424
	ईपीएफ	1,446	29,39,455
आरओ, दुर्गापुर	ईडीएलआई	3,352	51,40,354
	ईपीएफ	2,043	46,77,038
आरओ, हावड़ा	ईडीएलआई	3,528	53,22,977
	ईपीएफ	1,688	38,92,216
आरओ, जयपाईगुड़ी	ईडीएलआई	1,081	11,27,343
	ईपीएफ	650	10,97,604
आरओ, जांगीपुर	ईडीएलआई	2,197	25,07,042
	ईपीएफ	755	8,17,700

⁸ कोलकाता, बैरकपुर, दुर्गापुर, हावड़ा, जयपाईगुड़ी, जांगीपुर, पार्कस्ट्रीट, सिलीगुड़ी

⁹ संबंधित आरओ से प्राप्त सूची के अनुसार छूट प्राप्त स्थापना को हटा कर।

आरओ, पार्कस्ट्रीट	ईडीएलआई	2,256	35,06,503
	ईपीएफ	810	19,22,781
आरओ, सिलीगुड़ी	ईडीएलआई	1,876	14,24,861
	ईपीएफ	1,186	16,23,317
कुल		39,703	6,17,21,973

आरओ कोलकाता, बैरकपुर, दुर्गापुर, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, पार्क स्ट्रीट, सिलीगुड़ी ने बताया (अगस्त/सितम्बर 2017) कि प्रशासनिक प्रभारों की कम वसूली को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित “डिफाल्ट ट्रैकिंग और प्रबंधन तंत्र” की कमी के कारण नहीं पकड़ा जा सका। आरओ, जांगीपुर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ईपीएफओ मुख्यालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि यह मामला प्रशासनिक प्रभार में कमी की पुष्टि करने के लिए तकनीकी टीम के परामर्श से विचाराधीन है और वे तदनुसार उचित सुधारात्मक उपाय करेंगे।

जून 2017 और दिसम्बर 2017 में मंत्रालय को मामला सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : नीति आयोग

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

15.1 पदों की संस्वीकृति के बिना स्टाफ की भर्ती

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के संस्वीकृत पद को संशोधित किया था जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया (अक्टूबर 1984) कि स्वायत्त निकाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, के नियम और उपनियमों में उसके वेतनमान, भत्तों और संशोधन को अपनाने वाली रोजगार के प्रभाव से संबंधित उनके प्रासंगिक उपनियमों/नियमों/नियमावलियों में स्थिर रूप से प्रतिबंधात्मक खंड शामिल करना चाहिए और विशेष वेतन स्तर से ऊपर पद के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। मई 1993 में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने स्वायत्त निकायों पर भी लागू होने वाले निर्देश जारी किए थे कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के वर्ग 'ए' के पदों का सृजन वित्त मंत्री के अनुमोदन से होगा।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और इसे वास्तव में नीति आयोग से सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

एनआईएलईआरडी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनआईएलईआरडी में संकाय के अंतर्गत (अनुसंधान और शिक्षा सहायता सेवाएं) संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के वर्ग 'ए' स्तर (संयुक्त सचिव स्तर के नीचे) के संस्वीकृत पद 30 सितम्बर 2012 को क्रमशः चार, 10 और 11 थे। एनआईएलईआरडी के सामान्य परिषद ने 23 जनवरी 2013 को हुई अपनी 46वीं बैठक में संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक के पदों की संस्वीकृत संख्या का क्रमशः चार से छः, 10 से 12 और 11 से 18

तक के संशोधन को स्वीकृति दी थी। उसके पश्चात्, एनआईएलईआरडी ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की संस्वीकृत संख्या को संशोधित किया था। तब से, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे, इन अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का व्यय अनियमित था।

एनआईएलईआरडी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अन्य कैडरों में छोड़ने/पदों को समाप्त करने से मेल खाते योगदान को प्रदान करते हुए पदों को संशोधित किया था। यह बताया कि संस्थान प्रलेख और उप-नियम की समीक्षा/अद्यतन चल रहा था उनके स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के संशोधन तथा समान स्थापना व्यय से संबंधित मामले में शासी निकाय की शक्तियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक खंड को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे, संशोधित संस्वीकृत पद संख्या के लिए वित्त मंत्रालय से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा जाएगा।

मामले की सूचना सितम्बर 2017 में नीति आयोग को दे दी गई थी, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVI : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

16.1 मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सीबीआई, नई दिल्ली की सही प्रकार से विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विफलता तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने मुख्यालय की बिल्डिंग को विद्युत की आपूर्ति के लिए फरवरी 2011 में 7514 केवीए की संविदा मांग हेतु मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीएसईएस) के साथ अनुबंध किया। सीबीआई ने 7,514 केवीए की संविदा मांग पर ₹ 150/₹125 प्रति केवीएस प्रति माह की दर पर ₹ 11.27 लाख¹/₹ 9.37 लाख² प्रतिमाह (निर्धारित प्रभार) का आवर्ती व्यय किया।

चूंकि अनुबंधित मांग बिल्डिंग की प्रारम्भिक स्तर की योजना पर किए गए निर्धारण पर आधारित थी तथा सीबीआई मुख्यतः ऊर्जा योग्य विद्युत फिक्सचर को अपनाने के कारण पूर्ण संस्वीकृति भार का उपयोग नहीं कर रहा था इसलिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) ने विद्युत आवश्यकता का पुनः निर्धारण किया (नवम्बर 2011) तथा विद्युत भार को 4,294 केवीए तक कम करने का सुझाव दिया। सीबीआई ने अनुबंध मांग को कम करने हेतु बीएसईएस को अनुरोध किया (दिसम्बर 2011)। बीएसईएस ने इस आधार पर अनुरोध को नहीं माना था (जनवरी 2012) कि उनके बीच हुए अनुबंध में निर्धारित किया था कि सहमत की गई शर्तें प्रारम्भ की तिथि से अर्थात् 13 फरवरी 2013 तक दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।

बाद में, अक्टूबर 2013 में सीबीआई द्वारा बीएसईएस के साथ बैठक की गई जिसमें यह सहमति दी गई कि अनुबंध मांग को 7,514 केवीए से 4,121 केवीए तक कम कर दिया जाएगा। तदनुसार, 4,121 केवीए की विद्युत मांग हेतु

¹ अवधि: 17 फरवरी 2011 से 31 अगस्त 2011

² अवधि: 31 अगस्त 2011 से 31 अक्टूबर 2011

बीएसईएस के साथ एक औपचारिक अनुबंध किया गया था (फरवरी 2014)। परिणामस्वरूप, निर्धारित प्रभारों पर आवर्ती व्यय ₹9.39 लाख से ₹5.15 लाख प्रति माह तक कम हुआ।

सीबीआई के विद्युत बिलों की संवीक्षा से पता चला कि पुननिर्धारित अनुबंध मांग भी वास्तविक खपत, जो मार्च 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 936 से 2,328 केवीए के बीच थी, से काफी अधिक थी। इस प्रकार, 2,600 केवीए की खपत की वास्तविक सीमा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने विद्युत, जिसका वास्तव में उपयोग नहीं किया गया था उसके प्रति मांग प्रभार (125 प्रति केवीए की दर पर) अदा किए थे जिसका परिणाम ₹1.42 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि विद्युत भार की कटौती हेतु सीबीआई तथा बीएसईएस के 20 अप्रैल 2017 को हुई एक बैठक में विद्युत भार को 4,121 केवीए से 2,473 केवीए तक आगे और कम करने की सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में संविदा अनुबंध प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार, विद्युत खपत आवश्यकताओं के गलत निर्धारण तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु विलम्बित कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

अध्याय XVII : विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

17.1 प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित भुगतान

पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने के बाद प्रतिपूर्ति भत्ता का लगातार भुगतान करने के परिणामस्वरूप 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने 19 जुलाई 1991 को हुई अपनी 143 वीं बैठक में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पीएसईबी) अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड-पीएसपीसीएल- के समय-समय पर संशोधित वेतनमान को बीबीएमबी में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए अपनाने का निर्णय लिया था। बीबीएमबी ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में पीएसईबी द्वारा स्वीकृत भत्ते/रियायतें समय-समय पर अपनाई जाएंगी।

बीबीएमबी के आठ इकाइयों में कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले विभिन्न भत्ते की एक नमूना जांच से पता चला कि कर्मचारियों ने पीएसईबी के वेतनमानों/भत्ते के अनुसार वेतन और भत्ते के अलावा प्रतिपूरक भत्तों को आहरित किया था। हालांकि पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने से पहले बीबीएम के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता का भुगतान किया जा रहा था, जुलाई 1991 के बाद इसका निरंतर भुगतान अनियमित था। पीएसपीसीएल ने भी स्पष्ट किया था (जुलाई 2014) कि उसके कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में शामिल आठ इकाइयों¹ में 2014-15 से 2015-16 के दौरान प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रति ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय किया था।

¹ (i) निदेशक डिजाइन, नांगल ₹ 9.81 लाख, (ii) एफए और सीएओ, नांगल: ₹ 25.74 लाख, (iii) आरई गंगवाल और कोटला पावर हाउस डिवीजन गंगवाल ₹ 48.61 लाख, (iv) मुख्य अभियंता (जनरेशन), नांगल ₹ 9.50 लाख (v) स्टोर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल डिवीजन, तलवारा, ₹ 12.76 लाख (vi) स्टोर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल डिवीजन, सुंदर नगर: ₹ 33.23 लाख (vii) मुख्य इंजीनियर ब्यास प्रोजेक्ट, तलवारा ₹ 15.80 लाख और (viii) भवन निर्माण और टाउनशिप डिवीजन, नांगल: ₹ 100.60 लाख

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि बोर्ड अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देने के लिए सक्षम था और अगस्त 1978 में बीबीएमबी बोर्ड द्वारा प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान का अनुमोदन किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जुलाई 1991 के बाद स्वीकार्य भत्ते के रूप में मौजूद होने के बाद प्रतिपूरक भत्ता नहीं रह गया क्योंकि बीबीएमबी ने जुलाई 1991 में अपने कर्मचारियों के लिए पीएसईबी के वेतनमान/भत्ते को अपनाया था और पीएसईबी/पीएसपीसीएल में प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने के परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति भत्ता का निरंतर भुगतान होने से 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

मामला विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था (मई 2017); उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVIII : ग्रामीण विकास मंत्रालय

18.1 आंतरिक नियंत्रण विफलता के कारण दोहरा भुगतान

आंतरिक नियंत्रण जांच में विफलता के परिणामस्वरूप एक एजेंसी को ₹ 1.26 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक पता नहीं चल सका।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने कुछ पूर्व और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत एक विशेष परियोजना का अनुमोदन किया (नवंबर 2010)। परियोजना की ₹ 15 करोड़ की लागत थी, जिसमें से केंद्रीय अंश ₹ 11.25 करोड़ था, अर्थात् 75 प्रतिशत थी। परियोजना में 7,860 लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए शामिल करना था जो संस्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नियुक्तियों के लिए अग्रणी होते हैं। एक सुरक्षा सेवा प्रशिक्षण अकादमी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में चुना गया था, जो कि परियोजना लागत का 25 प्रतिशत वहन करेगी। परियोजना के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) थी।

मंत्रालय ने (जनवरी 2011) पीआईए को संवितरण के लिए टीएसए को ₹ 2.81 करोड़ पहली किस्त के रूप में जारी किये। केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त और दो वर्षों तक परियोजना के विस्तार के लिए जारी करने के लिए मंत्रालय ने टीएसए से प्रस्ताव प्राप्त किया (नवंबर 2012)। हालांकि, लक्ष्य के प्रति उपलब्धियों में कमी के कारण और परियोजना को पूरा करने के लिए अपर्याप्त समय शेष था, मंत्रालय ने जनवरी 2015 में इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया। काम के आधार पर और लक्ष्यों में कमी के लिए दंड समायोजित करने के बाद मंत्रालय ने पीआईए को टीएसए के माध्यम से ₹ 1.26 करोड़ का अंतिम भुगतान जारी किया (फरवरी 2015)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2014-15 में निधियों की अनुपलब्धता के कारण संस्वीकृति के आदेश जारी नहीं किए गए, मंत्रालय ने

ई-ऑफिस के माध्यम से ₹ 1.26 करोड़ के अंतिम भुगतान को फिर से संसाधित किया था (मई 2015)। वित्त शाखा ने भी अपनी सहमति (मई 2015) को दोबारा वैध कर दिया था और मंत्रालय ने नए प्रतिबंधों को जारी कर दिया था, जिस पर ₹ 1.26 करोड़ फिर से टीएसए को जारी किए गए थे (जून 2015)। इस प्रकार, मंत्रालय ने इसी कार्य के लिए टीएसए को दो बार ₹ 1.26 करोड़ रुपये जारी किये।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने पर, मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया (फरवरी 2017 और अक्टूबर 2017) कि भुगतान दो बार अनजाने में जारी किया गया था। यह भी बताया कि टीएसए ने 25 जनवरी 2017 को ₹ 1.26 करोड़ वापस कर दिए थे। हालांकि, मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि वित्त शाखा ने दोनों निर्गमों की जांच के बावजूद दोहरे भुगतान कैसे किए और दोहरा भुगतान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक दो वर्षों से पता क्यों नहीं लग सका।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण जांच में विफलता के परिणामस्वरूप एक एजेंसी को ₹ 1.26 करोड़ रुपये का दोहरा भुगतान हुआ, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक पता नहीं चल सका।


अध्याय XIX : पोत परिवहन मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

19.1 जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को राजस्व हानि

जेएनपीटी के वित्तीय लाभ को सुरक्षित किए बिना निम्नतर राजस्व अंश पर वर्तमान बर्थ संचालन करने वाली उसी कम्पनी को निकटवर्ती बर्थ देने के कारण नई बर्थ से वर्तमान बर्थ में यातायात का विपथन हुआ तथा न्यास को राजस्व की हानि हुई। 2015-17 से राजस्व की हानि ₹ 54.72 करोड़ राशि की थी।

जुलाई 1997 में, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने 1.2 मिलियन बीस फुटिया समकक्ष इकाई (टीईयू) की क्षमता वाले 600 मी. लम्बाई वाले कंटेनर टर्मिनल के संचालन हेतु मै. नहावा शीवा



इंटरनेशनल लिमि. (एनएसआईसीटी) के साथ 30 वर्षों की अवधि के लिए एक लाइसेंस अनुबंध किया। तदन्तर, भावी कंटेनर यातायात का प्रबंध करने के लिए जेएनपीटी ने, 330 मी. उत्तरी कंटेनर बर्थ के विकास तथा संचालन तथा वर्तमान एनएसआईसीटी टर्मिनल के साथ जोड़ने के लिए मै.नहावा शीवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल प्रा. लिमि. (एनएसआईसीटी) के साथ एक रियायती अनुबंध किया (जून 2013)। एनएसआईसीटी टर्मिनल के लिए रियायती अवधि 17 वर्षों की थी।

लेखापरीक्षा ने दो कंटेनर टर्मिनलों अर्थात एनएसआईसीटी तथा एनएसआईसीटी के संचालन के संबंध में निम्नलिखित पाया:

- एनएसआईजीटी टर्मिनल का नया 330 मी. का बर्थ, प्रत्यक्ष रूप से एनएसआईसीटी टर्मिनल के वर्तमान बर्थ का विस्तारण था। अकेले 330 मी. कंटेनर बर्थ के विकास हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (फरवरी 2007) में यह इंगित किया गया था कि यह आशा थी कि इसके लिए एनएसआईसीटी अत्याधिक वरीय बोलीकर्ता प्रकट होगा जिससे अतिरिक्त सन्निहित बर्थ से अधिक मूल्य शामिल होगा। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया था कि एनएसआईसीटी द्वारा दोनो घाटों का संचालन करने की दशा में उनसे अर्जित राजस्वों के लिए पृथक लेखा रखना कठिन होगा जिससे जेएनपीटी के साथ राजस्व बांटने के निर्धारण में उलझने हो सकती है।
- जेएनपीटी ने 330 मी. बर्थ की लम्बाई वाले नए टर्मिनल हेतु सात योग्यता प्राप्त बोलीकर्ताओं का चयन किया था जिनमें से पांच ने बोली दस्तावेज प्राप्त किए थे। अन्ततः केवल एक बोली प्राप्त की गई थी तथा नए टर्मिनल हेतु रियायत एनएसआईजीटी को सौंप दी गई थी। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि एनएसआईसीटी तथा एनएसआईजीटी दोनो पूर्ण रूप से मै. डीपी वर्ल्ड प्रा. लिमि. से आर्थिक सहायता प्राप्त हैं।
- रियायत अनुबंध के अनुसार (जून 2013), एनएसआईजीटी को संचालन के तीसरे वर्ष से 17वें वर्ष तक जेएनपीटी के साथ नए 330 मी. टर्मिनल के संचालन से सकल राजस्वों का 28.09 प्रतिशत का हिस्सा बांटा जाना था। विद्यमान टर्मिनल के लिए एनएसआईसीटी द्वारा लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जेएनपीटी को रॉयल्टी (टैरिफ का ध्यान किए बिना तीसरे वर्ष के लिए 47 प्रति टीईयू तीसरे वर्ष से 30 वर्ष तक प्रगामी रूप से ₹ 5,610 तक बढ़ते हुए) का भुगतान किया जाना था। 2014-15 में, एनएसआईसीटी टर्मिनल के लिए भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी ₹ 2670 प्रति टीईयू जो 2014-15 में टैरिफ पर लागू थी की राशि थी जिसको जेएनपीटी को 79.92 प्रतिशत के राजस्व हिस्से के रूप में लेखाबद्ध किया गया था। इस प्रकार, दो निकटवर्ती टर्मिनलों के संचालन पर जेएनपीटी को देय राजस्व के हिस्से (विद्यमान एनएसआईसीटी टर्मिनल पर 79.92 प्रतिशत की तुलना में एनएसआईजीटी टर्मिनल पर 28.09 प्रतिशत) का भारी अंतर था।

- नए टर्मिनल के चालू होने की निर्धारित तिथि 1 जुलाई 2016 थी। जनवरी 2015 में एनएसआईजीटी ने टर्मिनल सुविधाओं (330 मीटर में से 60 मीटर) को आंशिक रूप से चालू करने के लिए जेएनपीटी का अनुमोदन प्राप्त किया। जेएनपीटी द्वारा एनएसआईजीटी के साथ हस्ताक्षरित रियायती अनुबंध में टर्मिनल के पूर्ण होने से पूर्व उसका वाणिज्यिक संचालन करने की अनुमति नहीं थी (जुलाई 2016)। जेएनपीटी ने प्रस्ताव के लिए सहमति दे दी तथा एनएसआईजीटी को वाणिज्यिक आंशिक संचालन करने की अनुमति देते हुए सितम्बर 2015 में एक अनुपूरक अनुबंध तैयार किया था। यह पाया गया था कि जेएनपीटी द्वारा मार्च 2016 तक अनुपूरक अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इसके बावजूद, जेएनपीटी ने अप्रैल 2015 से किसी औपचारिक अनुबंध के बिना एनएसआईजीटी को आंशिक रूप से चालू किए गए टर्मिनल पर संचालन आरंभ करने की अनुमति दी हुई थी।
- अनुपूरक अनुबंध की जांच करते हुए (सितम्बर 2015) जेएनपीटी के चेयरमैन ने एनएसआईजीटी के लिए बनाए गए जलयानों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले एनएसआईजीटी बर्थ के संबंध में आशंका जताई क्योंकि दोनों टर्मिनल में डीपी वर्ल्ड प्रा. लिमि. के अधीन थे। जेएनपीटी के वित्त विंग द्वारा यह मामला तथा जेएनपीटी को राजस्व की परिणामी हानि (एनएसआईजीटी तथा एनएसआईसीटी से क्रमशः 28.09 प्रतिशत तथा 79.92 प्रतिशत के यथेष्ट विभिन्न राजस्व हिस्सों पर विचार करते हुए के संबंध में भी संकेत किया गया था। इस मामले को बताने के लिए जेएनपीटी ने अनुपूरक अनुबंध में (नवम्बर 2015) एक अतिरिक्त खंड समाविष्ट करने के लिए प्रस्तावित किया जिसमें यह अनुबंध है कि एनएसआईसीटी से एनएसआईजीटी में जलयानों का स्थानान्तरण होने की दशा में संचालक एनएसआईसीटी दर पर 30 प्रतिशत अर्थदण्ड सहित रॉयल्टी का भुगतान करेगा। एनएसआईजीटी इस शर्त के लिए सहमत नहीं हुआ।
- अनुपूरक अनुबंध (मार्च 2016 में हस्ताक्षरित) में अन्ततः समाविष्ट की गई शर्त में यह प्रावधान है ' कि ग्राही केवल उपभोक्ता के अनुरोध

पर ही जलयान बर्थ पर लगाएगा तथा मनमाने ढंग में किसी जलयान का स्थानान्तरण नहीं करेगा। रियायती प्राधिकारी को टर्मिनल में जलयान को बर्थ पर लगाने में कोई परिवर्तन होने के बारे में सूचित किया जाएगा।' इस खंड के समावेशन के संबंध में जेएनपीटी द्वारा कानूनी राय में यह संकेत किया गया है कि इससे जेएनपीटी के लिए कोई व्यवहार्य प्रभाव नहीं होगा क्योंकि संचालन अपने उपभोक्ताओं की बर्थ वरीयता पर प्रभाव का प्रयास कर सकता है तथा पत्तन को यह सूचना बाद में प्राप्त होगी। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि जून 2013 में हस्ताक्षरित रियायती अनुबंध में भी एनएसआईसीटी से एनएसआईजीटी में जलयान के विपथन को रोकने की किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

- इसी बीच, एनएसआईजीटी ने अप्रैल 2015 में प्रायोगिक संचालन आरंभ किए तथा तब से संचालनों को जारी रखा गया है। 2014-17 एनएसआईजीटी तथा एनएसआईसीटी द्वारा संचालित टैफिक निम्न तालिका सं.1 में दर्शाया गया है।

तालिका सं.1: एनएसआईजीटी तथा एनएसआईसीटी द्वारा संचालित टैफिक

वर्ष	एनएसआईसीटी (टीईयू)	एमजीटी	एनएसआईजीटी (टीईयू)	एमजीटी	जेएनपीटी में कुल कंटेनर टैफिक
2014-15	11,60,220	6,00,000	शून्य	लागू नहीं	44,66,695
2015-16	9,99,680	6,00,000	2,02,328	1,00,000	44,91,568
2016-17	7,28,560	6,00,000	4,45,111	2,00,000	45,00,149

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएसआईसीटी वर्ष 1999-2000 से चालू किया गया था तथा उसने 1.18 मिलियन टीईयू की वार्षिक औसत सहित 1.54 मिलियन टीईयू तक (एनएसआईजीटी के चालू होने से पूर्व 1999-2000 से 2014-15 की अवधि से) टैफिक संचालित किया था। एनएसआईसीटी तथा संचालन आरंभ किए गए एक एनएसआईजीटी टर्मिनल द्वारा संचालित टैफिक में भारी गिरावट थी।

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जेएनपीटी में 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि से कुल कंटेनर ट्रैफिक 4.5 मिलियन टीईयू रहा। एनएसआईसीटी अकेले ने ही 2014-15 में कुल जेएनपीटी ट्रैफिक का 26 प्रतिशत संचालित किया था 2015-16 तथा 2016-17 के अनुवर्ती वर्षों में एनएसआईसीटी तथा एनएसआईजीटी ने मिलकर उतनी मात्रा का कंटेनर ट्रैफिक संचालित किया। इस प्रकार, एनएसआईसीटी के ट्रैफिक को एनएसआईसीटी तथा एनएसआईजीटी के बीच बांटा जा रहा था तथा एनएसआईसीटी में ट्रैफिक का हिस्सा गिरावट की ओर था तथा एनएसआईजीटी 2015-16 में आंशिक पूर्ण बर्थ के लिए न्यूनतम गारंटी ट्रैफिक (एमजीटी) का 200 प्रतिशत प्राप्त कर रहा था। एनएसआईसीटी से एनएसआईजीटी में ट्रैफिक का स्थानान्तरण 2016-17 जब एनएसआईजीटी का संचालन रियायती अनुबंध द्वारा आवृत्त किया गया था, में भी जारी रहा।

2015-17 से, 0.647 मिलियन टीईयू जो एनएसआईसीटी द्वारा संचालित किया सकता था वह एनएसआईजीटी में संचालित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप एनएसआईसीटी में रॉयल्टी दर तथा एनएसआईजीटी में राजस्व हिस्से के बीच अंतर होने के कारण जेएनपीटी को ₹ 54.72¹ करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने निम्नलिखित बताया (अक्टूबर 2017)

- टीएएमपी² द्वारा एनएसआईसीटी के टैरिफ में कमी करने से उनकी उत्पादकता तथा प्रवाह क्षमता में वृद्धि को कम उत्साह मिला तथा जेएनपीटी को इस नए बर्थ से 0.8 मिलियन टीईयू प्रतिवर्ष क्षमता को जोड़ने की आशा थी। पत्तन ने जेएनपीटी में सारा ट्रैफिक रोकने तथा अन्य पत्तनों को ट्रैफिक के विपथन से बचने के लिए एनएसआईजीटी के शीघ्र आरंभ करने के अनुरोध पर विचार किया था।

¹ अप्रैल 2015 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान एनएसआईजीटी टर्मिनल में संचालित टीईयू पर रॉयल्टी दर तथा राजस्व अंश दर के बीच अंतर पर आधारित गणना।

² टीएएमपी: प्रमुख पत्तन टैरिफ प्राधिकरण के पास प्रमुख पत्तन न्यास तथा उसमें प्राइवेट टर्मिनल का अधिकार क्षेत्र में है। वह उपलब्ध कराई गई सेवाओं और उनके द्वारा दी गई सुविधाओं की दरें तथा पत्तन न्यास सम्पत्तियों को पट्टे पर देने की दरें भी निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

- जेएनपीटी द्वारा टर्मिनल परिचालकों के साथ हस्ताक्षरित रियायती अनुबंधों में किसी जेएनपीटी से किसी दूसरे पत्तन में जलयानों के स्थानान्तरण सहित एक टर्मिनल से दूसरे में जलयानों के स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तथापि, चूंकि टीएमपी दर एनएसआईसीटी की तुलना में एनएसआईजीटी के लिए अधिक थी, इसलिए व्यापार का स्थानान्तरण नहीं हुआ।
- अनुपूरक अनुबंध ख्याति प्राप्त वकील द्वारा तैयार किया गया था तथा कानूनी राय भी प्राप्त की गई थी। रियायती प्राधिकारी रियायत अनुबंध में अनुबद्ध 0.6 मिलियन टीईयू एमजीटी से अधिक ट्रेफिक संचालित करने के लिए ग्राही (एनएसआईसीटी) को बाध्य नहीं कर सकता।
- दो ग्राही कानूनी सत्ताओं पर निर्भर थे तथा बर्थों को स्वतंत्र रूप से परिचालित करने की आशा करते थे।

प्रबन्धन का उत्तर न्यायसंगत नहीं है:

- जैसाकि जेएनपीटी द्वारा अभिकल्पित था, 2014-17 से ट्रेफिक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वस्तुतः एनएसआईसीटी टर्मिनल में विद्यमान ट्रेफिक एनएसआईजीटी टर्मिनल के साथ बांटा जा रहा है जिससे जेएनपीटी को वित्तीय हानि हुई।
- 2007 में बहुत शीघ्र यह पता लग गया था कि यदि दोनो बर्थ एक ही संस्था द्वारा परिचालित किए गए हो तो दोनों समीपस्थ घाटों से अर्जित राजस्वों का पृथक रूप से लेखांकन करने में कठिनाई होगी। निकटवर्ती घाटों के परिचालन के दौरान अनुपूरक अनुबंध पर विचार करते समय (सितम्बर 2015) एनएसआईसीटी से एनएसआईजीटी में जलयानों के स्थानान्तरण से संबंधित मामले तथा जेएनपीटी के राजस्व पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का भी पता लगा था। एनएसआईसीटी टर्मिनल से रॉयल्टी में भारी विषमता तथा जेएनपीटी द्वारा एनएसआईजीटी टर्मिनल से प्राप्त किए जाने वाले राजस्व अंश पर विचार करते हुए पत्तन के वित्तीय लाभ को सुरक्षित करने का एक उपयुक्त प्रावधान रियायत/अनुपूरक अनुबंधों में शामिल किया जाना चाहिए।

- पत्तन का यह उत्तर कि दो ग्राही, स्वतंत्र कानूनी हस्तियां थीं जिनकी स्वतंत्र रूप से परिचालित करने की आशा थी, को इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखने की आवश्यकता है कि एनएसआईसीटी तथा एनएसआईजीटी दोनों को डीपी वर्ल्ड प्रा. लिमिटेड की 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त थी।

इस प्रकार, जेएनपीटी के वित्तीय लाभ को सुरक्षित किए बिना एक ही परिचालक को निकटवर्ती टर्मिनल प्रदान करने से विद्यमान एनएसआईसीटी टर्मिनल (पत्तन को अधिक रॉयल्टी का भुगतान करने से) से नए एनएसआईजीटी टर्मिनल (पत्तन के साथ निम्न राजस्व अंश सहित) में ट्रैफिक का विपथन और जेएनपीटी को राजस्व की परिणामित हानि हुई। 2015-17 से इस प्रकार के विपथन के परिणामस्वरूप जेएनपीटी को ₹ 54.72 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा नवम्बर 2017 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

मुम्बई पत्तन न्यास

19.2 राजस्व की हानि और लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ

मुम्बई पत्तन न्यास को अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 17.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई क्योंकि पत्तन लाइसेंसधारियों से सहमत दर पर बर्थशुल्क वसूल करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त पत्तन ने टीएएमपी की अनुमोदन के बिना दरों के 130 प्रतिशत मान पर दरों में संशोधन अनुमत किया जोकि अनियमित था।

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ने, निर्माण, परिचालन तथा स्थानान्तरण (बीओटी) आधार पर दो ऑफशोर कंटेनर टर्मिनलों (ओसीटी) के विकास हेतु एमबीपीटी को 35.064 प्रतिशत के राजस्व हिस्से के रूप में इन्दिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईसीटीपीएल) के साथ एक लाइसेंस अनुबंध (एलए) किया (दिसम्बर 2007)। परियोजना की दिसम्बर 2010 तक पूर्ण होने की आशा थी। तथापि, उपकरण आपूर्तिकर्ता हेतु सरकार से सुरक्षा निकासी प्राप्त करने में हुआ विलम्ब पीपीपी परिचालक की ओर से था तथा वित्तीय समापन में विलम्ब और निकर्षण वचनबद्धता को पूर्ण करने में हुआ विलम्ब

पत्तन की ओर से था। इसी बीच, एमबीपीटी तथा आईसीटीपीएल ने क्रमशः ₹ 416 करोड़ (निकर्षण लागत) तथा ₹ 618.20 करोड़ का व्यय किया था (मार्च 2017 को)। एमबीपीटी ने आईसीटीपीएल को प्रथम अस्वीकार के साथ क्रागो प्रोफाइल के बदलाव सहित पुनः बोली द्वारा ओसीटी पुनरूद्धार हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा (मार्च 2017) जिसका निर्णय प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2017)।

इसी बीच, पहले से सृजित परिसम्पत्तियों के बेकार रहने से बचने के लिए एमबीपीटी ने ऑटोमोबाइल संचालन (कार कैरियर) हेतु ओसीटी बर्थ के वैकल्पिक उपयोग का अनुमोदन किया (जनवरी 2015)। यह मूल्यांकन किया गया था कि ओसीटी में ऑटोमोबाइल ट्रेफिक का स्थानान्तरण करके एमबीपीटी स्टील तथा अन्य कार्गो को ढोने वाले अतिरिक्त जलयानों के संचालन हेतु अतिरिक्त बर्थ दिवस प्राप्त करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑटोमोबाइल कार्गो के स्थानान्तरण से पत्तन को राजस्व उदासीन रहा, एमबीपीटी ने यह परिकल्पित किया कि यह आवश्यक होगा कि आईसीटीपीएल का वसूल किए गए राजस्व बर्थ किराया तथा बर्थ शुल्क का 72 प्रतिशत हिस्सा एमबीपीटी के पास है। यह तीन महीने के बाद समीक्षा करने पर छः माह की अवधि के लिए एक अन्तरिम व्यवस्था होनी थी।

आईसीटीपीएल ने 72 प्रतिशत राजस्व अंश से संचालन को अव्यवहार्य पाया। आईसीटीपीएल के अनुरोध पर एमबीपीटी ने, प्रमुख पत्तन टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी) के अनुमोदन के अधीन एमबीपीटी के वर्तमान दर सूची (एसओआर) के 130 प्रतिशत टैरिफ पर दर संचालन की अवधि छः माह से एकवर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया (मई 2015)। यह निर्णय भी लिया गया था कि टैरिफ में और वृद्धि होने (130 प्रतिशत के बाद) पर राजस्व हिस्से के उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा। उच्च टैरिफ होने पर, एमबीपीटी का राजस्व हिस्सा 55 प्रतिशत³ पर नियत किया गया था। एक वर्ष की समाप्ति पर, एमबीपीटी ने उसी व्यवस्था का तीन माह के लिए समय बढ़ा दिया (जुलाई 2016) और तदन्तर परियोजना के पुनरूद्धार का निर्णय लेने के समय तक इसकी अवधि और बढ़ा दी थी (सितम्बर 2016)।

³ एमबीपीटी का राजस्व हिस्सा 72 प्रतिशत निर्णीत किया गया था, तथापि जब आईसीटीपीएल ने एसओआर का 130 प्रतिशत वसूल किया, एमबीपीटी का राजस्व हिस्सा केवल 55 प्रतिशत परिकल्पित किया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

1. आरसीटीपीएल हेतु टीएएमपी द्वारा जारी दर-सूची (एसओआर) में अनुबद्ध है कि यदि अधिसूचित एसओआर में किसी सेवा कार्गो के लिए कोई विशिष्ट टैरिफ उपलब्ध नहीं है तो टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ साथ एक तदर्थ दर वसूल की जा सकती है। यह तदर्थ दर टीएएमपी द्वारा अन्तिम रूप से दर अधिसूचित करने तक वसूल की जा सकती है इस तात्कालिक मामले में ऑटोमोबाइल कार्गो ने आईसीटीपीएल को एमबीपीटी की वर्तमान एसओआर (जून 2015) के 130 प्रतिशत पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी। आईसीटीपीएल ने टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2015) लेकिन उसको इस आधार पर वापस ले लिया (दिसम्बर 2015) कि परियोजना को पुनः चालू किया जा रहा था तथा पुनः चालू करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार टीएएमपी ने मामला बंद कर दिया (फरवरी 2016)। तथापि, आईसीटीपीएल ने एमबीपीटी एसओआर का 130 प्रतिशत पर बर्थ किराया प्रभार वसूल करना जारी रखा (नवम्बर 2017)। एमबीपीटी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि आईसीटीपीएल ने दो से अधिक वर्षों से तथ्य टैरिफ वसूल करने के लिए टीएएमपी का अनुमोदन प्राप्त किया है।
2. टैरिफ में दो प्रभार अर्थात् बर्थ किराया प्रभार तथा बर्थ शुल्क सम्मिलित है। आईसीटीपीएल ने एमबीपीटी एसओआर का 130 प्रतिशत की दर पर बर्थ किराया प्रभार लेकिन बर्थ शुल्क एमबीपीटी एसओआर दरों पर वसूल किया था। तथापि, आईसीटीपीएल ने, कुल राजस्व (बर्थ किराया तथा बर्थ शुल्क प्रभार) का केवल 55 प्रतिशत ही बांटा। इस प्रकार, बर्थशुल्क राजस्व निम्नतर दर (72 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत) बांटा गया था जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 17.13 करोड़ की कम वसूली हुई। इस प्रकार जबकि आईसीटीपीएल द्वारा अंतरिम संचालन की अनुमति दी गई थी, पत्तन अपने वित्त वित्तीय लाभ को सुरक्षित करने में विफल रहा जिसके कारण लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ हुआ।

3. आईसीटीपीएल द्वारा संचालित ऑटोमोबाइल ट्रेफिक की अनुमति देते हुए एमबीपीटी तथा आईसीटीपीएल के बीच की व्यवस्था एक अन्तरिम व्यवस्था थी। नौपरिवहन मंत्रालय ने एमबीपीटी को लाइसेंस अनुबंध के अंतर्गत अंतरिम व्यवस्थाओं की अनुज्ञेयता पर कानूनी राय लेने का परामर्श दिया था। एमबीपीटी ने कानूनी राय प्राप्त की (भारत के अटार्नी जनरल से) जिसने सुझाव दिया कि लाइसेंस अनुबंध में संशोधन किया जाना चाहिए। एमबीपीटी द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।
4. एमबीपीटी ने लाइसेंस अनुबंध के अनुसार आईसीटीपीएल को बालार्ड पियर स्टेशन पर एक अन्य बर्थ परिचालित करने की अनुमति दी आईसीटीपीएल ने इस बर्थ को पांच वर्षों तक (2008-09 से 2012-13 तक) परिचालित किया तथा लाइसेंस शुल्क (₹ 30.37 करोड़) तथा राजस्व हिस्से (₹ 15.47 करोड़) के प्रति चूक भुगतान किए जिसके परिणामस्वरूप एमबीपीटी की ₹ 45.87 करोड़ की बकाया राशि हुई (सितम्बर 2017)। इस पहलू को प्रमुख पत्तनों पीपीपी परियोजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2015 के प्रतिवेदन सं. 49 का पैरा सं.5.4) में भी उजागर किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कि आईसीटीपीएल अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है, गलत है क्योंकि आईसीटीपीएल वास्तविक लाइसेंस अनुबंध में विचारित 35.064 प्रतिशत के प्रति राजस्व का 55 प्रतिशत बांट रहा है। प्रबंधन ने यह भी बताया कि वह आईसीटीपीएल से 72 प्रतिशत की दर पर बर्थशुल्क प्रभार बांटने के लिए अनुनय कर रहा है। उसने यह भी उजागर किया कि व्यवस्था एक अंतरिम रूप में भी तथा इस व्यवस्था के लिए कोई पृथक अनुबंध करना आवश्यक नहीं था।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- आईसीटीपीएल ने टीएएमपी के अनुमोदन के बिना 130 प्रतिशत की दर पर बर्थ किराया वसूल करना जारी रखा है जोकि अनियमित है।
- पत्तन हेतु अन्तरिम व्यवस्था का आधार राजस्व तटस्थता था। पत्तन ने मूल्यांकन किया था कि राजस्व तटस्थता के लिए आईसीटीपीएल द्वारा

संग्रहीत राजस्व का 72 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य था जिसका लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन किया गया है।

- नौपरिवहन मंत्रालय के परामर्श पर कानूनी राय प्राप्त की गई थी। तथापि, पत्तन ने कानूनी परामर्श के कोई कार्रवाई नहीं की थी।

टीएएमपी के अनुमोदन के बिना आईसीटीपीएल को एसओआर के 130 प्रतिशत पर टैरिफ प्रभारित करने की अनुमति देने के निर्णय के कारण लाइसेंस को दो वर्षों की अवधि के लिए अनुचित लाभ हुआ। पत्तन भी अपने वित्तीय लाभ को सुरक्षित रखने तथा राजस्व तटस्थता प्राप्त करने में विफल रहा क्योंकि बर्थशुल्क निम्नतर दर (72 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत) पर बांटा जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप एमबीपीटी को 2015-17 के दौरान ₹ 17.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा नवम्बर 2017 में मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

19.3 नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार तथा सेवा प्रभारों के संशोधन में विफलता के कारण राजस्व की हानि

मुम्बई पत्तन न्यास 1990-92 से नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार तथा सेवा प्रभारों का संशोधन करने में विफल रहा जिससे पत्तन को राजस्व की हानि हुई। पत्तन द्वारा मई 2002 में प्रस्तावित संशोधित प्रभारों पर विचार करते हुए अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान यह हानि ₹ 15.10 करोड़ (लगभग) राशि की थी। पत्तन द्वारा इन प्रभारों को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तक यह हानि जारी रहेगी।

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए प्रभार/अर्थदण्ड की उगाही करता है। ये उदग्रहण एमबीपीटी सामान्य उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। ये तीन प्रभार अर्थात् पार्किंग प्रभार, नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार तथा सेवा प्रभार आवर्ती प्रकृति के हैं जिनका 1990-92 से जब से इनको नियत किया गया था, संशोधन नहीं किया गया है।

- (i) लेखापरीक्षा ने पाया कि नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार एमबीपीटी के तीन खंडों अर्थात् रेलवे, सम्पदा तथा ट्रेफिक प्रभागों में जून 1990 में नियत दरों पर उदग्रहीत किया जा रहा है। एमबीपीटी के रेलवे प्रभाग

के रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि पत्तन ने, अनाज डिपो तथा विक्टोरिया डॉक रेलवे स्टेशनों (35000 वर्ग मीटर भण्डारण क्षेत्र वाले) पर पहले 15 दिनों के लिए ₹ 1.50 प्रति वर्ग मीटर तथा उसके पश्चात् ₹ 2 प्रति वर्ग मीटर पर नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार वसूल किए थे। जून 1990 से इन प्रभार को संशोधित नहीं किया गया था। न्यासी बोर्ड ने, 12 वर्षों के लम्बे अंतराल के पश्चात् उप पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत पर प्रतिफल सहित राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित भूमि के बाजार मूल्य पर आधारित नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार संशोधित करने का निर्णय लिया (मई 2002)। तदनुसार, एमबीपीटी ने नौपरिवहन मंत्रालय (एमओएस) को पहले 15 दिनों के लिए ₹ 3.50 प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन तथा उसके पश्चात् ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर पर शैडों के नैमित्तिक व्यवसाय हेतु दरों का संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा (अगस्त 2002)। दीर्घकालिक पत्राचार के बाद एमओएस ने सूचित किया (जून 2010) कि प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम 1963 उपनियमों में संशोधन की अनुमति नहीं देता है तथा एमबीपीटी को वर्तमान उपनियमों को तत्काल नए विनियमों से बदलने के निर्देश दिए। तथापि पत्तन एमओके निर्देशों के पश्चात् सात वर्षों के बाद तक विनियमों को अंतिम रूप देने में विफल रहा (दिसम्बर 2017) तथा परिणामत नैमित्तिक व्यवसाय प्रभार जून 1990 में नियत दरों पर ही वसूल किए जाने जारी रहे।

- (ii) यह भी पाया गया था कि एमबीपीटी, पत्तन न्यास की सड़कों तथा मार्गों द्वारा घिरे हुए या सभी पत्तन न्यास की सेवा में लगे भूखंडों/ढाचों पर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर पर सेवा प्रभार उद्ग्रहीत करता है (जुलाई 1992)। यह प्रभार पत्तन न्यास की सड़कों, मार्गों, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य प्रदत्त सुविधाओं के अनुरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए उन व्यावासियों, जिनको भूखंड ढांचे पट्टे पर या किराए के आधार पर दिए गए हैं, से अभीष्ट थी। न्यासी बोर्ड ने, पत्तन द्वारा ऐसे क्षेत्र के अनुरक्षण पर किए गए औसतन वार्षिक व्यय के आधार पर ₹ एक प्रति व.मी. प्रति माह की दर पर सेवा प्रभार संशोधित करने का निर्णय लिया (मई 2002)। तदनुसार, एमबीपीटी ने सेवा प्रभारों के संशोधन का एक प्रस्ताव

नौपरिवहन मंत्रालय को भेजा (अगस्त 2002) तथा मंत्रालय ने वर्तमान उपनियमों को विनियमों के साथ बदलने के निर्देश दिए। विनियमों को अंतिम रूप देना लम्बित होने से सेवा प्रभारों का 1992 में नियत दरों पर प्रभारित किया जाना जारी रहा।

(iii) पार्किंग प्रभारों का संशोधन न होने के संबंध में वर्ष 2017 के सीएजी के प्रतिवेदन सं.12 के पैरा 19.1 में टिप्पणी की गई थी।

एमबीपीटी द्वारा अगस्त 2002 में संशोधन हेतु प्रस्तावित पहले 15 दिनों के लिए ₹ 3.50 प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम दर पर विचार करते हुए नैमित्तिक व्यवसाय प्रभारों का संशोधन न होने के कारण पत्तन को राजस्व हानि अप्रैल 2012 से मार्च 2017⁴ की अवधि के लिए अकेले रेलवे प्रभाग के लिए ₹ 8.19 करोड़ परिकलित की गई। सम्पदा तथा ट्रैफिक प्रभागों के संबंध में ब्यौरों के अभाव में राजस्व की हानि का कुल प्रभाव लेखापरीक्षा में परिकलित नहीं किया जा सका। पत्तन ने भी अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान सेवा प्रभारों का संशोधन न होने के कारण ₹ 6.91 करोड़ (लगभग) की सीमा तक राजस्व की हानि उठाई।

इतनी लम्बी अवधि के लिए इन प्रभारों का संशोधन न होने के लिए कोई टिप्पणियां प्रस्तावित न करते हुए एमबीपीटी ने बताया (अगस्त 2017) कि सामान्य उप नियमों के संशोधन हेतु प्रस्ताव के मामले को उठाया गया है। एमबीपीटी ने यह भी बताया कि नैमित्तिक व्यवसाय प्रभारों के दरें विभिन्न पत्तनों की तुलना में अधिक अथवा कम थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमबीपीटी ने इन प्रभारों के संशोधन हेतु स्वयं ही प्रस्तावित किया था (मई 2002)। इसके अतिरिक्त, एमबीपीटी द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों की भौगोलिक अवस्थापना तथा स्थानों की लागतों में अंतर होने के कारण अन्य प्रमुख पत्तनों द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों से तुलना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, वर्तमान उपनियमों को तत्काल नए विनियमों के साथ तत्काल बदलने के लिए एमओएस के निर्देश (जून 2010) के बावजूद सात वर्ष बीत जाने के बाद तक एमबीपीटी ने, उपनियमों को विनियमों के साथ नहीं बदला था।

⁴ मंत्रालय के निर्देशों के बाद पत्तन को नए विनियमों को लाने के लिए लगभग दो वर्षों (जून 2010 से मार्च 2012) की यथोचित अवधि अनुमत करते हुए।

इस प्रकार, रेलवे प्रभाग में नैमित्तिक व्यवसाय प्रभागों तथा सेवा प्रभागों को संशोधित करने में पत्तन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.10 करोड़ (लगभग) (अप्रैल 2012 से मार्च 2017) के राजस्व की हानि हुई। राजस्व की हानि उपनियमों को नए विनियमों में बदलने तक जारी रहेगी।

पैरा मंत्रालय को सितम्बर 2017 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

वी.ओ. चिदाम्बरानार पत्तन न्यास

19.4 लो पावर फैक्टर के लिए क्षतिपूर्ति प्रभागों का परिहार्य भुगतान

निर्धारित पावर फैक्टर का अनुरक्षण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ राशि के क्षतिपूर्ति प्रभागों का परिहार्य भुगतान हुआ।

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) (मार्च 2012) अनुबद्ध करता है कि उच्च दाब (एचटी) सेवा कनेक्शन के संबंध में उपभोक्ता प्रतिष्ठापनों की औसत पावर फैक्टर⁵ (एपीएफ) 0.90 से कम नहीं होगी। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 की अनुबंध सीमा से कम होती है तो क्षतिपूर्ति प्रभाग उद्ग्रहीत किया जाएगा। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) में भी अनुबद्ध है कि यह उपभोक्ता के लिए उसके विद्युत भार में पर्याप्त प्रतिक्रियाशील पावर उत्पन्न करने हेतु बाध्यकर होगा जिससे नेटवर्क में निर्धारित पावर फैक्टर (पीएफ) का अनुरक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु विद्युत वितरण कोड (टीएनईडीसी) 2008 के विनियम 13(3) में व्यवस्था है कि उपभोक्ता की ओर से उनके जुड़े हुए भार के पावर फैक्टर को अपेक्षित स्तर तक लाना अनिवार्य होगा।

वी.ओ. चिन्दांम्बरानार पत्तन न्यास (पत्तन) 3500 केवीए प्रति माह की अधिकतम मांग से मुथाइपुरम, तूतीकोरिन के निकट 230/110 केवी ऑटो सबस्टेशन से 22 केवी उच्च दाब (एचटी) विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहा था।

⁵ पावर फैक्टर का अभिप्राय प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात है। स्पष्ट पावर (किलो वोल्ट एम्पेयर में मापी जाती है) वास्तविक पावर तथा प्रतिक्रियाशील पावर का विक्टोरियल संकलन है। वास्तविक पावर (किलो वाट्स में मापा जाता है) वह पावर है जो उपकरण को वास्तव में विद्युत देता है तथा लाभकारी कार्य निष्पादन करता है। प्रतिक्रियाशील पावर वह पावर है जिसकी चुम्बकीय उपकरण के लिए चुम्बकीय प्रवाह का उत्पादन करने की आवश्यकता है।

चूँकि पत्तन 0.90 के निर्धारित पीएफ स्तर का अनुरक्षण नहीं कर रहा था, तमिलनाडु उत्पादन तथा वितरण निगम लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने नवम्बर 2012 से क्षतिपूर्ति प्रभारों की उगाही करना प्रारंभ कर दिया। क्षतिपूर्ति प्रभारों से बचने के लिए पत्तन ने मै. एज टैक्नोलोजी हैदराबाद के माध्यम से हारमोनिक विश्लेषण जांच (2013) करवायी जिसने तटस्थ क्षतिपूर्ति सहित सक्रिय हारमोनिक फिल्टर प्रतिष्ठापित करने तथा प्रमुख पीएफ⁶ से बचने की सिफारिश की। एचटी बिलों तथा हारमोनिक विश्लेषण जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर पत्तन ने निर्णय लिया (फरवरी 2014) कि चूँकि सभी उपकेन्द्रों में क्षतिपूरक उपकरण का प्रतिष्ठापित मंहगा पड़ेगा, प्रमुख भार केन्द्रों में हारमोनिक क्षतिपूरक उपकरण प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। तदनुसार, पत्तन ने सात स्थानों पर सात प्रतिशत घटाए गए हारमोनिक्स फिल्टर सहित ऑटोमैटिक पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) पैनल ₹ 20.35 लाख की लागत पर प्रतिष्ठापित किए (दिसम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2015 में एपीएफसी पैनल प्रतिष्ठापित होने के बाद तक जनवरी 2016 से जुलाई 2017 के दौरान पीएफ में प्रत्याशानुसार सुधार नहीं हुआ जो 0.76 तथा 0.88 के बीच था। पत्तन ने प्रतिष्ठापित उपकरण का निष्पादन मूल्यांकन नहीं कराया था तथा ऐसे अन्य स्थानों की भी पहचान नहीं की थी जहाँ एपीएफसी पैनल प्रतिष्ठापित किए जाने अपेक्षित थे तथा अतः पावर फैक्टर को सुधारने के लिए और उपचारी उपाय करने में विफल रहा। परिणामतः उसे पूर्वोक्त अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति प्रभारों के रूप में ₹ 1.46 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा (जनवरी 2016 से जुलाई 2017)।

पत्तन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2017) कि (ए) पीएफ कम करने हेतु नॉन लाइनर भार जैसे निजी कम्प्यूटर सीएफएल, यूपीएस तथा प्रेरक भार जैसे जल छिडकाव प्रणाली में उच्च भार (प्रेरक आदि कुछ मुख्य कारण थे क्योंकि पीएफ का स्तर भार के प्रकार पर निर्भर करता है, (बी) व्यवहार्य भार के कारण पीएफ भिन्न भिन्न था क्योंकि क्रेनों/उपकरण का पत्तन/सार्वजनिक निजी साझेदारी परिचालकों द्वारा प्रत्येक समय पर निरन्तर भार में उपयोग

⁶ जब करंट वोल्टेज (करंट के पीछे वोल्टेज की लम्बाई) की ओर जाता है, तो पावर फैक्टर को 'लीडिंग' कहा जाता है। एक लीडिंग पावर फैक्टर यह दिखाता है कि भार कैपिसिटिव है क्योंकि भार प्रतिक्रियात्मक पावर आपूर्त करता है।

नहीं किया जा सका, (सी) पत्तन ने सात स्थानों पर पीएफ सुधारने के लिए एपीएफसी पैनल प्रतिष्ठापित किए तथा सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं को एपीएफसी पैनलों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बाध्य किया गया था तथा इसका अनुपालन न करने पर उन पर जुर्माना लगाया गया था, (डी) जब पीएफ का 0.90 स्तर पर अनुरक्षण किया जाता है तो उपभोग की गई बिजली की इकाइयों में वृद्धि होगी तथा (ई) उसने पत्तन फीडरों में पीएफ सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए थे तथा एपीएफसी पैनलों के प्रतिष्ठापन के आधार पर आगामी महीनों में पीएफ में सुधार आएगा।

पत्तन के उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति विचार किए जाने की आवश्यकता है (i) 0.9 स्तर पर पीएफ का अनुरक्षण एक सांविधिक आवश्यकता थी, (ii) यद्यपि पत्तन ने हारमोनिक विश्लेषण परीक्षण तथा पीएफ अध्ययन कराया तथा एपीएफसी पैनलों के प्रतिष्ठापन हेतु ₹ 20.35 लाख का व्यय किया था तथापि पीएफ में कोई सुधार नहीं हुआ था। पत्तन ने, न तो प्रतिष्ठापित एपीएफसी पैनलों के कार्यनिष्पादन को मापा और न ही और अधिक एपीएफसी पैनलों के प्रतिष्ठापन हेतु अन्य स्थानों की पहचान की, (iii) पत्तन ने ऊर्जा का पुनः परीक्षण नहीं कराया जिससे उपचारी उपायों को सुगम बनाया जा सके, (iv) यह अनुमान है कि यदि पीएफ को 0.90 के निर्धारित स्तर पर बनाए रखा जाता तो विद्युत इकाइयों के उपभोग में वृद्धि होगी, अनुमानित रीडिंग/गणितीय रूप से व्युत्पन्न इकाइयों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति प्रभार सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन न करने के लिए सजा के तौर पर उद्ग्रहीत एक अर्थदण्ड था जबकि विद्युत उपभोग प्रभार उन इकाइयों जो वास्तव में उपभोग की गई, पर उद्ग्रह्य है।

इस प्रकार पत्तन की 0.9 स्तर पर पीएफ के अनुरक्षण की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ राशि के परिहार्य क्षतिपूर्ति प्रभारों का भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2017) कि पत्तन को अब, पत्तन उपयोगकर्ताओं के बीच भार संवितरण का अनुरक्षण करने के लिए 10 किमी के आसपास के संवितरण क्षेत्रों में ऊर्जा मॉनीटरिंग उपकरण प्रतिष्ठापित करने का कार्य आदेश सौंपा गया है।

0.90 के पीएफ निर्धारित स्तर में इन उपकरणों की कार्य निष्पादन की भावी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी।

अध्याय XX : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता

20.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा अनुबंध मांग के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत प्रभार के प्रति भुगतान के कारण ₹ 53.96 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत कनेक्शन पाने को इच्छुक संस्थान को वितरण लाइसेंसधारक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ भार का अनुमान के आधार के साथ भार की आवश्यकता भी शामिल है। वितरण लाइसेंसधारक के इंजीनियरों की साइट पर विजिट के आधार पर, अनुबंध की मांग को स्वीकृति दी जाती है तथा संस्थानों को निर्धारित अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है तथा संस्थान और वितरण लाइसेंसधारक के बीच समझौता किया जाता है। वास्तविक खपत/अनुमानों के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार अनुबंध की मांग को बदल सकता है। अनुबंध मांग में कमी के लिए, उपभोक्ता को प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन तथा स्वीकृत मांग में कमी के लिए विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता (आईएसआई) के पास विद्युत आपूर्ति के लिए कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीईएससी) के साथ 650 के डब्ल्यू की एक अनुबंध मांग थी। समझौते के अनुसार, मांग प्रभार एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर या अनुबंध की मांग का 85 प्रतिशत, जो समय-समय पर लागू वास्तविक उपभोग के प्रभारों के साथ उच्चतर दर पर है, पर लगाया जाता है।

विद्युत भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी 2013 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान अनुबंध की मांग की तुलना में बिजली की खपत की अधिकतम मांग निरंतर 73 प्रतिशत से घटकर 97 प्रतिशत तक हो

गई है। अप्रैल 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आईएसआई ने अनुबंध मांग 350 के डब्ल्यू कम कर दिया (जून 2016)। यद्यपि, जून 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान, अनुबंध मांग की तुलना में अधिकतम मांग 59 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक कम थी। जनवरी 2014 में 200 के डब्ल्यू अनुबंध मांग का निर्धारण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.96 लाख (₹ 46.84 लाख की बिलिंग मांग तथा ऊर्जा खपत की कमी पर ₹ 7.12 लाख भार फैक्टर अधिभार) का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2017 में सूचित किया गया था उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XXI : पर्यटन मंत्रालय

डा. अम्बेडकर होटल प्रबंध खान-पान व्यवस्था एवं पौषाहार संस्थान

21.1 विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान

विभागीय प्रभारों हेतु सीपीडब्ल्यूडी दर के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 61.46 लाख के अधिक भुगतान हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक की धारा 12.1 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य तथा उन स्वायत्त निकायों के जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, हेतु किसी विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं किया जाता है। अन्य निर्माण कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तक में निर्धारित विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण¹ किया जाता है।

डा.अम्बेडकर होटल प्रबंधन खान-पान व्यवस्था एवं पौषाहार संस्थान (संस्थान) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान पूंजीगत निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करता है जबकि दिन प्रतिदिन के व्ययों को इसके स्वयं के संसाधनों द्वारा पूरा किया जाता है। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित विभागीय प्रभारों का संस्थान द्वारा लिए गए निर्माण कार्य पर उद्ग्रहण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान ने ₹ 9.91 करोड़ पर एक अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की (जनवरी 2010)। लागत अनुमान की संवीक्षा से पता चला कि इस कार्य के कार्यकारी अभिकरण अर्थात् अभियांत्रिकी विभाग, यूटी चण्डीगढ़ ने सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तक में अनुमानित सात प्रतिशत के प्रति 14.30 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार लगाए थे। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 61.46 लाख² के विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।


¹ ₹ 200 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु अनुमानित लागत के 12 प्रतिशत, ₹ 200 लाख तथा ₹ 500 लाख के बीच की लागत के निर्माण कार्यों हेतु आठ प्रतिशत तथा ₹ 500 लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों हेतु सात प्रतिशत पर विभागीय प्रभार।

² अनुमानित लागत: ₹ 841.89 लाख (बी) 14.30 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार: ₹ 120.39 लाख (सी) 7 प्रतिशत पर विभागीय प्रभार: ₹ 58.93 लाख (डी) अधिक भुगतान: ₹ 120.39 लाख-₹ 58.93 लाख = ₹ 61.46 लाख।

संस्थान ने बताया (अप्रैल 2017) कि मामले को अभियांत्रिकी विभाग यूटी चण्डीगढ़ के साथ उठाया गया है।


मामला मंत्रालय को मई 2017 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।


नई दिल्ली
दिनांक: 23 फरवरी 2018


(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय


प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 मार्च 2018


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुबंध



अनुबंध - I

(पैराग्राफ सं. 2.3.1.2 (i) के संदर्भ में)

वित्तीय और भौतिक परिव्यय की तुलना में परिणाम- एनआरडीडब्ल्यूपी

वर्ष	बजट और व्यय (₹ करोड़ में)			लक्ष्य (संख्या में)		उपलब्धि (संख्या में)
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	मूल	संशोधित	वर्ष के लिए
2013-14	11,000.00	9,700.00	9,697.27	97,000	97,000	1,53,423
2014-15	11,000.00	9,250.00	9,242.76	95,000	95,000	1,36,117
2015-16	2,611.00	4,373.00	4,369.55	26,400	56,941	8,841
2016-17	5,000.00	6,000.00	5,982.16	62,000	62,000	34,897

अनुबंध - II

(पैराग्राफ सं. 2.3.1.2 (ii) के संदर्भ में)

वित्तीय और भौतिक परिव्यय की तुलना में परिणाम - एसबीएम (जी)

वर्ष	बजट और व्यय (₹ करोड़ में)			श्रेणी	लक्ष्य (संख्या में)		उपलब्धि (संख्या में) वर्ष के लिए
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय		मूल	संशोधित	
2013-14	4,098.00	2,299.00	2,250.32	आईएचएचएल ¹	लागू नहीं	60,00,000	49,62,000
				एसटीबी ²	लागू नहीं	70,000	37,645
2014-15	4,260.00	2,850.00	2,840.99	आईएचएचएल	50,00,000	50,00,000	58,84,000
				एसटीबी	30,000	30,000	25,267
2015-16	2,625.00	6,525.00	6,524.52	आईएचएचएल	50,00,000	50,00,000	1,26,64,000
				सीएससी ³	1,500	1,500	1,899
2016-17	9,000.00	10,500.00	10,509.03	आईएचएचएल	1,50,00,000	1,50,00,000	2,19,57,000
				सीएससी	1,500	1,500	2,911

¹ आईएचएचएल - व्यक्तिगत घरेलू शौचालय।

² स्कूल शौचालय ब्लॉक।

³ सामुदायिक स्वच्छता परिसर।

अनुबंध - III

(पैराग्राफ सं. 6.1.2.2 के संदर्भ में)

वित्तपोषित परियोजनाओं पर आईसीएच योजना के अंतर्गत अनुदान का उपयोग

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	एमओसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या और पहली किस्त की राशि		परियोजनाओं की संख्या और दूसरी किस्त की राशि		पूर्ण किए गए परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई राशि	
2013-14	234	75	1,01,85,000	75	50,92,500	56	19,66,250	35	13,43,750
2014-15	234	135	2,87,25,000	135	1,45,12,500#	45	21,42,500	शून्य	शून्य
2015-16	278	114	2,36,10,000	114	1,18,05,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	746	324	6,25,20,000	324	3,14,10,000	101	41,08,750	35	13,43,750
कुल जारी की गई राशि								3,68,62,500	

दो मामलों में 100 प्रतिशत स्वीकृत राशि पहले किस्त में ही जारी की गई थी।

अनुबंध - IV
(पैराग्राफ सं 8.1.3.2 के संदर्भ में)
कार्यान्वयन की माँड्यूल-वार स्थिति

पहले/प्रचलित प्रतिस्थापित जाये/प्रणाली को किया जाये	माँड्यूल को किया विकसित	माँड्यूल की विशेषताएं / कार्य	समाकलन के लिए समयरेखा	पीएफएमएस में कार्यक्षमता की वर्तमान स्थिति
कॉम्पैक्ट		पूर्व की जांच के लिए डीडीओ से प्राप्त बिलों के आधार पर आंकड़ा प्रविष्टि का निम्नतम स्तर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित बिल, नागरिक लेखा पुस्तिका का पालन।	2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
कॉम्पैक्ट - आरएएमएस		पूर्व की जांच के लिए डीडीओ से प्राप्त बिलों के आधार पर आंकड़ा प्रविष्टि का निम्नतम स्तर, प्रत्यक्ष करों के राजस्व लेखा प्रबंधन प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित बिल।	2015-16	कार्य शुरू नहीं किया गया
सीएफएमएस		अप्रत्यक्ष करों के लिए चालान फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली।	2015-16	कार्य शुरू नहीं किया गया
कॉम्पैक्ट -आरईवीएसीटी		पूर्व की जांच के लिए डीडीओ से प्राप्त बिलों के आधार पर आंकड़ा प्रविष्टि का निम्नतम स्तर, अप्रत्यक्ष करों के राजस्व लेखा प्रबंधन प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित बिल।	2015-16	कार्य शुरू नहीं किया गया
ई-लेखा		पीएओ द्वारा अपडेट किए गए कॉम्पैक्ट से समेकित डेटा, निर्णय समर्थन के लिए वैधानिक और साथ ही अन्य एमआईएस रिपोर्ट तैयार करना।	2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
सीओएमपीडीडीओ			2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
सीडीडीओ-2			2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
पीएओ		वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए सॉफ्टवेयर	2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
ईडीडीजी		अनुदान के मांग के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज	2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
ओसीईएनएस			2015-16	पीएफएमएस में कार्यक्षमता बनाई गई है

पहले/प्रचलित प्रतिस्थापित जाये/प्रणाली को विकसित किया जाये	माँड्यूल को विकसित किया	माँड्यूल की विशेषताएं / कार्य	समाकलन के लिए समयरेखा	पीएफएमएस में कार्यक्षमता की वर्तमान स्थिति
जीईपीजी		पीएओ द्वारा भुगतान के लिए ई-पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया गया।	2015-16	पीएफएमएस में कार्यक्षमता बनाई गई है
राज्य ऋण पैकेज			2015-16	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
रूपया ऋण पैकेज			2015-16	कार्य शुरू नहीं किया गया
आरएएमएस		प्रत्यक्ष करों के लिए राजस्व लेखा प्रबंधन प्रणाली	मार्च 2015	कार्य शुरू नहीं किया गया
आरईभीएसीटी		अप्रत्यक्ष करों के लिए राजस्व लेखा सॉफ्टवेयर	मार्च 2015	कार्य शुरू नहीं किया गया
गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी)			2014-15	पीएफएमएस में कार्यक्षमता बनाई गई है
कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)			जून 2016	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
पेंशन लेखा प्रणाली			2014-15	कार्य शुरू नहीं किया गया
आंकड़ों का आदान प्रदान के सामान्य स्वरूप का विकास करना और गैर-सिविल मंत्रालयों के एकीकरण के लिए नवाचार			मार्च 2015	आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है
जीईएम के साथ एकीकरण (सरकारी ई-बाजार स्थल)				आंशिक कार्यक्षमता का निर्माण किया गया है

अनुबंध -V

(पैराग्राफ सं 10.2 के संदर्भ में)

एलटीसी के अंतर्गत दावा किए गए हवाई किराए का विवरण

(₹ राशि में)

दिल्ली पुलिस डिवीजन का नाम	गो-एयर लाइनों के माध्यम से जांच की गई मामलों की संख्या	कुल अमान्य राशि
डीसीपी (प्रचालन और संचार)	145	1,04,46,940
डीसीपी (सुरक्षा)	160	96,57,214
डीसीपी (पश्चिम)	103	38,95,289
डीसीपी (केंद्रीय)	27	15,98,025
कुल	435	2,55,97,468

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ सं. 12.3.1 के संदर्भ में)

साइट दौरा के लिए चयनित नमूना परियोजनाओं और परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	अनुमोदन का वर्ष	कॉलेज	स्वीकृत अनुदान (₹)	अनुदान संवितरण (₹)	श्रेणी	साइट दौरा के लिए चुना गया है या नहीं
1.	2006-07	भट्टेर कॉलेज, दंतन, पश्चिम बंगाल	60,00,000	60,00,000	पूरा कर लिया गया	
2.	2006-07	ईया सरदा शशि भूषण कॉलेज, पश्चिम बंगाल	67,39,943	67,39,943	पूरा कर लिया गया	
3.	2013-14	महादेव सिंह महाविद्यालय, बिहार	80,00,000	80,00,000	पूरा कर लिया गया	
4.	2009-10	मुगिरिया गंगाधर महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल	70,00,000	70,00,000	पूरा कर लिया गया	
5.	2006-07	स्कॉटिश चर्च कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,99,97,400	1,99,97,400	पूरा कर लिया गया	हाँ
6.	2006-07	तारकेश्वर डिग्री कॉलेज, पश्चिम बंगाल	90,20,492	90,20,492	पूरा कर लिया गया	हाँ
7.	2006-07	बांकी कॉलेज, ओडिशा	88,63,000	88,63,000	पूरा कर लिया गया	हाँ
8.	2006-07	शैलेंद्र नारायण कॉलेज, ओडिशा	70,00,000	70,00,000	पूरा कर लिया गया	हाँ
9.	2009-10	मृणालिनी दत्ता महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल	65,00,000	65,00,000	पूरा कर लिया गया	
10.	2006-07	नयागढ़ कॉलेज, ओडिशा	70,00,000	70,00,000	पूरा कर लिया गया	
11.	2011-12	आर.के. साहा महिला कॉलेज, बिहार	80,00,000	80,00,000	पूरा कर लिया गया	
12.	2006-07	सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	2,00,00,000	2,00,00,000	पूरा कर लिया गया	हाँ
13.	2011-12	ठाकुर ब्रमदेव सिन्हा जनता कॉलेज, बिहार	80,00,000	80,00,000	पूरा कर लिया गया	
14.	2006-07	इस्पात कॉलेज, ओडिशा	79,91,250	79,91,250	पूरा कर लिया गया	

2018 की प्रतिवेदन सं. 4


15.	2006-07	निस्तराणी कॉलेज, पश्चिम बंगाल	74,71,530	70,79,691	पूरा कर लिया गया	
16.	2009-10	श्यामपुर सिद्धेश्वरी महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल	70,00,000	70,00,000	पूरा कर लिया गया	
17.	2013-14	अंचालिका डिग्री महाविद्यालय, पुरानाबाड़ीपाद, ओडिशा	60,00,000	60,00,000	पूरा कर लिया गया	
18.	2006-07	गंगाधर महापात्रा लॉ कॉलेज, ओडिशा	70,00,000	70,00,000	पूरा कर लिया गया	
19.	2006-07	आनंदपुर कॉलेज, ओडिशा	67,14,900	67,14,900	पूरा कर लिया गया	
20.	2006-07	गोपाबंधु चौधरी कॉलेज, ओडिशा	77,87,000	77,87,000	पूरा कर लिया गया	
21.	2014-15	भाप्टर कॉलेज, दंतन, पश्चिम बंगाल	80,00,000	40,00,000	नया	
22.	2014-15	गुरुसहाय देवसरन मेमोरियल कॉलेज, बिहार	80,00,000	72,00,000	नया	हाँ
23.	2014-15	के.एस.टी. कॉलेज, बिहार	80,00,000	80,00,000	नया (पूरा कर लिया गया)	हाँ
24.	2014-15	पन्नू लाल सिंह कॉलेज, बिहार	80,00,000	72,00,000	नया	हाँ
25.	2014-15	बारिपदा कॉलेज, ओडिशा	60,00,000	54,00,000	नया	हाँ
26.	2014-15	आर.डी.एस. डिग्री महाविद्यालय, कुंडबाई, ओडिशा	40,00,000	40,00,000	नया (पूरा कर लिया गया)	हाँ
27.	2014-15	गोविंदपुर कॉलेज, ओडिशा	80,00,000	40,00,000	नया	
28.	2014-15	नयागढ़ कॉलेज, ओडिशा	80,00,000	40,00,000	नया	
29.	2014-15	शुकदेव महतो जनता महाविद्यालय, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
30.	2014-15	फुल देवी कुशेश्वर झा कॉलेज, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
31.	2014-15	राधा शांता महाविद्यालय, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	

32.	2014-15	आदित्य नारायण कॉलेज, झारखंड	80,00,000	40,00,000	नया	
33.	2014-15	गौतम बुद्ध महिला कॉलेज, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
34.	2014-15	गिरीश नारायण मिश्र कॉलेज, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
35.	2014-15	इंदिरा गांधी महिला कॉलेज, ओडिशा	80,00,000	72,00,000	नया	
36.	2014-15	महिषादल गर्ल्स कॉलेज, पश्चिम बंगाल	80,00,000	40,00,000	नया	
37.	2014-15	गोपाबंधु चौधरी कॉलेज, ओडिशा	80,00,000	40,00,000	नया	
38.	2014-15	कृषक कॉलेज, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
39.	2014-15	महाबोधी महाविद्यालय, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
40.	2014-15	शाहिद जगदेव स्मारक महाविद्यालय, बिहार	80,00,000	40,00,000	नया	
41.	2009-10	अषुतोश कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,20,00,000	1,08,00,000	जारी प्रक्रिया	
42.	2006-07	देवघर कॉलेज, झारखंड	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	हाँ
43.	2006-07	श्री अरविंद महिला कॉलेज, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	हाँ
44.	2006-07	ब्राह्मणंद केशव चंद्र कॉलेज, पश्चिम बंगाल	2,00,00,000	1,80,00,000	जारी प्रक्रिया	हाँ
45.	2006-07	लड़कियों के लिए देशबंधु कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,60,00,000	1,44,00,000	जारी प्रक्रिया	हाँ
46.	2006-07	लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,91,40,690	1,72,27,222	जारी प्रक्रिया	हाँ
47.	2006-07	लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, झारखंड	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
48.	2006-07	रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
49.	2006-07	संथाल परगना महिला महाविद्यालय, झारखंड	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
50.	2006-07	तेज नारायण बनैली कॉलेज, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

51.	2006-07	बालमिकी राजनीति महिला महाविद्यालय, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
52.	2006-07	रामलखन सिंह यादव कॉलेज, बख्तियारपुर, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
53.	2006-07	केंद्रपाड़ा कॉलेज, ओडिशा	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
54.	2006-07	बांकुरा क्रिश्चियन कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
55.	2006-07	बांकुरा संमिलानी कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
56.	2006-07	बिधान चंद्र कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
57.	2006-07	बिजय कृष्ण गर्ल्स कॉलेज, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
58.	2006-07	घाटल रबिन्द्रा सतबरसिकी महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
59.	2006-07	महाराणा प्रताप कॉलेज, बिहार	1,00,00,000	90,00,000	जारी प्रक्रिया	
60.	2006-07	नेताजी नगर महिला कॉलेज, पश्चिम बंगाल	1,25,14,451	1,12,63,007	जारी प्रक्रिया	
कुल			55,57,40,656	47,33,83,905		

परिशिष्ट



परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
		यूसी की संख्या	राशि
कृषि (i) कृषि सहकारिता	मार्च 2010 तक	33	12,726.56
	2010-2015	491	1,55,929.94
	2015-2016	337	1,21,615.96
	कुल	861	2,90,272.46
कृषि (ii) पशुपालन और डेयरी	मार्च 2010 तक	02	155.33
	2010-2015	137	13,277.77
	2015-2016	95	37,962.21
	कुल	234	5,13,95.31
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए)	मार्च 2010 तक	34	4,220.78
	2010-2015	419	2,59,132.96
	2015-2016	137	1,49,154.20
	कुल	590	4,12,507.94
शहरी विकास	मार्च 2010 तक	41	2,723.99
	2010-2015	94	1,54,112.86
	2015-2016	287	5,10,818.19
	कुल	422	6,67,655.04
संस्कृति	मार्च 2010 तक	2,342	18,156.40
	2010-2015	1,169	22,329.73
	2015-2016	59	4,155.57
	कुल	3570	44,641.70
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	मार्च 2010 तक	41	10,128.91
	2010-2015	85	16,784.03
	2015-2016	140	47,666.70
	कुल	266	74,579.64

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
निगमित मामले	मार्च 2010 तक	05	1.38
	2010-2015	03	0.53
	2015-2016	01	350.00
	कुल	09	351.91
नौ-परिवहन	मार्च 2010 तक	01	10.00
	2010-2015	02	39.24
	2015-2016	22	8,808.76
	कुल	25	8,858.00
श्रम और रोजगार	मार्च 2010 तक	344	2,243.96
	2010-2015	272	5,689.84
	2015-2016	199	2,656.12
	कुल	815	10,589.92
फार्मास्यूटिकल्स	मार्च 2010 तक	05	1,659.80
	2010-2015	16	1,061.40
	2015-2016	45	12,485.08
	कुल	66	15,206.28
खान	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	03	50.85
	2015-2016	22	605.54
	कुल	25	656.39
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	मार्च 2010 तक	39	130.16
	2010-2015	186	3316.81
	2015-2016	144	14,979.50
	कुल	369	18,426.47
पर्यटन	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	140	19,998.40
	2015-2016	26	5,323.53
	कुल	166	25,321.93
वाणिज्य	मार्च 2010 तक	05	760.40
	2010-2015	09	6,312.04
	2015-2016	10	3,999.80
	कुल	24	11072.24

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
उपभोक्ता मामले	मार्च 2010 तक	36	35.25
	2010-2015	21	576.29
	2015-2016	28	1,422.36
	कुल	85	2,033.90
खाद्य और सार्वजनिक वितरण	मार्च 2010 तक	03	1,129.00
	2010-2015	11	1,491.21
	2015-2016	01	8.39
	कुल	15	2,628.60
रसायन और पेट्रोकेमिकल्स	मार्च 2010 तक	02	4.00
	2010-2015	06	805.00
	2015-2016	07	263.00
	कुल	15	1,072.00
सार्वजनिक उद्यम	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	22	146.18
	2015-2016	45	434.53
	कुल	67	580.71
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	मार्च 2010 तक	08	10.51
	2010-2015	22	178.71
	2015-2016	17	94.75
	कुल	47	283.97
कौशल विकास और उद्यमिता, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	-	-
	2015-2016	01	52
	कुल	01	52.00
कौशल विकास और उद्यमिता, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	-	-
	2015-2016	02	97,500
	कुल	02	97,500.00
कानून (विधायी विभाग)	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	05	2.50
	2015-2016	03	2.10
	कुल	08	4.60

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
इस्पात	मार्च 2010 तक	-	-
	2010-2015	01	288.00
	2015-2016	04	503.95
	कुल	05	791.95
कपड़ा	मार्च 2010 तक	1,047	4,884.74
	2010-2015	2,333	1,32,682.35
	2015-2016	1,737	1,66,136.15
	कुल	5,117	3,03,703.24
सड़क परिवहन और राजमार्ग	मार्च 2010 तक	23	11.72
	2010-2015	शून्य	शून्य
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	23	11.72
भारी उद्योग	मार्च 2010 तक	01	20.00
	2010-2015	04	18,539.65
	2015-2016	18	11,675.18
	कुल	23	30,234.83
विद्युत	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	शून्य	शून्य
	2015-2016	25	50,0979.00
	कुल	25	50,0979.00
दूरसंचार, आईटीआई लिमिटेड	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	02	2,1943.20
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	02	21,943.20

मंत्रालय / विभाग	अवधि जो अनुदान संबंधित है (मार्च 2016 तक)	16 मार्च तक जारी अनुदान जो 31 मार्च 2017 को बकाया थे के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
ग्रामीण विकास	मार्च 2010 तक	37	1,48,036.00
	2010-2015	71	7,83,605.24
	2015-2016	30	3,780.27
	कुल	138	9,35,421.51
नीति आयोग	मार्च 2010 तक	शून्य	शून्य
	2010-2015	13	124.35
	2015-2016	शून्य	शून्य
	कुल	13	124.35
कुल योग		13,028	35,28,900.81

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

उन निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीने से अधिक के विलम्ब के पश्चात् लेखे प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में विलम्ब
1.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	02.12.2016	5
2.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली	26.10.2016	3
3.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद	03.10.2016	3
4.	दक्षिण जोन सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर	04.10.2016	3
5.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	02.11.2016	4
6.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	01.12.2016	5
7.	केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद	28.10.2016	3
8.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे	11.11.2016	4
9.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता	07.10.2016	3
10.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	11.11.2016	4
11.	लक्षद्वीप बिल्डिंग देव बोर्ड, कवारात्ती	13.10.2016	3
12.	प्राैक्टिकल ट्रेनिंग बोर्ड, कोलकाता	15.12.2016	5
13.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा	05.10.2016	3
14.	केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय, सोनवर	31.10.2016	3
15.	सभ्यता अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली	24.10.2016	3
16.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर	20.12.2016	5
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	05.10.2016	3
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	24.10.2016	3
19.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यालय, वर्धा	13.10.2016	3
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्फाल	11.11.2016	4
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	24.10.2016	3

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	महीनों में विलम्ब
22.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम	21.11.2016	4
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर	07.12.2016	5
24.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम	07.10.2016	3
25.	भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति	13.10.2016	3
26.	शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली	14.10.2016	3
27.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	11.11.2016	4
28.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	02.11.2016	4
29.	मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता	30.01.2017	6
30.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली	03.03.2017	8
31.	नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली	30.01.2017	6
32.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी	01.04.2017	9
33.	सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर	06.01.2017	6
34.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	06.03.2017	8
35.	खाद्य सुरक्षा और भारत के मानक प्राधिकरण	08.02.2017	7
36.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	08.03.2017	8

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए लेखापरीक्षित लेखे 30 नवंबर 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
वर्ष 2013-14 के लिए	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
वर्ष 2014-15 के लिए	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
2.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
वर्ष 2015-16 के लिए	
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
3.	तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण, चेन्नई
4.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
5.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर
6.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	
7.	हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, दिल्ली
कोयला मंत्रालय	
8.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
9.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
संस्कृति मंत्रालय	
11.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, दिल्ली
12.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय धर्मशाला

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
13.	मौलाना अब्दुल कमल आजाद उच्च अध्ययन संस्थान
14.	नव नालंदा महावीर, नालंदा
15.	नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
16.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
विदेश मंत्रालय	
17.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
18.	नालंदा विश्वविद्यालय
वित्त मंत्रालय	
19.	पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण, दिल्ली
गृह मंत्रालय	
20.	लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
21.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
22.	प्रायोगिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
23.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
24.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम
25.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
26.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
30.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
31.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
32.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
34.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
कानून और न्याय मंत्रालय	
35.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
36.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
37.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, दिल्ली
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
38.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
युवा मामले और खेल मंत्रालय	
39.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
40.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, दिल्ली
41.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, दिल्ली

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
आयुष मंत्रालय			
1.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2015-16	1
2.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	2015-16	1
3.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर	2015-16	1
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	2015-16	3
5.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली	2015-16	3
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	2015-16	3
संस्कृति मंत्रालय			
7.	पश्चिम जोन सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर	2015-16	1
8.	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	2015-16	1
9.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	2015-16	1
10.	खुदा बक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	2015-16	1
11.	राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2015-16	1
12.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	2015-16	1
13.	सालारजंग संग्रहालय मंडल, हैदराबाद	2015-16	3
14.	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, वाराणसी	2015-16	3
15.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति, दिल्ली	2015-16	3
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
16.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	2015-16	1
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	2015-16	1
18.	भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली	2015-16	3
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
19.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2014-15	7

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
20.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	2014-15	2
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	2014-15	2
22.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	2015-16	1
23.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2015-16	1
24.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	2015-16	1
25.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	2015-16	1
26.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान जबलपुर	2015-16	1
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
28.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2015-16	3
29.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
30.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर	2015-16	3
31.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी	2015-16	3
32.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान	2015-16	3
33.	संत लॉगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल	2015-16	3
34.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2015-16	3
35.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	2015-16	3
36.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	2015-16	3
37.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2015-16	3
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर	2015-16	3
39.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2015-16	3
40.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2015-16	3
41.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा	2015-16	3
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड, चुमुकेदीमा	2015-16	3
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी उत्तराखंड	2015-16	3

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर	2015-16	3
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग	2015-16	3
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल	2015-16	3
47.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2015-16	3
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी	2015-16	3
49.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2015-16	3
50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	2015-16	3
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2015-16	3
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर	2015-16	3
53.	राष्ट्रीय खान विद्यालय , धनबाद	2015-16	3
54.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	2015-16	3
55.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	2015-16	7
56.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2015-16	7
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	2015-16	7
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
58.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
59.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2015-16	3
विद्युत मंत्रालय			
60.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	2015-16	3
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
61.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद	2015-16	1
62.	पीपुल्स एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद, नई दिल्ली	2015-16	7
पोत परिवहन मंत्रालय			
63.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	2015-16	7

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षित लेखे का वर्ष	महिनों में विलम्ब
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
64.	राष्ट्रीय आत्म विमोह मस्तिष्क पक्षाघात मंदबुद्धि और बहु विकलांगता न्यास	2015-16	1
65.	भारत पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2015-16	3
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
66.	केंद्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी दिल्ली	2014-15	7

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के खातों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां

1. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), यूपिया, पापूम परे जिला, अरुणाचल प्रदेश पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर (अनुसूची-4क)-₹ 276.34 करोड़**

उपरोक्त में, ₹ 2.55 करोड़ के उप-सड़क, पुश्ते की दीवार और स्टील के पुल जिसका 2016-17 के दौरान निर्माण पूरा किया गया था और संस्थान को दे दिया गया था परंतु “चल रहे पूंजीगत कार्य” के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ की सीमा तक “चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य” को अधिक और “स्थायी संपत्तियों” को कम बताया गया था।

2. **राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलॉंग चालू परिसम्पत्तियां (अनुसूची-7):**

बचत, खातों में अनुसूचित बैंकों के पास बैंक शेष : ₹ 3.06 करोड़

उपरोक्त में, संस्थान द्वारा 31 दिसम्बर 2016 से पूर्व जारी बैंकों की कीमत के ₹ 18.05 करोड़ शामिल थी परंतु 31 मार्च 2017 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए थे, भी शामिल नहीं थे। चूंकि इन बैंकों की वैधता समाप्त हो चुकी थी, इन पुराने बैंकों के प्रति देयता सृजित की जानी है और रोकड़ पुस्तिका में उत्क्रम प्रविष्टि की जानी है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक में ₹ 18.05 करोड़ तक चालू देयताओं और चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया है।

3. **आईआईटी, भुवनेश्वर 2016-17**

स्थायी परिसंपत्तियां: ₹ 213.80 करोड़ (अनुसूची -4)

उपरोक्त में समाप्त जमा निर्माण कार्यों पर ₹ 159.50 करोड़ का व्यय शामिल नहीं है, जिसे कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिकार दिया गया और संस्थान द्वारा अधिकृत (जुलाई 2016) दर्शाया गया था और उपयोग में लाया गया परंतु पूंजीकृत नहीं किया गया था जिसे गलत रूप से चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 159.50 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों की कम बताए जाने और प्रगति में पूंजीगत कार्यों को ज्यादा बताया गया था। और उसपर मूल्यहास को भी कम बताया गया था।

4. एनआईटी अगरतला

(i) चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य ₹ 243.45 करोड़ (अनुसूची-4)

मूर्त परिसम्पत्तियों को 8 निर्माण कार्यों (योजना निधि-6, गैर-योजना निधि-2) को हस्तांतरित न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 125.68 करोड़ तक अधिक बताया गया है जबकि निर्माण गतिविधियों के समापन के पश्चात् 2011-12 और 2016-17 के बीच एनआईटी, अगरतला द्वारा इनका अधिकार ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप मूर्त परिसंपत्तियों (नेट ब्लॉक) को ₹ 123.01 करोड़ तक कम बताया गया था और इन परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान न किए जाने के कारण कॉर्पस निधि को ₹ 2.67 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

(ii) सामान्य

23 फरवरी 2006 को संघ मंत्रीमंडल के निर्णय के माध्यम से भूतपूर्व त्रिपुरा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (टीईसी) को एनआईटी अगरतला में बदल दिया गया था। संस्थान ने ₹ 16.08 करोड़ के कुल निवल परिसम्पत्तियों को चिन्हित किया था जिसकी त्रिपुरा सरकार द्वारा जांच की गई थी और संस्वीकृति प्रदान की गई थी (मई 2008)। संस्थान को अब तक इन परिसम्पत्तियों और देयताओं को अपने लेखे में शामिल करना है जबकि उनके पास इसका कब्जा है।

5. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कालाबुरागी (गुलबर्ग)

चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य

₹ 6.80 करोड़ की कीमत वाले पूर्ण किए गए भवन और एयरकंडीशनिंग निर्माण कार्य पूंजीकृत नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप कथित सीमा तक चल रहे कार्यों को अधिक बताया गया था और स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था। इसके कारणवश ₹ 16.48 लाख तक व्यय और मूल्यहास को कम बताया गया था।

6. आईआईटी कानपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां

इसे ₹ 17.89 करोड़ तक कम बताया गया है क्योंकि एमएचआरडी के प्रारूप में निर्धारित दरों से अलग दरों पर इसे प्रभारित करके अतिरिक्त मूल्यहास प्रभारित किया था। इसके कारणवश उसी राशि तक व्यय को अधिक बताया गया था। इस अभ्युक्ति को पूर्व वर्ष 2015-16 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

7. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

स्थायी परिसम्पत्तियां -अमूर्त परिसम्पत्तियां: शून्य (अनुसूची -4)

उपरोक्त में, मुख्य अनुदान से खरीदे गए ₹ 1.19 करोड़ और टीईक्यू-आईपी अनुदान से खरीदे गए ₹ 59.83 लाख की कीमत वाले ई-जर्नलों के कारण ₹ 1.79 करोड़ शामिल नहीं है। चूंकि ई-जर्नल मूर्त परिसंपत्तियों का भाग हैं, उन्हें मूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था (अनुसूची-4)। हालांकि, इन्हें राजस्व व्यय (अंशदान व्यय-अनुसूची-16) के रूप में माना गया था और पत्रिका और जर्नल (प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय अनुसूची-17) में ₹ 59.83 लाख शामिल था। इसके कारणवश ₹ 1.32 करोड़ (₹ 1.79 करोड़ में से मुख्य अनुदान परिसंपत्तियों ₹ 47.79 लाख घटाकर) स्थायी/मूर्त परिसम्पत्तियों को कम बताया गया और व्यय को अधिक बताया गया था।

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी

चल रहे पूंजीगत निर्माण कार्य: ₹ 161.06 करोड़

उपरोक्त में, ₹ 17.51 करोड़ की कीमत के तीन भवन शामिल हैं जिन्हें निष्पादन अभिकरण द्वारा पूरा करके मई, जुलाई और दिसम्बर 2016 के दौरान संस्थान को दे दिया गया था। चूंकि निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था और संस्थान द्वारा इन तीन भवनों का अधिकार दे दिया था और उपयोग में लाया गया था, इन्हें पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। पूर्ण हुए भवनों को पूंजीकृत न किए जाने के कारणवश चल रहे पूंजीगत कार्य को ₹ 17.51 करोड़ तक अधिक बताया गया था, ₹ 16.63 करोड़ तक भवनों (₹ 17.51 करोड़, घटा मूल्यहास ₹0.88 करोड़) को कम बताया गया था और घाटे को कम बताए जाने के साथ-साथ ₹0.88 करोड़, तक पूंजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

9. केन्द्रीय केरल विश्वविद्यालय, कसरगोड

चालू देयताएं (अनुसूची-3): ₹155.74 करोड़

दो बार ₹ 7.97 करोड़ की राशि की स्थायी परिसम्पत्तियों के जमा के लेखांकन के कारण कॉर्पस निधि को ₹ 7.97 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसे 2016-17 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूंजीकृत किया गया था क्योंकि स्थायी परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में ₹ 38.42 करोड़ की राशि के भवनों के प्रति स्थायी परिसम्पत्तियों जमा में उस राशि को पहले से ही शामिल कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक चालू देयताओं -अप्रयुक्त अनुदानों (अनुसूची-10) को कम बताया गया था।

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर

अमूर्त परिसम्पत्तियां -₹36.79 लाख

उपरोक्त में ऑनलाइन जर्नलों (ई-जर्नल) के अंशदान के ₹ 3.49 करोड़ शामिल नहीं थे। संस्थान ने उसे शैक्षिक व्यय के अंतर्गत आवर्ती व्यय के रूप में माना था। एमएचआरडी द्वारा जारी केन्द्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सीएचईआई) के वित्तीय विवरणी के संशोधित फार्मेटों में निहित निर्देशों के अनुसार, ई-जर्नलों को अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में माना जाए। हालांकि, संस्थान ने उसे अनुसूची 13 के अंतर्गत शैक्षिक खर्च के रूप में लेने पर विचार किया इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ (₹ 3.49 करोड़ घटा मूल्यहास ₹ 2.10 करोड़) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था और उसी राशि तक व्यय को अधिक बताया गया था।

11. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे

कॉर्पस/पूंजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹ 550.76 करोड़

₹ 49.46 करोड़ का घाटा जोकि वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे से आय पर व्यय का प्रतिनिधित्व करता है उसे केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरणियों के संशोधित फार्मेट में निर्धारित रूप से कॉर्पस में अंतरित नहीं किया गया था परंतु चालू देयताओं (अनुसूची-3(ग)) में ₹ 9.14 करोड़ (शैक्षिक प्राप्तियों, अन्य आय और मूल्यहास को छोड़कर) की आय पर व्यय के निवल आधिक्य को अंतरित कर दिया था। इसके कारणवश ₹ 9.14 करोड़ तक कॉर्पस को अधिक बताया गया था और उस सीमा तक चालू देयताओं को कम बताया गया था।

12. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी

कॉर्पस/पूंजीगत निधि (अनुसूची-1): ₹1162.82 करोड़

सम्पूर्ण प्रायोजित परियोजनाओं के संख्या में 69 स्थायी परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण न किए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 8.99 करोड़ तक कम बताया गया था जबकि प्रयोजित परियोजनाओं के समापन के पश्चात संस्थान के संबंधित विभागों को यह परिसम्पत्तियां हस्तांतरित की गई थीं। इसका पूंजीकरण न किए जाने के कारण आगे 2016 के अंत तक ₹ 8.99 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था।

13. कलकत्ता बंदरगाह श्रमिक मंडल (सीडीएलबी)

31 मार्च 2017 को सीडीएलबी के लिए सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बताए गए ₹ 859.30 करोड़ की बजाय ₹ 782.61 करोड़ के रूप में दर्शायी

गई थी। इसके कारणवश मौजूदा देयताओं को कम बताए जाने के साथ-साथ ₹ 76.78 करोड़ तक आय पर व्यय का आधिक्य हुआ था।

14. पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

निवेश में पारादीप पत्तन सड़क निगम लिमिटेड (पीपीआरसीएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन में सामान्य शेयरों के प्रति ₹ 40 करोड़ का निवेश शामिल है। पीपीआरसीएल की निवल कीमत पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है तथा 31 मार्च 2016 को (-)₹ 495.52 करोड़ के रूप में है। इसलिए, लेखांकन मानक 13, निवेशों हेतु लेखांकन के अंतर्गत अपेक्षित रूप से दीर्घ अवधि निवेश की कीमत में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप निवेश को अधिक बताया गया था और ₹ 40 करोड़ तक कर से पूर्व निवल अधिशेष को अधिक बताया गया था। 2015-16 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यही टिप्पणी शामिल है परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

15. चेन्नई पत्तन न्यास

(i) 31 मार्च 2017 को मौजूदा पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण हेतु एलआईसी द्वारा किए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएं ₹ 4854.40 करोड़ बनी थीं। पत्तन ने पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण निधि के प्रति ₹ 3159.89 करोड़ की राशि प्रदान की है। इसके कारणवश ₹ 1694.51 करोड़ तक चालू देयताओं और प्रावधानों एवं व्यय को कम बताया गया था। परिणामस्वरूप, उसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया है।

(ii) नीलामी किए गए स्क्रेप, जो उठाया नहीं गया था, हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान पत्तन ने ₹ 1.28 करोड़ की राशि दर्ज की थी। वर्ष 2016-17 के दौरान पत्तन ने ₹ 25.80 करोड़ तक और स्क्रेप की नीलामी कर दी थी। ₹ 27.08 करोड़ की कीमत के बेचे गए कुल स्क्रेप जो पहुंचाया जाना था, में से वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 17.73 करोड़ का स्क्रेप वास्तव में पहुंचाया गया था जिसे आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके बजाय पत्तन ने ₹ 4.38 करोड़ तक की आय दर्ज की थी जिसके कारणवश आय को कम बताया गया था और ₹ 13.35 करोड़ तक देयताओं को अधिक बताया गया था।

16. कोचीन पत्तन न्यास

वर्ष 2016-17 के लिए मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के कारण देयता ₹ 2949.98 करोड़ थी जिसके प्रति ₹ 2871.85 करोड़ की कमी छोड़ते हुए पेंशन और आनुतोषित निधि में निवेश ₹ 78.13 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और

प्रावधानों को कम बताया गया था और परिणामस्वरूप ₹ 2871.85 करोड़ तक हानि को कम बताया गया था।

17. न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास

पेंशन और ग्रेच्युटी के प्रति किए प्रावधान में कमी होते हुए ₹ 179.82 करोड़ के वित्त एवं विविध व्यय शामिल नहीं है। बीमांकिक मूल्यांकन के रूप में, ₹ 926.69 करोड़ की सीमा तक का प्रावधान किया गया था। हालांकि, पत्तन ने केवल ₹ 746.87 करोड़ प्रदान किए थे। पर्याप्त देयता का सृजन न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 179.82 करोड़ की सीमा तक वर्तमान देयता और वित्त एवं विविध व्यय को कम बताया गया था और परिणामतः उस सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया था।

18. वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास

31 मार्च, 2017 को मौजूदा कर्मचारियों और मौजूदा पेंशनभोगियों (पत्तन एवं कार्गो हैंडलिंग प्रभाग) के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी देयता पर एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयताएं ₹ 1131.33 करोड़ तक थीं। पत्तन ने पेंशन और ग्रेच्युटी निधि के प्रति ₹ 894.63 करोड़ की राशि प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधान को कम बताया गया था और ₹ 236.70 करोड़ तक निवल अधिशेष को अधिक बताया गया था।

19. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अवधि जमा प्राप्ति (टीडीआर) में ओरेण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के पास फरवरी 2014 में जमा ₹ 67.59 करोड़ की राशि और 31 मार्च 2017 तक ₹ 29.20 करोड़ की राशि का अर्जित ब्याज शामिल है। चूंकि मामला सीबीआई न्यायालय में लम्बित है और जेएनपीटी के पास ₹ 67.59 करोड़ के लिए सावधि जमा प्राप्ति/अवधि जमा प्राप्ति नहीं थे, उन्हें ₹ 67.59 करोड़ का संदेहास्पद निवेश और ₹ 29.20 करोड़ तक के अर्जित ब्याज के लिए प्रदान करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 67.59 करोड़ तक रोकड़ और बैंक शेषों को अधिक बताया गया था, निवेशों पर अर्जित ब्याज को ₹ 29.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था और ₹ 96.79 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था।

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए जेएनपीटी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी।

20. मुम्बई पत्तन न्यास

लेखांकन मानक 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार, केवल उसी सीमा तक आस्थगित कर परिसम्पत्ति (डीटीए) को मान्य माना जाना चाहिए जहां तक उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति कर वसूला जा सकता है। मानक आगे प्रावधान करता है कि निश्चितता का पर्याप्त स्तर सामान्य रूप से उद्यम के पूर्व अभिलेखों की जांच करके और भविष्य के लिए लाभों के वास्तविक अनुमान लगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

पूर्व के साथ-साथ भविष्य के लिए प्रक्षेपित वित्तीय विवरणियों का विश्लेषण इस निश्चितता का पर्याप्त स्तर प्रदान नहीं करता कि भविष्य में करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति आस्थगित कर परिसम्पत्तियां प्राप्त की जा सकें। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान एमबीपीटी को हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, पत्तन ने ₹ 3040.03 करोड़ की बीमांकिक देयता प्रदान नहीं की थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डीटीए की मान्यता ठीक नहीं है। निवल घाटे को ₹ 386.92 करोड़ तक कम बताया गया था जिसमें 2016-17 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त ₹ 141.70 करोड़ का डीटीए और पूर्व वर्षों से संबंधित ₹ 245.22 करोड़ शामिल है।

इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पत्ति को अधिक बताया गया था और ₹ 386.92 करोड़ तक हानि को कम बताया गया था।

(इस टिप्पणी को 2014-15 से एमबीपीटी के लेखाओं में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है)।

21. कांडला (दीनदयाल) पत्तन न्यास

(i) भारत सरकार ने सिंध पुनर्वास निगम लिमिटेड को 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि का 2600 एकड़ प्रदान किया है (28 नवम्बर 1955)। दिनांक 16 दिसम्बर 1964 के पत्र के माध्यम से पोतपरिवहन मंत्रालय ने बताया कि 28 नवम्बर 1955 को निष्पादित संशोधित पट्टा विलेख के खंड 10 के अनुसार सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यक्ष, केपीटी को नामांकित किया गया है। अक्टूबर 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान केपीटी ने ₹ 6.16 करोड़ तक की राशि का बन्धक शुल्क इकट्ठा किया था और अप्रैल 2013 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 0.90 करोड़ की राशि का हस्तांतरण शुल्क इकट्ठा किया था। चूंकि भूमि केपीटी से संबंधित नहीं है और सरकार ने विकास आयुक्त की शक्तियां केवल केपीटी के आयुक्त को दी हैं, केपीटी द्वारा एकत्रित बंधक शुल्क और

हस्तांतरण शुल्क को सरकार को प्रेषित करना चाहिए था। हालांकि, केपीटी ने बंधक शुल्क और हस्तांतरण शुल्क को अपनी आय के रूप में बताया। इसके कारणवश वर्तमान देयताओं को कम बताया गया था और ₹ 7.06 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था।

इस टिप्पणी को वर्ष 2015-16 के लिए केपीटी के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

(ii) पत्तन के लेखे की टिप्पणियों में बताया गया था कि ₹ 204.66 करोड़ तक की राशि के आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि आयकर योजनाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 11 से 13 के अंतर्गत केपीटी ने छूट का दावा किया था।

चूंकि केपीटी को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 11 से 13 के अंतर्गत अभी तक छूट प्राप्त करना शेष है और वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 216 करोड़ की राशि का अग्रिम कर/टीडीएस का भी भुगतान किया है, उन्हें वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 204.66 करोड़ तक की राशि के आयकर देयता के लिए प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके कारणवश वर्तमान देयता को कम बताया गया और ₹ 204.66 करोड़ तक कर के पश्चात लाभ को अधिक बताया गया था।

इस टिप्पणी में वर्ष 2015-16 के लिए केपीटी के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया था।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

22. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग

अक्षय निधि में 1964 से आगे के वर्षों तक आयोग द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों और उसके द्वारा एवं नोडल बैंकों द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को प्रतिपूर्ति बिलों/वाउचरों की गैर-प्राप्ति/प्रविष्टि न किए जाने के कारण लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किए गए, प्रदत्त रकम अनुदान अग्रिमों के कुल ₹ 55.53 करोड़ शामिल है। विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ₹ 55.53 करोड़ के इन रकम अग्रिमों की सीमा तक 'अक्षय निधि' शेषों की यथार्थता और वसूली को सत्यापित नहीं कर सकी।

इस टिप्पणी को वर्ष 2011-12 से 2015-16 जिनमें अग्रिमों के गैर-समायोजन पर बार-बार टिप्पणी की गई है, को एसएआर में शामिल किया गया था।

23. तेल उद्योग विकास मंडल

(i) चालू देयताओं और प्रावधानों को निम्नलिखित के कारण ₹ 29.06 करोड़ तक कम बताया गया था:

- (क) जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपीएवंएनजी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से सुसंगत निर्देश प्राप्त किए गए थे, भारत में तलछटी बेसिनों के आंके न गए क्षेत्र के मूल्यांकन के प्रति तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा की गई लागत होते हुए ₹ 27.64 करोड़ का प्रावधान न करना।
- (ख) एमओपी एवं एनजी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कॉर्पस निधि के प्रति भुगतान योग्य राशि ₹ 0.80 करोड़ होते हुए प्रावधान न करना।
- (ग) केजी बेसिन में केज-डीडब्ल्यूएन 98/2 और केजी-डीडब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉकों के संदर्भ में ओएनजीसी तथा रिलायंस भारत लिमिटेड के बीच विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित समिति के व्यय के प्रति भारतीय तेल लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा ₹ 0.32 करोड़ के व्यय का प्रावधान न करना।
- (घ) 1 जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों को ₹ 0.30 करोड़ के भुगतान योग्य बकाया वेतन का प्रावधान न करना।

उपरोक्त का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.06 करोड़ तक 'व्यय पर आय के आधिक्य' को अधिक बताया गया था।

(ii) आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बियक्कों लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश की कमी न होने के कारण ₹ 40.13 करोड़ तक निवेश अधिक बताया गया था। परिणामस्वरूप, उसी राशि तक 'व्यय पर आय के आधिक्य' को भी अधिक बताया गया था।

24. दिल्ली विकास प्राधिकरण

(i) भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015-16 के एसएआर की टिप्पणी सं. 4.3(क) में भूमि की उपलब्धता अधिक बताए जाने से संबंधित डीडीए के वित्तीय विवरणों का संदर्भ पूछा गया था जिसमें ₹ 108.06 करोड़ से लाभ की अधिक बुकिंग हुई थी। यद्यपि डीडीए ने अपने लेखांकन नीति को लेखांकन मानक 2 (वस्तुसूची का मूल्य निर्धारण) की संगति में संशोधित किया था, तथापि, पहले दर्ज की गयी लाभ की राशि की चालू वर्ष में लौटाया नहीं गया था। इससे उपलब्ध भूमि के मूल्य को ₹ 108.06 करोड़ तक अधिक बताया गया था, इसके साथ ही अधिशेष को तुलन पत्र में अग्रेषित किया गया था।

(ii) अनुसूची-ज के अनुसार, डीडीए ने ई डब्ल्यूएस आवास रिजर्व निधि, में से किये गये निवेश से ₹ 77.84 करोड़ की ब्याज आय दर्शायी थी, लेकिन इसे आय एवं व्यय लेखे में जमा किया गया था। चूंकि ईडब्ल्यूएस निधि को आयकर अधिनियम के वैधानिक आवश्यकता के

कारण बनाया गया था, यह एक प्रतिबंधित/चिन्हित निधि है और ईडब्ल्यूएस रिजर्व निधि से प्राप्त आय को आय एवं व्यय लेखे में जमा नहीं किया जाना चाहिए था। बल्कि, इसे सीधे 'ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व निधि खाते' में जमा करना चाहिए था।

इसका कारण कुल आय के साथ-साथ उस वर्ष हेतु अधिशेष के ₹ 77.84 करोड़ तक अधिक बताने में हुआ था।

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एसएआर में 2015-16 हेतु डीडीए के वित्तीय विवरण पर टिप्पणी सं. ख. 1.1(क) पर संदर्भ मांगा गया था जहां यह इंगित किया गया था कि किया गया व्यय और ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण से अर्जित आय को आय एवं व्यय खाते में रखने की बजाय ईडब्ल्यूएस आवास रिजर्व निधि में समायोजित किया जाना चाहिए था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान भी ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के प्रति किये गये ₹ 83.62 करोड़ को आय एवं व्यय लेखे में डेबिट किया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 96.16¹ करोड़ की राशि आय (ईडब्ल्यूएस आवासों के डब्ल्यूआईपी में वृद्धि) के रूप में जमा किया गया था। इससे आय एवं व्यय लेखे में व्यय का ₹ 83.62 करोड़ तक अधिक बताया गया और आय को ₹ 96.16 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

25. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7): ₹ 7.12 करोड़

2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत शुल्क के रूप में ₹ 18.19 करोड़ की धनराशि संग्रहित की गयी थी जिसे अप्रतिदेय बताया गया था। तथापि, उत्पाद अनुमोदन योजना को 19 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया था। उस समय 1876 आवेदन प्राधिकरण के पास लंबित थे। उस शुल्क को आवेदकों को लौटाया नहीं गया था उसे प्राधिकरण के विगत वर्ष के लेखे में प्राप्त के रूप में दिखाया गया था। चूंकि ये आवेदन या तो आवेदनों के रद्द होने या अनुमोदन के लंबित निर्णय थे, इन पर प्राप्त शुल्क को लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। अतः, प्राधिकरण की देयताओं का ₹ 4.69 करोड़ (1,876x₹25,000) तक कम बताया गया था।

¹ डीडीए की नीति के अनुसार 15 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त खर्च शामिल है।

26. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद

आय एवं व्यय लेखा

आय का अधिक बताया जाना - ₹ 19.24 करोड़ (अनुसूची-11)

परिषद ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 19.24 करोड़ का शुल्क प्राप्त किया था, जिसमें वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4.84 करोड़ का अग्रिम शुल्क शामिल था। तथापि, ₹ 19.24 करोड़ राशि के कुल शुल्क को आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में दर्शाया गया था (अनुसूची-11)। इसके कारण ₹ 4.84 करोड़ तक आय को अधिक और देयताओं को कम बताया गया था।

27. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-8) - ₹ 12,089.29 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों में पंचदीप परियोजना के अंतर्गत मैसर्स विप्रो से खरीदी गयी ₹ 3.71 करोड़ के कम्प्यूटर/तब्सबंधी वस्तु और वर्ष 2016-17 के दौरान इसके अनुबंधीय देयता (₹ 1.25 करोड़ की परिसम्पत्तियों की कम आपूर्ति के प्रति ईएसआईसी द्वारा माना गया) की अधिकता में प्राप्त ₹ 1.63 करोड़ की परिसम्पत्तियां भी शामिल नहीं थीं। इसके कारण ₹ 5.34 करोड़ से स्थायी परिसम्पत्तियों को कम और सामान्य रिजर्व को कम बताया गया था।

28. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (एनआईटी)

(i) स्थायी परिसम्पत्तियों-मूर्त परिसम्पत्तियों: ₹ 111.47 करोड़ (अनुसूची-4):

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीति सं.5 के अनुसार "सीधी कटौती विधि से मूल्य हास प्रदान किया गया था"। तथापि, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य हास एमएचआरडी द्वारा निर्धारित सीधी कटौती विधि के स्थान पर लिखित मूल्य विधि पर प्रदान किया गया था।

एमएचआरडी द्वारा निर्धारित मूल्य-हास की विधि नहीं अपनाए जाने के कारण उपर्युक्त परिसम्पत्तियों को ₹ 1.03 करोड़ तक अधिक बताया गया है। (2015-16: ₹36.65 लाख एवं 2016-17: ₹ 66.60 लाख)। मूल्यहास के कम प्रभारित करने के परिणामस्वरूप घाटे को ₹ 1.03 करोड़ तक कम बताया गया और साथ ही कॉर्पस/पूँजीगत निधि को इतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

(ख) 2016-17 के दौरान ₹ 7.92 करोड़ मूल्य का निर्माण कार्य पूरा किया गया था और मैसर्स हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा संस्थान को अंतिम भुगतान किया गया था। तथापि, पूँजी में परिणत नहीं किया गया और ₹ 6.56 करोड़ के अंतर्गत और ₹ 1.35 करोड़ अग्रिमों के रूप में दर्ज किया गया था।

उपर्युक्त परिसम्पत्तियों का पूँजीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.76 करोड़ (निवल) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताया गया था और इसके ही समतुल्य पूँजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर, की इसके साथ ही अग्रिमों को क्रमशः ₹ 6.56 करोड़ एवं ₹ 1.35 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष हेतु ₹ 15.84 लाख (दो प्रतिशत की दर पर) से मूल्य-हास को कम बताया गया और इतनी ही राशि से कॉर्पस पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

(i) अमूर्त परिसम्पत्तियों: ₹ 383.37 लाख

इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 (₹ 30.79 लाख), 2016-17 (₹ 98.93 लाख) हेतु मूल्य हास को कम प्रभारित करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ से अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया था। मूल्य-हास को कम प्रभारित करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ से घाटे को कम बताया गया और इतनी ही राशि से कॉर्पस/पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया था।

29. कोलकाता पत्तन न्यास

पेंशन एवं ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान में गिरावट है क्योंकि वास्तविक मूल्य निर्धारण एवं उपलब्ध निधियों के मध्य वर्ष 2016-17 हेतु अंतर ₹ 3969.99 करोड़ का था।

30. कलकत्ता डॉक-श्रमिक बोर्ड

सेवा निवृत्ति पेंशन हेतु ₹ 76.78 करोड़ के प्रावधान में गिरावट है क्योंकि एलआईसी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन और उपलब्ध निधि में अंतर वर्ष 2016-17 हेतु था।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (ए) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2016-17 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली
3.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	भारत दंत परिषद, नई दिल्ली
6.	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
8.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
11.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
12.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
15.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
19.	केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
20.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
24.	पौधों के किस्मों और किसानों के अधिकार सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

25.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
27.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश
29.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
30.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
31.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग
32.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
34.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
35.	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यनिवर्सिटी, हैदराबाद
36.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
38.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
39.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
40.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
41.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
43.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
44.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर
45.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर
46.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
49.	ऑरोविल फाउंडेशन, पुदुचेरी
50.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी

54.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
55.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
56.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
58.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भठिंडा
59.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
60.	तिब्बती ग्रन्थ और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
61.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
62.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
64.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
65.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
66.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
68.	मिजोरम विश्वविद्यालय
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
70.	नागालैंड विश्वविद्यालय
71.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
73.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर
74.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
75.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
76.	कोलकाता पत्तन न्यास
77.	कोलकाता बंदरगाह श्रम बोर्ड
78.	कोचीन पत्तन न्यास
79.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
80.	आरजीआईपीटी जैस, अमेठी, यूपी
81.	जूट बोर्ड

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (बी) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें 2016-17 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3.	दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, नई दिल्ली
4.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
5.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
6.	आयोजन समिति, 12वीं एसएजी, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
9.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
13.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
14.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
18.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
21.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
22.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
23.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

24.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
25.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
26.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
27.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
28.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर
29.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलोर
30.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
31.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
33.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
34.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
35.	ऑरोविल फाउंडेशन, पुदुचेरी
36.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
38.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
39.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
40.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
42.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
43.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
44.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
45.	तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
47.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
48.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
49.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल
50.	मिजोरम विश्वविद्यालय
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नगालैंड
52.	नागालैंड विश्वविद्यालय
53.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एमजीएचवी), वर्धा

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

54.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
55.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
56.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (केवल कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन किया गया है एवं इसके किसी भी नौ संस्थानों में नहीं)
57.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
58.	कोलकाता पत्तन न्यास
59.	कलकत्ता बंदरगाह श्रम बोर्ड
60.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास
61.	मुम्बई पत्तन न्यास
62.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
63.	मसाला बोर्ड, कोची
64.	जूट बोर्ड, कोची
65.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
66.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (सी) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां 2016-17 के दौरान सामान सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
3.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
4.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
5.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	आयोजन समिति, 12वीं एसएजी, नई दिल्ली
7.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
11.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	पौधा किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
14.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	योजना तथा वास्तु-कला विश्वविद्यालय, दिल्ली
17.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा समिति, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
19.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
21.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
22.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपति

24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
25.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
26.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
27.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
28.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
29.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर
30.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
31.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
32.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
33.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
34.	ऑरोविल प्रतिष्ठान, पुडुचेरी
35.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
37.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
38.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
39.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
40.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
42.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
43.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
44.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
46.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
47.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
48.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
49.	योजना एवं वास्तु-कला विद्यालय, भोपाल
50.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
52.	मिजोरम विश्वविद्यालय
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड

54.	नागालैंड विश्वविद्यालय
55.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी), वर्धा
56.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे
57.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुपति
58.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
59.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
60.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
61.	कोलकाता पत्तन न्यास
62.	कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड
63.	मुंबई पत्तन न्यास
64.	मसाला बोर्ड, कोची
65.	कयर बोर्ड, कोची
66.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (डी) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जो प्राप्ति/कैश आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
5.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
6.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
8.	गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली
9.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
10.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
12.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
13.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) अरुणाचल प्रदेश
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), अरुणाचल प्रदेश
19.	दक्षिण केंद्रीय बिहार विश्वविद्यालय, पटना
20.	खुदा बक्ष ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
21.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
22.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
23.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़

24.	इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद
25.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल
26.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
27.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव
28.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
29.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासारगोड
30.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
31.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
32.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद
34.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) रायबरेली
35.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ई) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	भारतीय चिकित्सा परिषद , नई दिल्ली
3.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
5.	केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
11.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
12.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
13.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
14.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
15.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
16.	गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
18.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
21.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांक लोगों का राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली
22.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
23.	केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
24.	भारतीय विश्व मामलें परिषद, नई दिल्ली
25.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
26.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
28.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
29.	अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
31.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा समिति, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
33.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
34.	योजना तथा वास्तु-कला विद्यालय, नई दिल्ली
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश
36.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
37.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान (आरजीआईआईएम), शिलांग
38.	खुदा बक्ष ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
39.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
40.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
42.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद
43.	राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
44.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
45.	सलारजंग म्यूजियम, हैदराबाद
46.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
47.	केंद्रीय उडीसा विश्वविद्यालय, कोरापुट
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
49.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ओतपुर, कटक
50.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
51.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
52.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर
53.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
54.	व्यावहारिक प्रशिक्षण (ईआर) बोर्ड, कोलकाता
55.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
56.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
57.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
58.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
59.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
60.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता
61.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
62.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
63.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
64.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
65.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
66.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
67.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
68.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
69.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी
71.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
73.	संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
75.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
77.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
78.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
79.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
80.	तिब्बती ग्रन्थ और अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
81.	नारियल विकास बोर्ड, कोची
82.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
83.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
84.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
85.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
87.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल
88.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
89.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई
90.	अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुंबई
91.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
92.	महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
93.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर.
95.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
96.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
97.	कोचिन पत्तन न्यास
98.	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास
99.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
100.	नाविक भविष्य निधि संगठन
101.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
102.	रबर बोर्ड
103.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
104.	भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता
105.	कॉफी बोर्ड, बेंगलोर

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6 (एफ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
6.	कांडला (दीनदयाल) पत्तन न्यास (केपीटी)
7.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (जी) के संदर्भ में)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल, मैंगलोर
4.	केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
5.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
6.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
7.	यूनानी चिकित्सा राष्ट्रीय संस्थान, बेंगलोर
8.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
9.	सिक्किम विश्वविद्यालय
10.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरुर
11.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
12.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
16.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
17.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम
19.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
20.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
21.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ओलतपुर, कटक
22.	कॉफी बोर्ड, जनरल निधि, बेंगलोर
23.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम
24.	केंद्रीय सिल्क बोर्ड, बेंगलोर
25.	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.7 के संदर्भ में)

नवंबर 2017 को मार्च 2016 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचार के अधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचार के अधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचार के अधीन
1.	कृषि	2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	2	-	2	-	-	-	2	-	2
2.	आयुष	2016	3	3	-	-	-	-	3	3	-
3.	रासायनिक और उर्वरक	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4.	नागर विमानन	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5.	कोयला	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
6.	वाणिज्य का वाणिज्य और उद्योग विभाग	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	3	-	3	-	-	-	3	-	3
		2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1

8.	संस्कृति	2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	2	2	-	2	2	-
9.	पेयजल और स्वच्छता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
10.	विदेशी मामले	2016	2	1	1	-	-	-	2	1	1
11.	वित्त	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	2	2	-	-	-	-	2	2	-
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	2	-	2	1	-	1	3	-	3
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	2	-	2	5	-	5	7	-	7
13.	गृह मंत्रालय	2016	4	1	3	-	-	-	4	1	3
14.	मानव संसाधन विकास	2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	1	-	1	1	-	1	2	-	2
		2015	-	-	-	2	-	2	2	-	2

2018 की प्रतिवेदन सं. 4

		2016	-	-	-	21	15	6	21	15	6
15.	सूचना और प्रसारण	2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
16.	श्रम और रोजगार	2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
17.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
18.	खान	2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
19.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
21.	ग्रामीण विकास	2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	2	1	1	-	-	-	2	1	1
22.	नौ-परिवहन	2016	6	-	6	-	-	-	6	-	6
23.	कौशल विकास और उद्यमिता	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25.	कपड़ा	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
26.	जनजातीय मामले	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2016	-	-	-	1	1	-	1	1	-

27.	शहरी विकास	2016	2	-	2	1	-	1	3	-	3
28.	महिला और बाल विकास	2015	-	-	-	1	-	1	1	-	1
29.	युवा मामले और खेल	2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2016	1	1	-	-	-	-	1	1	-
कुल			53	12	41	56	19	37	109	31	78

